खण्ड-424, अंक-9
बुधवार, 10 आषाढ़, शक संवत् 1920
(1 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 424 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित	क–ख
प्रश्नोत्तर	1—101
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	101
जनपद बलरामपुर के गैसड़ी क्षेत्रान्तर्गत करमाहना गांव को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद अम्बेदकर नगर के उतरेथू बाजार विकास खण्ड टाण्डा में पशु चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101—102
जनपद लखीमपुर खीरी के अलीगंज व गोलागोकरन नाथ गेहूँ क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की खरीद में कथित अनियमिताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी स्थित मुन्सिफ कोर्ट जो चन्दौसी में है, को बिलारी तहसील में शिफ्ट कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
लखीमपुर में रेलवे क्रासिंग से मेला ग्राउन्ड तक 4 कि०मी० ध्वस्त मार्ग का निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103
उन्नाव जनपद की दक्षिणी सीमा पर बक्सर के सामने गंगा नदी पर पुल निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103
नियम 300 की सूचनाएं	103
मा० मुख्य मंत्री के शोधन वक्तव्य पर अनुपूरक प्रश्न की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	104—105
गत सत्र की नियम 301 की सूचनाओं में से कतिपय सूचनाओं में "सूचना अप्राप्त तथा अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ" अंकित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	105—107
प्रदेश में बैंक डकैती व जर्जर कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयास	107
ऊर्जा विभाग के बजट का साहित्य समय से न प्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	107—108
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित)	108
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित)	108—109
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित और चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव	

विषय	पृष्ठ-संख्या
स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों की जानकारी	143
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान सं० 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान सं० 51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान सं० 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	143
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान सं०-45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	173
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश 1998 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक—1998 (पारित)	189
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	200
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी का तेल एवं चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की अनुउपलब्धता से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 51 की सूचना पर मा० खाद्य मन्त्री का वक्तव्य	201
विद्युत परिषद् के अभियन्ताओं द्वारा सिस्टम कन्ट्रोल के आदेशों का पालन न किये जाने जनपद गाजियाबाद के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 51 की सूचना पर मा० खाद्य मंत्री का केवल वक्तव्य थति विषयक	202
नगर पालिका कासगंज, जनपद एटा में नालों की सफाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 51 की सूचना पर मा० खाद्य मंत्री का केवल	202—203
	204—216

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 1 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी
अजय राय, श्री	वाराणसी	दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर	नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर	बांके लाल सोनकर, श्री	जौनपुर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बेचन राम, श्री	गोरखपुर
अशोक बाजपेयी, डा०	हरदोई	महेन्द्र पाल निषाद, श्री	बांदा
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
इल्म सिंह, श्री	सहारनपुर	मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री	गढ़वाल
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा	राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात	राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
के० सी० सिंह, "बाबा"	उधम सिंह नगर	राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	फर्रुखाबाद	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जगपाल, श्री	सहारनपुर		

विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा	श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
शिवा कान्त, श्री	प्रतापगढ़	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 1 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बालिकाओं को शिक्षा देने की सरकार की नीति

**1.—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बालिकाओं को शिक्षा देने के बारे में सरकार की कोई नीति है? यदि हां, तो क्या? क्या सरकार कन्याओं की शिक्षा के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से मान्यता प्राप्त कन्या विद्यालयों को अनुदानित विद्यालय घोषित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा डेढ़ कि०मी० की दूरी और 300 की आबादी पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालय तथा 3 कि०मी० की दूरी और 800 की आबादी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की नीति निर्धारित है।

इसके अतिरिक्त दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर बालिका विद्यालयों के शैक्षिक उन्नयन हेतु 20 प्रतिशत से कम और 20 प्रतिशत से चालीस प्रतिशत साक्षरता वाले जनपदों में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की योजना चलायी जा रही है।

शासन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्थायी अशासकीय जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों को नियमान्तर्गत अनुदान सूची पर लेने हेतु समय-समय पर विचार कर कार्यवाही करती है।

वर्ष 1997-98 में 250 असहायिक जूनियर हाई स्कूलों के अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। इनमें 20 प्रतिशत बालिका विद्यालय हेतु आरक्षित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय कुमार पोइया–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा उन्होंने कहा कि डेढ़ कि०मी० की दूरी पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की बात है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मथुरा में मथुरा, फरेंदा और गोवर्धन में 6-6 कि० मी० में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। दूसरा तीन कि०मी० और 800 की आबादी पर जूनियर हाईस्कूल खोलने की बात कही है तो मेरे इन ब्लाकों में डेढ़ हजार से अधिक की आबादी है वहां पर कोई इस प्रकार के विद्यालय स्थापित नहीं किये गये हैं। इसके अलावा यह पूर्ण साक्षर वाले ब्लाक हैं, पूर्ण साक्षर करने से क्या लाभ है जब वहां पर प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों की स्थापना नहीं होती है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, माननीय सदस्य पोइया जी ने जो पीड़ा व्यक्त की है उससे हम सब वाकिफ है, मैं स्वयं वाकिफ हं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। जितनें विद्यालयों का हमने लक्ष्य रखा था अगर

वह 1998 तक पूरा हो जाता है तो पूरा प्रदेश सेवित हो जायेगा। लेकिन मान्यवर, यह शिकायत मिल रही है। हमने इसकी चैकिंग के लिये माइक्रो चैकिंग के आदेश दे दिये हैं जिससे वस्तुस्थिति हमारे सामने आ जायेगी। यह शिकायत आई है। इन विद्यालयों की स्थापना में दबाव के कारण कई स्थानों पर विद्यालय खुले ही नहीं और कई स्थानों पर एक से ज्यादा विद्यालय खुल गये हैं। हमने माइक्रो चैकिंग के आदेश दिये हैं जब सर्वे हो जायेगा तो वस्तु स्थिति सामने आ जायेगी। जो क्षेत्र सेवित होने से रह गये हैं उनको सेवित करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल –

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्पष्ट पूछा है कि क्या बालिकाओं को शिक्षा देने के बारे में कोई नीति है। इसमें केवल बेसिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में केवल प्राइमरी जूनियर एवं माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त विद्यालय की अनुदान सूची में लेने की बात है तो मैं पूछना चाहता हूँ जिन बालिका विद्यालयों को मान्यता सूची में ले लिया गया है उनको अनुदान सूची में लेने के बारे में क्या नीति है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, निश्चित रूप से प्रश्न बहुत व्यापक है लेकिन चूंकि संदर्भित हुआ था बेसिक शिक्षा मंत्री को इसलिये बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपना जवाब दे दिया है। मान्यवर, जहां तक सरकार का प्रश्न यह है सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिये बहुत संवेदनशील है। पाल साहब ने जो प्रश्न पूछा था उस संबंध में सरकार की ओर से बताना चाहता हूँ कि 94 में जो सर्वे कराया गया था उसके आधार पर 423 असेवित ब्लाक थे उनमें कन्या विद्यालय खोलने के लिये प्रबंध तंत्र के आधार पर सरकार ने व्यवस्था किया था कि ऐसी जगहों जहां पर कन्या विद्यालय नहीं हैं यदि वहां कोई विद्यालय खोलता है तो सरकार की ओर से 10 लाख रुपया अनुदान और यदि जमीन की आवश्यकता होगी तो सरकार निशुल्क जमीन देगी। इन 423 असेवित ब्लाकों में से 290 कन्या विद्यालय खोले जा चुके हैं और 18 शासकीय इंटर कालेज खोलने की योजना है। 115 जो असेवित विकास खंड रह गये हैं उनके लिये सरकार ने यह व्यवस्था की है कि यदि वहां पर कोई प्रबंध तंत्र प्रस्ताव देगा कि विद्यालय बनाना चाहते हैं तो सरकार 20 लाख रुपया देगी ताकि वहां कन्या विद्यालय खुल सकें। वर्तमान सरकार बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशील है पाल साहब इससे संतुष्ट हो गये होंगे।

श्री जगदम्बिका पाल –

मान्यवर, प्रश्न था कि क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिये मान्यता प्राप्त कन्या विद्यालयों को अनुदानित विद्यालय घोषित करेगी। इसका जवाब न देकर मंत्री जी से असेवित विकासखंडों की बात बतायी। मेरा प्रश्न है कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं सरकार उनको अनुदान सूची पर लायेगी?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, कल जब इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि वर्तमान नीति सरकार की यह है कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको अनुदान सूची पर लाने का इस समय निर्णय नहीं है। जो 1986 के पहले के हैं उनमें से 72 को हम ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहां पर बालिकाओं की शिक्षा की दर सबसे कम है उन 35 जिलों को और चयनित किया गया है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट –

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बालिकाओं को शिक्षा देने के लिये जो मान्यता देने का मानक है उसके आधार पर जनपदों में विद्यालय कितने हैं? वह विद्यालय कितने हैं कन्याओं के प्रदेश में।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, जरा फिर से स्पष्ट करा दें।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट –

आपके अधीनस्थ जो विद्यालय काम कर रहे हैं बालिकाओं के, प्रदेश में जिन पर आपका जुरिसडिक्शन है, उनकी संख्या कितनी है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल –

मान्यवर, यह एक ऐसा प्रश्न पूछ दिया है कि कितने विद्यालय टोटल हैं। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। दूसरा सिर्फ संख्या जानकर कौन सा बालिकाओं के कल्याण की बात है? आप हमसे यह पूछिए कि कितने और विद्यालय खोलने जा रहे हैं और कहाँ कहाँ खोलेगें?

श्री रामतेज यादव एडवोकेट –

मान्यवर, इस पर मंत्री जी भाषण देने लगेगें। मैं तो सिर्फ कितने हैं, यह संख्या जानना चाह रहा हूँ?

श्री अध्यक्ष –

उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

(श्री अम्बिका चौधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

समय का ध्यान रखियेगा। घड़ी देखते रहियेगा। इसके बाद एक और प्रश्न है।

श्री अम्बिका चौधरी –

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी द्वारा असीमित विकास खण्डों में कन्या विद्यालय की स्थापना की बात कही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा शुरू की गई योजना को आगे बढ़ाया है। 10 लाख रुपये जो वहां विद्यालयों को दिये जाने की योजना थी उसको 20 लाख कर दिया। जिन विद्यालयों की स्थापना सरकारी अवरोधों या किन्हीं अन्य कारणों से नहीं हो पाई है और जो पहले से स्वीकृत थे उनको भी 20 लाख रुपये देगें?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, यह माध्यमिक से जुड़ा सवाल है। इसके लिये अलग मंत्री हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी अभी जवाब दे रहे थे तो कह रहे थे कि सरकार बहुत संवेदनशील है और खास तौर से बालिकाओं के लिये। जवाब देते समय वे इस कदर दोहरे हुए जा रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

विषय पर आइये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर यह संवेदनशील सरकार है तो अनुदान सूची में लिये जाने वाले कन्या माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय के लिये कट आफ डेट कौन सी है? जिन विद्यालयों को नहीं लिया गया है तो जैसा यह 200 विद्यालयों को अनुदान देने जा रही है क्या इनको भी शामिल किया जायेगा?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही बताया था कि 250 प्राथमिक विद्यालयों को हम इस वर्ष ऐड पर ले रहे हैं जिनमें से 50 विद्यालय बालिकाओं के हैं। 1989 के सभी बालिका विद्यालय इससे कवर हो रहे हैं।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सन् 86 से पहले के बालिकाओं के जो विद्यालय अनुदानित नहीं हो पाये हैं उसमें से 50 कन्या विद्यालयों को अनुदानित करने का लक्ष्य माननीय मंत्री जी ने रखा है। कितने इससे पहले के शेष बच गये माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनको माननीय मंत्री जी कितने समय में अनुदानित कर देंगें? दूसरा प्रश्न यह है कि आज प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति देश के अन्य प्रदेशों के सापेक्ष में जो उसकी हालत है उसको बढ़ाने के लिये जो पुरानी नीति चल रही है उसी पर चलेगें या उसके लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाकर ऐसा प्रयास करेंगे कि 21वीं सदी प्रारम्भ होने से पहले बालिकाओं के लिये अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध हो सके?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में कहा कि कुल मिलाकर 1986 के बालिकाओं की कट आफ डेट रखी उसमें 144 आते हैं।

उनमें से टोटल मिलाकर 72 विद्यालयों को ले रहे हैं यह माध्यमिक विद्यालय हैं। जहां तक उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात है उनमें 250 विद्यालय हम इस बार अनुदान सूची में ले रहे हैं। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं जहां शिक्षा की समस्या है वहां से भी लेंगे, लड़कियों के विद्यालय भी वहां से लेंगे और 20 प्रतिशत से कम नहीं लेंगे।

डा० कौशल किशोर–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक-एक कन्या विद्यालय निजी तंत्र से खोले जाएंगे और जो 10 लाख था उसको 20 लाख कर दिया गया है मान्यवर, मंत्री जी ने मंडलीय समीक्षा में कहा था कि जो सीमित और असीमित ब्लाक हैं वहां पर विद्यालय खोले जाएंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विद्यालय खोले जाएंगे?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां, शासन दो किश्तों में 10-10 लाख रुपया देगा।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ जहां तक बालिकाओं का सवाल है शासन स्तर पर उनके विकास के लिए शिक्षा के विकास के लिए हमारे ब्लाक में दीनदयाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसमें छठे क्लास से आठवें क्लास तक विद्यालय में व्यवस्था है। इस विद्यालय को चालू करने की कृपा करेंगे इसी सत्र से दूसरा एक गोवर्धन ब्लाक में विद्यालय स्वीकृत हुआ है इसको इस सत्र में चालू करा देंगे?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

वह विद्यालय प्राइवेट है या सरकारी है यह माननीय सदस्य से स्पष्ट करा दें तब हम जबाब देंगे।

पर्वतीय क्षेत्र के कुछ जनपदों को शामिल करके उत्तराखण्ड बनाने की सरकार के प्रस्ताव विषयक प्रारूप की जानकारी

**2—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के कुछ जनपदों को शामिल करके सरकार उत्तराखण्ड को अलग बनाने के लिये केन्द्र को प्रस्ताव भेजेगी? यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या प्रारूप होगा? क्या उत्तराखण्ड राज्य बनाने हेतु सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

केन्द्र सरकार को 20 मई, 1997 को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर प्रश्न मैंने क्या किया और उत्तर क्या आ रहा है मैंने मंत्री जी से जानना चाहा था–"क्या पर्वतीय क्षेत्र के कुछ जनपदों को शामिल करके सरकार उत्तरांचल को अलग राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव भेजेगी?" मान्यवर, इन्होंने कहा कि "केन्द्र सरकार को 20 मई, 1997 को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।" मान्यवर मैंने जानना चाहा है कि यदि प्रस्ताव भेजा गया है तो उसका प्रारूप क्या होगा? उस प्रारूप के अन्तर्गत कितने जनपद शामिल किए जा रहे हैं उसका मुख्यालय राजधानी क्या घोषित की गई? ऊधमनगर के लोग इस प्रस्ताव में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इन्होंने प्रश्न में कहा है कि क्या सरकार कोई प्रस्ताव भेजेगी मैंने अपने उत्तर में कहा है कि प्रस्ताव भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझ रहा हूँ, इन्होंने भविष्यकाल में प्रश्न पूछा आपने भूतकाल में उत्तर दे दिया है।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इस सदन ने तीन बार प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा है। इस सदन ने उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र के आठ जिले जो अब 12 हो गये हैं।

उनको मिलाकर एक अलग राज्य उत्तरांचल के नाम से बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव भेजा है।

डा० अम्मार रिजवी–

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। जो प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया है, उसमें राजधानी कहां होगी, उसका हाईकोर्ट कहां होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप क्या होगा? जो इस प्रदेश का विभाजन होगा उसका प्रारूप क्या होगा?

डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

यह मंत्रि-परिषद् की उप समिति जो बनी है वह इस पर विचार कर रही है। जो विधेयक का स्वरूप भारत सरकार तय करेगी वह उत्तर प्रदेश के पास नहीं आया है।

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष, महोदय, पाल साहब का प्रश्न बिल्कुल सीधा है मैं उसी प्रश्न को दोहराते हुए यह जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव का प्रारूप क्या होगा, उसमें कौन-कौन से जनपद हैं, उसकी राजधानी क्या होगी हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का प्रारूप क्या होगा? मेरी निश्चित जानकारी है कि कल मंत्रि-परिषद् का जो निर्णय हुआ है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह राज्य कभी बनने नहीं देना चाहते हैं। यह सीमा विवाद कर देंगे, तो यह उत्तराखण्ड कब बनेगा? मैं चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड बने।

मेरा निश्चित आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखण्ड का निर्माण नहीं चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि मंत्रि-परिषद् की उप समिति इस पर विचार करेगी।

मंत्री जी यह बता दें कि किन-किन जनपदों को शामिल करने का प्रस्ताव है?

डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

यह सरकार पूर्वांचल की पक्षधर है इसी सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 अगस्त 1991 को पहले प्रस्ताव प्रारूप करके केन्द्र सरकार को भेजा था लेकिन इसके बाद की तमाम सरकारें बनी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पूर्व में आठ जनपद पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ थे। अब चार जिले और बढ़ गए हैं। बागेश्वर, चम्पावत, रुद्र प्रयाग ऊधम सिंह नगर इन 12 जिलों का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि जो मंत्रिमण्डलीय उपसमिति बनी है उसके टर्म्स आफ रिफरेन्सेज क्या हैं? क्या मंत्रिमण्डलीय समिति, जिन जिलों का जिक्र किया गया उनको बढ़ाने या घटाने पर विचार कर रही है या नहीं कर रही है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति विचार कर रही है।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उत्तरांचल विकास मंत्री जी से मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि जो उत्तरांचल का प्रस्ताव भेजा गया उसका प्रारूप क्या है और उस क्षेत्र में जो परिसम्पतियां हैं, उस परिसम्पत्तियों का उत्तर प्रदेश और भविष्य के उत्तरांचल के बीच में विभाजन का आधार क्या होगा?

श्री अध्यक्ष–

जब माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि मंत्रि-मण्डलीय उप समिति पूरे ब्यौरे पर विचार कर रही है तो परिसम्पतियों के विभाजन की बात ही नहीं आयी है।

श्री मुन्ना चौहान–

श्रीमन, आपसे संरक्षण चाहता हूं इसमें मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक हो चुकी है, माननीय मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन के अन्दर कहा कि प्रारूप केन्द्र सरकार को भेज दिया, तो

अब मंत्रिमंडलीय उप समिति क्या कर रही है। क्या मंत्रिमण्डलीय उप समिति जो पूर्व में प्रारूप प्रस्तावित किया गया उसमें परिवर्तन पर विचार कर रही है अगर नहीं कर रही है तो केन्द्र से आज की तारीख में नये सिरे से कौन सी सिफारिश करने जा रही है?

डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मैंने पहले ही कहा कि प्रारूप प्रस्ताव भारत सरकार को गया है। केन्द्र सरकार इसको विधेयक के रूप में यहां पर लायेगी। इस पर मंत्रि परिषद् की उप समिति व्यापक अध्ययन कर रही है जब विधेयक आयेगा तो उप समिति अपनी टिप्पणी देगी। इस पर व्यापक अध्ययन चल रहा है।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय रमा शंकर कौशिक की अध्यक्षता में कोई कौशिक समिति बनी थी, जिसने कोई प्रारूप तैयार किया था, कहाँ पर राजधानी होगी, कितना क्षेत्रफल होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ढाँचा क्या होगा, उसकी हाईकोर्ट कहां होगी, क्या उस प्रारूप को माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे? दूसरे यह जो मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनी है क्या उस प्रारूप में कोई संशोधन करना चाहती है, क्या ऐसा कोई मामला विचाराधीन है?

डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन् यह सही है कि माननीय कौशिक जी की अध्यक्षता में ''कौशिक समिति'' बनी थी उसने कुछ बिन्दुओं पर अपना प्रारूप तैयार किया था लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मंत्रि परिषद् ने अपनी एक उप समिति बनायी है और वह समिति अद्यतन परिस्थितियों पर अध्ययन करके अपना प्रस्ताव विधेयक पर करेगी।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इन्होंने वह वायदा किया था कि हम 90 दिन के अन्दर उत्तरांचल राज्य का गठन कर देंगे। इनकी नीयत उत्तरांचल राज्य बनाने की नहीं है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बॉयकाट करता है।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के माननीय सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट वार्डों में भर्ती मरीजों से डाइट चार्ज के रूप में ली जाने वाली धनराशि

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट वार्डों में भर्ती मरीजों से डाइट चार्जेज के रूप में धनराशि जमा कराई जाती है? क्या यह सही है कि अधिकांश मरीज अस्पताल द्वारा दिया जाने वाला भोजन नहीं खाते हैं? क्या यह भी सही है कि अस्पताल का खाना न खाने वाले मरीजों को दूध एवं फल दिया जाता है जो बाजार दर से महंगा पड़ता है और मरीजों की रुचि का नहीं होता है? क्या सरकार अस्पताल से भोजन न लेने वाले प्राइवेट वार्डों के मरीजों को डाइट चार्जेज से छूट प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मात्र बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के प्राइवेट वार्ड में भर्ती मरीजों से डाइट चार्ज के रूप में धनराशि जमा कराई जाती है।

जी नहीं।

जी नहीं।

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के प्राइवेट वार्ड में भर्ती रोगियों को भी उपचार करने वाले चिकित्सक के परामर्श अथवा अपरिहार्य कारणों से डाइट चार्ज से छूट दी जाती है, अतः छूट विषयक अलग आदेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट वार्डों में भर्ती मरीजों से डाइट चार्जेज के रूप में धन जमा होता है, उसके उत्तर में बताया गया है कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में प्राइवेट वार्ड में भर्ती मरीजों से डाइट चार्ज के रूप में धनराशि जमा कराई जाती है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि बहुत से मरीज अस्पताल का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहते, क्योंकि यह बाजार दर से महंगा भी पड़ता है, केवल बलरामपुर अस्पताल में ऐसी व्यवस्था की गई है, जबकि प्रदेश के अन्य चिकित्सालयों में ऐसा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक वर्ष में बलरामपुर चिकित्सालय में प्राइवेट वार्ड में कितने मरीज भर्ती हुये और कितनी धनराशि उनसे जमा कराई गई?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, गत वर्ष में केवल 3 लाख 42 हजार रुपया वहां जमा कराया गया। कितने मरीज भर्ती हुये, इसकी सूचना मंगाकर दे दूंगा।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

अस्पतालों में सारे रिकार्ड होते हैं, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, इसकी पूरी जानकारी सदन को दी जाय। मैं पूछना यह चाहता हूँ कि जब अन्य चिकित्सालय में यह छूट है तो बलरामपुर में यह चार्ज क्यों लिया जाता है, क्या अन्य चिकित्सालयों की भांति बलरामपुर चिकित्सालय में भी आप छूट प्रदान करेंगे। मेरे प्रश्न का आशय यह है कि यदि मरीज वहां के भोजन से संतुष्ट नहीं है तो उनसे चार्ज क्यों लिया जाता है तो वहां के मरीजों को भी छूट देने की व्यवस्था आप करेंगे?

(इस समय 11 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अम्मार रिजवी पीठासीन हुए)

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, माननीय सदस्य को अवगत करा दूँ कि बलरामपुर अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में जो मरीज भर्ती होते हैं, उनमें जिनको भोजन की जरूरत होती है, उन्हीं को दिया जाता है और उनसे 50 रुपया इसका चार्ज लिया जाता है, इसमें दो समय का नाश्ता और दो समय का भोजन दिया जाता है। जो भोजन नहीं लेना चाहते हैं, उनसे चार्ज नहीं लिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि छूट देने पर विचार करेंगे कि नहीं?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, बलरामपुर चिकित्सालय में बाहर के भी मरीज आते हैं, कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं, जिनके भोजन की सुविधा नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों के चाहने पर भोजन की व्यवस्था करा दी जाती है, न चाहने वालों के लिये कोई जरूरत नहीं है। मैं आज की स्थिति बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में कुल 28 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 14 डाइट ले रहे हैं, 14 नहीं ले रहे हैं।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या मरीजों को, भोजन वह चाहते हैं या नहीं, इसके लिये क्या कोई आवेदन-पत्र भरवाया जाता है अथवा उनकी किसी फार्म के माध्यम से इच्छा पूछी जाती है, इस संबंध में क्या कोई स्पष्ट विधान है?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जो लोग चाहते हैं उनको दिया जाता है। माननीय मंत्री जी यह बता दें कि क्या कोई फार्म भरा जाता है?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, फार्म भरा जाता है।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में रोगी के भोजन और दूध फल पर कितना व्यय आता है क्या वह व्यय वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त है अगर प्रर्याप्त नहीं है तो क्या सरकार भोजन, दूध और फल के व्यय को बढ़ाने के लिए कोई प्लान कर रही है?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, यह इस सवाल से संबंधित नहीं है।

प्रदेश में एड्स मरीजों के इलाज व रोकथाम के लिए किये गये सरकार के उपायों की जानकारी

*2—श्री श्यामादेव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अब तक कितने एड्स के मरीजों की पहचान हो चुकी है? अवैध ब्लड बैंकों को रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या एड्स के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने हेतु सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश में अब तक 119 एड्स के रोगियों की पहचान हो चुकी है।

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–91/92 में अवैध ब्लड बैंकों को रोकने हेतु पारित निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 103, रक्तकोष, जो आधुनिक साज-सज्जा से पूर्ण हैं, को लाइसेंसयुक्त किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त अवैध ब्लड बैंकों को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय के रूप में रक्त संग्रहण थैली के क्रय विक्रय का रिकार्ड रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के समस्त परिधिगत अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

सम्प्रति प्रदेश में कोई अवैध रक्त कोष कार्यरत होने का प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। प्रदेश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। चूंकि एड्स के विषय में जानकारी ही बचाव है, अतः भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार विभिन्न प्रचार माध्यमों यथा-रेडियो, दूरदर्शन, दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, फोल्डर्स, पर्चे, स्टीकर्स आदि के माध्यम से प्रचार करके जनता में इस बीमारी से बचाव की जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। इस कार्य में स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा रहा है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा इन्होंने कहा है कि इसकी रोकथाम और बचाव के लिए जानकारी ही देना इसमें सम्भव हो पा रहा है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा है कि प्रदेश में अब तक 119 एड्स के रोगियों की पहचान हो चुकी है तो इस पहचान और जानकारी का श्रोत क्या है? इस रोग को जांच करने के कहां-कहां सेन्टर सरकार ने निश्चित कर रखें हैं और इसको रोकने के क्या उपाय किये हैं, कौन-कौन स्तर से गुजरना पड़ता है, कौन-कौन से टेस्ट हैं और कहां-कहां- इसकी सुविधा प्राप्त है?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि 103 रक्त कोष आज की तारीख में संचालित हैं, जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो यह जानकारी आपने दी हैं कि 119 रोगियों की एड्स ग्रस्त होने की पहचान की जा चुकी है तो यह पहचान के जो सेन्टर हैं इसके श्रोत क्या हैं और इसकी जो जांच की जाती है उसकी सुविधा कहां-कहां प्राप्त है?

श्री रामपति शास्त्री–

मान्यवर, हमारे प्रदेश में इसके 5 सेन्टर हैं जो जांच कराना चाहते हैं, उनकी जांच कराकर मालूम किया जा सकता है।

श्री भरत सिंह–

क्या उ०प्र० के प्रत्येक जनपदों में एड्स बीमारी की पहचान करने के लिए रक्त परीक्षण की व्यवस्था है? यदि नहीं तो व्यवस्था करने के लिए सरकार कार्यवाही करेगी?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, उ०प्र० भर में 103 ब्लड बैंक की स्थापना की जा चुकी है जिसमें जो अपना रक्त देते हैं जांच करने के बाद ही उनका रक्त लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का प्रश्न था कि क्या उ०प्र० के समस्त जनपदों में एड्स मरीज के एच०आई०वी० जांच के लिए सरकार कोई व्यवस्था बनायेगी।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, 5 सेन्टर, के०जी०एम०सी० सेन्टर, एक आगरा में है, एक वाराणसी में है, अलीगढ़ में है।

श्री अधिष्ठाता–

पूरे उ० प्र० के प्रत्येक जनपदों की बात है, क्या इस पर विचार करेंगे?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, अगर जरूरत होगी तो सोचा जायेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, उत्तर में है कि प्रदेश में 119 रोगियों की पहचान की गयी। मैंने दो लेख पढ़े, जिसके अनुसार प्रदेश में एड्स रोगियों की संख्या दस हजार के आंकड़े को पार कर चुकी है। 119वे रोगी होंगे जो किन्हीं कारण से अस्पतालों में रक्त परीक्षण के लिए आये होंगे। प्रत्येक जनपद में जिला चिकित्सालय में एड्स रोगियों की पहचान के लिए शासन कोई प्रबन्ध समयबद्ध तरीके से करेगी की नहीं? इसमें आया है कि पर्चे, स्टीकर्स, होर्डिंग्स इनके माध्यम से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रोडवेज की बसों पर लिखा है "अन्य के साथ सम्बन्ध कंडोम के साथ"–इसको रोकने के लिए बंद करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेंगे?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, प्रदेश के प्रत्येक जिले में सेन्टर खोलने के प्रस्ताव हमारे पास आये हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जो बसों पर अन्य के साथ संबंध कन्डोम के साथ, स्लोगन लिखे हुए हैं इनको रोकने का निर्देश शासन देगा। मान्यवर, यह चरित्रहीनता वाले संदेश हैं इससे नौजवानों और बुजुर्गों को बचाया जाए।

श्री रमापति शास्त्री–

भारत सरकार के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत हम इसे चला रहे हैं, जो बसों में इस्तेहार लगाकर किया जा रहा है। बचाव ही ऐड्स पर नियंत्रण का एकमात्र कारण है। रेडियो, टेलीविजन तथा अन्य प्रसार माध्यमों से हम इसे कर रहे हैं। भारत सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय को जो निर्णय होगा, उसके अनुसार काम करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

इस अभियान को आप तेज करें।

श्री रमापति शास्त्री–

ठीक है, मान्यवर, तेज करेंगे।

श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, एड्स छुआछूत से बढ़ता है। यह एक संक्रामक रोग है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जाँच करायेंगे कि उनके मंत्रि-परिषद् में कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे, तो उनकी जांच करा दूंगा।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह एक ऐसी बीमारी होती है, जब कभी यह किसी को हो जाती है तो वह व्यक्ति अपनी इस बीमारी को किसी को बताता नहीं है और बताने में उसकी लाचारी दिखती है। माननीय मंत्री जी हर जवाब को टाल दे रहे हैं। यदि माननीय मंत्री जी ही टालमटोल करेंगे तो अधिकारी क्या करेंगे। माननीय डंग साहब तथा सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा प्रकट की। यदि सत्तारूढ़ दल छिपा देना चाहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस बीमारी के विज्ञापन के प्रचार-प्रसार पर जो धन अभी तक खर्च हुआ है, वह कितना है?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, यह भारत सरकार की योजना है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हम कार्य कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, यह मूल प्रश्न से हटकर है। आप अलग से इस संबंध में प्रश्न पूछ लें।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, डाक्टर डंग साहब ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया परन्तु मंत्री जी ने परिवार कल्याण कार्यक्रम से उसे जोड़कर उत्तर दे दिया। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि रोडवेज की बसों में अनाचार फैलाने वाले जो इस तरह के विज्ञापन लगाये गये हैं एड्स से संबंधित, क्या ऐसे चरित्रहीनता फैलाने वाले विज्ञापनों को सरकार तुरन्त समाप्त करने पर विचार करेगी। अभी भी विधान भवन के बाहर जो रोडवेज की बस खड़ी है, उसमें यह स्लोगन लिखा हुआ है।

... एड्स के सम्बन्ध में यह विज्ञापन रोडवेज की बसों में लगा हुआ है "अन्यों के साथ संबंध कन्डोम के साथ" तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस प्रकार के विज्ञापन समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री—

कन्डोम का प्रत्येक प्रोग्राम भारत सरकार के निर्देशानुसार होता है । यह भारत सरकार का प्रचार है इसमें हम रोक नहीं लगा सकते हैं ।

श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ जैसा कि उन्होंने कहा कि अवैध ब्लड बैंक को रोकने के लिए सरकार उपाय कर रही है । उत्तर प्रदेश में कितने ब्लड बैंक ऐसे पाये गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री—

मान्यवर, 23 ब्लड बैंक प्राइवेट तौर पर चल रहे थे जिसमें से सभी लोगों को बन्द कर दिया गया था भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त न होने के कारण । 7 लोगों ने भारत सरकार के मानक के अनुसार लाइसेंस प्राप्त कर लिया है और 16 अभी ऐसे हैं जिनके ऊपर कार्यवाही की गयी है उनको बन्द कर दिया गया है ।

डा० कौशल किशोर—

मान्यवर, एड्स एक खतरनाक बीमारी है और यह सम्पर्क से होती है । यह एक सामाजिक बुराई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे मरीजों का नाम पता लगने पर उनके नामों को गोपनीय रखा जायेगा या सार्वजनिक किया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री—

मान्यवर, उनके बारे में पूरी गोपनीयता बरती जायेगी ।

श्री अब्दुल कलाम—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि संत कबीर जिला तो खुल गया लेकिन वहाँ पर अभी तक सी०एम०ओ० का आफिस नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । इसके लिए आप अलग से प्रश्न कर लीजियेगा । माननीय मंत्री जी यह जो एड्स से संबंधित प्रश्न है यह बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह सुनिश्चित करें कि पूरे प्रदेश में इसकी जांच की व्यवस्था हो और इसकी पब्लिसिटी जितनी हो सके करायें ।

श्री रमापति शास्त्री—

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि दूसरे फेज में हम प्रत्येक जनपद में इसके लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं ।

प्रदेश में निरन्तर बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी योजना

श्री राजधारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरन्तर बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए उ० प्र० सरकार परिवार नियोजन की कोई प्रभावी योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या उक्त कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार)-(श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह)—

प्रदेश में बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अलग से कोई योजना नहीं है, अपितु केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत पुरोनिधानित राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप चलाया जा रहा है ।

भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 97 में कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार परिसीमन विधियों के साथ-साथ बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य संरक्षण, प्रजनन तंत्र संक्रमण तथा यौन जनित रोगों की सेवाओं को समेकित करके तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं अभिरूचि के अनुरूप लाभार्थी केन्द्रित गुणवत्ता सेवाएँ प्रदान करने की रणनीति अपनायी गयी है और अब इसे "प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" का नाम दिया गया है ।

परिवार कल्याण भारत सरकार की योजना है जिसमें जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजधारी—

मान्यवर, मेरा सवाल यह है जो कि आबादी से सम्बन्धित है और विकास से सम्बन्धित है, इसलिए सवाल महत्वपूर्ण है । हमारे माननीय मंत्री जी परिवार कल्याण कार्यक्रम चला रहे हैं, वह भारत सरकार के निर्देश पर चला रहे हैं और उसका अनुपालन करा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार के क्या निर्देश हैं, आप जो कार्यक्रम बना रहें हैं, अगर वह आबादी को नियंत्रित करने में प्रभावी नहीं है, तो क्या आप कोई अन्य कार्य योजना बना रहे हैं और दूसरी बात यह है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुष और स्त्री दोनों की हिस्सेदारी होती है, तो पुरुष और स्त्री का अनुपात क्या है? अगर पुरुषों का अनुपात कम है तो उसके लिए आप क्या कार्यक्रम बना रहे हैं ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि साक्षरता महिलाओं की उत्तर प्रदेश में कम है, इसके लिए हमारा प्रयास है कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अगुवाई करें और परिवार कल्याण कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, लेकिन जन्म दर कम नहीं हो पायी है । उत्तर प्रदेश के अन्दर तमाम परिवार हैं जो एक बच्चा पैदा होने के बाद दैवगति से समाप्त न हो जाये, इसलिए अधिक बच्चा पैदा करने का प्रयास करते हैं । हमारी एक योजना है, उसके अन्तर्गत 68 जनपदों का चयन किया गया है और उन ग्रामों की सूची बनायी गयी है, जिनको इसके लिए 2 लाख रुपये देने का काम किया गया है । 28 गांवों की सूची आ गयी है, इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि इसको हम प्रभावी रूप देगें ।

श्री राजधारी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मौजूदा परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है, जिसका आप अनुपालन करा रहे हैं, तो क्या उससे आप जनसंख्या को नियंत्रित कर पाये हैं? अगर कोई नहीं तो कोई विशेष योजना चलाने की योजना है । परिवार नियोजन करना पुरुष और स्त्री की जिम्मेदारी है, उनकी उसमें सहभागिता हो, लेकिन उसमें पुरुष की सहभागिता बहुत कम है, तो कोई विशेष अभियान माननीय मंत्री जी चलाने जा रहे हैं, जिससे पुरुष की भी सहभागिता बढ़े । दोनों बिन्दुओं से हटकर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मान्यवर, आप इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह—

मान्यवर, जहां तक पुरुषों की सहभागिता का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं को इसके लिए पैसा दिया जाता है और पुरुषों को कोई धन नहीं दिया जाता है, हमारे पास धन नहीं है । मान्यवर, सामने बैठे साथियों से निवेदन है कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया की आबादी का छठा व्यक्ति भारत में और भारत की आबादी का छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है । इसलिए आग्रह है कि ऐसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में आप हमें सहयोग करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उसके लिए सरकार के पास धन नहीं है । शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए इनके पास धन नहीं है, तो भारत सरकार जब इनको धन देगी तो कार्यक्रम चलायेंगे । यदि आपके पास संसाधन नहीं हैं तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या आप इंसेन्टिव देंगे कि जो एक या दो बच्चे पैदा करेंगे उनको भूमि आवंटन, मकान आवंटन अथवा अन्य सरकारी सुविधायें जो मिलती हैं उनको आप प्रदान करेंगे जिससे आल इंडिया में जो जन्म दर का एवरेज है वह प्राप्त हो सके । मैं यह भी सरकार से जानना चाहता हूँ कि दक्षिण के जो प्रदेश हैं वहां एवरेज क्या है ? उत्तर प्रदेश का एवरेज क्या है ? दक्षिण के प्रदेशों ने अपने यहां जन्म दर को नियंत्रित कर लिया है।

मान्यवर, मैंने जो सुझाव दिया है उसे क्या मंत्री जी मानेंगे ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह —

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि केरल में 86.17 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 25.31 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 28.85 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 52.32 प्रतिशत जन्म दर का एवरेज है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में प्रति हजार 34.0 बच्चों की जन्म दर है जबकि हिन्दुस्तान में 27.4 प्रतिशत जन्म दर है । यहां की मृत्यु दर 10.2 प्रतिशत है जबकि भारत की मृत्यु दर 8.9 प्रतिशत है । तो यह साक्षरता की कमी के कारण है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह —

मान्यवर, यह सरकार अपने को कल्याणकारी सरकार कहने का दंभ भरती है जबकि शिक्षा के लिए और न चिकित्सा के लिए ही इनके पास धन है । इसलिए मैंने जो वैकल्पिक उपाय बतायें हैं क्या सरकार उनको मानेगी ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह—

मान्यवर, सहमति के आधार पर इसे तय कर लिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या सरकार इंसेन्टिव देने पर विचार करेगी ? इसमें मंत्री जी बता दें ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह—

मान्यवर, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है । इसके लिए पहले ही जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो सरकारी नौकरियों में हैं गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं जिनके एक या दो बच्चे परिवार में हैं उन्हें प्रोत्साहित करने की हमने योजना बना रखी है । हम यह भी चाहते हैं कि सदन के सभी माननीय सदस्य यदि सहमति के आधार पर तय करें तो एक संकल्प बनाकर हम भारत सरकार को भेज देंगे ।

श्री इकबाल महमूद—

मान्यवर, क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूसरे देशों में जिस तरह से जनसंख्या पर पाबंदी लगायी गयी है और सरकारी नौकरियों में तथा अस्पतालों में अधिक बच्चे जिनके हैं उन्हें सुविधायें देने पर रोक लगा दिया है ।

. . . क्या माननीय मंत्री जी अपने प्रदेश के अन्दर ऐसा कोई कदम उठाकर देश को कोई नई दिशा देंगे ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह—

मान्यवर, पूर्व में ही मैंने आग्रह किया कि हम सब लोग मिल कर सहमति के आधार पर तय कर लें कि यह करना है ।

श्री अधिष्ठाता—

सामूहिक कार्यक्रम चाहते हैं जिसमें सबकी सहमति हो ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इस पर मैं नियम 49 में चर्चा की मांग करता हूँ ।

तारांकित प्रश्न

1—श्री राजधारी तथा
श्री जगदम्बिका पाल —

[अस्पष्टता एवं कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

2—श्री राम पाल –

[3रे मंगलवार के ता० प्र० सं० 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी व एटा में करोड़ों रुपयों की लागत से बनायी जा रही बेवर फीडर परियोजना नहर में कथित धांधली

*3—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी व एटा में करोड़ों रुपयों की लागत से बनायी जा रही बेवर फीडर परियोजना नहर का निर्माण पूर्व निर्धारित समय में कर लिया गया ? यदि नहीं, तो इसका दोषी कौन है ? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि निर्धारित समय में परियोजना पूर्ण न होने के कारण अतिरिक्त करोड़ों रुपये की धनराशि का अपव्यय करना पड़ रहा है ? क्या सरकार परियोजना के पूर्ण कराने का कोई समय निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह (सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री)—

जी नहीं ।

विलम्ब किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

निर्माणाधीन बेवर फीडर योजना का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 1998-99 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ।

4—श्री अजय कुमार पोइया —

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

सिंचाई खण्ड द्वितीय महराजगंज द्वारा नैपाल में ठेकेदारों से कराये गये फर्जी कार्यों की जांच

*5—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया —

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड द्वितीय महराजगंज द्वारा नैपाल में पिछले पांच वर्षों में क्या-क्या कार्य ठेकेदारों से कराया गया है ? कितनी धनराशि ठेकेदारों को भुगतान की गयी ? क्या यह सत्य है कि फर्जी कार्यों का सत्यापन कर भुगतान कराया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

नैपाल राष्ट्र में सिंचाई खण्ड द्वितीय महराजगंज के कार्यक्षेत्र में स्थित ए-गैप बांध, बी-गैप बांध, लिंक बांध एवं नैपाल बांध तथा उस पर निर्मित विभिन्न ठोकरों पर वार्षिक मरम्मत हेतु नान गण्डक बोल्डर, गण्डक बोल्डर, सिंगिल, आर०बी०एम०, जी० आई० वायर, जी० आई वायर क्रेट आदि की आपूर्ति व इनका विभिन्न कार्यों में प्रयोग, मिट्टी का कार्य, वहां कार्यरत मशीनों इत्यादि

की मरम्मत एवं सी०सी० ब्लाक की ढुलाई आदि का कार्य विभिन्न ठेकेदारों से वर्ष 1992-93 से वर्ष 1996-97 तक कराये गये ।

वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक कराये गये कार्यों के विरुद्ध ठेकेदारों को रु० 35495 लाख का भुगतान किया गया है।

तथाकथित फर्जी कार्यों के सत्यापन उपरान्त कराये गये भुगतान की सत्यता की जाँच करायी जा रही है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय मंत्री जी मान रहे हैं कि फर्जी कार्यों का भुगतान हुआ है और यह 1992 से 1996 में हुआ है तो वह सूची क्या है और किन-किन ठेकेदारों को भुगतान हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

मान्यवर 1996-97 में जो ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया गया था वह 128.82 लाख का है जिसके विपरीत 74.25 लाख का भुगतान हुआ है। जब जानकारी मिली कि इसमें कदाचार है तो शेष भुगतान को रुकवा दिया गया।

6—श्री राम विशुन आजाद—

[दिनांक 26/6/98 को अतारांकित प्र० सं० 19 द्वारा उत्तरित]

जिला टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों के पुनर्निर्माण की कार्यवाही

* 7—श्री लाखीराम जोशी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में 2 अगस्त, 1997 को आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों के पुनर्निर्माण हेतु शासन ने धन स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? नहरों के पुनर्निर्माण की कार्यवाही कब तक पूरी की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

प्रश्नगत अवधि में जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहरों के पुनर्निर्माण के लिये डी०आर०डी०ए० से रु० 27.50 लाख की धनराशि उपलब्ध हुई, जिससे 10 नहरों के पुनर्निर्माण का कार्य कराया जा चुका है। शेष नहरों के पुनर्निर्माण का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

श्री लाखीराम जोशी —

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना पैसा बाढ़ राहत कार्यों के लिये स्वीकार किया है। मंत्री जी ने कहा है कि पुनर्निर्माण के लिये 27.50 लाख रुपया स्वीकार किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि डी० आर० डी० ए० के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने नहरों के पुनर्निर्माण के लिए

श्री ओम प्रकाश सिंह —

मान्यवर, सिंचाई विभाग को जो पर्वतीय क्षेत्र के लिये पैसा मिलता है वह प्रति वर्ष 362.57 लाख रुपये है। यह पूरा पैसा जो वर्कचार्ज के और डेलीवेजेज के कर्मचारियों के वेतन में चला जाता है। इन नहरों की मरम्मत पर दैवी आपदा कोष से जो धनराशि प्राप्त होती है उसी से कार्य कराया जाता है। 1997-98 में दैवी आपदा कोष से सिंचाई विभाग को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इसलिये डी० आर० डी० ए० से लेकर मरम्मत करायी गयी। इन नहरों की मरम्मत दैवी आपदा कोष और डी०आर०डी० ए० से जो धनराशि उपलब्ध होगी उससे करायी जाएगी।

श्री लाखीराम जोशी —

मान्यवर, एक साल बीत गया है नहरों की मरम्मत न होने से पूरा क्षेत्र बंजर पड़ा है। यदि नहरों की मरम्मत के लिये डी० आर० डी०ए० से धन उपलब्ध नहीं है तो क्या शासन धन उपलब्ध करायेगा। यदि हां तो कब तक उपलब्ध करायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

मान्यवर, मैंने आग्रह किया कि दैवी आपदा कोष के अलावा 1998-99 में डी० आर० डी० ए० से धन प्राप्त करने का प्रयास किया जायगा। माननीय विधायक जी उसके लिये प्रयास करें क्योंकि डी० आर० डी० ए० का धन जिले से मिलता है। दोनों जगहों के पैसे से नहरों की मरम्मत करायी जायगी।

8—डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी —

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद महामायानगर में चीनी मिल लगवाने हेतु सरकार द्वारा लाइसेन्स प्रदान किये जाने की जानकारी

*9—श्री यशपाल सिंह चौहान —

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आनन्द एग्रो लि० लुधैआ, जनपद महामाया नगर को चीनी मिल लगाने हेतु सरकार द्वारा लाइसेन्स प्रदान किया गया था? यदि हां, तो क्या मिल चालू हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

जी हाँ। जनपद महामाया नगर के स्थल गोपी तहसील सिकन्दरा राऊ में निजी क्षेत्र की नई चीनी मिल स्थापना हेतु आशय पत्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

जी नहीं।

मिल निर्माणाधीन है।

श्री यशपाल सिंह चौहान —

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जनपद महामाया नगर में लोधौवा में भारत सरकार ने चीनी मिल के लिये लाइसेंस दिया है। इसके लिये 500-600 एकड़ जमीन मुहैय्या करायी गयी है जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपये है। जो मिल को जमीन दी गयी है उसके लिये सरकार ने क्या एग्रीमेंट किया था कि कब तक मिल लग जायेगी। अगर मिल नहीं लगी तो क्या सरकार करोड़ों रुपये की जमीन जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन भी है, वापस करायेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

जो सूचना प्राप्त हुयी है उसके अनुसार 75 प्रतिशत सिविल वर्क हो चुका है। मशीनरी की आपूर्ति और इरेक्शन का काम चल रहा है। जो निजी क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक हुयी थी उसमें बताया गया कि इस वर्ष 1998-99 में पेराई सत्र में शुरू कर देंगे। ट्रायल के रूप में इस बार संचालन करेंगे।

श्री यशपाल सिंह चौहान—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि मिल निर्माणाधीन है। मेरी निश्चित जानकारी है कि मिल की बिल्डिंग और सामान धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है। क्या इसकी जांच माननीय मंत्री जी करवायेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

मान्यवर, इसमें जांच करने की बात कही है वह सही है माननीय सदस्य लिखकर दे दें हम जांच करा देंगे। लेकिन अभी पिछले महीने समीक्षा बैठक हुई थी मिल के लोगों ने कहा कि इसको हम इस साल चलायेंगे और ट्रायल के रूप में पेराई करेंगे। माननीय सदस्य कह रहे हैं तो लिखकर दे दें किस-किस बिन्दु पर जांच कराना चाहते हैं।

जनपद संत रविदास नगर में ग्राम सभा बदरी जगदीशपुर एवं ग्राम सभा कलिंजरा गोपालापुर ब्लाक दीप हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

*10—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर में ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बंधी प्रखण्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि जिसे ग्राम सभा बदरी जगदीशपुर एवं ग्राम सभा कलिंजरा गोपालापुर ब्लाक दीप पर खर्च किया जाना था, उस कार्य पर खर्च नहीं हुई है? क्या यह सही है कि उक्त कार्य के लिये धन अवमुक्त हो गया? यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को सजा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

प्रश्नगत ग्राम सभाओं के लिए कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई और न ही बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी को इन ग्राम सभाओं के निमित्त कोई धनावंटन ही हुआ है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय —

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर है और सारे विभाग के कार्यालय वहां हैं लेकिन सिंचाई कार्यालय वाराणसी में है वह हस्तान्तरित होकर ज्ञानपुर नहीं आ पाया है। मौके पर काम हो रहा है और उसमें बहुत हेरा फेरी हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह सिंचाई कार्यालय और बंधी प्रखण्ड को वाराणसी से हस्तान्तरित करके भदोही का जो मुख्यालय ज्ञानपुर हैं सारे अधिकारी यहां बैठते हैं, करेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

मान्यवर, व्यवस्था तो जनहित के लिये होती है। जो भी होगी करेंगे।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास निर्माण कराये जाने की योजना

* 11—श्री रामजग —

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास निर्माण की योजना रोक दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार पुनः छात्रावास निर्माण की योजना को अविलम्ब प्रारम्भ करेगी? यदि हां, तो कब तक?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामजग —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मान्यवर, मैंने सवाल किया है कि "क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास निर्माण की योजना रोक दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार छात्रावास निर्माण की योजना को अविलम्ब प्रारम्भ करेगी? यदि हां, तो कब तक? मान्यवर, हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार ने छात्रावास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितना धन दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रावास के लिये कितने धन की व्यवस्था की है? 97-98 और 98-99 में उत्तर प्रदेश की सरकार कितने छात्रावास बनाने की व्यवस्था कर रही है?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" —

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि समय रह नहीं गया है इसलिये मैं जल्दी से जल्दी माननीय विधायक जी की उत्सुकता समाप्त कर देना चाहता हूँ 94-95, 95-96, 96-97 में छात्रावास के निर्माण के लिये कोई धन आवंटित नहीं हुआ इसलिये उनकी यह शंका सही है कि अब आगे क्या होगा? परन्तु 97-98 में छात्रावास के निर्माण के लिये 152.50 लाख रुपये आवंटित हुए हैं इसी तरह से प्राइवेट स्वैच्छिक संस्थाएं पांच हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनको भी छात्रावास के निर्माण के लिये धन आवंटित हुआ है। इसी तरह से 98-99 में भी इस समय 1 करोड़ रुपया बालकों और 1 करोड़ रुपया बालिकाओं के छात्रावास के लिये कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये इस वर्ष आवंटित हुआ है। मान्यवर, माननीय विधायक जी का कहना सत्य है कि भारत सरकार भी अपना अंशदान 50 प्रतिशत देती है इसलिये 98-99 में 4 करोड़ रुपया आवंटित होगा और इसको आगे बढ़ाया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता —

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट–तारांकित प्रश्न सं० 11 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

बस्ती, वाल्टरगंज तथा मुण्डेरवा शुगर मिल के किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने की मांग

*12—श्री रामललित चौधरी—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि बस्ती, वाल्टरगंज तथा मुण्डेरवा शुगर मिलों पर वर्ष 1991-92 में रिकवरी सर्टीफिकेट जारी हुआ था और तत्कालीन जिला अधिकारी द्वारा कलेक्शन चार्ज गन्ना मूल्य भुगतान से काट लिया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक उस कलेक्शन चार्ज को गन्ना किसानों को वापस किया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कलेक्शन चार्ज को गन्ना किसानों को ब्याज सहित वापस करेगी? यदि हां तो, कब तक?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

बस्ती जनपद की वाल्टरगंज तथा बस्ती चीनी मिल के विरुद्ध वर्ष 1991-92 में अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया था जिसके सापेक्ष वसूल हुई धनराशि में से जिलाधिकारी द्वारा संग्रह व्यय की रु० 80.72 लाख की कटौती कर ली गयी थी। मुण्डेरवा चीनी मिल से सम्बन्धित इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है।

गन्ना मूल्य की राशि में से संग्रह व्यय की मद में काटी गयी धनराशि सम्बन्धित गन्ना समितियों को वापस करने तथा संग्रह व्यय की वसूली सम्बन्धित चीनी मिलों से करने के निर्देश जिलाधिकारी-बस्ती को दे दिये गये थे जिसके क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है, जो विचाराधीन है।

रिहेब्लीटेशन एवं आर्टीफिशियल लिम्ब सेण्टर, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग में वापस भेजने की मांग

*13—श्री राम कृपाल—

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहेब्लीटेशन एवं आर्टीफिशियल लिम्ब सेन्टर, लखनऊ में कितने अधिकारी कितने समय से प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं ? क्या यह सही है कि ऐसे अधिकारी विगत 10 वर्षों से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं? क्या सरकार उन्हें अपने पैतृक विभाग में वापस भेजने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)—

वर्तमान में रिहेब्लीटेशन एवं आर्टीफिशियल लिम्ब सेण्टर लखनऊ में एक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं।

कोई अधिकारी 10 वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर तैनात नहीं है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

14—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[विस्तीर्षता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश में गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना विकास परिषदों की गत वर्ष की आय पर ढाई प्रतिशत अवधारित सम्प्रेक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा करने की जानकारी

*15—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) के नियमावली, 1954 के नियम 13 के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषदों की गत वर्ष की

आय पर ढाई प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क लेवी करने का प्राविधान है? यदि हां, तो गन्ना आयुक्त द्वारा ढाई प्रतिशत अवधारित सम्प्रेक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार में अब तक कितनी जमा की गई है? यदि नहीं, तो कितनी धनराशि खण्ड में जमा पूंजी के रूप में पड़ी है? शासन ने इस दिशा में क्या कदम उठाये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

जी हाँ।

प्रश्नगत शुल्क "डेवलपमेन्ट काउन्सिल आडिट फी एकाउन्ट" के नाम खोले गये खाते में जमा की जाती है अतः इस धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करने का प्रश्न नहीं उठता है।

फी-पेड सम्प्रेक्षा संगठन के उक्त खाते में दिनांक 18-6-98 तक कुल जमा पूंजी रु० 53.75 लाख है।

किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

आगरा जनपद में भूगर्भीय जल स्तर नीचे जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*16—श्री विजयपाल सिंह —

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि भूगर्भीय जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है? क्या यह सही है कि आगरा जनपद को डार्क घोषित किया जा चुका है? यदि हां, तो जल स्रोत नीचे न जाने पाये, की उक्त योजना पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द) –

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में भूगर्भ जल संसाधनों एवं उसके दोहन के सापेक्ष्य विकास खण्डवार ही डार्क घोषित किया जाता है। यह आगणन जनपदवार नहीं किया जाता है।

जी हाँ।

जल स्रोत का जल स्तर नीचे न जाने पाये इसके लिए जल स्रोत के संवर्धन हेतु "कृत्रिम रिचार्ज" की प्रयोगात्मक पायलेट अध्ययन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। आगरा जनपद के किसी भी ब्लाक में सम्प्रति ऐसी योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में मल्लांवा सण्डीला रोड से बीकापुर, बरौना तक जाने वाली खड़न्जा रोड कर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाये जाने की मांग

*17—डा० धर्मज्ञ मिश्र —

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 के मल्लांवा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद हरदोई में मल्लांवा सण्डीला रोड से बीकापुर, बरौना तक जाने वाली रोड खड़न्जा लगाकर निर्माण कार्य कराया गया था और उसकी लम्बाई 4 कि० मी० के लगभग है? क्या उसे पैट्रान इंडिया इन्टरनेशनल लि० के मालिकों द्वारा बाउन्ड्री बनाकर अपने कब्जे में कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में रास्ता खुलवाने व उक्त मार्ग को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाने का कष्ट करेगी? क्या इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

जी हां।

जी हां। पैट्रान इण्डिया प्रा० लि० (शुगर फैक्ट्री) द्वारा 800 मीटर खड़न्जा मार्ग के दक्षिणी सिरे पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया था।

जी हां। मैं० पेट्रान इन्टरनेशनल (इण्डिया) प्रा० लि० (शुगर मिल) द्वारा मार्ग का 800 मीटर भाग पर पड़ने वाली बाउण्ड्रीवाल को पूर्व में ही तुड़वा दिया गया है। मार्ग पर आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाये जाने की जानकारी

*18—श्री दीपक कुमार –

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति उन्नाव की बैठक दिनांक 4-?-98 में प्रभारी मंत्री ने 200-200 हैण्ड पम्प प्रति विधान सभा क्षेत्र में लगावाये जाने का अनुमोदन किया ?? यदि हां, ता वह हैण्ड पम्प कब तक लग जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

प्रश्नगत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 4-3-98 को नहीं हुयी थी अपितु यह बैठक दिनांक 4-4-98 को हुयी थी जिसमें 200-200 हैण्डपम्प प्रति विधान सभा क्षेत्र में लगवाये जाने का अनुमोदन किया गया था।

जनपद उन्नाव में कुल 7 विधान सभा क्षेत्र हैं। वर्ष 1998-99 में समस्त विधान सभा क्षेत्र मिलाकर कुल 400 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने का लक्ष्य है। जिला योजना की राशि एवं मानक के अनुसार ग्रामों को पेयजल से संतृप्त करने की नीति को दृष्टिगत रखते हुये अपेक्षित हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जायेंगे।

अतारांकित प्रश्न

जनपद रविदास नगर विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में कूप योजना में हो रही धांधली को रोकने की मांग

1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर में विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में 1996-97 तथा 1997-98 में दस लाख कूप योजनान्तर्गत किन-किन ग्रामों में किन लाभार्थियों को कितनी धनराशि दी गई हैं? क्या इस मद में हुई व्यापक पैमाने पर धांधली को रोकने का कोई प्रयास किया गया? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

जनपद संत रविदासनगर विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 में दस लाख कूप योजनान्तर्गत 37 लाभार्थियों को संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि दी गयी है।

दस लाख कूप योजनान्तर्गत जिले स्तर पर गठित कमेटी द्वारा समय-समय पर उक्त विधान सभा में किये गये कार्यों का सत्यापन कराया गया सत्यापनं के उपरान्त कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आये।

प्रश्न नहीं उठता।

[देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 204 पर]

जनपद रविदास नगर में कतिपय ब्लाकों के लिए जे० आर० वाई० में स्वीकृत धनराशि में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग

2—श्री गोरखनाथ पाण्डेय –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जे० आर० वाई० में स्वीकृत धनराशि के उपयोग में ग्राम सभा धनापुर उत्तरी ज्ञानपुर ब्लाक तथा ग्राम सभा भगवानपुर चौथार ब्लाक ज्ञानपुर जनपद सन्त रविदास नगर में अनियमिततायें पायी गयी हैं? क्या इसकी जांच करायी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

ग्रामसभा–धनापुर उत्तरी, विकास खण्ड–ज्ञानपुर में वर्ष 1996-97 में मु० 0.6066 लाख की धनराशि तथा वर्ष 1997-98 में मु० 0.87578 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष क्रमशः 0.606 लाख व 0.58027 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। विकास खण्ड-ज्ञानपुर में भगवानपुर चौथार नाम का कोई ग्राम नहीं है।

उक्त धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा–धनापुर उत्तरी, विकास खण्ड–ज्ञानपुर में कराये गये कार्यों की जांच अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, विकास खण्ड–ज्ञानपुर से कराई गई, जिसमें रु० 41[illegible]6.00 का कम कार्य का होना पाया गया। उक्त धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रविदास नगर ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सभा चन्दापुर, हरिहरपुर एवं गणेशरायपुर में नलकूपों की रिबोरिंग कराने की मांग

3—श्री गोरखनाथ पाण्डेय –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम चन्दापुर तथा हरिहरपुर एवं गणेश रायपुर के नलकूपों को रिबोरिंग कराने हेतु मांग की गई है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

ग्राम सभा हरिहरपुर तथा चन्दापुर के असफल नलकूपों के रिबोरिंग की मांग जनपद योजना 1998-99 में की गई। नलकूप गणेश रायपुर अभी असफल नहीं हुआ है।

जनपद योजना 1998-99 के प्रथम चार माह हेतु प्राप्त स्वीकृति में ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के असफल नलकूप हरिहरपुर के पुनर्छिद्रण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

असफल नलकूप चन्दापुर का पुनः निर्माण जनपद योजना में स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कराना सम्भव हो सकेगा।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बक्शी का तालाब में डी० आर० डी० ए० रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यो की जानकारी

4—श्री सन्त –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बक्शी का तालाब को डी० आर० डी० ए० लखनऊ द्वारा मार्च, 1998 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? क्या स्वीकृत कार्यों पर मार्च, 1998 में ब्लाक बक्शी का तालाब से कोई व्यय विवरण जिला मुख्यालय को प्रेषित किया गया? यदि हां, तो उक्त कार्य

किसके माध्यम से कराये जा रहे हैं? क्या कराये गये कार्यों का भुगतान नियमानुसार ही किया गया है? यदि नहीं, तो क्या कराये गये कार्यों की जांच करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मार्च, 1998 में विकास खण्ड-बक्शी का तालाब को निम्न विवरण के अनुसार कार्य स्वीकृत किये गये :–

1—	सीतापुर रोड से बाहरगांव खड़न्जा निर्माण	:	300 मीटर
2—	फतेहपुर खमराई खड़न्जा निर्माण	:	1.20 कि० मी०
3—	मकरंदपुर खड़न्जा निर्माण	:	1.25 कि० मी०
4—	सींवा खड़न्जा मार्ग	:	600 मीटर

जी हां।

उक्त कार्य खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कराये जा रहे हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ब्लाक चिनहट में डी० आर० डी० ए० द्वारा स्वीकृत धनराशि में धांधली की जांच

5—श्री सन्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ब्लाक चिनहट में डी० आर० डी० ए०, लखनऊ से न्याय पंचायत मिठौली खुर्द बौरूमऊ, कमलापुर पूरब गांव की समस्त ग्राम सभाओं के खातों में वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी? क्या उक्त धनराशि का उपभोग स्वीकृत योजनानुसार ही किया गया? यदि हां, तो क्या कराये गये कार्यों का उच्च स्तरीय तकनीकी मूल्यांकन कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों से एक मुश्त वसूली एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विकास खण्ड चिनहट की न्यायपंचायत मिठौलीपुर, बौरूमऊ, कमलापुर, पूरबगांव की समस्त ग्राम पंचायतों के खातों में वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक कुल रु० 27,53,310-00 उपलब्ध कराये गये।

जी हां।

इस प्रकार का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

उ० प्र० के समस्त जनपदों के सभी विकास खण्डों में कनिष्ठ लेखा लिपिक एन० आर० ई० पी० / ज० रो० यो० के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के बराबर दर्जा देने की मांग

6—श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के समस्त जनपदों के सभी विकास खण्डों में कनिष्ठ लेखा लिपिक (एन० आर० ई० पी० / ज० रो० यो०) के पद स्वीकृत हैं। यदि हां, तो क्या इनको वेतन एवं अन्य भत्तों के आवंटन जनपदों के डी० आर० डी० ए० से ही

किया जाता है परन्तु प्रशासनिक नियंत्रण डी० आर० डी० ए० का नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या इन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा शासन द्वारा प्रदान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या इन कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों का दर्जा प्रदान करने तथा डी० आर० डी० ए० के प्रशासनिक नियंत्रण एवं उसमें संविलियन करने का आदेश निर्गत करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विकास खण्ड बक्शी का तालाब न्याय पंचायत गुडम्बा के लिए स्वीकृत धनराशि में धांधली की जांच

7—श्री जयवीर सिंह भदौरिया –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड बक्शी का तालाब की न्याय पंचायत गुडम्बा, रसूलपुरसादास, कुम्हरावां की समस्त ग्राम्य पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक कुल कितना धन आवंटित किया गया? क्या आवंटित धनराशि को स्वीकृत कार्यों पर ही खर्च किया गया तथा कार्यपूर्ति व बाउचर्स प्राप्त हो गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या कराये गये कार्यों का स्थलीय सत्यापन कराकर दुरुपयोग की गयी धनराशि की वसूली दोषी अधिकारियों से करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विकास खण्ड बक्शी का तालाब की न्याय पंचायत गुडम्बा, रसूलपुरसादास एवं कुम्हरावां की समस्त ग्राम पंचायतों को वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक कुल रु० 54,34,404-00 आवंटित किये गये।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

इस प्रकार का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद के कार्यालय में व्याप्त घोटालों के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच की मांग

8—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया –

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में व्याप्त घोटालों के सम्बन्ध में पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, जिला गाजियाबाद का कोई शियायती पत्र पत्रांक 2/93 दिनांक 29-9-97 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री –

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद के कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध जांच की मांग

9—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया –

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध शासन के पत्र सं० 11671-सैक / 5-5-96-700/86/96, दिनांक 20 मई, 1996 द्वारा जांच करायी गयी थी? यदि हां, तो क्या जांच आख्या सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चिकित्सा अनुभाग 11 की पत्रावली सं० 9/25/1/96 के तहत कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को किन नियमों के तहत इन्डोनेशिया विदेश यात्रा पर भेजा गया? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री –

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, चिकित्सा अनुभाग–II की पत्रावली संख्या–9(251)/96 के तहत एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को दिनांक 4-12-1996 से 17-12-1996 तक इन्डोनेशिया में आयोजित होने वाले "नेशनल फैमिली कोआर्डिनेटिंग बोर्ड इन्डोनेशिया प्लानिगं एण्ड मैनेजिंग ए कम्युनिटी वेस्ट नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ / फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम" प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु इन्डोनेशिया विदेश प्रशिक्षण पर भेजा गया था।

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 206 पर)

अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के इलाज एवं उनकी पुत्रियों की शादी हेतु बढ़ाई गयी धनराशि की जानकारी

10—श्री रामजग –

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 के पूर्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के इलाज एवं उनकी पुत्रियों की शादी के लिये प्रति लाभार्थी को अनुदान की धनराशि बढ़ाई गयी है? क्या प्रदेश का बजट इस योजना के अन्तर्गत नहीं बढ़ाया गया है? यदि हां, तो क्या इस प्रकार लाभार्थियों की संख्या आधी रह जायेगी। यदि हां, तो वर्तमान सरकार इस दिशा में कौन सा सकारात्मक कदम उठा रही है?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" –

जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1993-94 में शासनादेश संख्या–4587/26-3-93-4 (188) / 93, दिनांक 17-12-93 द्वारा अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को उनकी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान की धनराशि रु० 1000/- को बढ़ाकर रु० 5000/- की गयी। प्रदेश का बजट इस हेतु बढ़ाया गया है।

जी नहीं।

पात्र लाभार्थियों को यह लाभ मिले इसे सुनिश्चित करने हेतु सभी सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस सन्दर्भ में आवश्यक निरीक्षण भी किये जा रहे हैं।

11—श्री रामजग –

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्राइमरी विद्यालयों को आवर्ती सूची में लिये जाने की मांग

12—श्री रामजग –

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1997-98 में कितने प्राइमरी विद्यालयों को आवर्ती सूची में लिया गया है? विद्यालयों की संख्या कुल कितनी है? आवर्ती सूची में लिये गये नये विद्यालयों की सूची कब तक जारी कर दी जायेगी?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" –

वर्ष 1997-98 में सम्प्रति समाज कल्याण विभाग द्वारा किसी भी प्राइमरी विद्यालय को आवर्ती सूची में नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत एवं मेरठ में पेराई सत्र 1997-98 के दौरान दौराला चीनी मिल द्वारा नये गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने की जानकारी

13—श्री समरपाल सिंह –

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत एवं मेरठ में पेराई सत्र 1997-98 में दौराला चीनी मिल को कितने नये गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने के आदेश दिये गये थे? इनमें से कितने क्रय केन्द्र स्थापित किये गये? क्या यह सही है कि कुछ क्रय केन्द्र स्थापित नहीं किये गये? यदि हां, तो क्या सरकार चीनी मिल के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

18 क्रय केन्द्र स्थापित करने के आदेश दिये गये हैं।

9 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये।

जी हां।

नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के परिपत्रांक दिनांक 12-9-83 के अनुपालन में विभाग के प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की जानकारी

14—श्री अजय भट्ट –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने विषयक प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के परिपत्रांक: जी–745/पू० न० एवं बाढ़ अनु०/विविध–59, दिनांक 12-9-83 के अनुपालन में अब तक विभाग में किन-किन प्रकरणों पर कार्यवाहियां सम्पन्न की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण महिला बाल उत्थान योजना (इवाकरा) के अन्तर्गत प्रति वर्ष व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

15—श्री समरपाल सिंह –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में ग्रामीण महिला बाल उत्थान योजना (इवाकरा) के अन्तर्गत कितना धन प्रशिक्षण एवं उत्थान हेतु खर्च किया गया है? इस योजना के अन्तर्गत उत्पादकों के विपणन की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई तथा विपणन में कितनी धनराशि प्रति वर्ष व्यय करने का प्राविधान है? इस योजना से लाभ उठाकर कितने परिवार/लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं? क्या भारत सरकार का कोई शासनादेश है कि इस योजना का उत्पाद प्रदेश सरकार के विभाग प्राथमिकता पर क्रय करें? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार के विभाग इन उत्पादों को खरीद रहे हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

वर्ष 1997-98 में ग्रामीण महिला बाल उत्थान योजना (इवाकरा) के अन्तर्गत महिलाओं के उत्थान हेतु कुल 977.760 लाख की धनराशि व्यय की गयी है तथा प्रशिक्षण पर रु० 1049.00 लाख खर्च किया गया है।

इवाकरा उत्पादों के विपणन हेतु जनपद स्तर पर जिला आपूर्ति एवं विपणन समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं सदस्य विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं। अब तक प्रदेश के 21 जनपदों में इस समिति का गठन एवं पंजीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आयुक्त, ग्राम्य विकास मुख्यालय स्तर पर अपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी का गठन किया गया है। उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य स्तरीय मेला व मण्डल स्तरीय मेलों का आयोजन किया जाता है। विपणन में प्रति वर्ष व्यय की जाने वाली धनराशि का पूर्व से कोई प्राविधान नहीं होता। प्रति वर्ष आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मेले के व्यय की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जाती है।

इवाकरा योजना अन्तर्गत योजना प्रारम्भ से मार्च, 98 तक 385778 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों में इवाकरा उत्पादकों का क्रय विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा श्रेणी–ए पर करने के सुझाव निर्गत किये हैं।

जी हाँ। यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, उ० प्र० महिला कल्याण निदेशालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई० सी० डी० एस०, आई० सी० सी० एस० आर० टी०, उ० प्र० प्रशासनिक अकादमी लखनऊ शाखा लखनऊ आदि द्वारा इवाकरा उत्पादों का क्रय किया जा रहा है।

किसानों द्वारा गन्ना विकास समिति के माध्यम से लिये गये खाद्य, बीज एवं कृषि सामग्री के मूल्य पर लगाये गये ब्याज माफी की जानकारी

16—श्री समरपाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों द्वारा गन्ना विकास समितियों के माध्यम से लिये गये खाद बीज एवं कृषि सामग्री के मूल्य पर लगे ब्याज माफी का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

ब्याज माफी का कोई औचित्य नहीं।

सिंचाई खण्ड उन्नाव (शारदा नहर) में जनपद हरदोई के ग्राम दारापुर पुल के पास शारदा नहर की पटरी पर मरम्मत हेतु व्यय की गयी धनराशि में धांधली एवं दोषी लोगों के खिलाफ जांच की मांग

17—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड उन्नाव (शारदा नहर) में जनपद हरदोई के ग्राम दारापुर पुल के पास शारदा नहर की पटरी पर मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये का व्यय दिखाया गया और फर्जी प्रपत्र तैयार किये गये जबकि नाम मात्र का भी कार्य नहीं कराया गया? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई खण्ड उन्नाव में जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्राम दारापुर में स्थित पुल के पास हरदोई ब्रान्च में राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 में सुदृढ़ीकरण कार्य कराया गया था जिसमें बाएं किनारे के कार्य पर 49,385.00 रु० तथा दायें किनारो के कार्य पर 49,275.00 रु० खर्च किये गये। न ही लाखों रुपये का व्यय दिखाया गया और न ही फर्जी प्रपत्र तैयार किये गये।

प्रश्न ही नहीं उठता।

18—डा० सरजीत सिंह डंग–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष/महिला के 700 पदों को न भरे जाने के कारणों की जानकारी

19—डा० सरजीत सिंह डंग–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष/महिला के 700 पदों की रिक्तियों को भरे जाने में अनावश्यक विलम्ब होने का क्या कारण है? क्या सरकार प्रश्नगत रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के संबंध में महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र दिनांक है 17 अप्रैल, 1998 के द्वारा शासन को अपनी संस्तुति प्रेषित की जा चुकी है? उक्त पत्र पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयन की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

उ० प्र० स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) की सेवा नियमावली, 1997 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती किये जाने तथा भर्ती की आयु सीमा 18 वर्ष से 32 वर्ष का प्राविधान है। उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विघटित हो जाने तथा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से अधिकांश के निर्धारित आयु सीमा पार हो जाने के कारण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं।

जी हाँ।

सेवा नियमावली में विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियुक्तियां कराये जाने तथा निर्धारित आयु सीमा में छूट का प्राविधान किये जाने के पश्चात प्रश्नगत नियुक्तियां किया जाना संभव है।

जिला छत्रपति साहू जी महाराज नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

20—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहू जी महराजनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सन् 1972 ई० में पाठा पेयजल योजना प्रारम्भ की गयी थी? क्या यह सही है कि इसकी पाइप लाइनें बीच-बीच में उखाड़ दी गयी हैं? यदि हां, तो सरकार इसे चालू करने हेतु क्या उपाय कर रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हाँ।

जी हाँ। पाइप लाइनों की तोड़-फोड़ और चोरी अत्यधिक होती है जिनकी पुलिस में रिपोर्ट भी की जाती है लेकिन बार-बार पाइप लाइनों की चोरी समाज में अवांछनीय तत्व करते रहते हैं तथा तोड़-फोड़ कर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त करते रहते हैं।

उखड़ी पाइप लाइनों को चालू किया जाता है परन्तु बार-बार पाइप लाइन चोरी होकर एवं तोड़-फोड़ से उखड़ती रहती हैं तथा जल संस्थान इनको चालू करने का प्रयास करता है परन्तु कई बार धनाभाव, अत्यधिक तोड़-फोड़/चोरी से समस्या बनी रहती है।

21—श्री रामविशुन आजाद–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

वि० ख० छपिया गोण्डा में अम्बेदकर ग्राम योजना के अतिरिक्त औरातोंदा और खपरी पारा के इन्दिरा आवास योजना में अपात्र व्यक्तियों को चयनित किये जाने की जानकारी

22—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वि० ख० छपिया गोण्डा में अम्बेदकर ग्राम योजना के अतिरिक्त औरातोंदा और खपरी पारा में 1995-96 में इन्दिरा आवास योजना में अपात्र व्यक्तियों को चयनित किया गया था जिसकी सूचना खण्ड विकास अधिकारी मनकापुर गोण्डा ने परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा को पत्र संख्या 105/इन्दिरा आवास/96–97, दिनांक 19 अप्रैल, 1997 द्वारा प्रेषित की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हाँ।

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, मनकापुर, गोण्डा द्वारा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा को पत्र संख्या: 105/इन्दिरा आवास/96–97, दिनांक 19–4–97 द्वारा केवल ग्राम औरातोंदा के इन्दिरा आवासों के स्थलीय व अभिलेखीय सत्यापन के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की गयी है। ग्राम खपरी पारा का कोई भी उल्लेख पत्र में नहीं है। परन्तु तत्क्रम में उप जिलाधिकारी, मनकापुर तथा प्रभागीय वनाधिकारी (उत्तर) गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा से जांच कराये जाने पर ग्राम औरातोंदा में एक लाभार्थी अपात्र पाया गया। इसी प्रकार ग्राम खपरी पारा के सम्बन्ध में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल अधिकारी छपिया से जांच कराये जाने पर यहां भी एक लाभार्थी अपात्र पाया गया तदोपरान्त जिला विकास अधिकारी, गोण्डा के पत्र:

4462/वि० स० प्र०/97–98, दिनांक 24–1–98 एवं 4895/इ० आ० जांच/97–98, दिनांक 17–3–98 द्वारा इन लाभार्थियों का आवास निरस्त करते हुए धनराशि की वसूली हेतु खण्ड विकास अधिकारी, छपिया को निर्देशित किया जा चुका है। अपात्र लाभार्थियों के चयन हेतु दोषी पाये गये श्री गणेश दत्त सोनी, ग्राम विकास अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में दोषी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुखलाल जो वर्तमान में विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज में कार्यरत हैं, से संयुक्त विकास आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में ग्राम अमलौर को जवाहर रोजगार योजना में उपलब्ध करायी गयी धनराशि में की गयी धांधली की जांच की मांग

23—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा विकास खण्ड तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम अमलौर को वर्ष 1996–97 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी द्वारा धन का दुरुपयोग कर फर्जी बिल बाउचरों द्वारा भुगतान किया गया है? क्या उक्त कार्यों की तकनीकी जांच करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम अमलौर को वर्ष 1996–97 में कुल रु० 41700.00 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी।

जी नहीं।

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक/शारदा) संगठन में सरकारी सम्पत्तियों पर किये गये अवैध कब्जों को हटाये जाने की मांग

24—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक/शारदा) संगठन में सरकारी सम्पत्तियों पर किये गये अवैध कब्जों को हटाने हेतु शासनादेश संख्या 3336/सख/97–27–सिं०–3, दिनांक 12–12–97 के अनुसरण में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा उसके अद्यावधिक परिणाम क्या हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग में परिचालित परियोजनाओं एवम् अष्टम् व नवम् पंचवर्षीय योजना काल के इन्वार्यरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट क्लीयरेन्स न प्राप्त करने के कारण की जानकारी

25—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में सिंचाई विभाग में कितनी ऐसी परियोजनायें परिचालित हैं, जिन पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 5141/55–

पर्यावरण/1997, दिनंक 20–10–1997 के अनुरूप इन्वार्यरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट क्लीयरेन्स प्राप्त किया जा चुका है? कितने प्रकरणों में उक्त क्लीयरेन्स प्राप्त करना अवशेष है? उक्त प्रकार के उपकरणों में अब तक क्लीयरेन्स न प्राप्त करने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अष्टम व नवम् पंचवर्षीय योजना काल में कोई नई योजना प्रारम्भ नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माणाधीन योजनायें पंचम पंचवर्षीय योजना या उससे पूर्व से निर्माणाधीन है।

शारदा सहायक संगठनान्तर्गत सम्पूर्ण भण्डार एवं औजार तथा संयन्त्र का भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

26—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक संगठनान्तर्गत सम्पूर्ण भण्डार एवं औजार तथा संयंत्र का भौतिक सत्यापन करने विषयक जो आदेश ज्ञापांक: सी–965/शां स० अ०, दिनांक 20–9–1992 द्वारा दिये गये थे, उनका अनुपालन किन-किन खण्डीय अधिकारियों द्वारा होना अवशेष है और क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मुख्य अभियन्ता (शारदा सहाय्रक) के ज्ञाप संख्या-सी०–965/शा० सं० अ०, दिनांक 28–9–92 के अनुपालन में सम्पूर्ण भण्डार एवं औजार तथा संयंत्र का भौतिक सत्यापन शारदा सहायक संगठनान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड–40 लखनऊ तथा शारदा सहायक खण्ड–28 हैदरगढ़ में आंशिकरूप से शेष है। अन्य सभी खण्डों में सत्यापन हो चुका है।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के तृतीय श्रेणी कर्मियों को ऐच्छिक मुख्यालय पर समायोजन सम्बन्धी नीति की जानकारी

27—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के ज्ञापांक 5316ई–4क/नीति, दिनांक 1–7–1997 द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मियों को ऐच्छिक मुख्यालय पर समायोजन संबंधी जो नीति बनायी गयी है क्या उसके निर्गमन से पूर्व मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स (1964 संस्करण) के पैरा–225 के प्राविधानों का अनुपालन किया गया? उक्त अनुच्छेद का बिना अनुपालन किए 1980 से अब तक कितनी नीतियां विभागाध्यक्ष कार्यालय के अनुभागों द्वारा प्रसारित की गयी है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

कोई नहीं।

जनपद बांदा में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने वाली पंजीकृत समितियों को स्वीकृत धनराशि में कथित धांधली व दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जांच की मांग

28—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने वाली कुल कितनी समितियां पंजीकृत हैं? वर्ष 1997–98 में उक्त समितियों को कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है? क्या यह सही है कि परियोजना निदेशक द्वारा अवैधानिक ढंग से कुछ

समितियों का पंजीकरण करके धन दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बांदा में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने वाली कुल 50 समितियाँ पंजीकृत हैं।

वर्ष 1997–98 में 24 समितियों को उनके द्वारा प्रशिक्षार्थियों को दिलाये गये प्रशिक्षण के आधार पर धनराशि दी गयी है जिसका विवरण संलग्न है। शेष 26 समितियों द्वारा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है अतः उनको धनराशि नहीं दी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद बांदा में उ० प्र० के निषाद समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने की जानकारी

29—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 26 सितम्बर, 1995 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा जनपद बांदा में उत्तर प्रदेश के निषाद समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में राजकीय सिंचाई नलकूप के खण्ड प्रथम व द्वितीय में नलकूपों की खराब हुई मोटरों की मरम्मत की जानकारी

30—श्री श्रीराम पाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जनाकारी है कि जनपद जालौन में राजकीय सिंचाई नलकूप के खण्ड प्रथम व द्वितीय में नलकूपों की खराब हुई मोटरों की मरम्मत व पुनः भराई में घटिया प्लेंटे व मानक से हटकर दूसरे गेज का तार तथा कम मात्रा में डाले जाने से मोटरें निरन्तर खराब हो जाने से अधिकांश नलकूप रबी की फसल में बन्द रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त नलकूप खण्ड प्रथम व द्वितीय की कार्यशालाओं (वर्कशाप) के रखे हुए सामानों का क्रय किये जाने का प्रमाण में लगाये गये बिल व बाउचर में भौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन में कालपी वि० स० क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जीतामऊ में सिंचाई स्टेट ट्यूबवेल नं० 69 कालपी के असफल हो जाने एवं रिबोर कराये जाने की जानकारी

31—श्री श्रीरामपाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में कालपी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जीतामऊ में सिंचाई स्टेट ट्यूबवेल नं० 69 कालपी के असफल हो जाने पर रिबोर कराया गया था ? यदि हा, तो क्या रिवोर हुए नलकूप से सिंचाई हेतु पुराने नलकूप की बनी पाइप लाइनों से संयोजन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब तक "डी" टैंक बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

रिबोर किये नलकूप को पुराने नलकूप की पाइन लाइन से इस कारण नहीं जोड़ा गया है क्योंकि उसकी जल वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गयी है । फलस्वरूप पुराने नलकूप की पाइप लाइन से जोड़ने पर कोई लाभ नहीं होगा ।

पुनर्निमित नलकूप पर पी०वी०सी०- पाइप लाइन होने के कारण डिलवरी टैंक का निर्माण नहीं कराया गया है ।

जनपद जालौन में नलकूप खण्ड प्रथम व द्वितीय को नाबार्ड द्वारा नलकूपों की मरम्मत व नलकूपों के नवीनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गयी धनराशि की जानकारी

32—श्री श्रीराम पाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में नलकूप खण्ड प्रथम व द्वितीय को वर्ष 1997-98 में नाबार्ड द्वारा नलकूपों की मरम्मत व नलकूपों के नवीनीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी ? यदि हां, तो प्रत्येक खण्ड को कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? क्या यह सच है कि नाबार्ड से प्राप्त धनराशि से चयनित नलकूपों में नई मोटर व पम्प, टी० पी० स्विच व स्टार्टर तथा केबिल नया सामान डालने की जगह पुराने सामानों पर रंग करके लगाये गये हैं तथा नये सामान क्रय करने के प्रमाण में फर्जी बिल व वाउचर लगाकर धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उच्च स्तरीय जांच कराकर ऐसे चयनित नलकूपों में लगे सामान का व कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

नलकूप खण्ड प्रथम व द्वितीय, उरई, जनपद जालौन की वर्ष 1997-98 में नाबार्ड पोषित योजनाओं के अन्तर्गत निम्नानुसार धनराशि आवंटित हुई :—

खण्ड का नाम	धनराशि
	(लाख रु०)
नलकूप खण्ड प्रथम	25.29
नलकूप खण्ड द्वितीय	10.60

चयनित नलकूपों पर केन्द्रीय सज्जा संगठन के माध्यम से व्यवस्था करके मोटर, पम्प, फैलेट केबिल सबमरसेबिल पम्प सेट, स्टार्टर तथा टी०पी० स्विच लगाये गये हैं । इस प्रकार फर्जी बिल एवं वाउचर बनाकर नये सामान के बदले सामान रंग कराकर लगाये जाने की बात सही नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड हरपुर-गजपुर, जिला गोरखपुर में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जातियों की भर्ती किये जाने की जानकारी

33—श्रीमती गौरी देवी—

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड हरपुर-गजपुर, पोस्ट देईडीहा, जिला गोरखपुर हेतु विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन में प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तिथि 1-9-97 रही है ? क्या उस विज्ञापन में आरक्षित पदों का भी विवरण रहा है ? क्या उक्त पदों के चयन हेतु माह नवम्बर, 1997 तय था ? यदि हां, तो क्या इसमें सहायक पैन मैन पैन इंचार्ज आदि पद भी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त पदों का साक्षात्कार न लेकर बाहरी लोगों को बुलाकर गत पेराई सत्र प्रारम्भ की गई और अनुसूचित जाति व पिछड़ी जातियों की भर्ती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों (विज्ञापन अनुसार) की पूर्ति करेंगी. यदि हां, तो कब ? यदि नहीं. तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां । 159 तकनीकी पदों पर कर्मचारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे, जिसमें आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 1-9-97 निर्धारित की गयी थी ।

विज्ञापन पदों में ग्रेडवार शासनादेश के अनुसार आरक्षित वर्ग के लिए पदों के आरक्षण का उल्लेख किया गया था ।

जी हां, दिनांक 7-11-97 से 19-11-97 तक का समय निर्धारित किया गया था ।

जी हां, विज्ञापित पदों में अन्य पदों के साथ-साथ पैन इंचार्ज एवं सहायक पैन मैन के पद भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखे गये थे ।

गत वर्ष नियुक्तियों के संबंध में मिल के सभापति/जिलाधिकारी द्वारा गठित चयन समिति का अनुमोदन मिल समित की प्रबन्ध समिति द्वारा न करके तकनीकी विधिक आपत्ति उठाये जाने के कारण कोई नयी नियुक्ति नहीं की गयी । पेराई सत्र का संचालन सहकारी चीनी मिल तथा बन्द गौरी बाजार चीनी मिल (बी०आई०सी० ग्रुप) के कर्मचारियों को पूर्णतया अस्थाई तौर पर बुलाकर संचालन किया गया पेराई सत्र के बाद यह स्टाफ अपनी-अपनी चीनी मिलों को लौटा दिये गये हैं । किसी भी वर्ग के कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी है ।

विधिक राय के अनुसार चयन समिति का गठन कर नियुक्तियां आवश्यकतानुसार की जायेगी ।

उत्तराखण्ड के निदेशक (प्रभारी बलरामपुर अस्पताल) को अपने क्षेत्र में न बैठना एवं बलरामपुर अस्पताल के अल्ट्रासाउन्ड इकाई का एयर-कण्डीशनर का उपयोग अपने आवास के रूप में करने की जानकारी

34—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निदेशक, उत्तराखण्ड के पास निदेशक, बलरामपुर अस्पताल लखनऊ का भी प्रभार है और कुछ समय पूर्व तक उक्त अधिकारी यहां

निदेशक का कार्यभार भी संभालते हैं? यदि हां, तो उत्तराखण्ड के निदेशक को उनके अपने क्षेत्र में न बैठाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि बलरामपुर अस्पताल के अल्ट्रासाउन्ड इकाई का एयरकण्डीशनर उक्त निदेशक ने अपने कैम्प आफिस में लगवाया है और जिसका उपयोग वे अपने आवास के रूप में करते हैं जबकि उन्हें बटलर पैलेस कालोनी में आवास आवंटित है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल बलरामपुर अस्पताल में पूर्णकालिक निदेशक तैनात कर निदेशक उत्तराखण्ड को अपने तैनाती के स्थान पर भेजेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर अस्पताल के अल्ट्रासाउण्ड इकाई में एयरकण्डीशनर लगा हुआ है जिसका लाभ रोगियों को मिल रहा है। अस्पताल परिसर में ही एक भवन है जो कैम्प आफिस के रूप में कार्य कर रहा है।

अस्पताल के निदेशक को बटलर पैलेस में आवास आवंटित है जहां उनका परिवार रहता है।

बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में पूर्णकालिक निदेशक कार्यरत हैं। महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (उत्तराखण्ड) का कार्यालय देहरादून में स्थापित किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में नावार्ड योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपया खर्च करके नहरों की मरम्मत एवं उनके आकार में वृद्धि करायी जाने की जानकारी

35—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में नावार्ड योजना के अन्तर्गत सन् 1995-96 एवं 1996-97 में करोड़ों रुपया खर्च करके नहरों की मरम्मत एवं उनके आकार में वृद्धि करायी गयी है? यदि हां तो क्या यह सही है कि प्रस्तावित सिंचन क्षमता के अनुपात में कम जल आपूर्ति हुयी है? यदि हां, तो क्या धन के सदुपयोग हेतु प्रस्तावित क्षमता के बराबर जल आपूर्ति करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत नावार्ड योजना के माध्यम से जनपद उन्नाव में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में क्रमशः रुपया 73.22 लाख एवं रुपया 134.94 लाख नहरों की क्षमता की पुनर्स्थापना के कार्यों हेतु व्यय किये गये।

जी हां।

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना निर्माणाधीन है। योजना का कार्य पूर्ण होने पर योजना में परिलक्षित लक्ष्य प्राप्त होते हैं।

जनपद–बाराबंकी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता अवर अभियन्ता के लिए निर्धारित योग्यता की जानकारी

36—श्री समर पाल सिंह–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में अवर अभियन्ता की न्यूनतम योग्यता क्या है? क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जनपद–बाराबंकी में कार्यरत अधिशासी

अभियन्ता, अवर अभियन्ता के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं? यदि हां, तो वह इस पद पर किस आधार पर कार्यरत हैं?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ताओं के लिये शैक्षिक योग्यता उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा है।

जी हां।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड बाराबंकी में कार्यरत अधिशासी अभियंता श्री दीनानाथ को भूगर्भ जल विभाग से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में सहायक अभियंता (पदोन्नति कोटा) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आदेश दिनांक 24-1- द्वारा नियुक्त किया गया था।

श्री दीनानाथ को ग्रामीण अभियंत्रण से विभाग में सहायक अभियंता के पद पर आदेश दिनांक 7-2-87 द्वारा संविलियन किया गया है। इनकी पदोन्नति ग्राम अभियंत्रण सेवा विभाग में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियंता के पद पर आदेश दिनांक 8-2-95 द्वारा की गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई–छितौनी (कुशीनगर) के प्रधान प्रबन्धक द्वारा अवैध कब्जा धारी व्यक्ति का बिजली पानी मुफ्त दिये जाने की जानकारी

37—श्री दीपलाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० राज्य चीनी निगम इकाई-छितौनी (कुशीनगर) के प्रधान प्रबन्धक द्वारा असामाजिक तत्व को चीनी मिल परिसर के बाहर अवैध कब्जाधारी व्यक्ति को चीनी मिल द्वारा बिजली पानी वर्षों से मुफ्त दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सी एम० ओ० तथा सी० एम० एस० शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

38—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 4-10-97 या इसके आसपास मुख्य मंत्री कार्यालय, विधायक प्रकोष्ठ के द्वारा सी० एम० ओ० तथा सी० एम० एस० शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र की जांच करायी गयी? कौन–कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में अनुस्मारक पत्र प्राप्त हुआ है।

शिकायतों की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा करायी जा रही है।

जांच प्रचलित है, अतः अभी प्रश्न नहीं उठता।

चेयरमैन गन्ना सहकारी समिति लक्सर, जिला सहारनपुर द्वारा कथित तौर पर बरती जा रही वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध जांच

39—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चेयरमैन गन्ना सहकारी समिति लक्सर, जिला सहारनपुर द्वारा बरती जा रही वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध कोई ज्ञापन विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उस पर जांच कराई गई है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां।

श्री चन्द्रपाल सिंह, अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, लक्सर गलत यात्रा भत्ता बिल क्लेम करने व भुगतान प्राप्त करने के दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 38 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

जनपद–सुल्तानपुर में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच कराये जाने की मांग

40—श्री तेजभान सिंह

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को पत्रांक 125, वी० आई० पी० दिनांक 20-11-97 के द्वारा प्रेषित है, जिसमें जनपद–सुल्तानपुर में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच प्रश्नकर्ता या किसी जनप्रतिनिधि की उपस्थित में की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां।

इसकी जांच टेक्निकल आडिट सेल से कराये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं, यदि टी०ए०सी० आवश्यक समझती है, तो निश्चित ही प्रश्नकर्ता या किसी जनप्रतिनिधि से सम्पर्क करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० राज्य की वनमानुष–मुसहर, वनराजा को, अनु० जाति की श्रेणी से निकाल कर अनु० जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित करने की जानकारी

41—श्री सीताराम निषाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 मार्च, 1998 उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची से क्रमांक 13 वनमानुष तथा क्रमांक 52–मुसहर को अनुसूचित जाति की सूची से निकालकर अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार वनवासी समाज जो आदिवासी समुदाय है उसकी उपजातियों वनमानुष–मुसहर, वनराजा को अनुसूचित जाति की श्रेणी से निकाल कर अनु० जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित करने का निर्णय लेगी? यदि हां, तो शासनादेश कबतक जारी कर दिया जायेगा?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जी हां,

उल्लेखनीय है कि जातियों के वर्गीकरण से सम्बन्धित वर्तमान प्रभावी शासनादेश संख्या–1432/26-3-86-11 (वि० स०) 86, दिनांक 10-7-86 में क्रमांक 52 पर मुसहर जाति अंकित न होकर क्रमांक 55 पर मुसहर जाति अंकित है।

''मुसहर'' जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखे जाने हेतु वर्ष 1997-98 में शोध एवं प्रशिक्षण, संस्थान से सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण आख्या के अनुसार ''मुसहर'' जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखे जाने हेतु निर्धारित मानकों के अर्न्तगत नहीं आती है।

भारतीय संविधान की धारा 341 (1) तथा 342 (2) के अनुसार किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे जाने अथवा निकाले जाने का अधिकार भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में निहित है।

जनपद फतेहपुर में चीनी मिल की स्थापना किये जाने की मांग

42—श्री मुरलीधर–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में एक चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक उसकी स्थापना हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फतेहपुर के स्थल फतेहपुर एवं स्थल बिन्दकी में नई चीनी मिल स्थापना हेतु दो आशय पत्र निजी क्षेत्र के उद्यमियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

निजी क्षेत्र के उक्त उद्यमियों द्वारा भूमि तथा अन्य वित्तीय व्यवस्था आदि की कार्यवाही के पश्चात् ही चीनी मिल स्थापना हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 व 1997-98 में निर्मित दुकानों को अनु० जाति एवं अनु० जनजाति को आवंटित किये जाने की मांग

43—श्री मुरलीधर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक पूरे प्रदेश में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 व 1997-98 में कितनी दुकानें निर्मित करायी गयी एवं कितनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की शहरी/व्यवसायिक क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक दृष्टि से विकसित स्थलों पर अनुसूचित जाति के लाभार्थियों द्वारा निजी भूमि पर दुकानों का निर्माण स्वयं कराया जाता है जिसके लिये लाभार्थी को निर्माण लागत की धनराशि 3 किस्तों में अनुदान सहित उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1996-97 में 1656 तथा वर्ष 1997-98 में 242 दुकानें निर्मित करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई महोली जनपद सीतापुर के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान कराये जाने की मांग

44—श्री रमेश राही–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई महोली जनपद सीतापुर के कर्मचारियों को 6 माह का वेतन नहीं दिया गया है? बकाये वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं। उ० प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई महोली जनपद सीतापुर के कर्मचारियों का केवल 4 माह का वेतन बकाया है।

महोली चीनी मिल के निजीकरण की कार्यवाही बी०आई०एफ०आर० के निर्देशानुसार की जा रही है ऐसी दशा में श्रमिकों के बकाया देयों का भुगतान परिसम्पत्ति की बिक्री से ही सम्भव है।

जनपद सीतापुर में तैनात अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर खण्ड सीतापुर ने औपचारिकता पूर्ण किये बिना ही नहरों की सफाई कराये जाने की जानकारी

45—श्री रमेश राही–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जांच अनुभाग) सिंचाई विभाग उ० प्र० लखनऊ के जारी पत्रांक संख्या–3822/जां०अ०/1405 दिनांक 12 जून, 91 के अनुसार बिना प्राक्कलन स्वीकृत कार्य न कराये जाने के आदेश है तथा कार्यालय के ज्ञाप संख्या–2066/जां०अ० 417/दिनांक 21-4-89 के तहत आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां, तो इसके विपरीत जनपद सीतापुर में तैनात अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर खण्ड, सीतापुर ने औपचारिकता पूर्ण किये बिना ही नहरों की सफाई कार्य ठेकेदारी द्वारा कराया है? क्या सरकार इसकी जांच के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी नहीं। सामान्य

प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता (शारदा) द्वारा स्वीकृत है, जिसके अनुसार नहरों की सफाई का कार्य श्रमिक मुखिया के माध्यम से कराया गया है। जांच आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस विषय में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

वाराणसी एवं चन्दौली जनपदों के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के कार्य करने की समय सीमा निर्धारित करने की जानकारी

46—श्री शिव पूजन राम–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के विकास खण्डों में कार्य करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या यह सही है कि वाराणसी एवं चन्दौली जनपदों के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को 10 वर्षों बाद भी विकास खण्डों में नहीं भेजा गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां।

विकास खण्डों में तैनाती की सीमा चार वर्ष निर्धारित है।

जी नहीं। क्योंकि प्रखण्ड में 7 वर्ष की अधिक अवधि से कार्यरत समस्त अवर अभियंताओं को स्थानान्तरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता पद पर नियुक्ति कराये जाने की मांग

47—श्री शिव पूजन राम–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता पद जो लगभग एक वर्ष से रिक्त है उक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

श्री मारकण्डेय चन्द–

निदेशक एवं मुख्य अभियंता (स्तर–1) का एक पद 11 मार्च, 1997 से रिक्त चल रहा है। निदेशक एवं मुख्य अभियंता के रिक्त पद पर काम चलाऊ व्यवस्था में विभाग के ज्येष्ठ मुख्य अभियंता को इस पद पर अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

निदेशक एवं मुख्य अभियंता के रिक्त पद पर नियमित पदोन्नति की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

प्रदेश के अन्य सम्प्रेक्षा संगठनों के समान गुणवत्ता रखने वाले फी पेड सम्परीक्षकों/कर्मचारियों के राजकीयकरण कराने की शासन से मांग

48—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त, उ० प्र० के पत्र संख्या 3199 दिनांक 30-10-91 द्वारा प्रदेश के अन्य सम्प्रेक्षा संगठनों के समान गुणवत्ता रखने वाले फी पेड सम्परीक्षकों/कर्मचारियों के राजकीयकरण हेतु अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो शासन ने इस दिशा में क्या कदम उठाये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

फी–पेड सम्परीक्षा संगठन, उ० प्र० गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन), नियम 1954 के नियम 13 के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त के अधीन गठित गैर सरकारी संस्था है जो सहकारी लेखा परीक्षा संगठन, उ० प्र० से भिन्न है एवं पूर्ण रूप से प्रदेश की गन्ना विकास परिषदों से प्राप्त आडिट फीस पर निर्भर है। इस संगठन के राजकीयकरण का प्रकरण विचाराधीन है?

प्रश्न नहीं उठता।

सम्परीक्षकों के विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए समता समिति उ० प्र० (1989) की संस्तुतियों पर पुनरीक्षित वेतनमान को न लागू किये जाने की जानकारी

49—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समता समिति उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर सम्परीक्षकों के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति शासनादेश

सं० 4325/दस–94–300(1)/93 टी० सी०, दिनांक 31 मई, 1995 प्रदान की जा चुकी है? उक्त आदेश अभी तक लागू नहीं किया गया, जिससे सेवानिवृत्त सम्प्रेक्षकों को क्षति उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत शासनादेश में वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग द्वारा सहकारी लेखा परीक्षा संगठन, उ०प्र० में सम्परीक्षकों के विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन विसंगति के सम्बन्ध में पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त शासनादेश से गन्ना विभाग के फी पेड सम्परीक्षा संगठन के सम्परीक्षक आच्छादित नहीं हैं। फी पेड सम्परीक्षा संगठन, उ०प्र० गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियम 1954 के नियम 13 के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त के अधीन गठित गैर सरकारी संस्था है, जो सहकारी लेखा परीक्षा संगठन से भिन्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

50—श्री ददू प्रसाद–

[दिनांक 24-6-98 को अता० प्र० सं० 111 द्वारा उत्तरित]

51—श्री ददू प्रसाद–

[दिनांक 24-6-98 को अता० प्र० सं० 118 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल द्वारा कृषकों का गन्ने का बकाया भुगतान न किये जाने की जानकारी

52—श्री चेतराम

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल पर वर्ष 1997-98 के कितने कृषकों का गन्ने का कितना भुगतान बकाया है? बकाया भुगतान न होने के क्या कारण है तथा किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, पुवायां को सत्र, 1997-98 में 15026 कृषकों द्वारा गन्ना आपूर्ति की गयी जिसके विरुद्ध कुल देय गन्ना मूल्य रु० 943.88 लाख में से रु० 521.77 लाख रुपया भुगतान दिनांक 15-6-98 तक कर दिया गया है और रु० 422.11 लाख अवशेष है।

चीनी मिल की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण सम्पूर्ण देय गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है। जिसके यथाशीघ्र भुगतान का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ तथा बस्ती जनपदों में स्थित अनुसंधान एवं नियोजन (जलसंसाधन) खण्डों के अन्तर्गत स्थापित प्रयोगशाला/लैब में व्यय हुई धनराशि का आडिट कराये जाने की जानकारी

53—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ तथा बस्ती जनपदों में स्थित अनुसंधान एवं नियोजन (जलसंसाधन) खण्डों के अन्तर्गत स्थापित प्रयोगशाला/लैब से अब तक कराये गये

कार्य का विवरण, लैब हेतु क्रय किये गये उपकरणों की कीमत, उपकरणों की अब तक की उपयोगिता क्या रही है? प्रयोगशालाओं पर वर्ष 1992 से अब तक कितना व्यय हुआ? क्या आंतरिक सम्प्रेक्षा के माध्यम से उक्त व्यय की उपयोगिता का आडिट हुआ है? यदि नहीं, तो क्या उक्त आडिट करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड लखनऊ में स्थापित प्रयोगशाला द्वारा अब तक 772 जल नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। प्रयोगशाला हेतु क्रय किये गये उपकरणों की कुल लागत रु० 2,95,343-85 है। उपकरणों की उपयोगिता निर्धारित जल गुणवत्ता परीक्षण कार्यों में की जा रही है।

वर्ष 1992 से अब तक रुपयें 7,75,820.20 का व्यय हुआ है।

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड लखनऊ एवं बस्ती स्थित खण्डों का आडिट महालेखाकार के सम्प्रेक्षा अधिकारियों द्वारा उनके होस्टर प्रणाली के अनुसार किया जाता रहा है तथा अभी तक इस विषय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं सूचित हुई है। अतः पुनः आडिट करवाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रमुख सचिव, सिंचाई के पत्र दिनांक 27-11-97 के पृष्ठ-2 के बिन्दु-क्रमांक 2, 4 तथा 6 पर की गयी कार्यवाही एवं विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से कार्य निस्तारण की जानकारी

54—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव सिंचाई को संबोधित उनके पत्र (पंजी-क्रमांक: 6179/बी०आई०पी०/एम०आई०सी०/97, दिनांक 27-11-97) के पृष्ठ–2 के बिन्दु-क्रमांक: 2, 4 तथा 6 पर अब तक क्या कार्यवाही विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर निष्पादित की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

पत्र-पंजी क्रमांक: 6179/बी०आई०पी०/एम०आई०सी०/97, दिनांक 27-11-97 के पृष्ठ-2 के बिन्दु-क्रमांक: 2, 4 तथा 6 पर निर्देशानुसार दण्डात्मक किराये की वसूली की गई/की जा रही है। अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने निलम्बित किये जाने तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई/की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

दि किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड़, नजीबाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच एवं कार्यवाही की मांग

55—श्री राम कृपाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम स्वरूप सिंह सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 20-9-97 जो कि मुख्य मंत्री, गन्ना विकास मंत्री सचिव गन्ना उ०प्र० शासन आयुक्त एवं एम०डी० को संबोधित थे और जो दि किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड, नजीबाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में थे, प्राप्त हुये? यदि हां, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे? उक्त पत्रों पर किस अधिकारी से जांच कराई गयी? जांच में किस स्तर के कौन से अधिकारी दोषी पाये गये? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार उक्त प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

जी नहीं। श्री राम स्वरूप सिंह सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 20-9-97 जो कि मुख्य मंत्री, गन्ना विकास मंत्री सचिव, गन्ना उ०प्र० शासन, आयुक्त एवं एम०डी० को सम्बोधित थे और जो दि किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड नजीबाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में था प्राप्त नहीं हुआ था।

जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी कार्यकत्री प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों के समान वेतनमान एवं सुविधा दिये जाने की जानकारी

56—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''—

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विगत 15 वर्षों से संचालित आंगनबाड़ी कार्यकत्री प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मियों को अप्रैल, 1993 से नियत वेतन भुगतान किया जा रहा है जबकि समेकित बाल विकास सेवा योजना (क्षेत्रीय कार्यक्रम) में कार्यरत सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतनमान एवं सुविधा प्राप्त है? क्या सरकार इतनी लम्बी अवधि से कार्यरत प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भांति वेतनमान एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)—

जी हां।

भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मियों को अप्रैल, 1993 से नियत वेतनमान के स्थान पर मानदेय दिया जा रहा है। यह स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित है जबकि इसके विपरीत समेकित बाल विकास सेवा योजना एक शासकीय योजना है। इसमें कार्यरत सभी कर्मचारी/अधिकारी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, जिन्हें शासन द्वारा देय वेतनमान एवं सुविधा प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महामंत्री जिला कॉंग्रेस कमेटी शाहजहांपुर के शिकायती पत्रों की जांच में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अपर निदेशक द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी

57—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी शाहजहांपुर के शिकायती पत्रों की जांच अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बरेली मण्डल द्वारा माह सितम्बर, 97 को नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डभौरा जनपद शाहजहांपुर में की गयी? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा शिकायत में पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अपर निदेशक ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां।

जांचोंपरान्त, शिकायतें तथ्यहीन एवं निराधार पायी गयी। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी शाहजहाँपुर को फर्जी नसबन्दी के संबंध में जाँच हेतु पत्र

58—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" –

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो जिलाधिकारी शाहजहांपुर को फर्जी नसबन्दी के संबंध में दिनांक 15-3-97 को दिया गया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी? जांच परिणाम क्या है?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह—

जी हां।

जी हां।

जांच आख्या के अनुसार मा० विधायक के संदर्भित पत्र दिनांक 15-3-97 में वर्णित तथ्य निराधार पाये गये।

जनपद शाहजहांपुर चिकित्सालय में 10 वर्षों से अधिक समय तक कार्य करने की जानकारी एवं उनके स्थानान्तरण किये जाने की मांग

59—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय तथा महिला चिकित्सालय एवं जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने अधिकारी, कर्मचारी ऐसे हैं जो 10 वर्षों से ज्यादा से एक स्थान पर कार्यरत हैं? क्या सरकार इनके स्थानान्तरण अन्य जनपदों में करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री—

मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में श्रेणी-एक एवं दो के शून्य, श्रेणी-तीन के छः, श्रेणी-चार के पांच, जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में श्रेणी-एक के एक, श्रेणी-दो के एक, श्रेणी-तीन के 17 तथा श्रेणी-चार के 12 तथा महिला चिकित्सालय में श्रेणी 3 के 6. श्रेणी 4 के 13 तथा जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में श्रेणी-एक के शून्य, श्रेणी-दो के एक, श्रेणी-तीन के 226 तथा श्रेणी-चार के 38 अधिकारी/कर्मचारी एक स्थान पर दस वर्षों से ज्यादा की अवधि से कार्यरत हैं।

शासनादेश संख्या 2324: सेक–2 पांच-98–7(55)/86 टी०सी०, दिनांक 8-5-98 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 1998 की स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही स्थानान्तरण की कार्यवाही की गयी है।

जनपद शाहजहाँपुर में सिप्सा स्कीम, आई ब्लाइन्डनेस समिति तथा लेफ्टीनेट योजना के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि एवं किसी उच्चाधिकारी द्वारा सी०एम०ओ० के विरूद्ध जाँच कराये जाने की मांग

60—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में सिप्सा स्कीम, आई ब्लाइन्डनेस समिति तथा लेफ्टीनेट योजना के अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर में वर्ष 1996-97 में कितना-कितना

धन प्रत्येक योजना में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्राप्त हुआ तथा किन-किन मदों में कब-कब कितना-कितना खर्च किया गया ? क्या सरकार की जानकारी में है कि उपरोक्त सभी योजनायें जनपद में कागजों पर चल रहीं हैं ? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी से कराकर इसमें दोषी सी०एम०ओ० के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह—

जनपद शाहजहाँपुर में सिप्सा स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में कुल प्राप्त धनराशि रु० 18,65,426.00 के विपरीत रु० 7,59,024.00 का व्यय किया गया । मदवार व्यय विवरण संलग्न है ।

आई ब्लाइन्डनेस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में स्वीकृत धनराशि को वर्ष 1996-97 में रु० 3,07,130.00 के विपरीत रु० 2,83,392.11 का व्यय किया गया । मदवार व्यय विवरण संलग्न है ।

मेफ्टीनेट स्कीम में भी वर्ष 1996-97 में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई और न ही कोई व्यय किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 208 पर]

परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा को दिये गये पत्र एवं उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी

61—श्री राम विशुन आजाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्रांक संख्या ख–2 नं० 181806, ख-2 नं०—18180, दिनांक 23-6-97 को परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा को दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 में विकास खण्ड छपिया में फूलपुर से परसाउदयकर मार्ग एवं फूलपुर से सिसई रानीपुर मार्ग पर खड़न्जा निर्माण कार्य का ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के विभागीय टी०ए०सी० द्वारा जांच की गई और उक्त मार्ग पर प्रयुक्त सामग्री की विशिष्टियों में आंशिक भिन्नता पाये जाने के कारण आपूर्तिकर्ता से फूलपुर से परसाउदयकर मार्ग पर रु० 747 एवं फूलपुर से सिसई रानीपुर मार्ग पर रु० 1,070.00 कुल रु० 1817 की वसूली की गयी ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में स्वीकृत मार्ग सकदरपुर महराजगंज से भगवानपुर बहुवान विछियाडांट मार्ग पर 1.00 कि०मी० लम्बाई में सोलिंग निर्माण कार्य कराया जा चुका है । उक्त मार्ग का सत्यापन सहायक अभियन्ता, डी०आर०डी०ए० से कराया गया । सत्यापन के दौरान कार्य एवं मार्ग पर प्रयुक्त सामग्री (ईंट) संतोषजनक पायी गयी ।

विकास खण्ड छपिया (गोण्डा) में बड़उरड्रेन में शासकीय धन का दुरुपयोग एवं सरकार द्वारा टी० ए० सी० द्वारा जांच तथा दोषी अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

62—श्री राम विशुन आजाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड छपिया (गोण्डा) में बड़उरड्रेन पर वर्ष 1994 से 1998 मार्च तक कितना-कितना धन खर्च हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त ड्रेन पर कार्य न करवा कर शासकीय धन का दुरूपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार टी० ए० सी० से जांच करवा कर दोषी अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्नगत ड्रेन पर वर्ष 1994 से मार्च 1998 तक हुए व्यय का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	व्यय का विवरण
1994-95	21,856.00
1995-96	2,46,790.00
1996-97	—
1997-98	—

शासकीय धन का दुरुपयोग का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में बन्द पड़े राजकीय नलकूपों पर किये गये धन के दुरुपयोग व दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

63—श्री राम विशुन आजाद—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्तमान में कितने राजकीय नलकूप किन किन दोषों में बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1995 से मार्च, 98 तक नलकूपों पर धन न खर्च करके कागजों में फर्जी कार्यपूर्ति दिखाकर संबंधित अभियन्ताओं द्वारा शासकीय धन का दुरूपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त नलकूपों का भौतिक सत्यापन करवाकर दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में 5 नलकूप यांत्रिक दोष तथा 7 नलकूप विद्युत दोष के कारण अस्थायी रूप से बन्द हैं । जहां तक प्रश्नगत अवधि में शासकीय धन के दुरूपयोग का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा में समस्त सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की मांग

64—श्री राम विशुन आजाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में समस्त सरकारी डाक्टर शासनादेश के विरुद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे जनपद की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो उन डाक्टरों के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

65—श्री राम औतार शाक्य—

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

वर्तमान समय में आयुर्वेद एवं यूनानी, निदेशालय, लखनऊ में कार्यरत चिकित्साधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों की जानकारी तथा उनको निदेशालय से दूसरे जनपदों में भेजने की मांग

66—श्री अफजाल अहमद—

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय आयुर्वेद एवं यूनानी, निदेशालय लखनऊ में कितने चिकित्साधिकारी एवं अन्य कर्मचारी सम्बद्ध हैं ? क्या सरकार ऐसे चिकित्साधिकारियों एवं कर्मियों को निदेशालय से सुदूर जनपदों में स्थानान्तरित करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवा कान्त ओझा—

वर्तमान में आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय लखनऊ में एक प्रोफेसर, तीन चिकित्साधिकारी, एक कनिष्ठ लिपिक व 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्बद्ध है ।

उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यहित में सम्बद्ध किया गया है अतएव सम्प्रति उक्त व्यवस्था यथावत रहेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशालय स्तर पर कार्याधिक्य होने तथा कतिपय पदों के समक्ष रिक्तियों के कारण कार्य के निस्तारण में सहयोग हेतु अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त व्यवस्था की गई है ।

जनपद गोण्डा/बलरामपुर के विकास खण्डों में वर्ष 1996-97 व 1997-98 में 'प्रा० स्वा० केन्द्रों' की स्थापना में स्वीकृत धन की तथा निर्माण कार्य की जानकारी

67—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97, 1997-98 में जनपद—गोण्डा/बलरामपुर में किस-किस विकास खण्ड और किस-किस नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद् में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कितनी धनराशि भवन निर्माण हेतु आवंटित किया गया है ? कितने स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और जहां प्रारम्भ नहीं किया गया है उसका कारण क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री—

प्रश्न में पूछे गए तथ्यों का विवरण संलग्नक में अंकित है।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त्यौरासी विकास खण्ड परसपुर का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हो पाया क्योंकि भूमि तालाब में होने के कारण सोयल टेस्टिंग के उपरान्त पाइल फाउन्डेसन का डिजाइन कराने की कार्यवाही प्रगति पर है। जनपद गोण्डा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टिकरी, विकास खण्ड नवाबगंज का कार्य प्रारम्भ कराया गया था परन्तु भूमि पर

विवाद होने के कारण कार्य रोक देना पड़ा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलसर, विकास खण्ड बेलसर का कार्य भूमि कम होने के कारण पुराने चिकित्सा-अधिकारी आवास को तोड़कर प्रारम्भ किया जाना है। आवास तोड़ने की कार्यवाही अग्रसर है।

[देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 210 पर]

उतरौला, जनपद–बलरामपुर में आंख/नाक/कान/दन्त/फिजीशियन/सर्जन/हड्डी विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्तियों के संबंध में जानकारी

68—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला, जनपद–बलरामपुर में आंख/नाक/कान/दन्त/फिजीशियन/सर्जन/हड्डी विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में तैनाती की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां।

जी हां।

चिकित्सकों के पदों के सृजन के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद–मैनपुरी, विकास खण्ड घिरोर में इन्दिरा आवास आवंटन में हो रही अनियमितता एवं उसको रोकने की मांग

69—श्रीमती उर्मिला यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मैनपुरी, विकास खण्ड घिरोर में इन्दिरा आवास योजना में आवंटन में अनियमितता बरती जा रही है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं। जनपद–मैनपुरी के विकास खण्ड घिरोर में इन्दिरा आवास आवंटन में अनियमितता नहीं बरती जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद–फिरोजाबाद, विकास खण्ड अरांव के ग्राम धातरी खेड़ा पर पुलिया और सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

70—श्रीमती उर्मिला यादव—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फिरोजाबाद, विकास खण्ड अरांव के ग्राम धातरी खेड़ा पर पुलिया और सड़क न होने से आवागमन बाधित है? यदि हां, तो इस पुलिया व सड़क का निर्माण कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को कार्य एवं धनावंटन न होने के कारण विभाग द्वारा इस कार्य को किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में अनु० जाति की बस्तियों में हैण्डपम्प लगाये जाने की जानकारी

71—श्री धर्म राज निषाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अम्बेडकर नगर के विधान सभा कटेहरी में अनुसूचित जाति की बस्तियों में हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो कितने हैण्डपम्प अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में लगाये गये हैं? यदि नहीं तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

मार्च, 98 तक अनुसूचित जाति की बस्ती में 442 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये गये हैं। जनपद अम्बेडकर नगर में अनुसूचित जनजाति की बस्तियां नहीं हैं।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने की शासन द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना की जानकारी

72—श्री शिव पूजन राम—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने की कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री मारकण्डेय चन्द—

जी हां।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से निष्पादित कराने तथा गुणवत्ता बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 1998-99 में कार्य योजना तैयार की गयी है।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज स्थित सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जा रही करोड़ों रुपयों की धांधली की जानकारी

73—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सोनभद्र के राबर्ट्सगंज स्थित सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जा रही करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री मोती लाल आर्य, संयुक्त महामंत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ई) लखनऊ का परिवाद पत्र दिनांक 10 मार्च, 1998 जो मंत्री जी एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिया गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दु क्या-क्या है? उन पर अब तक किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा किन-किन तिथियों में क्या-क्या कार्यवाही निष्पादित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

1—नगवा बांध के निर्माण में अनियमितता।

2—नरसों बंधी के निर्माण में अनियमितता।

1—प्रश्नगत पत्र को प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक—413/अ०वि०प्र०, /दिनांक 26-3-98 द्वारा भेजते हुये मुख्य अभियन्ता (सोन) से आख्या मांगी गई।

2—मुख्य अभियन्ता (सोन) द्वारा दिनांक 17-4-98 के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर से आख्या मांगी गई।

3—अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल मिर्जापुर द्वारा दिनांक 1-5-98 को अधिशासी अभियन्ता से आख्या मांगी गई।

4—अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 20-5-98 द्वारा अधिकारियों से आख्या मांगी गई एवं शिकायतकर्ता से शासनादेश के अनुरूप शिकायतों की पुष्टि हेतु शपथ पत्र/साक्ष्य मांगा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

74—श्री महराज सिंह यादव—

(3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद महाराजगंज में 14 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दवा व उपकरण उपलब्ध कराने की मांग

75—श्री विनोद मणि—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज में विगत वर्ष में ही लगभग 14 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं? कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है तथा वे दूसरे अस्पतालों से सम्बद्ध कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इन अस्पतालों में दवा व उपकरण उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री—

वित्तीय वर्ष 1996-97 में जनपद महराजगंज में 16 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर फार्मासिस्टों की तैनाती कर दी गयी है। उक्त में से भवन उपलब्ध न होने के कारण 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील नहीं किये जा सके हैं, शेष 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील कर दिये गये हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील नहीं किये जा सके हैं उन पर तैनात फार्मासिस्टों की सेवाएं अन्य चिकित्सालयों पर सम्बद्ध कर ली जा रही है। जो चिकित्सालय क्रियाशील हैं उन पर स्थानीय व्यवस्था पर औषधि की आपूर्ति कर दी गयी है। भवन/बजट की उपलब्धता के उपरान्त अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रियाशील करते हुए औषधि एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आनन्दनगर (फरेन्दा), महाराजगंज में एक्स-रे प्लान्ट, रेडियोलोजिस्ट एवं चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने की मांग

76—श्री विनोद मणि—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आनन्दनगर (फरेन्दा), महाराजगंज में एक्स-रे प्लान्ट, रेडियोलोजिस्ट एवं चिकित्सक उपलब्ध कराये गये हैं? यदि नहीं, तो इनकी उपलब्धता कब तक होगी?

श्री रमापति शास्त्री—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फरेन्दा, जनपद-महराजगंज के लिये प्रश्न में उल्लिखित एक्स-रे मशीन, रेडियोलोजिस्ट सहित अन्य चिकित्सकों इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु

आवश्यक स्वीकृति शासनादेश संख्या–4560/5-7-94-7-94, दिनांक 25 फरवरी, 1995 के अन्तर्गत पहले ही दी जा चुकी है। एक्स-रे मशीन क्रय की प्रक्रिया में है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अधीक्षक, दन्त चिकित्सक तथा दो अन्य चिकित्सक कार्यरत हैं।

प्रदेश में चिकित्सकों की सामान्य कमी है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों के उपलब्ध होने की प्रक्रिया में समय लगता है, लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सभी चिकित्सक राजकीय सेवा में योगदान भी नहीं करते हैं, अतः समस्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में कोई तिथि इंगित किया जाना संभव नहीं है।

जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

77—श्री राम ललित चौधरी

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई शिकायत-पत्र माह दिसम्बर, 1997 में शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां–

प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 20-12-97 शासन में प्राप्त हुआ था। शिकायती-पत्र दिनांक 20-12-97 में उल्लिखित शिकायतों पर जिलाधिकारी गोरखपुर से आख्या मांगी गयी थी। जिलाधिकारी गोरखपुर ने शिकायती-पत्र की जांच उप विकास आयुक्त, गोरखपुर मण्डल से कराकर जांच आख्या उपलब्ध करायी है। जांच में शिकायतें सत्यापित नहीं पायी गयी।

विगत वित्तीय वर्ष में महिला कल्याण निगम में नोराड योजना के अन्तर्गत संस्थाओं को दिये गये ऋण की जानकारी

78—श्री समर पाल सिंह–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वित्तीय वर्ष में महिला कल्याण निगम में नोराड योजना के अन्तर्गत कितनी संस्थाओं को कितना ऋण दिया गया? क्या कुछ संस्थाओं द्वारा दूसरी किस्त प्राप्त करने के प्रयास नहीं किया था? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

विगत वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 17 संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित कराने हेतु 33,31,964.00 रु० की धनराशि अनुदान के रूप में दी गई है, ऋण के रूप में नहीं।

जी हां, दो संस्थाओं, अवध संस्थान, फैजाबाद तथा योगेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान सनोरा, फिरोजाबाद द्वारा दूसरी किस्त प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया।

अवध संस्थान, फैजाबाद जिस स्थान पर होना चाहिए थी वहां स्थापित नहीं पायी गयी तथा योगेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा कार्यक्रम हेतु लिए गए स्थल पर कतिपय व्यवधान के कारण कार्यक्रम अभी आरम्भ नहीं किया गया है।

अवध संस्थान, फैजाबाद से धनराशि वापसी के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा योगेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान को कार्यक्रम अविलम्ब आरम्भ करने हेतु नोटिस दी गयी है।

महिला कल्याण विभाग में नर्स एवं कम्पाउन्डरों की संख्या एवं वरिष्ठता सूची की जानकारी

79—श्री समर पाल सिंह–

क्या महिला कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला कल्याण विभाग में नर्स एवं कम्पाउन्डरों की संख्या कितनी है? क्या इनकी कोई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है? यदि नहीं, तो वह कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

महिला कल्याण विभाग में नर्स के 107 पद तथा कम्पाउन्डर के 17 पद हैं।

जी नहीं।

नर्स/कम्पाउन्डर के अधिकांश पद एवं पदधारक समाज कल्याण विभाग से योजनाओं के साथ स्थानान्तरित हुए हैं। चूंकि इनके पूर्ण सेवा संबंधी अभिलेख महिला कल्याण निदेशालय में अभी उपलब्ध नहीं है। अतः इनकी ज्येष्ठता निर्धारित करने के संबंध में संबंधित संस्थाओं से जहां वह तैनात हैं, सूचनायें मांगी गई हैं। वांछित सूचनायें प्राप्त होने के उपरान्त इनकी ज्येष्ठता निर्धारित करने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला, फुरसतगंज रायबरेली में कर्मचारियों का वेतन आहरण की तिथियों की जानकारी

80—श्री समर पाल सिंह–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला, फुरसतगंज रायबरेली में विगत 3 वर्षों से कर्मचारियों का वेतन किन-किन तिथियों को आहरित किया गया? क्या कोषागार/बैंक से आहरित वेतन राशि को उसी दिन वितरित किया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला, फुरसतगंज, रायबरेली के कर्मचारियों का वेतन निम्नलिखित तिथियों में आहरित किया गया :–

आहरण की तिथि

23-6-1995	02-8-1995	05-8-1995
05-9-1995	04-10-1995	23-11-1995
15-12-1995	05-1-1996	02-2-1996
01-3-1996	04-5-1996	20-6-1996
02-7-1996	01-8-1996	09-9-1996
01-10-1996	08-11-1996	06-12-1996
22-2-1997	03-3-1997	26-3-1997
30-8-1997	06-8-1997	12-9-1997
06-10-1997	17-11-1997	01-12-1997
02-1-1998	31-1-1998	16-3-1998
01-5-1998	27-5-1998	

माह नवम्बर, 1997 तथा माह मार्च, 1998 को छोड़कर शेष माहों का भुगतान आहरण की तिथि को ही कर्मचारियों को किया गया है। माह नवम्बर, 1997 का भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 1-12-1997 को देर से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार माह मार्च 1998 का भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 1-5-1998 को देर से प्राप्त हुआ। सुरक्षा की दृष्टिकोण से रायबरेली से फुरसतगंज तक पैसे ले जाना उचित नहीं था। अतः अगले कार्य दिवस को कर्मचारियों में भुगतान कर दिया गया।

81—श्री राम कृपाल–

[3 रे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पूर्व मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) श्री लखटकिया के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

82—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) श्री लखटकिया के विरुद्ध मा० लोक आयुक्त उ० प्र० के पत्रांक 4861–1–लो०आ०–200/128/83, दिनांक 30-1-84 द्वारा जो परिवाद अन्वेषण स्वीकृति का प्रकरण शारदा सहायक अनुभाग में आया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

मा० लोक आयुक्त उ० प्र०, लखनऊ से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकरण पूर्णतया असत्य एवं निराधार होने के कारण लोक आयुक्त अधिनियम 1975 की धारा 10 (5) के अन्तर्गत समाप्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोमती नदी लखनऊ के हार्डिंग्जब्रिज के ऊपर बायें बन्धे के रख-रखाव के कार्य में व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

83—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी (लखनऊ) के हार्डिंग्जब्रिज के ऊपर बायें बंधे के रख-रखाव के कार्यों में वित्तीय वर्ष 1988-89 से 1991-92 के माह अक्टूबर, 1991 तक कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी? क्या यह भी बतायेंगे कि व्यय की गयी धनराशि, वार्षिक मरम्मत मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के अनुसार एवं बाढ़ सुरक्षा मानदण्डों के अनुसार है? यदि हां, तो वर्षवार वार्षिक मरम्मत मद का आवंटन तथा प्रति किलोमीटर व्यय हेतु मानदण्ड की धनराशि क्या थी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

[सूचना एकत्रित की जा रही है।]

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल लखनऊ के अन्तर्गत खरीदी गयी मोटर बोट्स के रख-रखाव आदि के विषय में व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

84—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल लखनऊ के अन्तर्गत क्रय की गयी मोटर बोट्स किन-किन नदियों पर रखी गयी है? क्या इनको चलाने के लिए नाविक की व्यवस्था है तथा इनकी मरम्मत पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की

जा चुकी है? क्या इस प्रकरण में अब तक बरती गयी समस्त वित्तीय अनियमितताओं व अपव्यय का आडिट "आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ" के माध्यम से कराकर अवगत करायेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, लखनऊ के अन्तर्गत गोमती नदी पर स्थित जी०डी० स्थल पर गेज प्रवाह मापन हेतु एक अदद मोटर बोट क्रय किया गया है, जिसे प्रशिक्षण प्राप्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तथा कार्य प्रभारित कर्मचारी द्वारा चलाने की व्यवस्था है। मोटर बोट के मरम्मत पर अब तक रु० 20,645 व्यय हुए हैं। सामान्यतया खण्ड का प्रति दो वर्ष पर महालेखाकार के संपरीक्षा अधिकारियों द्वारा आडिट किया जाता है। परीक्षण दल द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में आन्तरिक संपरीक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से आडिट कराये जाने का औचित्य नहीं है।

85—श्री अजय कुमार पोइया–

[3रे सोमवार में अता० प्र० सं० 119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिव परिवार कल्याण को दिनांक 28-4-97 को प्राप्त हुए पत्र पर जांच आख्या एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

86—श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 25-4-97 का पत्र सचिव, परिवार कल्याण को वी० आई० पी०–369/दिनांक 28-4-97 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उस पर की गयी जांच की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है? क्या उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी नहीं, वस्तुतः प्रश्नकर्ता का दिनांक 25-4-97 का पत्र सचिव, परिवार कल्याण को वी०आई०पी०–396/स्वा०मं०/97, दिनांक 28-4-97 प्राप्त हुआ है।

पत्र में सन्दर्भित प्रकरणों में जांच की कार्यवाही विचाराधीन है।

87—श्री राम विशुन आजाद–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चिकित्सा अधीक्षक "सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र" तिलहर, के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

88—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुशील कुमार गुप्ता महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी किसान सेल का माह मार्च, 1996 में चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर के विरुद्ध प्रेषित शिकायती-पत्र प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य अपर निदेशक बरेली मण्डल बरेली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जांचोपरान्त, शिकायतें तथ्यहीन एवं निराधार पायी गयी। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़ी जाति की सूची में क्रमांक 7 पर अंकित भर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की मांग

89—श्री राजधारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं०–899/26-700(5) 1950 दिनांक 12 मई, 1961 एवं 17 सितम्बर, 1958 के अनुसार भर जाति विमुक्ति श्रेणी में थी? यदि हां, तो क्या शासनादेश संख्या–148 बी 26/700 (500)1959, दिनांक 26-3-63 द्वारा विमुक्त जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है? क्या यह सही है कि भर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार मौजूदा परिवेश में सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से अति पिछड़ी भर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

शासनादेश सं०–899 (ए)/26-700(5)–1959, दिनांक 12 मई, 1961 में भर जाति विमुक्त जाति की सूची में क्रमांक 2 पर अंकित है एवं शासनादेश संख्या–1314/26-781-1958 दिनांक 17 सितम्बर, 1958 में भर जाति पिछड़ी जाति की सूची में क्रमांक 7 पर अंकित थी।

शासनादेश संख्या–148बी–26/700(5)/1959 दिनांक 26-3-63 का निर्गत होना नहीं पाया गया।

जी हां।

अनुसूचित जाति के निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने के कारण।

संविधान के अनुसार किसी भी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित किये जाने अथवा निकाले जाने का अधिकार राज्य सरकार में निहित न होकर भारत सरकार, में निहित है।

डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलीटेशन लखनऊ में शिक्षकों के पदों पर आरक्षण का कोटा पूर्ण न किये जाने का मामला

90—श्री लाखी राम जोशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबीलिटेशन नबीउल्ला रोड, लखनऊ में कितने ऐसे शिक्षकों के पद हैं जिन पर मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत शिक्षकों की नियुक्तियां की गयी हैं? क्या उक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटे का ध्यान रखा गया है? यदि नहीं, तो उक्त नियुक्तियों में उक्त वर्गों के आरक्षण कोटा पूरा न किये जाने का औचित्य क्या है? क्या सरकार उक्त विभाग में आरक्षण कोटे को अविलम्ब पूर्ण किये जाने की कार्यवाही करेंगी। यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा–

डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलीटेशन लखनऊ में शिक्षकों के तीन पदों पर मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के मानकों के विपरीत समायोजन/नियुक्तियां की गई हैं।

उक्त समायोजन/नियुक्तियां एकल पदों पर की गयी हैं, अतः आरक्षण लागू नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय जौनपुर में दवाओं के आभाव में मरीजों को हो रही परेशानी एवं एल० पी० करने हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

91—श्री अफजाल अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय, जौनपुर में दवाओं के अभाव में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में एल०पी० करने हेतु धनराशि आवंटित की है? यदि हां, तो कितना? उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

एल०पी० (स्थानीय क्रय) हेतु अलग से धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। औषधि मद में आवंटित बजट से ही एल० पी० (स्थानीय क्रय) हेतु व्यय किया जाता है उक्त चिकित्सालय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रथम चार माह हेतु औषधि मद में धनराशि रु० 3,72,000 (तीन लाख बहत्तर हजार मात्र) आवंटित की गई है, जिसका उपयोग नियमानुसार किया जा रहा है।

प्रदेश की नहरों व माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने की योजना अन्तर्गत फतेहाबाद वि० स० क्षेत्र में ढेलों के किनारों को पक्के किये जाने की जानकारी

92—श्री विजय पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नहरों व माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने की योजना अन्तर्गत क्या फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में टर्मिनल व इरादतनगर माइनरों के टेलों के किनरों को पक्के किये जाने हेतु सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नहरों व माइनरों के टेलों के किनारे को पक्का किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जिला आगरा में आरा कैनाल के 100 मील जोधपुर से सभी राजबहों की टेल तक सफाई हेतु खर्च हुए धनराशि की जानकारी

93—श्री विजय पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में आरा कैनाल के 100 मील जोधपुर से सभी राजबाहों की टेलों तक सफाई कार्य हेतु शासन द्वारा कुल कितना धन उपलब्ध कराया गया था? क्या जिलाधिकारी आगरा द्वारा भी कोई धन उपलब्ध कराया या? यदि हां, तो किस कार्य में कितना धन खर्च किया गया है तथा कितना धन खर्च होना शेष है? क्या उक्त कार्य होने के बाद टर्मिनल राजबहा, इरादतनगर माइनर बामुरी माइनर स्यामों माइनर की टेल तक रबी की फसल में पानी पहुंचाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1997-98 में रु० 2.50 लाख की धनराशि प्रश्नगत कार्यों के लिये उपलब्ध की गयी थी।

जी नहीं।

सभी धनराशि व्यय हो गई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में जनपदवार खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या एवं उन पर नियुक्तियों की जानकारी

94—श्री लाखीराम जोशी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल में जनपदवार खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या क्या है? रिक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उत्तरांचल के जनपदों में खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या जनपदवार निम्नवत् है :–

1—अल्मोड़ा	03
2—बागेश्वर	01
3—नैनीताल	01
4—ऊधमसिंह नगर	01
5—पिथौरागढ़	02
6—पौड़ी गढ़वाल	07
7—चमोली	01
8—टिहरी गढ़वाल	03
9—उत्तरकाशी	01
10—देहरादून	01

वर्ष 1994 बैच के नवचयनित खण्ड विकास अधिकारियों में से उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों में 23 खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। वर्ष 1995 बैच में चयनित अभ्यर्थियों तथा वर्ष 1994 बैच की प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर उनका चरित्र सत्यापन व स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त उत्तरांचल के जनपदों में रिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पदों को भरने का विचार किया जायेगा।

95—श्री चन्द्रनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा के विकास खण्ड कुरांव, मौडा व मेज में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

96—श्री राम कृपाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा के विकास खण्ड कुरांव, मौडा व मेज में सिंचाई के उपयुक्त साधन न होने के कारण वहां के कृषकों की भूमि असिंचित रह जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के पीहड़ क्षेत्र को देखते हुए लिफ्ट लगाकर सिंचाई की व्यवस्था करेंगी क्या यह सही है कि दो लिफ्ट योजनाओं का आगणन सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा के प्रश्नगत विकास खण्डों, की कुछ भूमि असिंचित रह जाती है। बीहड़ क्षेत्र के लिए कोई लिफ्ट योजना प्रस्तावित नहीं है और न ही किसी लिफ्ट योजना का कोई आगणन प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय स्तर पर विचाराधीन ही है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल बहराइच में बी० डी० क्लीनिक स्वीकृत करने की मांग

97—डा० वकार अहमद शाह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला अस्पताल बहराइच में बी० डी० क्लीनिक कार्यरत है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सत्य कि प्रदेश के अन्य जिला चिकित्सालयों में बी० डी० क्लीनिक कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो जिला अस्पताल, बहराइच में बी० डी० क्लीनिक न होने के क्या करण हैं? क्या सरकार बहराइच में भी बी० डी० क्लीनिक स्वीकृत करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

जिला अस्पताल, बहराइच में बी० डी०/एस०टी०डी० क्लीनिक कार्यरत नहीं है। जिला अस्पतालों में बी०डी०/एस०टी०डी० क्लीनिक की स्थापना चरणबद्ध क्रम में की जा रही है।

प्रदेश में कुल 45 (8 मेडिकल कालेजों एवं 37 जिला चिकित्सालयों में) बी० डी०/एस० टी० डी० क्लीनिक कार्यरत है।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार चरणबद्ध ढंग से बी०डी०/एस०टी०डी० क्लीनिक की स्थापना की जा रही है।

वर्ष 1998-99 में जिला अस्पताल बहराइच में बी०डी०/एस०टी०डी० क्लीनिक की स्थापना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में जिला चिकित्सालय में वर्तमान शैय्याओं की संख्या की जानकारी एवं गरीजों की संख्या के अनुरूप फिजीशियन तथा ह्रदय रोग विशेषज्ञ डाक्टरों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

98—डा० वकार अहमद शाह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के जिला चिकित्सालय में वर्तमान शैय्याओं की संख्या क्या है? इसमें कार्यरत फिजीशियन, ह्रदय रोग विशेषज्ञों की संख्या क्या है? इस अस्पताल में आउटडोर मरीजों की संख्या वर्ष 1997-98 में क्या थी? क्या मरीजों के संख्या के अनुरूप फिजीशियन एवं ह्रदय रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन इन डाक्टरों की संख्या बढ़ायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां। जिला चिकित्सालय, बहराइच में कुल शैय्याओं की संख्या 201 है।

चिकित्सालय में एक फिजिशियन तथा एक ह्रदय रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं।

वर्ष 1997-98 में इस अस्पताल में आउटडोर मरीजों की संख्या निम्नवत् है :–

1-1-97 से 31-12-97 तक 1,09,760 तथा 1-1-98 से 24-6-98 तक 58,117

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव तहसील सफीपुर के ग्राम सभा तकिया निगोही को रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में की गयी धांधली एवं दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

99—श्री लाखी राम जोशी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव तहसील सफीपुर के ग्राम सभा तकिया निगोही को रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी? उक्त वर्षों में ग्राम सभा में कौन-कौन कार्य कराये गये? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में कोई भी कार्य न कराकर धनराशि हड़प कर ली गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन कराकर दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद उन्नाव तहसील सफीपुर के ग्राम सभा तकिया निगोही को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में रुपये 1,16,217.00 वर्ष 1996-97 में रुपये 1,13,922 एवं वर्ष 1997-98 में रुपये 1,22,109 की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

उक्त वर्षों में खड़न्जा मार्ग मरम्मत कार्य पंचायत भवन में फर्श, दरवाजे, खिड़की व सम्पूर्ण प्लास्टर, दरी क्रय, पुलिया निर्माण, महिला काम्पलेक्स, निर्बल वर्ग आवास, अंश धन भुगतान, सोलर लाइट, चबूतरा निर्माण आदि कार्य कराये गये।

कराये गये कार्य का भौतिक सत्यापन अवर अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) से करा लिया गया है जिसमें कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

100—श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[दिनांक 24-6-98 को ता० प्र० सं० 1 द्वारा उत्तरित।]

दि किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा बलिया द्वारा कुल गन्ने की खरीद तथा उसके सापेक्ष में गन्ने मूल्य का भुगतान एवं अवशेष धनराशि के भुगतान की मांग

101—श्री राम तेज यादव एडवोकेट

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि सहकारी चीनी मिल रसड़ा, जनपद बलिया द्वारा वर्तमान सत्र में कितना गन्ना खरीदा गया तथा कितना अब तक भुगतान हो चुका है? क्या यह सही है कि अभी भी किसानों का ज्यादातर पैसा मिल पर भुगतान हेतु अवशेष है? यदि हां, तो क्या सरकार निर्देश देकर तत्काल अवशेष बकाया धन का भुगतान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दि किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा, जनपद बलिया द्वारा सत्र 1997-98 में कुल 9.16 लाख कुन्टल गन्ने की खरीद की गयी, जिसके सापेक्ष कुल देय गन्ना मूल्य रुपये 669.85 लाख में से दिनांक 26-6-98 तक रुपये 387.98 लाख का भुगतान कर दिया गया है तथा रुपये 281.87 लाख अवशेष है।

अवशेष गन्ना मूल्य का यथाशीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम हेतु उपलब्ध धन का कथित दुरुपयोग

102—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम प्रथम चरण 7-12-96 तथा द्वितीय चरण 18-1-97 को सम्पन्न हुआ था? यदि हां तो प्रचार-प्रसार के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को कितना-कितना धन सरकार से प्राप्त हुआ? क्या यह सही है कि जनपद शाहजहांपुर में टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार बिल्कुल नहीं हुआ और प्राप्त धन का दुरुपयोग किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी हां।

प्रचार-प्रसार एवं एक्शन प्लान हेतु भारत सरकार/यूनिसेफ से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर को रुपये 3,05,000 (रुपये तीन लाख पांच हाजार पात्र) की धनराशि प्राप्त हुई थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कुटीर व ग्रामीण उद्योग निदेशालय में संयुक्त निदेशक के सृजित पद पर नियमावली के अनुसार नियमित नियुक्ति कराने की मांग

103—श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री को जानकारी है कि कुटीर व ग्रामीण उद्योग निदेशालय में संयुक्त निदेशक का एक पद रुपये 3700-5000 में सृजित है परन्तु वहां पर संयुक्त निदेशक की नियमित नियुक्ति नहीं की गई? क्या मंत्री जी संयुक्त निदेशक की नियमित नियुक्ति शीघ्र करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री) श्री राजा राम पाण्डेय–

जी हां। किन्तु वर्तमान में इस पद पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर एक अधिकारी कार्यरत है।

वर्तमान में पदोन्नति हेतु अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण शीघ्र चयन कराया जाना सम्भव नहीं है।

सेवा नियमावली के अनुसार संयुक्त निदेशक का पद सहायक निदेशक के पद से प्रोन्नति का पद है। वर्तमान में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में कोई सहायक निदेशक प्रोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय द्वारा विभिन्न विभागों के फाइल बोर्ड, टैग तथा फाइल कवर की आपूर्ति

104—श्री रामाधार सिंह–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री को जानकारी है कि कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय द्वारा शासन के विभिन्न विभागों को फाइल बोर्ड, टैग, फाइल कवर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है? क्या यह सही है कि खादी बोर्ड की इकाइयों जिन्हें खादी बोर्ड द्वारा ऋण दिया जाता है, को उक्त सामग्री का आर्डर खादी बोर्ड के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे शासन के विभागों को समय से आपूर्ति नहीं हो पाती और शासकीय कार्य में बाधा पैदा होती है? क्या हाथ कागज का समस्त कार्य कुटीर उद्योग निदेशालय से निस्तारित कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजा राम पाण्डेय–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कुटीर निदेशालय का कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन के लिए नहीं है। कुटीर निदेशालय के जनपदों में कार्यालय न होने के कारण वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फतेहपुर को सम्पर्क मार्गों हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि का सत्यापन कराने की मांग

105—श्री मुरलीधर–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फतेहपुर के पत्रांक 3439/जरोयो-लेखा/97-98 दिनांक 30 मार्च, 1998 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फतेहपुर को तीन सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु 27.05 लाख रुपया दिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना के मार्ग निर्देशानुसार कराया गया है? क्या यह सही है कि खण्ड विकास स्तर पर पंजीकृत मजदूरों से काम न कराकर ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया गया है? क्या उक्त धन से किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन कराया गया है? यदि नहीं, तो क्या भौतिक सत्यापन कराकर इसमें दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दंडित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन बाल मन्दिर जाब्तागंज, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर के प्रबन्धक की अनियमितता का मामला

106—श्री बाबू लाल कुशवाहा —

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 13-2-96 में कुछ हरिजन बाल मन्दिर जाब्तागंज नजीबाबाद, बिजनौर के प्रबन्धक को अध्यापकों की अनियमित नियुक्ति तथा कर्मचारियों के वेतन बिल पंजिका, कैशबुक के रख-रखाव का दोषी पाया गया था? यदि हां, तो उक्त गम्भीर अनियमितताओं पर प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"—

जी हां।

जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रबन्धक को उनके पद से हटाकर आदेश दिनांक 1-1-97 द्वारा उप जिलाधिकारी, नजीबाबाद को प्रशासक नियुक्त किया गया था, किन्तु जिलाधिकारी के आदेश पर प्रबन्धक द्वारा मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश दिनांक 23-4-97 प्राप्त करने के फलस्वरूप प्रशासक की नियुक्ति का आदेश निष्प्रभावी हो गया। सम्प्रति यह प्रकरण न्यायिक निर्णय की परिधि के अन्तर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

107—श्री बाबू लाल कुशवाहा—

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर की रिपोर्ट दिनांक 13-2-96 में हरिजन बाल मन्दिर जाब्तागंज नजीबाबाद, बिजनौर के प्रबन्धक को वर्ष 1994-95 में संस्था को रु० 1,00,000.00 अनुदान विभाग द्वारा दिये जाने का उल्लेख है? यदि हां, तो उक्त अनुदान किन-किन मदों पर खर्च किया गया? क्या मंत्री जी उक्त अनुदान व्यय का भौतिक सत्यापन कराकर अनुदान के दुरुपयोग के संबंध में कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"—

जी हां।

विद्यालय के अध्यापकों के वेतन आदि के रूप में भुगतान किया गया।

जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रबन्धक को उनके पद से हटाकर आदेश दिनांक 1-1-97 द्वारा उप जिलाधिकारी, नजीबाबाद को प्रशासक नियुक्त किया गया था, किन्तु जिलाधिकारी के आदेश पर प्रबन्धक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश दिनांक 20-4-97 प्राप्त करने के फलस्वरूप प्रशासक की नियुक्ति का आदेश निष्प्रभावी हो गया। सम्प्रति यह प्रकरण न्यायिक निर्णय की परिधि के अन्तर्गत है। जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा दिनांग 27-1-98 को अनियमित भुगतान की गई रुपया 40,552 की धनराशि प्रबन्धक से वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के खददइया मौजा जल्लापुर-दिखत मई ब्लाक बैवर के पास प्रस्तावित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

108—श्री बाबू लाल कुशवाहा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम खददइया मौजा जल्लापुर-दिखत मई ब्लाक बैवर जनपद मैनपुरी के पास नाले की पुलिया का निर्माण आर०ई०एस० द्वारा प्रस्तावित है? यदि हां, तो

उक्त पुलिया कब स्वीकृत हुई और उसके निर्माण में विलम्ब के लिये दोषी कौन है? क्या सरकार उक्त स्वीकृत पुलिया का निर्माण सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द —

जी हां।

दिनांक 26-7-97 को संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई। पुलिया निर्माण में विलम्ब के लिये दोषी नहीं है।

जी हां।

पुलिया का निर्माण कार्य 31-3-98 को पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में बाराबंकी-जैदपुर रोड से ग्राम टेरा ब्लाक हरख के मार्ग निर्माण का विवरण

109—श्री फरीद महफूज किदवई—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी में बाराबंकी-जैदपुर रोड से ग्राम टेरा ब्लाक हरख को ग्राम जहीरउद्दीनपुर, होकर जाने वाली सड़क पर लगभग दो वर्षों से केवल बजरी व पत्थर ही पड़ा है? क्या इस कारण उस सड़क पर चलना असम्भव हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी तथा उक्त सड़क ठीक करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)—

जी हां, मार्ग पर बजरी व पत्थर को एकत्र करने के साथ-साथ मिट्टी का भी कार्य कराया गया है।

मार्ग कच्चा होने के कारण यातायात में असुविधा है।

जांच कराई जा रही है। मार्ग को ठीक कराने के संबंध में जांच के उपरान्त संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्णय किया जायेगा। उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के हथौरा ड्रेन को गहरा करना तथा उस पर पुल के निर्माण की मांगें

110—डा० धर्मज्ञ मिश्र —

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां के अन्तर्गत हथौरा ड्रेन को गहरा करना और हथौरा ड्रेन पर ग्राम पंचायत अधर्रा व हथौरा के बीच ड्रेन पर पुल का निर्माण कराना आवश्यक है? क्या यह सही है कि इस ड्रेन की सफाई खुदाई करके गहरा न किये जाने के कारण कई ग्रामों में जलमग्न रहता है जिससे हजारों बीघा भूमि किसानों की बोने से वंचित रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार विधिवत ड्रेन की खुदाई करके हथैरा ग्राम पंचायत से सिसवापुर पुल तक सफाई करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

जी हां।

कथित पुल का निर्माण व ड्रेन की सफाई का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों को क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने की मागें

111—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय के स्थान पर क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्धीकरण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री शिवाकान्त ओझा—

जी हां।

शीघ्र ही निर्णय लिया जा रहा है।

जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों के सम्पर्क मार्गों पर निर्माण कार्य प्रस्तावों के अनुसार आरम्भ कराने की मांग

112—श्री राम विशुन आजाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा "सुनिश्चित रोजगार योजना" में विकास खण्ड मनकापुर, छपिया, बजीरगंज, नवाबगंज में सम्पर्क मार्गों पर निर्माण कार्य हेतु वर्ष 1996 से 1998 मार्च तक ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा, को कितने प्रस्ताव भेजे हैं? क्या सरकार सभी प्रस्तावों पर जनहित में निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में आरम्भ करवा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 1996 से 1998 मार्च तक विकास खण्ड मनकापुर, छपिया, बजीरगंज, नवाबगंज में निम्नलिखित सम्पर्क मार्ग एवं भूमि संरक्षण कार्य के निर्माण हेतु प्रस्ताव ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा को प्राप्त हुए हैं:–

1.	विकास खण्ड—मनकापुर	19 सम्पर्क मार्ग
2.	विकास खण्ड—छपिया	24 सम्पर्क मार्ग
3.	विकास खण्ड—बजीरगंज	20 सम्पर्क मार्ग
4.	विकास खण्ड—नवाबगंज	13 सम्पर्क मार्ग
	कुल योग=	76 सम्पर्क मार्ग

कुल प्राप्त 76 सम्पर्क मार्गों से संबंधित प्रस्तावों में से 8 सम्पर्क मार्गों एवं भूमि संरक्षण कार्यों पर धन आवंटन करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

चूंकि प्रश्नकर्ता के समस्त प्रस्ताव सम्पर्क मार्गों से संबंधित है अतएव एक ही वित्तीय वर्ष में सभी मार्गों पर कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद जालौन के निर्मित सिंचाई नलकूपों के निर्माण सामग्री की जाँच कराने की मांग

113—श्री श्रीराम पाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में स्वीकृत राजकीय सिंचाई नलकूपों का नलकूप निर्माण व खण्ड इकाई जालौन द्वारा घटिया निर्माण सामग्री तथा मानक से कम सीमेंट का प्रयोग करके निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त वित्तीय वर्षों में निर्मित कराये गये नलकूपों की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्नगत इकाई द्वारा जनपद जालौन के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में निर्माण कराये गये नलकूपों में घटिया निर्माण सामग्री तथा मानक से कम सीमेन्ट का प्रयोग करने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में "प्रशासनिक सुधार कोष्ठक" की स्थापना

114—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक सुधार विभाग के अ०शा० पत्रांक 1467/43–1–47(1)/91, दिनांक 11-6-1996 के अनुपालन में सिंचाई विभाग द्वारा "प्रशासनिक सुधार कोष्ठक" की स्थापना कर दी गयी है ? यदि हां, तो प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 2374/43–1–47(1)/91, दिनांक 23-9-92 द्वारा मांगी गई सूचना सिंचाई विभाग द्वारा कब उपलब्ध करायी गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हाँ ।

जी हाँ, दिनांक 25-6-96 को वाँछित सूचना भेजी गई है ।

सिंचाई विभाग के शारदा नहर, लखनऊ खण्ड के स्टोर का भौतिक सत्यापन

115—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ में क्या आज तक स्टोर्स की सामग्रियों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में माप पुस्तिकाओं व अन्य एकाउन्ट्स के रख-रखाव हेतु जो निर्देश पत्रांक 969/ल०ख० शासन/एम-13, दिनांक 5-3-1993 द्वारा जारी किये गये थे उनका अनुपालन अब तक किन-किन उपखण्डीय अधिकारियों द्वारा किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं ।

सभी उपखण्डीय अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन किया गया है ।

सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय में अवैध रूप से मकान किराया भत्ता आहरित करने वाले की जानकारी

116—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री विभागाध्यक्ष, कार्यालय, सिंचाई विभाग में अवैध रूप से मकान किराया भत्ता आहरित करने वाले लोक सेवकों के संबंध में पत्रांक 935/का प्रअनु—1, दिनांक 28-4-1986 द्वारा प्राप्त की गयी सूचना एवं इसी प्रकरण में अद्यावधिक सूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए यह अवगत कराने की कृपा करेंगे कि प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? अब तक कुल कितने शासकीय राजस्व की हानि हो चुकी है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

व्यय बचत आयोग द्वारा सिंचाई विभाग के कतिपय खण्डों को समाप्त किये जाने की जानकारी

117—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्रांक अ–1098/27-सिं०-8/95, दिनांक 7-4-1995 से यह प्रमाणित होता है कि व्यय बचत आयोग द्वारा सिंचाई विभाग के 76 खंडों में मानक के अनुरूप कार्य न होने की स्थिति में उन्हें समाप्त किये जाने की संस्तुति की गयी है ? क्या शासनादेश संख्या 548/दस-सं वि०मि०-1/95-टी०सी०, दिनांक 17-5-95 के पैरा-2 में "व्यय बचत आयोग" की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गयी है ? यदि हां, तो उक्त खण्डों को बनाये रखने का क्या औचित्य है ? इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों के तहत "विभागीय कार्य की जाब-स्टडी" कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

निर्माण खण्डों के लिए निर्धारित मानक में संशोधन किये जाने, विभाग के कार्यों में वृद्धि हो जाने तथा कुछ खण्डों को ऊसर सुधार निगम का कार्य दे दिये जाने के कारण इन खण्डों को बनाये रखने का औचित्य है ।

जाब-स्टडी कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग नलकूप मण्डल-2, गोरखपुर के सहायक सर्वेयरों की कथित प्रोन्नति

118—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप मण्डल-2, गोरखपुर (पुनर्नामांकित नलकूप मण्डल, बस्ती) के अन्तर्गत वर्ष 1985 से 1990 तक कितने सहायक सर्वेयरों को सर्वेयर पद पर पदोन्नति दी गयी ? इन पदोन्नतियों में श्रेष्ठता का मापदण्ड अपनाया गया अथवा ज्येष्ठता का ? क्या इन प्रोन्नतियों में आरक्षण नियमों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्या इस हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

नलकूप मण्डल–2, गोरखपुर का सृजन दिनांक 1-8-91 से हुआ है । अतः वर्ष 1985 से 1990 तक सहायक सर्वेयरों के सर्वेयर के पद पर पदोन्नति करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग में लिपिकों के पदों की स्थापना एवं स्थानान्तरण

119—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के अनुभागों हेतु लिपिकों के पदों का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो क्या पदों के आवंटन के अनुरूप ही लिपिकों की पदस्थापना की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनुभागों में अधिक सेवाकाल वाले लिपिकों को स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

कुछ अनुभागों में आकस्मिक रूप में बढ़े हुए कार्य को देखते हुए कार्य हित में आवंटित पदों से अधिक लिपिकों की पदस्थापना की गयी है ।

जी हां ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में विभिन्न अनुभागों के कार्यभार की समीक्षा करके कार्य हित की दृष्टि से लिपिकों के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

120—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० के लिपिकों के स्थानान्तरण हेतु अनुभागों को दो वर्गों में विभाजित करते हुए एक वर्ग के अनुभागों में 3 से 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर दूसरे वर्ग के अनुभागों में पदस्थापित किये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त नीति का पालन किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि अधिष्ठान अनुभागों में कार्यरत कई लिपिक ऐसे हैं जिनका वर्ग–1 के अनुभागों में लगातार 5 वर्ष से अधिक सेवाकाल हो जाने पर भी उनको वर्ग-2 के अनुभागों में पदस्थापित नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसे लिपिकों को वर्ग-2 के अनुभागों में कब तक पदस्थापित किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हाँ ।

जी हाँ ।

जी हाँ ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में विभिन्न अनुभागों के कार्यभार की समीक्षा करके कार्य हित की दृष्टि से कार्य अवधि एवं अनुभागीय वर्गीकरण के आधार पर पदस्थापना पर विचार किया जायेगा।

जनपद बाराबंकी के कतिपय क्षेत्रों में सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

121—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों की कुल कितनी भूमि ड्रेनों एवं नहरों के निर्माणार्थ दिनांक 1-1-74 से 31-12-90 के मध्य ली गयी ? विभाग द्वारा कृषकों की भूमि अधिग्रहण के गजट नोटिफिकेशन का नम्बर तथा दिनांक क्या है ? विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा अब तक संबंधित कृषकों को न वितरित करने के क्या कारण हैं ? उपरोक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों को दण्डित कर अवगत कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जालौन के कतिपय क्षेत्रों हेतु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी धनराशि एवं उसका व्यय विवरण

122—श्री श्रीराम पाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के क्षेत्र पंचायत महेबा के अन्तर्गत पंचायत मल्थुवा तथा ग्राम पंचायत कुकोहनू तथा ग्राम पंचायत बीजापुर के ग्राम प्रधानों द्वारा वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में अब तक प्राप्त जवाहर रोजगार योजना धनराशि का फर्जी उपभोग प्रमाण-पत्र लगाकर शत-प्रतिशत दुरुपयोग किया है तथा कोई कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या वर्षवार कार्यों का स्थलीय सत्यापन एवं मूल्यांकन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं। अपितु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत महेबा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मल्थुवा, ग्राम पंचायत कुकोहनू तथा ग्राम पंचायत बीजापुर के ग्राम प्रधानों द्वारा वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में उपलब्ध धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम-संख्या	ग्राम पंचायत	वर्ष	प्राप्त धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
1	मल्थुवा			
		1996-97	52,556	36,582
	कार्य विवरण—			
	1—सम्पर्क मार्ग (मिट्टी भराई)			
	2—गूल निर्माण			
		1997-98	54,552	58,045
	कार्य विवरण—			
	1—खड़न्जा निर्माण (मिट्टी भराई)			
	2—हैण्ड पम्प का चबूतरा निर्माण			
	3—पंचायत भवन निर्माण			

क्रम-संख्या	ग्राम पंचायत .	वर्ष	प्राप्त धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
2	कुकोहनू–			
		1996-97	16,620	24,715
	कार्य विवरण—			
	1—खड़न्जा निर्माण			
	2—कूप मरम्मत			
	3—रास्ता मरम्मत			
		1997-98	16,617	12,563
	कार्य विवरण—			
	1—रास्ता मरम्मत			
	2—खड़न्जा निर्माण			
3	बीजापुर–			
		1996-97	29,988	53,497
	कार्य विवरण—			
	1—पंचायत घर निर्माण		27,000	
	2—नाली निर्माण			
		1997-98	29,972	

प्रधान ग्राम पंचायत बीजापुर, के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के कारण धन का आहरण नहीं किया गया ।

स्थलीय सत्यापन एक माह के अन्दर पूर्ण करा लिया जायेगा ।

जनपद जालौन के बेतवा नहर प्रखण्ड द्वितीय को उपलब्ध कराई गई धनराशि का भौतिक सत्यापन

123—श्री श्रीराम पाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में बेतवा नहर प्रखण्ड द्वितीय में अवर अभियन्ता द्वारा फर्जी कार्यों का भुगतान कराये जाने को सहायक अभियन्ता द्वारा रोका गया था ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से कार्य थे तथा कितनी धनराशि का भुगतान होना था ? क्या उक्त खण्ड के वर्ष 1997-98 के समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन तथा मूल्यांकन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि खण्ड के वर्ष 1997-98 का समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों एवं प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है । अतः पुनः मूल्यांकन कराने का औचित्य नहीं है ।

क्रांति विद्या मन्दिर, बंगला बाजार, लखनऊ में अतिरिक्त अध्यापक का एक पद न सृजित किये जाने की मांग

124—श्री शिव सिंह चक—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रांति विद्या मन्दिर, बंगला बाजार, लखनऊ हरिजन पाठशाला के रूप में अनुदान सूची में सम्मिलित है ? क्या छात्रों की संख्या में वृद्धि होने पर शासन द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर एक अध्यापक का पद बढ़ाने का प्रस्ताव विद्यालय अथवा उसकी प्रबन्ध समिति द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को भेजा गया है ? यदि हां, तो एक अतिरिक्त अध्यापक के पद की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''—

जी हां ।

जी हां ।

पंजीकृत छात्रों के सापेक्ष औसत उपस्थिति छात्र-संख्या के आधार पर पूर्व से स्वीकृत 15 अध्यापकों के पदों के अलावा अतिरिक्त पद स्वीकृति का औचित्य नहीं पाया गया ।

डा० बलबीर सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूँ के सेवा निवृत्ति के उपरान्त उनके अवशेष देयों का भुगतान सम्बन्धी जानकारी

125—श्रीमती माया प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद से मार्च, 1995 में सेवानिवृत्त हुए डा० बलबीर सिंह को अभी तक उनके पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि की धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? क्या डा० बलबीर सिंह के अवशेष देयों का भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां ।

डा० बलबीर सिंह के विरुद्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया के पद पर कार्यरत रहने की अवधि में अनियमित नियुक्तियां/प्रोन्नतियां किये जाने के प्रकरण में अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित रहने के कारण उनके लम्बित अवशेष देयों का भुगतान नहीं किया गया है । फरवरी, 1998 में यह ज्ञात हुआ है कि इसी प्रकरण में अपराध अनुसंधान विभाग की भी जांच हो रही है, जिसकी पुष्टि करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० बलबीर सिंह के अवशेष देयों के भुगतान, उनके विरुद्ध जांच में अन्तिम निर्णय पर निर्भर है ।

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के कतिपय जनपदों में फाइलेरिया के उपचार एवं मूल्यांकन

126—श्री शिव सिंह चक—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे बुधवार (दिनांक 6 अगस्त, 1997) के लिये निर्धारित ता० प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में फाइलेरिया के निदान सम्बन्धी दवा का परिक्षण पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण

हो जाने की आशा है ? राज्य में उक्त रोग के रोगियों की निरन्तर बढ़ रही संख्या को देखते हुए इसके निदान हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं ।

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के गोरखपुर एवं वाराणसी जनपदों में दिनांक 22-11-1997 को एक दिवसीय उपचार प्रारम्भ कर दिया गया है जो इसी तिथि पर आगामी 5 वर्षों तक दिया जायेगा तथा इसके उपरान्त इस उपचार का मूल्यांकन किया जाएगा ।

फाइलेरिया रोगियों की खोज रात्रि क्लीनिक द्वारा करके तत्काल उपचार किया जाता है तथा फाइलेरिया मच्छरों के विनाश हेतु कीटनाशक छिड़काव किया जाता है ।

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत टिकरी में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि पर विवाद

127—श्री राम विशुन आजाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 3946/पांच-6-97–290-97, दिनांक 2-1-98 में जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत टिकरी में प्रा० स्वा० केन्द्र का भवन निर्माण स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो शासन द्वारा कितना धन स्वीकृत हुआ था ? क्या टिकरी प्रा० स्वा० केन्द्र का भवन निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक कितना धन खर्च हो चुका है? क्या निर्माण कार्य शासन द्वारा रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक निर्माण कार्य पुनः आरम्भ हो जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री—

प्रश्नगत प्राथ० स्वा० केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शासनादेश संख्या 3214/5-6-97–एस०एन०डी०-3/97, दिनांक 2 दिसम्बर, 1997 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था ।

प्रशासकीय स्वीकृत लागत रु० 32.21 लाख के सापेक्ष वर्ष 1997-98 में व्यय हेतु रु० 12.72 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ।

जी हां, इस कार्य पर मात्र रु० 8000 की धनराशि व्यय हुई है ।

निर्माण कार्य शासन द्वारा नहीं रोका गया है अपितु भूमि पर विवाद हो जाने के कारण स्थानीय अधिकारियों को कार्य रोक देना पड़ा ।

विवाद समाप्त होते ही पुनः कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

श्री लल्लन सिंह, पुत्र श्री राम बहादुर सिंह, ग्राम-चन्दईपुर, ब्लाक-गौरीगंज, सुल्तानपुर द्वारा प्राप्त ऋण के दुरुपयोग पर वसूली

128—श्री तेजभान सिंह—

क्या ग्राम्य लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि परियोजना निदेशक, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का उपरिपत्र के साथ श्री लल्लन सिंह, पुत्र श्री राम बहादुर सिंह, ग्राम चन्दईपुर, ब्लाक गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 6-12-97 का प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्रामीण बैंक से प्राप्त इंजन बोरिंग के ऋण गलत उपयोग दिखाकर वसूली जारी करने की शिकायत है प्राप्त हुआ है यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की है तथा उसका परिणाम क्या है और जांच के उपरान्त क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मारकण्डेय चन्द—

जी हां ।

सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई से जांच कराई गई । जांच में पाया गया कि श्री लल्लन सिंह पुत्र श्री राम बहादुर सिंह के द्वारा पुराना डीजल इंजन क्रय कर ऋण राशि का दुरुपयोग किया गया है । बैंक द्वारा मांगे जाने पर समायोजन बाउचर न जमा करने पर आर०सी० जारी की गयी है।

श्री लल्लन सिंह, पुत्र श्री राम बहादुर सिंह, ग्राम चन्दईपुर के ऋण खाता 3776/247 में दिनांक 20-6-98 को क्रमशः रु० 4,000 और रु० 6,909 कुल रु० 10,909 की वसूली की जा चुकी है । अवशेष धनराशि रु० 9,801 तथा उस पर ब्याज की वसूली किया जाना शेष है । अवशेष वसूली के सम्बन्ध में बैंक द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया एवं भुगतान का विवरण

129—श्री समर पाल सिंह एवं
श्री राम ललित चौधरी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों का 1997-98 का कितना पैसा चीनी मिलों पर बकाया है ? क्या वर्ष 1996-97 सत्र और उसके पहले का भी गन्ना मूल्य का बकाया है ? यदि हां, तो कितना-कितना किस मिल पर ? सरकार गन्ना किसानों की चीनी मिलों पर बकाया धनराशि कब तक दिलवा देगी ? क्या सरकार गन्ना किसानों की बकाया धनराशि ब्याज सहित दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पेराई सत्र 1997-98 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य की रु० 3029.42 करोड़ की धनराशि में से दिनांक 23-6-98 तक रु० 2789.01 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है जो 92.06 प्रतिशत है तथा रु० 240.41 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है । अवशेष धनराशि कुल देय गन्ना मूल्य का मात्र 7.94 प्रतिशत है ।

जी हाँ ।

पेराई सत्र 96-97 एवं उससे पूर्व वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का वर्षवार एवं चीनी मिलवार विवरण निम्नवत है :–

बकाया का वर्ष	मिल का नाम	सेक्टर	बकाया मूल्य (करोड़ रु० में)
96-97	खलीलाबाद	निजी	2.17
	सरदारनगर	निजी	18.22
	पडरौना	भारत सरकार	3.02
	कठकुईयां	भारत सरकार	2.32
95-96	सरदारनगर	निजी	3.52
	गौरीबाजार	भारत सरकार	0.25
94-95	गौरीबाजार	भारत सरकार	1.41

यथाशीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के उपरान्त ब्याज के भुगतान हेतु यथासम्भव कार्यवाही की जायेगी।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ/बागपत जनपद में दस लाख कूप योजना एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 'व्यय का विवरण'

130—श्री समर पाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों में मेरठ/बागपत जनपद में दस लाख कूप योजना तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार कितना-कितना धन व्यय किया गया है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

दस लाख कूप योजना एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान नहीं है अपितु विकास खण्डवार व्यय किया जाता है, जिसका विवरण संलग्न हैं।

[देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 211 पर]

जनपद गोण्डा के उच्चीकृत प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र मनकापुर में लगी एक्सरे मशीन का विवरण

131—श्री राम विशुन आजाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र, मनकापुर में एक्सरे मशीन कई वर्षों से रखी हुई है परन्तु अभी तक काम करना शुरु नहीं किया है जबकि आपरेटर की नियुक्ति हो चुकी है यदि हां, तो एक्सरे मशीन कब तक काम करना शुरू कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री—

जनपद गोण्डा में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से ट्राइसेम योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1996 से मार्च, 1998 तक प्रशिक्षण मद में संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि स्वीकृत की गई है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर संचालित योजनाओं आदि के पूर्वानुमोदन के बारे में डी० आर० डी० ए० की शासी निकाय के अतिरिक्त कोई भी प्रबन्ध समिति का प्राविधान नहीं किया गया है। ट्राइसेम प्रशिक्षण मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

[देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 215 पर]

जनपद गोण्डा में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से ट्राइसेम योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का विवरण

132—श्री राम विशुन आजाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण के माध्यम से कितनी स्वयं सेवी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 1996 से मार्च, 98 तक कितनी-कितनी

धनराशि किस-किस मद में स्वीकृत की गयी है? क्या आवंटन के पूर्व प्रबन्ध समिति की संस्तुति प्राप्त की गयी है? यदि नहीं, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह —

जनपद गोण्डा में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से ट्राइसेम योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1996 से मार्च, 1998 तक प्रशिक्षण मद में संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि स्वीकृत की गयी है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर संचालित योजनाओं आदि के पूर्वानुमोदन के बारे में डी० आर० डी० ए० को शासी निकाय के अतिरिक्त कोई भी प्रबन्ध समिति का प्राविधान नहीं किया गया है। ट्राइसेम प्रशिक्षण मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

[देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 216 पर]

जनपद बस्ती के रौनाकला में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अन्तर्गत कृत कार्यों का सत्यापन

133—श्री राम ललित चौधरी —

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड साऊंघाट में ग्राम डुमरी के पास रौनाकला में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा एक पुलिया के निर्माण के संबंध में माह मई, 1998 के प्रथम सप्ताह में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द —

जी हां।

शिकायती-पत्र के सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रबन्ध बस्ती द्वारा दिनांक 25-5-1998 को स्वयं कार्यस्थल की जांच की गयी तथा कार्य पूर्ण पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

134—श्री राम ललित चौधरी —

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का प्रकरण

135—श्री धर्मज्ञ मिश्र —

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पुरुष/महिला) के नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-3-97 रिट संख्या–39968/94 अशोक कुमार श्रीवास्तव बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं अन्य के पक्ष में पारित आदेश का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह —

प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष/महिला) की नियुक्ति के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–39968/94 में श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव बनाम प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-3-97 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन किये जाने, आयु सीमा आदि

में शिथिलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवानियमावली, 1997 में संशोधन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में नहरों की पटरियों को पक्का कराये जाने की मांग

136—श्री विजयपाल सिंह —

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों की पटरियों को पक्का करने की उनके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 1997-98 में जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में नहरों की पटरियों को पक्का किये जाने की योजना थी? यदि हां, तो कब तक नहर की पटरियों को पक्का करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नहर की पटरी पक्का करने के कार्य का चयन जनपद स्तर पर किया जाता है।

जनपद बलिया के सुरहां ताल को जल भराव से राहत प्रदान करने की योजना

137—श्री राजधारी —

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में सुरहां ताल के अन्तर्गत किनारे पर बसे 27 गांवों के ताल के अन्तर कुल रकबा 15000 एकड़ के खरीफ की खेती बचाने एवं रबी की बुवाई समय से करने हेतु पानी निकास के लिये सरकार के पास कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो वह क्या है एवं कब से उसको प्रभावी बनाकर सुरहां ताल की खेती को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

जनपद बलिया के सुरहां ताल के जल भराव से राहत प्रदान करने हेतु एक योजना बनाकर राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् के तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदित हो चुकी है। धन उपलब्ध होते ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन

138—श्री राजधारी —

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता, वेतनमान आदि राज्य कर्मचारियों की ही भांति समान रूप से निर्धारित है? यदि हां, तो क्या स्वैच्छिक संस्थाओं के कर्मचारियों को समय से वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री —

जी नहीं।

स्वैच्छिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन का समय से भुगतान का दायित्व स्वयं संस्था का ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्रामों का विवरण

139—श्री राम औतार शाक्य —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 1997-98 में ब्लाक वाइज कौन-कौन से ग्राम स्वर्ण जयन्ती ग्राम चयनित हुए हैं? उनमें अब तक विकास के क्या क्या कार्य हो चुके हैं? क्या सरकार ग्राम टोडरपुर ब्लाक बेवर व नगला मिलाकर ब्लाक सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी को पक्की सड़कों से जोड़ेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह —

जी हां। जनपद मैनपुरी में वर्ष 1997-98 में ब्लाक वाइज निम्नलिखित ग्राम स्वर्ण जयन्ती ग्राम चयनित हुये हैं —

ब्लाक	ग्राम
1—मैनपुरी	जवापुर
2—कुरावली	देवीनगर
3—घिरोर	कोसमा
4—सुल्तानगंज	नंगला मितकर
5—बेवर	टोडरपुर
6—किशनी	चतुरीपुर (इन्द्रपुर सुजानपुर)
7—जागीर	पड़ोरा (हतपऊ)
8—करहल	हरवाई
9—बरनाहल	चन्दीकरा

इस सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है :–

योजना का नाम	क्रमिक प्रगति भौतिक	पूर्ति की प्रतिशत में वित्तीय
1—आई० आर० डी० पी०	49.4	49.4
2—इवाकरा	50.0	50.0
3—अन्य औद्योगिक इकाइयां	1.58	0.46
4—सुनिश्चित रोजगार योजना	53.73	44.90
5—इन्दिरा आवास	100.00	100.00
6—हैण्डपम्प	100.00	100.00
7—ग्रामीण विद्युतीकरण	33.00	44.44
8—बायोगैस	100.00	0.00
9—उन्नत चूल्हा	100.00	100.00
10—पंचायत घर	85.70	48.21

ग्राम टोडरपुर ब्लाक बेवर व नगलां मितकर ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना/जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा के सिंचाई विभाग में की गयी नियुक्तियां

140—श्री अजय भट्ट—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के प्रथम बुधवार के अता० प्रा० सं०–83 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित शासनादेश की जानकारी सम्बन्धित अधिकारी को न होने के लिये उत्तरदायी कौन है? क्या ऐसे ही नियुक्ति प्रकरणों में वर्ष 1986-97 में अधिष्ठान–4 क अनुभाग द्वारा प्रासंगिक शासनादेश का अनुपालन किया गया था?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सम्बन्धित शासनादेश अल्मोड़ा स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ था। अतः उत्तरदायित्व निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रमुख अभियन्ता के स्तर से की जाने वाली नियुक्तियों के प्रकरणों में शासनादेश संख्या–696/कार्मिक–2/79, दिनांक 6-6-79 लागू नहीं होता है क्योंकि प्रासंगिक शासनादेश जनपद स्तर तक की नियुक्तियों के सम्बन्ध में है।

सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता (शारदा) अन्तर्गत व्यक्तियों/संस्थाओं को कथितरूप में दी गयी भूमि के विवरण की मांग

141—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (शारदा) संगठनान्तर्गत कितनी विभागीय भूमि गोपन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3-1-3-74—सी० ए०–दस–(1), दिनांक 20-11-1985 का उल्लंघन करते हुए विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को दी गयी?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ में विद्युत खम्भों की हुई चोरी में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु जांच

142—श्री अजय भट्ट—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–131 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजली के खम्भों की चोरी होने में किस लोक सेवक की लापरवाही सिद्ध पायी गयी? प्रकरण के सम्बन्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन सम्बन्धित थाने में दर्ज कराने के उपरान्त कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पैरवी किये जाने विषयक कितने पत्र किस-किस प्राधिकारी को अब तक लिखे गये?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

बिजली के खम्भों की चोरी के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु विभागीय जांच करायी जा रही है।

शासन द्वारा दो पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को लिखे गये।

सिंचाई विभाग में राजकीय वाहनों के मरम्मत एवं ईंधन पर हुए व्यय का विवरण

143—श्री अजय भट्ट —

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के प्रथम बुधवार के अता० प्र० सं०–130 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न के उत्तरालेख्य में वर्णित राजकीय वाहनों की अन्तिम तीन बार रिपेयरिंग कब-कब करवायी गयी तथा प्रत्येक बार की रिपेयरिंग/मरम्मत आदि पर कितना-कितना व्यय भार सरकार को वहन करना पड़ा? उक्त वाहनों में अन्तिम बार कितनी मात्रा में ईंधन कब भरवाया गया?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–130 के उत्तरालेख्य में वर्णित वाहनों के सम्बन्ध में अन्तिम तीन बार रिपेयरिंग तथा अन्तिम बार ईंधन डलवाने की सूचना निम्नवत् है :–

क्रम संख्या	वाहन संख्या	प्रथम बार मरम्मत	द्वितीय बार मरम्मत	तृतीय बार मरम्मत	अन्तिम बार डलवायें गये ईंधन की मात्रा
1	जीप पेट्रोल सं०-यू० एस० क्यू०-435	माह 9/93 रु० 350.00	माह 12/93 रु० 817.00	माह 7/94 रु० 843.00	26-10-94 35 लीटर पेट्रोल
2	जीप पेट्रोल सं०-यू० एस० के०-9074	माह 1/91 रु० 214.40	माह 1/91 रु० 56.50	माह 2/91 रु० 35.45	28-4-92 20 लीटर पेट्रोल
3	ट्रैक्टर सं०-यू० वी० क्यू०–5275	उपलब्ध नहीं।	माह 3/89 रु० 197.88	माह 1/91 रु० 89.00	उपलब्ध नहीं।
4	ट्रैक्टर सं०-यू० एस० एस०-2487	26-1-88 रु० 730.00	20-5-88 रु० 19,735.00	5-8-88 रु० 2,819.00	18-7-89 20 लीटर डीजल
5	ट्रैक्टर सं०-यू० वी० डी०-4356	29-5-90 रु० 244.00	14-7-90 रु० 845.84	26-8-94 रु० 100.00	4-10-94 10 लीटर डीजल
6	ट्रैक्टर सं०-यू० पी० जे०-4044	10-1-94 रु० 205.00	16-7-94 रु० 1,844.70	3-8-94 रु० 180.00	15-2-94 25 लीटर डीजल

मुख्य अभियन्ता (शारदा) संगठन में प्रयोगरत जीपों के ईंधन खपत के औसत विवरण की जानकारी की मांग

144—श्री अजय भट्ट —

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर तथा मुख्य अभियन्ता (शारदा) के संगठन में वर्तमान में प्रयोगरत जीपों में ईंधन खपत पर नियंत्रण हेतु शासनादेश संख्या 1373-टी/तीस–4—18 के० एम० / 75, दिनांक 24-4-78 के अनुरूप प्रत्येक वाहन का औसत प्रति लीटर डीजल (अथवा पेट्रोल) वर्ष 1997 में सुनिश्चित किया गया? यदि नहीं, तो संबंधित वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा में यमुना एवं केन नदी के संगम पर बसे गांवों को जल कटाव से बचाने की मांग

145—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद —

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद बांदा के ग्राम चिल्ला के पास यमुना व केन नदी के संगम होने के कारण ग्राम तारा से लेकर मदनपुर तक जल कटाव के कारण दिनोदिन बस्तियां कटती जा रही है? क्या उक्त कटान रोकने के लिये पिचिंग करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

गांवों को नदी के कटान से बचाने की नीति सिंचाई विभाग की नहीं, है, किन्तु ऐसे ग्रामों को सुरक्षित स्थान पर बसाये जाने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जाती है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के सम्पर्क मार्गों एवं धौवर नाले पर रपटाकम चेक डैम निर्माण की मांग

146—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद —

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-4-97 को जनपद बांदा के ग्राम बरेहटा से दिप्पाडेरा सम्पर्क मार्ग व धौबर नाले में रपटाकम चेक डैम बनाये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब तक निर्माण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द —

146— प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-4-97 प्राप्त नहीं हुआ।

प्रखण्ड बांदा के ग्राम बरेहटा से दिप्पाडेरा सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 2.200 कि० मी० हेतु 7.66 लाख के प्रारम्भिक प्राक्कलन के सापेक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा से दिनांक 30-3-98 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में 1.00 लाख की धनराशि प्रखण्ड बांदा को उपलब्ध करायी गयी है। कार्य 50 प्रतिशत प्रगति में है तथा चेक डैम कम रपटा का प्राक्कलन लघु सिंचाई विभाग के वृत्त कार्यालय झांसी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ग्राम अमारा बरहैटा के बीच केन नदी पर पम्प कैनाल निकालने की मांग

147—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम अमारा बरेहटा के बीच केन नदी पर ब्राह्मन, घटिया से पम्प कैनाल निकालने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? क्या यह सही है कि उक्त दोनों ग्रामों में आज तक सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं? यदि हां, तो क्या शीघ्र पम्प कैनाल निकाली जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

जी नहीं।

ग्राम अमारा में एक राजकीय नलकूप सिंचाईरत है। पम्प नहर के निर्माण हेतु केन नदी में जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

परिवार कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार से डिस्पोजेबिल डिलीवरी किट्स की आपूर्ति का विवरण

148—श्री समरपाल सिंह —

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितनी डिस्पोजेबिल डिलीवरी किट्स की आपूर्ति प्राप्त की गई? यह आपूर्ति किस संस्था/विभाग द्वारा की गयी? क्या भारत सरकार का कोई आपूर्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में शासनादेश है? यदि हां, तो क्या इसका पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह —

परिवार कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1995-96 में शून्य एवं वर्ष 1996-97 में 12,14,286 एवं 1997-98 में 10,00,000 डिस्पोजेबिल डिलीवरी किट्स की आपूर्ति प्राप्त की गई।

आपूर्ति इ्वाकरा एवं यू० पी० डी० पी० एल० द्वारा की गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मथुरा के कतिपय विकास खण्डों में "इ्वाकरा योजना" के अन्तर्गत नीलामी से प्राप्त धन खजाने में जमा न करने की जानकारी

149—श्री अजय कुमार पोइया —

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित फरह गोवर्धन मथुरा विकास खण्डों में "इ्वाकरा योजना" के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 का अवशेष कच्चा माल एवं तैयार माल नीलाम करने के पश्चात् कितना धन सरकारी खजाने में जमा हुआ है? क्या सरकार उसका ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह —

जी नहीं। कोई धनराशि सरकारी खजाने में जमा नहीं की गयी क्योंकि इ्वाकरा योजना में नीलामी करके धन सरकारी खजाने में जमा करने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अजमतगढ़, आजमगढ़ के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

150—श्री छब्बू पटेल —

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-10-97 को विधायक समरपाल सिंह एवं दिनांक 23-3-98 को प्रश्नकर्ता का पत्र जो प्रा० स्वा० केन्द्र अजमतगढ़, आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कार्य के प्रति उदासीनता से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह —

जी हां।

प्रश्नगत दोनों शिकायती-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ को जांच हेतु क्रमशः दिनांक 29-11-97 तथा 20-4-98 को भेजे गये थे। जांचोपरान्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दु सत्य नहीं पाये गये हैं।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड देसही में ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय के विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

151—श्री राम अचल राजभर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय, विकास खण्ड देसही, देवरिया, जनपद देवरिया को वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में विकास कार्यों हेतु किन-किन योजनाओं के तहत अलग-अलग कुल कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय में वर्ष 1995-96 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 21,633.00 रु० की धनराशि तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रु० 1,12,000.00 की धनराशि कुल रुपये 1,33,633.00 की धनराशि आवंटित की गई। वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत क्रमशः रु० 15,768.00 तथा रु० 28,870.00 की धनराशि आवंटित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच

152—श्री राम अचल राजभर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 एवं वर्ष 1996-97 में ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय में किस योजनाओं के तहत बैजनाथपुर से मदरापाली भरथराय तक एवं रामपुर दोहरी नाले के उत्तर तरफ से मदरापाली भरथराय तक वाली सड़क पर मिट्टी डालने का कार्य किन-किन लोगों द्वारा सम्पन्न कराया गया है? उसमें कितनी धनराशि सरकार कोष से अवमुक्त हुई है? क्या इस सम्पूर्ण मामले की जांच जिला स्तरीय किसी उच्चाधिकारी द्वारा सम्पन्न कराकर इसमें की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में वर्तमान प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1995-96 में दो परियोजनायें स्वीकृत थी। वर्ष 1996-97 व 1997-98 में कोई धनराशि उक्त ग्राम सभाओं को नहीं दी गयी है जो इस प्रकार है:—

1—बैजनाथपुर दोहरी नाला से मदरापाली भरथराय होते हुए पिपरहिया बन्धे तक मिट्टी कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृत था, जिसका कार्यदायी विभाग, विकास खण्ड–देसही देवरिया नामित था, जिस पर 1.84 लाख रु० स्वीकृत था, जिसके सापेक्ष रु० 1.656 लाख मात्र आवंटित किया गया था। इस सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य श्री राम निवास सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, देसही देवरिया द्वारा सम्पन्न कराया गया है।

2—वर्ष 1995-96 में ही सम्पर्क मार्ग रामपुर दोहरी नाले के उत्तर तरफ से मदरापाली भरथराय तक मिट्टी कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृत था, जिसका कार्यदायी विभाग ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय नामित था। स्वीकृत लम्बाई 1.50 कि०मी० पर रु० 0.66 लाख स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल रु० 0.495 लाख आवंटित हुआ था। इस योजना का कार्य श्री मु० हकीम खां, ग्राम प्रधान मदरापाली भरथराय द्वारा सम्पन्न कराया गया है।

इस सम्पूर्ण मामले की जांच जिला स्तरीय उच्चाधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी गयी है। क्रमांक–1 की परियोजना में पायी गयी अनियमितता के लिए संबंधित के विरुद्ध पूर्व से कार्यवाही चल रही है तथा क्रमांक–2 की परियोजना के लिए ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्य को सन्तोषजनक पाया गया है इसलिए इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

जनपद देवरिया के ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय में नवनिर्मित पोखरी पर आवंटित धनराशि एवं उसके निर्माण का सत्यापन

153—श्री राम अचल राजभर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय, विकास खण्ड देसही देवरिया, जनपद देवरिया में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत नवनिर्मित पोखरी पर कितनी धनराशि आवंटित की गयी है उसका विवरण क्या है? मानक विपरीत खुदवाये गये पोखरे का भौतिक सत्यापन कराकर उसके दोषी ग्राम प्रधान को बर्खास्त किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय, विकास खण्ड देसही देवरिया, में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत वर्ष 1995–96 में पोखरी निर्माण हेतु 46,800.00 रुपये स्वीकृत हुआ था, जिसके सापेक्ष कार्यदायी विभाग ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय को 35,100.00 रुपये आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष खण्ड विकास अधिकारी, देसही देवरिया द्वारा 24,500.00 रुपये ग्राम पंचायत को उक्त कार्य हेतु अवमुक्त किया गया है।

पोखरी का भौतिक सत्यापन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया के सहायक अभियन्ता द्वारा कराया गया। पोखरी में पानी भरा होने के कारण कार्य की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी। पोखरी की सत्यापन/जांच पूर्ण करने के पश्चात यदि कोई अनियमितता होगी तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड देसही के ग्राम बैजनाथपुर के विकास हेतु अवमुक्त धनराशि एवं कार्य के गुणवत्ता की जांच

154—श्री राम अचल राजभर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बैजनाथपुर, विकास खण्ड देसही देवरिया, तह० व जनपद देवरिया में वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 में गांव के चारों तरफ रास्ते पर डलवाये गये मिट्टी कार्य को किस योजनान्तर्गत सम्पन्न कराया गया है? वर्तमान ग्राम प्रधान को कितनी धनराशि अवमुक्त हुई है? क्या इसकी गुणवत्ता की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम बैजनाथपुर, विकास खण्ड-देसही देवरिया तहसील व जनपद–देवरिया में वर्ष 1995–96 एवं वर्ष 1996–97 में गांव के चारों तरफ रास्ते पर डलवाये गये मिट्टी कार्य को जवाहर रोजगार योजना (ग्राम सभा अंश) द्वारा सम्पन्न कराया गया है।

वर्तमान ग्राम प्रधान (ग्राम पंचायत) को जवाहर रोजगार योजना (ग्राम सभा अंश) से वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 में कुल 37401.00 रु० की धनराशि अवमुक्त हुई है।

कार्य की गुणवत्ता की जांच करायी गयी, प्रधान जांच में दोषी नहीं पाया गया जिसके कारण ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के ग्राम सभा बैजनाथपुर में निर्मित खड़ंजे का सत्यापन

155—श्री राम अचल राजभर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय, विकास खण्ड देसही देवरिया, जनपद देवरिया के राजस्व ग्राम सभा बैजनाथपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव के सटे पश्चिम तरफ रामनगीना यादव के मकान के पास से शम्भू यादव के मकान तक खड़न्जा तथा खड़न्जे के मरम्मत का कार्य किस योजनान्तर्गत सम्पन्न कराया गया है? क्या सरकारी आंकड़े एवं मौके पर वास्तविक लम्बाई में कोई अन्तर है? यदि हां, तो कितना और क्यों? ग्राम प्रधान द्वारा इस कार्य पर कितनी धनराशि सरकारी कोष से अवमुक्त करायी गयी है? क्या उक्त कार्य में बरती गयी अनियमितताओं की जांच जिला स्तरीय किसी उच्चाधिकारी द्वारा सम्पन्न कराकर इसमें लिप्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय विकास खण्ड देसही देवरिया जनपद देवरिया के राजस्व ग्राम सभा बैजनाथपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव के सटे पश्चिम तरफ राम नगीना यादव के मकान के पास से शम्भू यादव के मकान तक खड़न्जा तथा खड़न्जे के मरम्मत का कार्य जवाहर रोजगार योजना (ग्राम सभा अंश) से सम्पन्न कराया गया है।

इस कार्य के सरकारी आंकड़े एवं मौके पर वास्तविक लम्बाई में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

ग्राम प्रधान द्वारा इस कार्य पर 2109.00 रु० सरकारी कोष से अवमुक्त कराई गयी है।

उक्त कार्य की जांच जिला स्तरीय उच्चाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया द्वारा सम्पन्न कराई गई है। जांच में कार्य 2109.00 रु० का पाया गया, फलस्वरूप ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

दि किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड, नजीबाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

156—श्री विनोद मणि तथा श्री रामस्वरूप सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड, नजीबाबाद वर्ष 1994–95 में 4,76,68,832.00 रु० लाभ में चल था जोकि वर्ष 1995–96 में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण 47,59,516.00 रु० रह गया? क्या मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय श्री राम स्वरूप सिंह, क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 16 मार्च, 1998 जोकि माननीय मुख्य मंत्री, मा० मंत्री, गन्ना विकास सचिव, गन्ना एवं एम० डी० व आयुक्त,गन्ना विभाग को व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी? जांच के दौरान क्या शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया? जांच में कौन-कौन से बिन्दु प्रकाश में आये? कौन-कौन दोषी पाये गये? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चीनी मिल स्नेह रोड नजीबाबाद में वर्ष 1994–95 में रु० 476.69 लाख का लाभ हुआ था तथा वर्ष 1995–96 में यह लाभ रु० 47.70 लाख हुआ था। लाभ कम होने के मुख्य कारण निम्न है :–

1—चीनी के परते में 0.3% की गिरावट।

2—दोनों वर्षों में सामान्य मात्रा की गन्ना पेराई होने पर भी रु० 2696.04 लाख की तुलना में रुपया 2862.93 लाख गन्ना मूल्य भुगतान हुआ क्योंकि प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य वृद्धि हुई।

3—प्रति बोरा रु० 926.76 की तुलना में रु० 1062.56 चीनी उत्पादन व्यय रहा।

4—वर्ष 1994–95 में जहां कुल बिक्री रु० 4616.61 लाख की हुई थी वहीं 1995–96 में यह बिक्री केवल रु० 3576.58 लाख हुई।

जी हां। श्री रामस्वरूप सिंह क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 16 मार्च, 1998 जो माननीय मुख्य मंत्री, मा० मंत्री, गन्ना विकास एवं सचिव गन्ना एवं एम० डी० व आयुक्त गन्ना विभाग को व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ।

जी हां। जांच करायी जा रही है। जांच अधिकारी जांच के दौरान मौके पर शिकायतकर्ता को उपस्थित होने हेतु आमंत्रित करेंगे।

जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड अल्मोड़ा द्वारा विभिन्न योजनाओं में कृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य

157—श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, अल्मोड़ा में विगत कितने वर्षों से बिना कार्य के ही अधिष्ठान पर प्रतिवर्ष व्यय भार शासन पर भारित हुआ उक्त क्षेत्र में कितनी योजनायें शासन के विचाराधीन हैं तथा उक्त खण्ड को किसी अन्य क्षेत्रीय योजना का कार्य कब तक सौंप दिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, अल्मोड़ा द्वारा कोसी एवं सरयू घाटी में जल विद्युत एवं बांध परियोजनाओं का अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। अतः बिना कार्य के ही अधिष्ठान पर प्रत्येक वर्ष व्यय भारित नहीं हुआ है।

अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, अल्मोड़ा के कार्यक्षेत्र में 7 योजनाओं का अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। किसी अन्य क्षेत्रीय योजना का कार्य इस खण्ड को दिया जाना अभी प्रस्तावित नहीं है।

अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड अल्मोड़ा द्वारा क्वारब बांध बनाये जाने हेतु सर्वेक्षण की मांग

158—श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, अल्मोड़ा द्वारा कोसी नदी पर "क्वारब बांध" बनाये जाने हेतु जो सर्वेक्षण कार्य वर्ष 1985 से पूर्व कराये गये थे, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या उक्त बांध का निर्माण कोसी तथा स्वाल नदी के संगम स्थल से नीचे की ओर किसी भी स्थल पर कराने हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया था।

जी नहीं।

योजना साध्य नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला डाक्टर की नियुक्ति

159—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज (टीकरघर) में स्थित उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र पर विगत कई वर्षों से कोई महिला डाक्टर नहीं है? क्या सरकार वहां महिला डाक्टर की नियुक्ति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्रश्नगत उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र पर वर्ष 1995 से महिला डाक्टर तैनात नहीं थी। अब महिला डाक्टर की तैनाती की जा चुकी है।

महिला डाक्टर की तैनाती की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहनाजपुर तथा देवगांव में चिकित्साधिकारी की नियुक्ति हेतु कार्यवाही

160—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ के सबसे पुराने स्वास्थ्य केन्द्र मेहनाजपुर तथा देवगांव में कोई डाक्टर कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर की नियुक्ति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहनाजपुर में दो चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं और देवगांव में चिकित्सक कार्यरत नहीं हैं।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में रिक्त 1692 चिकित्सकों के पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद को अधियाचन भेजा गया है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरांवा को उच्चीकृत किये जाने की मांग

161—श्री अफजाल अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मई, 1996 से 31–12–97 तक कितने जन प्रतिनिधियों ने जौनपुर जनपद के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरांवा को उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु उनसे अनुरोध किया है यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? अब तक उन जन प्रतिनिधियों के सुझाव पर क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्नगत अवधि में मा० विधायक श्री बांके लाल सोनकर द्वारा अपने पत्रों द्वारा जनपद जौनपुर के आंतेरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरांवा को उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।

मा० विधायक द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरांवा को स्व० ठाकुर राज नीति सिंह के नाम से उच्चीकृत प्राथ० स्वा० केन्द्र बनाने का अनुरोध किया गया है।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की निर्माण एवं स्थापना दोनों कार्य जिला योजना के अन्तर्गत आते हैं तथा जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। शासन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत किये जाने हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त कर परिव्यय की व्यवस्था कराते हुये पूर्ण प्रस्ताव महानिदेशक के माध्यम से शासन को प्रेषित करें। नामकरण भवन निर्माण एवं उसमें चिकित्सालय की स्थापन के पश्चात का विषय है।

प्रश्न नहीं उठता।

162—श्री अफजाल अहमद–

[अरे गुरुवार में अता० प्र० सं० 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड–36 के नहर पटरियों के पक्का कराये जाने का प्रस्ताव

163—श्री अफजाल अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में शारदा सहायक खण्ड–36 के नहर की पटरियों को पक्का करने एवं अन्य निर्माण हेतु किसी विधायक का 29–9–97 का कोई पत्र उनको मिला है? यदि हां, तो उस पर हुई कार्यवाही का विवरण क्या है? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों? कब तक कार्यवाही होगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

मा० विधायक द्वारा प्रेषित पत्र में शा० स० खण्ड–36 जौनपुर की शाहगंज राजवाहे की सर्विस रोड को ग्राम-राजेपुर से बहाउद्दीनपुर तक पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव जिलाधिकारी जौनपुर को प्रेषित कर दिया गया है। अन्य निर्माण के सम्बन्ध में शाहगंज राजवाहे के कि० मी० 24 पर ग्रामीण मार्ग सेतु निर्मित है। अतः पैदल पुलिया की आवश्यकता नहीं है।

9.6 कि० मी० लम्बी महरांवा ड्रेन के कि० मी० 4.660 से 4.810 (150 मीटर) में खुदाई शेष है, इसे इस वर्ष पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कतिपय चीनी मिलों से वसूल की गयी धनराशि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से मार्गदर्शन की मांग

164—श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1991–92 जिला बस्ती की क्रमशः बस्ती, वाल्टरगंज तथा मुण्डेरवा शुगर मिलों पर सरकार द्वारा रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किया था? क्या

यह सही है कि बस्ती जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा किसी के गन्ना मूल्य भुगतान से कलेक्शन चार्ज के रूप में लगभग एक करोड़ रुपया काट लिया गया था? क्या उक्त कलेक्शन चार्ज संबंधित मिलों से वसूल किया जाना चाहिए था यदि हां, तो क्या सरकार कलेक्शन चार्ज के रूप में काटी गयी धनराशि किसानों को ब्याज सहित वापस करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बस्ती जनपद की वाल्टरगंज तथा बस्ती चीनी मिलों के विरुद्ध वर्ष 1991–92 में अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया था जिसके सापेक्ष वसूल की गयी धनराशि में से जिलाधिकारी द्वारा संग्रह व्यय के मद में 80.72 लाख रुपये काट लिया गया। मुण्डेरवा चीनी मिल से सम्बन्धित इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है।

जी हां।

जिलाधिकारी–बस्ती को संग्रह व्यय की मद में काटी गयी उक्त धनराशि सम्बन्धित गन्ना समितियों को वापस करने तथा संग्रह व्यय की वसूली सम्बन्धित चीनी मिलों से करने के निर्देश दे दिये गये थे जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है, जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

165—श्री अब्दुल मन्नान–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के कतिपय विकास खण्डों में पानी की समस्या के निवारण हेतु हैण्डपम्प लगाने की मांग

166—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18–4–97 जो जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द में पीने के पानी की समस्या निवारण हेतु हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराने विषयक था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सूचीबद्ध स्थानों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा तिन्दवारी, बडोखरखुर्द में पानी की समस्या निवारण हेतु हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18–4–97 की छाया प्रति माननीय विधान सभा सदस्य से सम्पर्क कर प्राप्त की गई।

जी नहीं। बडोखरखुर्द ब्लाक का ग्राम मबई बुजुर्ग को छोड़कर सूचीबद्ध ग्रामों में पूर्व से ही हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। ग्राम मबई बुजुर्ग में आबादी के अन्दर वाले क्षेत्र में हैण्डपम्प से प्राप्त पानी की गुणता मानक के अनुसार नहीं है एवं रासायनिक मात्रा मानक से अधिक है। अतः इस ग्राम को पाइप पेयजल योजना से लाभान्वित करने हेतु मेहारवर ग्राम समूह पेयजल योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है तथा योजना का कार्य 1998–99 में आरम्भ कर दिया गया है, सम्प्रति एक नलकूप का निर्माण पूरा हो चुका है। उक्त योजना मार्च, 2000 तक पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल लखनऊ में कथित हेरा फेरी का प्रकरण

167—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल लखनऊ में हाल ही में कोई ऐसा प्रकरण प्रकाश में आया है कि किसी अधिकारी द्वारा निलम्बन अवधि में रहते हुए अभिलेखों में हेराफेरी करके पिछली तिथियों में कार्य संबंधी आदेश दिये गये हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

168—श्री अजय भट्ट–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

169—श्री अजय भट्ट–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

170—श्री अजय भट्ट–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

171—श्री अजय भट्ट–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद जालौन के खण्ड विकास महेवा में मानक के अनुसार लगाये गये हैण्डपम्प एवं उसकी जांच

172—श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगाने की प्रक्रिया में क्षेत्रीय विधायक व ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त स्थल चयन की मंजूरी के बाद चयनित स्थान पर हैण्डपम्प लगाने की नीति बदल गयी है यदि हां, तो क्यों? क्या यह सच है कि जनपद जालौन के ख० वि० महेवा में कार्यरत अवर अभियन्ता, जल निगम ने मानक से हटकर हैण्डपम्प लगाये हैं तथा ग्राम प्रधान सरैनी ख० वि० महेवा की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी, जालौन की जांच में उक्त अवर अभियन्ता को दोषी पाया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु स्थल का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाता है।

भारत के संविधान के 73 वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्राविधान किया गया है।

जी नहीं। विकास खण्ड महेवा जनपद जालौन में मानक के अनुसार ही हैण्डपम्प लगाये गये हैं।

मुख्य विकास अधिकारी, जालौन के द्वारा ग्राम सरैनी के हैण्डपम्प के संबंध में किसी अवर अभियन्ता के खिलाफ कोई जांच नहीं की गयी है अपितु हैण्डपम्पों की शिकायत के संबंध में सहायक अभियन्ता द्वारा जांच की जा रही है।

सहायक अभियन्ता की जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सामूहिक ऋण योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन में पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये ट्रैक्टर एवं उसका सत्यापन

173—श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लघु सीमान्त कृषकों व आई० आर० डी० योजना के पात्र व्यक्तियों को ट्रैक्टर की कीमत का आधा अनुदान देकर ट्रैक्टर दिये जाने की कोई योजना है यदि हां, तो क्या यह सच है कि जनपद जालौन में सभी ख० वि० क्षेत्रों से ख० वि० स्तर पर लाभार्थियों के आवेदन के आधार पर इस योजना में ट्रैक्टर दिलाये जाने में अनियमिततायें बरती जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी? क्या ट्रैक्टर लाभार्थियों के पास है भी या नहीं इसका भौतिक सत्यापन भी कराया जायेगा? यदि हां, कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सामूहिक ऋण हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के कम से कम पांच व्यक्तियों के समूहों को सभी प्रकार की सामूहिक क्रियाकलापों हेतु परियोजना लागत की आधी अथवा रु० 1.25 लाख, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है। सामान्यतः ऐसी परियोजना एक लाख रुपये से कम लागत की न हो। उक्त सामूहिक ऋण योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन में 53 पात्र समूहों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराये गये हैं।

इस सम्बन्ध में दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

जनपद स्तर पर सत्यापन की कार्यवाही की जा चुकी है।

सत्यापन के अनुसार लाभार्थियों के पास ट्रैक्टर न पाये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के खण्ड विकास क्षेत्रों में निर्मित कराये गये सम्पर्क मार्गों की जाँच

174—श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के सभी खण्ड विकास क्षेत्रों को सुनिश्चित रोजगार योजना से प्राप्त धनराशि में से वर्ष 1997–98 में जनपद के विभिन्न ख० वि० क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्ग (कच्चे) बनवाये जाने की जिला स्तर पर स्वीकृति दी गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त योजना में प्राप्त धनराशि से कच्चे सम्पर्क मार्ग वर्ष 1997–98 में मजदूरों से न बनवा कर ट्रैक्टरों द्वारा कार्य कराया गया है तथा फर्जी मानव दिवस व फर्जी मस्टर रोल बनाकर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा धन का गबन किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त योजना की धनराशि से कराये गये उपरोक्त कार्यों की तकनीकी सेल द्वारा जांच तथा मौके पर कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

वर्ष 1997–98 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत खण्ड विकास क्षेत्रों द्वारा कराये गये 4 सम्पर्क मार्गों (कच्चे) के निर्माण में मिट्टी का कार्य ट्रैक्टर से कराये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें से जांचोपरान्त तीन सम्पर्क मार्गों में हुए कच्चे कार्य को दिनांक 18–5–1998 को श्रमदान घोषित किया जा चुका है इन तीन सम्पर्क मार्गों के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि अभिकरण में वापस प्राप्त की जा चुकी है। एक अन्य सम्पर्क मार्ग के निर्माण में कच्चा कार्य ट्रैक्टर से कराये जाने संबंधी शिकायत की जांच चल रही है।

चूँकि श्रमदान घोषित किये गये कार्य के सापेक्ष कोई भुगतान नहीं किया गया है, अतः तकनीकी सेल से जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों का नियमानुसार रासायनिक परीक्षण

175—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में जल निगम द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लगाये गये हैण्डपम्पों के जल के रासायनिक परीक्षण हेतु 300 रु० प्रति हैण्ड पम्प दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि किसी भी हैण्डपम्प के पानी का रासायनिक परीक्षण नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं। जनपद गोण्डा में हैण्डपम्पों के जल के रासायनिक परीक्षण हेतु रु० 25 प्रति हैण्डपम्प दिये गये हैं।

जी नहीं। नियमानुसार हैण्डपम्पों के पानी का रासायनिक परीक्षण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कोल जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी

176—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-7-97 पर माननीय मुख्य मंत्री के पृष्ठांकन आदेश एम–1/89/68/बांदा/97 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कोल जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"—

तत्कालीन प्रमुख सचिव के कैम्प कार्यालय में यद्यपि प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है, तथापि कोल जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखे जाने का प्रस्ताव भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय को संदर्भित है तथा दिनांक 27-6-98 को पुनः अनुस्मारित किया गया है। उल्लेखनीय होगा कि किसी जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की सूची में सम्मिलित करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के कतिपय कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का प्रकरण

177—श्री अब्दुल मन्नान

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत 20 कर्मचारी जिसमें वेटर/डिस्ट्रीब्यूटर जो मरीजों को पौष्टिक आहार का वितरण करते थे, की सेवायें दिनांक 7-6-1993 को बिना नोटिस, वेतन, मुआवजा भुगतान के समाप्त कर दी गयी थी? क्या यह भी सही है कि इस संबंध में अभिनिर्णय 4/94, श्रम न्यायालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा वाद में दिये गये निर्णय दिनांक 27-7-1997 के द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा में सेवायोजकों द्वारा दिनांक 7-6-93 को समाप्त किया जाना अनुचित एवं अवैधानिक पाया गया है? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित कर्मचारियों को उक्त निर्णय के अनुसार पुनः सेवा में लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उन्हें कब तक सेवा में ले लिया जायेगा?

श्री शिवाकान्त ओझा–

उक्त कर्मचारी संस्थान के कर्मचारी नहीं थे। अपितु इनकी नियुक्ति ठेकेदार द्वारा की गयी थी, ठेकेदार ने इन कर्मचारियों को कार्य में व्यवधान डालने के कारण निकाल दिया है।

जी हां।

मा० श्रम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन है। अग्रिम सुनवाई तक मा० श्रम न्यायालय के निर्णय पर भी रोक लगा दी गयी है।

जनपद बागपत/मेरठ में लगे इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों के संबंध में जानकारी

178—श्री समर पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत/मेरठ में कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगे हैं? उनमें से कितने खराब पड़े हैं? क्या सरकार उनको ठीक कराने की योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

दिनांक 15-6-98 की स्थिति के अनुसार जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्रों में 3497 तथा नगर क्षेत्र में 392 अर्थात् कुल 3889 तथा जनपद मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में 5596 तथा नगर क्षेत्र में 1675 अर्थात् कुल 7271 हैण्ड पम्प लगे हैं।

दिनांक 15-6-98 की स्थिति के अनुसार जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्र में 20 तथा नगर क्षेत्र में 41 अर्थात् कुल 61 हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। जनपद मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र में 64 तथा नगर क्षेत्र में 111 अर्थात् कुल 175 हैण्ड पम्प खराब हैं।

उक्त समस्त खराब पड़े हैण्डपम्पों को दिनांक 15-7-98 तक ठीक कराने का आदेश दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में मल्लावां के बुनकरों का हैण्डलूम हाउस पर बकाये की कुल धनराशि तथा भुगतान न होने की जानकारी

179—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि मल्लावां जनपद हरदोई के बुनकरों का वर्ष 1995-96 का हैण्डलूम हाउस पर लगभग दस लाख रुपया बकाया है, जबकि शासनादेश द्वारा

जनता वस्त्र नगद खरीद की व्यवस्था की गयी थी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दो वर्षों से बुनकरों का भुगतान न किये जाने की जांच करवायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह) –

जी हां।

कुल 12 समितियों का रुपये 9.65 लाख का भुगतान हेतु लम्बित है।

भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान में निरन्तर कमी होने एवं कतिपय विपणन संस्थाओं को आपूर्ति किये गये माल के विरुद्ध भुगतान न प्राप्त होने के कारण यूपिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही जिसके परिणामस्वरूप भुगतान नहीं किया जा सका।

जनपद मिर्जापुर के जिला विकास कार्यालय के निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

180—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार मिर्जापुर जनपद में विकास भवन का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

संग्रहीत जिला विकास कार्यालय मिर्जापुर के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

जनपद बांदा के जनप्रतिनिधियों को "डायरेक्ट्री आफ वर्क्स" बुकलेट उपलब्ध कराने की मांग

181—श्री बी० एल० कुशवाहा–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश के अनुसार जनप्रतिनिधियों को विकास व विकास से संबंधित अन्य सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु जनपदीय अधिकारियों को निर्देश है? यदि हां, तो सूचना प्राप्त करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-2-98 अधि० अभि०, ल० सिं० बांदा व आयुक्त चित्रकूट धाम, बांदा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक सूचना क्यों नहीं दी गयी तथा सूचना न देने का क्या कारण है? क्या प्रश्नकर्ता का उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र दिनांक 11-5-98 मा० मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां।

जी हां।

शासन के पत्र संख्या–110/एम०ए०ओ०/97, दिनांक 3-12-97 के (प्रस्तर–1) में निहित निर्देशानुसार जनपद स्तर पर जनपद के सभी विभागों की विकास कार्यों से सम्बन्धित "डायरेक्ट्री आफ वर्क्स" तैयार की जाती है, जो उक्त शासनादेश के तहत सभी जनप्रतिनिधियों को बुकलेट के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। इसी क्रम में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा के पत्र संख्या–92/विविध/विधान समाचार धनराशि/98-99, दिनांक 20-4-98 द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को प्रेषित की जा चुकी है।

विभाग से सम्बन्धित सूचनायें सीधे जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने हेतु भी पत्र दिनांक 8-1-98 एवं दिनांक 24-6-98 द्वारा समस्त सहायक अभियन्ताओं को, अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड बांदा द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जी हां। शासन में प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र दिनांक 11-3-98 आयुक्त चित्रकूट धाम, बांदा को सम्बोधित तथा शासन को पृष्ठांकित था तथा शासन के पत्र दिनांक 4-4-98 द्वारा आयुक्त चित्रकूट धाम, बांदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया था। पुनः पत्र दिनांक 20-6-98 द्वारा अनुस्मृत भी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

182—श्री हरदेव सिंह—

[आश्वासन समिति के आधार पर निरस्त]

लोक निर्माण विभाग बांदा को विकास खण्ड जसपुरा के सम्पर्क मार्ग हेतु उपलब्ध धनराशि एवं कराये गये कार्य का विवरण

183—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद बांदा में विकास खण्ड जसपुरा से हरोड़ा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना से कुल कितनी धनराशि लोक निर्माण विभाग बांदा को प्रदान की गयी थी? कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी? व्यय धनराशि में से कितने मीटर सड़क निर्माण कराया गया? क्या सड़क निर्माण में हुई अनियमितताओं की तकनीकी जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बांदा में विकास खण्ड जसपुरा से हरोड़ा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में रुपये 1.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

उक्त कार्य में कुल रुपये 98,888.00 की धनराशि व्यय की गई तथा 240 मीटर की लम्बाई में मिट्टी का कार्य कराया गया। जी नहीं। मार्ग के निर्माण में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

184—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में विकास खण्ड जसपुरा अन्तर्गत खैरी से रैपुरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना से लोक निर्माण बांदा को धन प्रदान किया गया था? यदि हां, तो क्या यह बात सही है कि धन को अनियमित ढंग से खर्च कर सड़क अधूरी छोड़ दी गयी है? क्या उक्त कार्य की तकनीकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। एक लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई।

जी नहीं।

जी नहीं, कार्य सम्पादन में कोई अनियमितता नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग, उरई जालौन को सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि एवं कराये गये कार्यों की जांच

185—श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद जालौन में लोक निर्माण विभाग इकाई प्रथम में डी० आर० डी० ए० उरई द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना की धनराशि सड़कें बनाने हेतु वर्ष 1997-98 में आवंटित की गयी थी? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि थी तथा उससे क्या-क्या कार्य कराये गये? क्या यह सच है कि उक्त इकाई ने मजदरों से कार्य न कराकर शत प्रतिशत कार्य ट्रैक्टरों द्वारा कराया है तथा फर्जी मानव दिवस सृजित करके धन का गबन किया है? यदि नहीं, तो उक्त इकाई के कार्यों का उच्च स्तरीय समिति गठित कराकर कार्यों का स्थलीय सत्यापन व मूल्यांकन कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

कुल रुपये 67.63 लाख की धनराशि थी तथा उससे भंगा सम्पर्क मार्ग 1.00 कि०मी० तथा रोमई प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग 3.00 कि०मी० में तथा अन्य चार मार्गों पर मिट्टी का कार्य कराया गया।

चार सम्पर्क मार्गों में मिट्टी का कार्य ट्रैक्टरों से कराये जाने की पुष्टि हुई है।

प्रभारी जिलाधिकारी के प०सं० 53/एस०टी०/सी डी ओ–वि०स०प्र०/99, दिनांक 26जून, 1998 के द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की संस्तुति प्राप्त हुई है।

शीघ्रातिशीघ्र उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी।

लोक निर्माण विभाग (प्रा० ख०) फतेहपुर को पुलिया एवं नाली निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि एवं उसका सत्यापन

186—श्री मुरलीधर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फतेहपुर के पत्रांक 3142/जरोयो–लेखा/97-98, दिनांक 26 फरवरी, 1998 द्वारा अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (प्रा० ख०) फतेहपुर को दो नालों के निर्माण हेतु 4.20 लाख रुपया दिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना के मार्ग निर्देशानुसार कराया गया है? क्या यह सही है कि खण्ड विकास स्तर पर पंजीकृत मजदूरों से काम न कराकर ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया गया है? क्या उक्त धन से किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन कराया गया? यदि नहीं तो क्या भौतिक सत्यापन कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फतेहपुर के पत्र सं०-3142/ज०रो०यो०–लेखा/97-98, दिनांक 26-2-1998 द्वारा 2 योजनाओं प्रथम भिटोरा ब्लाक में लोहारी जमरांवा मार्ग पर गढीवा के पास डीघ नाले पर ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण हेतु द्वितीय धाता ब्लाक में विजयीपुर धाता मार्ग पर कि०मी० 25/26 के दोनों ओर नाली निर्माण हेतु प्रथम परियोजना पर 1.40 लाख स्वीकृत कर 0.70 लाख तथा दूसरी परियोजना पर 2.80 लाख स्वीकृत कर 1.40 लाख की धनराशि कुल 2.10 लाख प्रथम किस्त के रूप में लो० नि० वि० को अवमुक्त किया गया है। सम्प्रति 2 नालों के लिए नहीं अपितु पुलिया निर्माण एवं नाली निर्माण के लिए धन अवमुक्त किया गया है।

उक्त दोनों परियोजनाओं पर विभाग द्वारा अभी कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया अपितु पहली परियोजना पर मात्र ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण हेतु विभाग द्वारा पाइप क्रय किया गया है जो निर्माण स्थल पर उपलब्ध है, इसका सत्यापन करा लिया गया है।

चूंकि मजदूरों से अभी कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया है? अतः ठेकेदारी प्रथा से कार्य कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चूंकि अभी कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया है। अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी को दण्डित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि में कराये गये कार्यों में कथित अनियमितता

187—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड जसपुरा में पचकोरी सम्पर्क मार्ग में वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना से लोक निर्माण विभाग, बांदा को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी क्या यह सही है कि अनियमित ढंग से धन निकालकर खर्च कर लिया गया एवं निर्माण कार्य में हेराफेरी की गयी? क्या उक्त मार्ग की तकनीकी जांच कराकर संबंधित से वसूली की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां–

रुपया 1.00 लाख।

जी नहीं।

कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

188—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा अन्तर्गत पडेरी सिन्धनकला सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना से लोक निर्माण विभाग को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी? क्या यह सही है कि सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य मानक के आधार पर न कराकर धन का दुरुपयोग किया गया है? क्या उक्त सम्पर्क मार्ग की तकनीकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह

जी हां।

रुपये एक लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी।

जी नहीं।

कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों की संख्या तथा मानक के अनुसार निर्मित चबूतरे

189—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में 1997 से मार्च, 1998 तक कितने इण्डिया मार्का–2 नल जल निगम द्वारा लगवाये गये हैं? क्या सरकार को जानकारी है कि इण्डिया मार्का नलों के चबूतरों का निर्माण निर्धारित मानक के अनुसार नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करावाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में अप्रैल, 1997 से मार्च, 1998 तक जल निगम द्वारा कुल 355 नग इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प लगवाये गये हैं।

इण्डिया मार्का नलों के चबतूरों का निर्माण निर्धारित मानक के अनुसार करवाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

190—श्री तेजभान सिंह

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों से सहकारी चीनी मिलों के वाहनों की वापसी के आदेश की जानकारी

191—श्री सुधाकर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि शासन की तरफ से मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जो अपने जनपद में स्थित सरकारी चीनी मिलों के पदेन अध्यक्ष होते हैं, को चीनी मिल के वाहन का उपयोग न करने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारियों द्वारा वाहनों को वापस किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

सहकारी चीनी मिलों के अध्यक्ष के वाहन को छोड़कर केवल तीन जिलाधिकारियों द्वारा वाहन वापस नहीं किये गये हैं।

उक्त के संबंध में सभी संबंधित को यथावश्यक निर्देश दिये गये हैं।

जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौन्द के ग्राम लोहई में निर्मित चेकडैम का संशोधित डिजायन के अनुसार निर्माण के आदेश की जानकारी

192—श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौन्द के अन्तर्गत ग्राम लोहई के पास नाले पर दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत चेक डैम का निर्माण जिला पंचायत उरई, जालौन द्वारा कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य में घटिया सामग्री

का प्रयोग होने व तकनीकी दृष्टि से निर्माण कार्य गलत होने पर निर्माण कार्य रुकवा कर जिलाधिकारी, जालौन ने उसे तोड़ने व दोषी अधिकारियों को दण्डित करने तथा चेक डैम के पुनः निर्माण के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या चेक डैम का पुनः निर्माण अतिशीघ्र कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौन्द के अन्तर्गत ग्राम लोहई के पास नाले पर चैकडैम का निर्माण दस लाख कूप योजनान्तर्गत नहीं अपितु जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये अनुदान रुपये 6.20 लाख से जिला पंचायत जालौन द्वारा कराया जा रहा है।

जी हां। जिलाधिकारी द्वारा मा० सदस्य, विधान सभा श्री श्रीराम पाल के चैकडैम संबंधी शिकायती-पत्र के आधार पर अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उरई से जांच कराई गयी। जांच आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 5-12-97 को चैकडैम के निर्मित ढांचे को तुड़वाने व दोषी अवर अभियंता का उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा संशोधित डिजाइन के अनुसार नये सिरे से चैकडैम के निर्माण के आदेश दिये गये हैं।

जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 5-12-97 के अनुसार लोहई चैकडैम की क्षति रु० 61,286.00 का उत्तरदायित्व कार्य कराने वाले संबंधित अवर अभियंता श्री हरेन्द्र राय जो वर्तमान में जिला पंचायत, बस्ती कार्यरत हैं, पर निर्धारित किया गया है। लोहई चैकडैम की संशोधित डिजाइन व एस्टीमेट तैयार कर डी०आर०डी०ए० को दिनांक 8-6-98 को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही साथ संबंधित अवर अभियंता पूर्व निर्मित ढांचे को तुड़वाकर नये सिरे से संशोधित डिजाइन के अनुरूप निर्माण कार्य कराने के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम दोथ एवं भदौरा में मानक के अनुसार लगे हैण्ड पम्प

193—श्री रामतेज यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा दोथ, निवासी उदयभान व ग्राम भदौरा निवासी राम अधीर द्वारा लिखित आवेदन-पत्र पर प्रश्नकर्ता ने दिनांक 22-9-97 समाजवादी पार्टी विधान मण्डल के पत्र संख्या 136 द्वारा सचिव, नगर विकास को एक-एक हैण्ड पम्प लगाने लिखा था? यदि हां, तो उक्त दोनों स्थानों पर इतने समय व्यतीत हो जाने के बाद भी हैण्ड पम्प इंडिया मार्का–2 क्यों नहीं लगाये गये हैं? कब तक हैण्डपम्प लगा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत संदर्भ नगर विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त ग्राम दोथ में मानक के अनुसार 8 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर ग्राम को पेयजल से संतृप्त किया जा चुका है इसी प्रकार ग्राम भदौरा में भी 19 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर ग्राम भदौरा को मानक के अनुसार पेयजल से संतृप्त किया जा चुका है। अतः और हैण्डपम्प अधिष्ठापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

उक्त ग्रामों को पेयजल से संतृप्त कर दिया गया है अतः और हैण्डपम्प अधिष्ठापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्डों के खराब हैण्डपम्पों को ठीक करने की मांग

194—श्री नरेन्द्र सिंह

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ब्लाक लालगंज तथा ब्लाक सरवां में कितने इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं? क्या सरकार के पास इन हैण्ड

पम्पों को ठीक करने की कोई योजना है? यदि हां, तो उक्त हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक लालगंज तथा ब्लाक तरवां में दिनांक 1-4-98 को खराब हैण्डपम्पों की संख्या निम्नवत थी :–

ब्लाक	अस्थायी रूप से खराब	जी० आई पाइप खराब हो जाने के कारण बन्द	स्थायी रूप से खराब
लालगंज	22	20	39
तरवां	11	13	29

जी हां।

उक्त खराब हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराने के आदेश प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश, जल निगम तथा जिला अधिकारी, आजमगढ़ को दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के ग्राम मझरी नेवादा व अनेई में पेयजल की व्यवस्था

195—श्री लोकपति त्रिपाठी–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के कोलअसला विधान सभा क्षेत्र के पिण्डरा व बड़ागांव ब्लाक अन्तर्गत मंझरी नेवादा व अनेई पेयजल योजना चालू हो जाने के बावजूद जल निगम की टंकी न बनने के कारण दोनों योजनाओं से संबंधित गांवों को पीने के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो जनहित में दोनों योजनाओं की टंकियां कब तक बन जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं। ग्रामों में इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प तथा पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्नगत पेयजल योजनाओं से संबंधित टंकियों के निर्माण हेतु वर्ष 1999-2000 की जिला योजना में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराने हेतु प्रबन्ध निदेशक जल निगम तथा जिलाधिकारी, वाराणसी को निर्देश दे दिये गये हैं। जिला योजना में उक्त कार्य हेतु आवश्यक धनराशि की पूर्ण व्यवस्था हो जाने पर प्रश्नगत टंकियों का निर्माण किया जाना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद शाहजहां पुर को छात्रवृत्ति के रूप में आवंटित धनराशि का विवरण

196—श्री चेतराम

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड क्लान एवं मिरजापुर अन्तर्गत प्राथमिक एवं जू०हा० स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक कितने छात्र-छात्रायें अस्वच्छ पेशे वाले अध्ययनरत हैं? इन्हें वर्ष 1996-97 एवं मई, 1998 में समाज कल्याण विभाग, शाहजहांपुर द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में कुल कितना धन आवंटित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

345 छात्र–छात्रायें अध्ययनरत हैं।

वर्ष 1996-97 में इस मद में रु० 2,27,850 तथा वर्ष 1997-98 में रु० 3,81,000 की धनराशि शाहजहांपुर जनपद को आवंटित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकल समाप्त हुआ।

[नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं]

आज दिनांक 1 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सूचनाएं स्वीकार की गई। पहली सूचना श्री बिन्दु लाल की, दूसरी सूचना श्री उदय राज यादव की, तीसरी सूचना श्री हरदेव सिंह की, चौथी सूचना श्री लाल जी वर्मा की, पांचवीं सूचना श्री अरविन्द गिरि की, छठवीं सूचना श्री अकबर हुसैन की और सातवी सूचना डा० कौशल किशोर की है। इनमें से श्री उदय राज यादव व श्री हरदेव सिंह के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतीक्षा सूची की दो सूचनाएं ली जाती हैं जो कि श्री कृपा शंकर सिंह व श्री नरेन्द्र सिंह की हैं। इसमें से भी श्री नरेन्द्र सिंह उपस्थित नहीं है। अतः कुल 6 सूचनाएं स्वीकार की गई। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)

जनपद बलरामपुर के गैसड़ी क्षेत्रान्तर्गत करमाहना गांव को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिन्दु लाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र 154 गैसड़ी के तहसील बलरामपुर जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी पर बना बांध करमाहना ग्राम का गत एक वर्ष से टूट गया था। जिसमें लाखों रुपये की फसल नष्ट हो गयी थी। और बीसों गांव और भी प्रभावित हो गये थे। जिसकी सूचना आपके माध्यम से सरकार को दी गयी थी लेकिन पूरा वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इधर फिर बरसात शुरु हो गयी है। राप्ती नदी में अभी से बाढ़ आना प्रारम्भ हो गयी है यदि करमाहना बांध पर तुरन्त कार्य नहीं किया तो इस क्षेत्र में लाखों रुपये की फसल तो नष्ट हो ही जायेगी तथा बीसों गांव भी बाढ़ की चपेट में आ जायेंगे।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि करमाहना गांव पर तुरन्त बाढ़ रोकने के लिए व्यवस्था करायी जाय। ताकि उस क्षेत्र के लोगों की जान-माल की सुरक्षा हो सके। इस कार्य को आपातकालीन कार्य समय कर कराने की कृपा करें।]

जनपद अम्बेदकर नगर के उसरेथू बाजार विकास खण्ड टाण्डा में पशु चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा–

[मान्यवर, उसरेधू बाजार विकास खण्ड टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में पशु चिकित्सालय न होने से उक्त क्षेत्र के पशुओं के इलाज में अत्यधिक कठिनाई होती है उसरेथू से लगभग 15-20

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किमी० की दूरी के बीच कोई पशु चिकित्सालय की आवश्यकता है। पशु चिकित्सालय न होने से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उसरेथू विकास खण्ड टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में पशु चिकित्सालय की स्थापना की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के अलीगंज व गोला गोकरन नाथ गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरविन्द गिरि–

[मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी के अलीगंज व गोला गोकरनाथ गेहूं केन्द्रों पर गेहूं की खरीद में घोर अनियमितताएं हुई है। व्यापारियों द्वारा गेहूं की खरीद बन्द किये जाने के आदेश के बाद अधिकारियों व व्यापारियों की मिली भगत से लाखों टन गेहूं की खरीद करके व्यापारियों एवं अधिकारियों ने अनुचित लाभ कमाया चूंकि 10 मई, 98 से व्यापारियों के द्वारा गेहूं की खरीद बन्द कर दी गयी थी, इसलिए 10 मई के बाद व्यापारियों के द्वारा गेहूं की खरीद 10 मई से पूर्व की तारीखों 8 व 9 मई को दिखाई गई। केवल एक ही फर्म महेश्वरी राइस मिल के द्वारा 8 व 9 मई, 98 को लगभग 65 हजार क्विंटल गेहूं तुलवाया जाना दिखाया जो कि पूर्णतया असम्भव है।

इस अनियमितता एवं भ्रष्टाचार युक्त कार्य की जांच कराकर तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं एवं दोषी अधिकारियों व व्यापारियों को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी स्थिति मुन्सिफ कोर्ट जो चन्दौसी में है, को बिलारी तहसील में शिफ्ट कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन–

[मान्यवर, जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी से संबंधित मुंसिफ कोर्ट बिलारी के उपनगर चन्दौसी में स्थित है। लगभग 15 वर्ष पूर्व तहसील बिलारी को दो भागों में विभाजित कर चन्दौसी नाम से दूसरी तहसील का सृजन हो गया था और चन्दौसी नगर जो बिलारी तहसील का उपनगर था वर्तमान में नयी तहसील का मुख्यालय है। जनता को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रत्येक तहसील पर मुसिंफ कोर्ट की स्थापना की गयी है।

उल्लेखनीय है कि शासन की नीति को दृष्टिगत रखते हुए तहसील बिलारी में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना हेतु अनेकों बार शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया परन्तु अभी तक मुन्सिफ कोर्ट जो चन्दौसी में स्थित है को बिलारी तहसील में शिफ्ट नहीं किया गया है जिससे गरीब जनता के धन व समय की बरबादी होती है अतः वहां की जनता में शासन के इस उपेक्षापूर्ण रूख से शासन के प्रति अविश्वास एवं असंतोष की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखीमपुर में रेलवे क्रासिंग से मेला ग्राउन्ड तक 4 कि०मी० ध्वस्त मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० कौशल किशोर —

[मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर में शहर लखीमपुर की आबादी लगभग 1.50 लाख की है इस शहर में होकर बिलराया पनवारी राज्य मार्ग गुजरता है जो लगभग 8 किमी० दूर है इस मार्ग को 4 किमी० मार्ग रेलवे क्रासिंग से मेला ग्राउन्ड तक टूटकर ध्वस्त हो गया है एक-एक फिट गहरे गड्ढे हो गये हैं। मोटर वाहन, 2 पहिया वाहन तो बरसात में निकल ही नहीं सकते। यहां तक बैलगाड़ियों तक का निकलना दुशवार है। गडढा मुख्य सड़क योजना की धज्जियां उड़ रही हैं। इस मुख्य मार्ग से जनपद की 3/4 आबादी को रोज गुजरना होता है। यह मार्ग यदि न बनवाया गया तो इस वर्ष यह मार्ग बिल्कुल ही अवरुद्ध हो जायेगा।

अतः सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

उन्नाव जनपद की दक्षिणी सीमा पर बक्सर के सामने गंगा नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृपा शंकर सिंह —

मान्यवर, उन्नाव जनपद को दक्षिणी सीमा से गंगा नदी की पावन धारा बहती है नदी को पार करने के लिए लखनऊ–कानपुर राजमार्ग के ऊपर कानपुर शहर के सामने पुल बना है और इसके पूर्व 100 किमी० पूर्व फतेहपुर शहर के सामने रायबरेली–फतेहपुर मार्ग पर पुल बना है। बीच में 100 किमी० के लम्बे क्षेत्र में एक भी पुल न होने के कारण जनता को आवागमन की गम्भीर समस्या है जिससे विकास भी बाधित होता है संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उन्नाव जनपद का भगवन्तनगर कस्बा एवं फतेहपुर जनपद का बिंदकी कस्बा प्राचीन काल से व्यवसायिक केन्द्र रहे हैं। भगवन्तनगर एवं बिन्दकी कस्बे से जोड़ने के लिए भगवन्तनगर से अमर शहीद राव राम बक्श सिंह के शहीद स्थल बक्सर तक तथा बिन्दकी से बक्सर के सामने तक पहले से ही सड़क बनी है यदि बक्सर के सामने गंगा नदी पर पुल का निर्माण करा दिया जाय तो जनता को आवागमन की सुविधा हो जाएगी तथा बिन्दकी एवं भगवन्तनगर का व्यवसाय भी उन्नति करेगा। इतना ही नहीं बक्सर के सामने यदि यह गंगा नदी का पुल बन जाता है तो लखनऊ से बांदा एवं सागर (मध्य प्रदेश) के लिए सबसे सीधी सड़क होगी। इस पुल के निर्माण से जनता का बहुमूल्य समय तो बचेगा ही साथ ही साथ जनता के धन की बर्बादी भी रूकेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि बक्सर ही अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राव रामबक्श की शहीद स्थली है जहां प्रति वर्ष हजारों लोग शहीद स्थल पर देश विदेश से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष में इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद में पुल का निर्माण कराया जाना जरूरी है। उपयोगिता की दृष्टि से भी बक्सर के सामने यदि गंगा नदी पर पुल का निर्माण करा दिया जाय तो जनपद बांदा एवं सागर (मध्य प्रदेश) के लिए राजधानी लखनऊ से सबसे सीधा मार्ग होगा।

अतः अनुरोध है कि गंगा नदी पर बक्सर के सामने पुल निर्माण लोक महत्व का विषय सम्मानित सदन के समक्ष उठाने की अनुमति प्रदान की जाय।

नियम 300 की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता —

नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुख्य मन्त्री के शोधन वक्तव्य पर अनुपूरक प्रश्न की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कहना चाहता हूँ कि पिछले समय जब श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय श्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में समिति बनी। कौशिक समिति ने जो सामान्य वर्गों के लोग हैं सामान्य वर्ग के लोगों को 10 परसेन्ट आरक्षण की संस्तुति की थी। मैंने अल्पसूचित सवाल विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 में लगाया था। उस समय सुश्री मायावती जी मुख्य मंत्री थीं उन्होंने मान्यवर इस सवाल का जबाव दिया था मैंने सवाल किया क्या सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए रिपोर्ट प्राप्त हुई है उन्होंने कहा कि जी नहीं मैंने प्रश्न किया होगा तो कब तक, उन्होंने कहा सरकार उक्त रिपोर्ट की संस्तुति करायेगी और इसके लिए सदन के पटल पर रखेगी। उसका उत्तर दिया, जी हाँ। उसके बाद मान्यवर श्री कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री बनकर आए उन्होंने बताया कि कौशिक समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। इस पर सदन में उत्तर दिया गया था लेकिन सही उत्तर इस प्रकार है, जी हाँ। रमाशंकर कौशिक समिति की रिपोर्ट सामान्य वर्गों के आरक्षण को करने के लिए सरकार को प्राप्त हुई थी। तो जब कल्याण सिंह जी ने यह मान लिया कि वह रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तो सदन में कल कार्यसूची में मद संख्या 8 में हमारे प्रश्न के सम्बन्ध में संशोधित वक्तव्य था मुख्यमंत्री जी का। तो यह प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश के 43 (1) के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता को यह अधिकार है कि वह अल्पसूचित प्रश्न का अनुपूरक पूंछे तो प्रश्न पूंछने का जो हमारा अधिकार था उस अधिकार से हमको वंचित रखने का काम किया गया। हमें कोई भी अनुपूरक प्रश्न पूंछने नहीं दिया गया। आप 43 (1) को देखें यदि किसी मूल अल्पसूचित प्रश्न या तारांकित प्रश्न के उत्तर में संशोधन करना प्रस्तावित हो तो सम्बन्धित मंत्री के हस्ताक्षर से मूल प्रश्न, मूल उत्तर तथा संशोधित उत्तर सचिव को प्रेषित किया जायेगा और उन्हें कार्यसूची में तारांकित प्रश्नों के पूर्व प्रथम नत्थी के रूप में रखा जायेगा। संक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ सम्बन्धित मंत्री संशोधित उत्तर सदन में पढ़ सकेंगे तथा प्रश्नकर्ता को पूरक प्रश्न पूंछने का अधिकार होगा। इस तरह से जो हमारा अधिकार था उससे हमें वंचित किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब कौशिक समिति की रिपोर्ट आ गयी है तो क्या वह सदन के पटल पर रखी जायेगी? दूसरे जिस तरह से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों को आरक्षण है क्या सरकार सिद्धान्ततः 10 प्रतिशत आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को देगी?

श्री अधिष्ठाता—

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री रामऔतार शाक्य—

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी गलत उत्तर भेज देते हैं तो यह सारे सदन की और उत्तर प्रदेश की जनता और विधायकों की अवमानना है। जब मुख्यमंत्री को यह उत्तर मिला तो उन्होंने संशोधित उत्तर दिया। तो गलत उत्तर दिया गया इसके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उ० प्र० विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्ध निदेश की धारा 166 के अन्तर्गत कार्यवाही करके उससे सदन को अवगत करायेंगे इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

निदेश 166 पर इसका उल्लेख है और पूंछने का तरीका भी है। कौशिक समिति के बारे में जानकारी उस समय उपलब्ध नहीं रही होगी। यदि किसी कारणवश गलती हुई तो सदन के सामने

गलती स्वीकार करते हुए हमने संशोधित वक्तव्य भी दे दिया। परम्परा यह रही है कि जब संशोधित वक्तव्य दे दिया जाता है तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

श्री अधिष्ठाता —

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश (11) का संस्करण का निदेश संख्या 43 (1) मूल प्रश्नों के उत्तरों के संशोधन के बारे में है। अनुपूरक प्रश्न उक्त निदेश 43 (1) से नहीं अपितु 44 (2) से विनियमित होते हैं और उसके अनुसार अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संशोधन हेतु किसी मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।

[समय 12 बजकर 30 मिनट]

गत सत्र की 301 की सूचनाओं में से कतिपय सूचनाओं में "सूचना अप्राप्त तथा अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ" अंकित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश संख्या–14 (3) के अन्तर्गत प्रत्येक सत्र के एक सप्ताह के अन्दर शासन द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी जिसमें पिछले सत्र में सदन की संज्ञान में लायी गयी सूचनायें और शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण हो। मान्यवर, वर्तमान सत्र में दिनांक 24 जून, 1998 को विधान सभा के द्वितीय सत्र में सदन के संज्ञान में नियम 301 के अन्तर्गत 104 सूचनायें माननीय सदस्यों द्वारा लायी गयी, उन सूचनाओं में शासन द्वारा 24 जून, 1998 को सदन के पटल पर जो सूची रखी गयी उसमें 15 सूचनाओं में कृत-कार्यवाही के विषय में सूचना अप्राप्त अंकित है और 89 सूचनाओं के विषय में अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ अंकित है। उक्त सूचनाओं में एक भी सूचना ऐसी नहीं है जिसमें एक माह की निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर देने का उल्लेख है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत ही चिन्ताजनक और गम्भीर विषय है। सरकार जो निरन्तर यह दावा सदन के भीतर और बाहर करती है कि उसका आचरण इस सम्मानित सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाने वाला है। मैं आपकी अनुमति से निःसंकोच इस बात को कहता चाहता हूँ कि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी पीठ से समय-समय पर दिये जाने वाले निदेशों की खुली अवहेलना कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह घोषणा कि उसकी आस्था संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में है, बेबुनियाद सिद्ध हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही चिन्ताजनक मामला है और बार-बार अध्यक्ष पीठ से माननीय विधायकों को जो सदन की संज्ञान में लायी जाती हैं और जिस पर निर्धारित अवधि में उनके द्वारा अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचनायें उत्तर माननीय विधायकों को नहीं दिये जाते हैं। सम्मानित सदन की गरिमा को बढ़ाने में लेशमात्र भी आस्था उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है। इसलिए इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से बहुत दुःख और क्षोभ के साथ कहना चाहता हूँ कि निरन्तर सभी सत्रों में सरकार का अनुत्तर दायित्वपूर्ण रवैया रहा है। पिछला जो द्वितीय सत्र इस वर्ष का रहा है वह बहुत ही कम दिनों का रहा है। 24, 25 और 26 मार्च, 1998 की बैठकों में कुल 104 सूचनायें सदन के संज्ञान में लायी गयीं। 104 सूचनायें बहुत कम हैं, उन सूचनाओं में भी शासन गैर जिम्मेदाराना भूमिका प्रदर्शित कर रहा है, यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है। इन सूचनाओं में अब तक कृत-कार्यवाही

की सूचना सरकार पटल पर प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

* श्री जगदम्बिका पाल –

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी मेरी भावनाओं को अंगीकार कर लेंगे तो इनका उत्तर आसान हो जायेगा। क्योंकि यह कोई सत्तापक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। नियम 301 में इस सदन के निर्वाचित सदस्य, चाहे सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष के हों अपने क्षेत्र तथा जनमासन से जुड़ी हुई समस्याओं पर अपनी भावनायें प्रतिबिम्बत करने का अधिकार सम्मानित सदस्य का है। कार्यस्थगन की सूचनायें केवल प्रतिपक्ष से दिये जाते हैं और वह भी 5 सूचनायें दिये जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं द्वारा जो जन-प्रतिनिध चुने जाते हैं, उनकी तमाम आकांक्षायें, अपेक्षायें, समस्याओं के समाधान के लिये जुड़ी होती हैं और इन जन-प्रतिनिधियों पर जनता का काफी दबाव होता है, इसी के चलते जन-प्रतिनिधि इस सम्मानित सदन में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियम 301 की सूचना सदन में देते हैं, और जब आप उसे ग्रहण करते हैं, स्वीकार हो जाती है तो उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन समस्याओं के समाधान के लिये कृय कार्यवाही से सदन को अवगत कराये। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली में भी स्पष्ट निर्देश हैं, पीठ से दिये गये निर्णयों में भी स्पष्ट निदेश है। इस तरह की 104 सूचनाओं का उल्लेख किया गया, उसमें कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में विलम्ब हुआ, यह इस सदन की गरिमा के खिलाफ है, यह किसी एक माननीय सदस्य या जगदम्बिका पाल का प्रश्न नहीं है, यह इस सदन में बैठे किसी भी सदस्य द्वारा उत्तर के सम्बन्ध में सरकार की संवेदनशीलता का सवाल है। मान्यवर, यह सरकार तो बहुत संवेदनशील है, पारदर्शी है। मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में आप स्पष्ट निर्देश दें।

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय सदन के सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ क्योंकि जब नियमों के पालन का प्रश्न आता है, माननीय अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का प्रश्न आता है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अध्यक्ष पीठ के निर्णय या निदेश सारी बातों पर विचार करने के बाद ही दिये गये और यह तय किया गया कि एक दिन में नियम 301 के अन्तर्गत केवल 7 सूचनायें ही ली जायेगी। सात सूचनायें कुछ सोचकर ही तय की गयी होंगी। पिछला सत्र मात्र 3 दिन का था, अगर नियमों की बात करें तो उस हिसाब से केवल 21 सूचनायें आनी चाहिये थीं, मैं नियमों की आड़ में बात को समाप्त नहीं करना चाहता। इस तीन दिन के सत्र में एक दिन केवल 79 सूचनायें आ गयीं और कुल 3 दिन में 104 सूचनायें आयीं। नियमों में यह है कि एक सप्ताह के अन्दर सूचना दी जायेगी। अब इतनी सूचनायें आने के बावजूद भी इस बात का पूर्ण प्रयास किया गया कि यह स्वीकार की गयी सूचनायें हैं और उनका उत्तर दिया जाय। अब इन 104 सूचनाओं में केवल 15 ही लम्बित हैं, मैं उनका भी परीक्षण करा रहा हूँ कि यह 15 क्यों लम्बित हैं। नियम 301 में यह भी है कि किसी विषय विशेष के ऊपर सूचना होनी चाहिये, लेकिन कोई-कोई सूचना 3-3 विभाग से सम्बन्धित है तो ऐसे में उत्तर देने में कठिनाई होती है और गलत सूचना देना ठीक नहीं है। ऐसे में लम्बित होना अपरिहार्य है लेकिन सूचना गलत नहीं आनी चाहिये, बाकी जो निर्देश हैं, उनका पूरा पालन किया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपना निवेदन कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (11वां संस्करण) के पैरा 14 (1) के अनुसार नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचना का अन्तिम उत्तर पर माननीय मंत्री के हस्ताक्षर से एक माह के भीतर सम्बन्धित सदस्य को भेजे जाने और निदेश 14 (3) के अन्तर्गत प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचना पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण एक सप्ताह के अन्दर सदन के पटल पर रखे जाने का प्राविधान है। नियम 301 के अन्तर्गत गत सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं के मामले में शासन द्वारा उक्त निदेशानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी। मैं इस ओर माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

(शेष सूचनायें थी, वह अस्वीकार हुईं)

प्रदेश में बैंक डकैती व जर्जर कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयास

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं नियम 110 के अन्तर्गत एक सूचना देना चाहता हूँ। मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले ही कानून व्यवस्था पर जब चर्चा हो रही थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता सदन या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से परामर्श ले लें।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मुझे सुन लें। मान्यवर, सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था सुधर गयी है। अभी-अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां सभी कार्यालय हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी रहते हैं, 42 लाख की बैंक डकैती दिन-दहाड़े महानगर में पड़ी है और यह छाती ठोक कर कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है। मान्यवर, यह इनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। जो बदमाश हैं उन्हें इनका संरक्षण प्राप्त है, जो छात्र हैं, आज पहली जुलाई है जो अपने विद्यालयों को जा रहे हैं, जो नौ-जवान हैं, उनको पकड़कर प्रताड़ित किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता सदन या संसदीय कार्य मंत्री जी से परामर्श कर लें इस समय इसको नहीं स्वीकार करता हूँ।

ऊर्जा विभाग के बजट का साहित्य समय से न प्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार—

मान्यवर कल ऊर्जा विभाग का बजट प्रस्तुत होना है और नियमानुसार जो साहित्य है वह 4 दिन पूर्व मिल जाना चाहिए लेकिन अभी ऊर्जा विभाग का साहित्य अप्राप्त है, आपके निर्देश के बावजूद। इसलिए इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षन नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है कि बजट का मैटिरियल नही मिला है, तो इसको दिखवा लें और भिजवाने की कृपा करें।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, जो 42 लाख की बैंक डकैती हुई है इसको दिखवा लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, इसकी जानकारी करा लें।

(जो शेष सूचनायें थी, वह अस्वीकार हुईं)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998

* पंचायती राज्य मंत्री (श्री धर्म पाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री धर्मपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998†

पंचायती राज्य मंत्री (श्री धर्म पाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 9 जुलाई, 1998 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री प्रमोद कुमार —

मान्यवर, मत विभाजन करा दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता —

वोटिंग हो चुकी है।

श्री धर्मपाल सिंह —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूँ।

नियम 311 की नियम-56 में परिवर्तित और चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता —

आज दिनांक 1 जुलाई, 1998 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री समर पाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री बनारसी दास चांदना, श्री परवेज हलीम, श्री विजेन्द्र आर्य, की प्रदेश में उपभोक्ताओं के दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के निरन्तर बढ़ते मूल्यों के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यही सूचना श्री प्रमोद कुमार तिवारी, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री पूरन सिंह बुन्देला, श्री विजय प्रकाश तथा श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुरेन्द्र नाथ, डा० अम्मार रिजवी, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव तथा श्री राम ललित चौधरी, श्री लाल जी वर्मा, श्री लालमणि प्रसाद व श्री राम जग, श्री राम स्वरूप सिंह की है।

(व्यवधान)

श्री ददू प्रसाद —

मान्यवर, मेरी सूचना को कल स्थगित कर दिया गया था और यह निर्देश थे कि उस पर आज सुना जायेगा।

श्री अधिष्ठाता —

आप कृपया बैठें।

श्री फरीद महफूज किदवई —

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है उस पर सुनने की बात थी।

श्री अधिष्ठाता —

इसके बाद सुना जायेगा।

* श्री समर पाल सिंह —

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, प्रदेश के करोड़ों लोग इससे प्रभावित है, महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब से यह सरकार सत्तारूढ़ हुई है महंगाई लगातार बढ़ रही है और नियन्त्रण करने में यह पूरी तरह से विफल है। लोगों की क्रय शक्ति समाप्त होती जा रही है। चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार सस्ती दरों पर चीजें मुहैय्या कराने में असफल है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जब से यह सरकार सत्ता में आयी है तब से आवश्यक वस्तुओं के दामों में कई गुना वृद्धि हो गयी है। आज इस महंगाई से गरीब आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित है। मध्यम आय वर्ग का आदमी तथा गरीब आदमी जीवन यापन करने में असुविधा महसूस कर रहा है। आज वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। आलू जो पिछले वर्ष 2-3 रुपये किलो था, इस वर्ष 12 रुपये किलो हो गया है, दाल जो 13 रुपये किलो थी, वह 30 रुपये किलो हो गयी है, तेल व डालडा के दाम दिन-प्रति-दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मान्यवर, जीवित रहने के लिये भोजन सबसे पहली आवश्यकता है, यदि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग इसकी आवश्यकता नहीं समझते हों तो अलग बात है। आज प्याज को देख लीजिए 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वह मिल रहा है। गरीब आदमी आज पूरी तरह से भुखमरी के कगार पर है। यह पूंजीपतियों की सरकार है, उनको यह सरकार संरक्षण दे रही है, उनको लाभ पहुंचा रही है और गरीबों के पेट पर लात मारी जा रही है। पूंजीपतियों के गोदाम सामानों से ठसा ठस भरे हुये हैं और बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है ताकि चीजों की कमी हो सके और दाम बढ़ जायें। इस समय मान्यवर, शादी का माहौल है। गरीब आदमी जो अपनी लड़की/लड़के की शादी के लिए बजट बनाता है और जब एक महीने बाद सामान लेने जाता है तो वह आधा रह जाता है, इस प्रकार वह अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा है। बच्चों की फीस बढ़ा दी गयी। डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये गये। इस बढ़ती हुई महंगाई में मध्यम वर्ग का आदमी और गरीब आदमी अपना जीवन-यापन कैसे कर पायेगा ? मध्यम वर्ग का आदमी व गरीब आदमी जिसकी आय सीमित है या जिनके पास अनाप-सनाप पैसा नहीं है क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या यह केवल पूंजीपतियों की व सरमायेदारों की सरकार है? मान्यवर, यह सरकार कल्याणकारी सरकार नहीं है। यह गरीबी को दूर करने का प्रयास नहीं कर रही है अपितु गरीबों को दूर करने का प्रयास कर रही है। दिन-प्रति-दिन चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रदेश के अन्दर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, यदि यही स्थिति रही तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। आज इससे प्रदेश की करोड़ों जनता प्रभावित है। प्रत्येक दिशा से यह नियम–56 को पूरा करता है। यह अति लोक महत्व का प्रश्न है, प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं से इसका सम्बन्ध हैं, यह तात्कालिक है क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आज भी बढ़ रही है। इसलिये इस समस्त प्रकरण पर आप चर्चा करायें।

*श्री जगदम्बिका पाल —

मान्यवर, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर उठाया गया है। किसी भी कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रदेश की जनता को दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों को सही मूल्य पर उपलब्ध कराये और मूल्यों पर नियंत्रण रखे। कल ही खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने कहा कि उनके विभाग का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि प्रदेश की जनता को दैनिक उपभोग की वस्तुयें नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें। पहली बार कदाचित् यह हो रहा है कि मूल्य नियंत्रण के बारे में यह सरकार कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पायी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखे मजदूरी के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, गरीबों की क्रय शक्ति नहीं रह गयी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो कुछ दिनों बाद यह चीजें डाक्टर के प्रिसक्रिपशन पर ही खरीद पायेंगे। जिस तरह से आलू के दाम 12 रुपये, टमाटर के दाम 30 रुपया, प्याज 20 रुपये किलो, डालडा, 57 रुपये प्रति किलो, कड़ुवा तेल 52 रुपये किलो बिक रहा है तो इसके नियंत्रण का दायित्व कौन लेगा? मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं टंगी रहती है। बाजारों में आम आदमी उन दुकानदारों पर निर्भर रहता है वह चाहे जिस रेट पर चाहें सामान बेचते हैं। मैं

प्राइस इन्डैक्स दे रहा हूँ। मान्यवर, 21-9-97 को इस प्रदेश की सरकार ने शपथ ली थी और 20-3-98 को केन्द्र की सरकार ने शपथ ली थी। मैं प्राइस इन्डैक्स दे रहा हूँ:–

नाम वस्तु	(प्रदेश सरकार की शपथ) 21-9-97 के भाव	केन्द्र सरकार की शपथ 20-3-98	वर्तमान रेट 25-6-98 के भाव
अरहर फूल	1600/-	1800/-	2700/- कुन्तल
अरहर स्पेशल	1300/-	1550/-	2400/- कुन्तल
उरद हरी	1500/-	1700/-	1900/- कुन्तल
मूंग	1700/-	2250/-	2400/- कुन्तल
तेल वनस्पति			
सरसों का तेल	30/-	37/-	55/- प्रति ली०
वनस्पति	40/-	40/-	52/- प्रति ली०

तो इस तरह से महंगाई बढ़ी है। सरसों के तेल में तो 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो भी उपभोक्ताओं की चीजें हैं चाहे वह आलू हो, चीनी हो, मिट्टी का तेल हो, कड़ुवा तेल हो या प्याज हो तो उसके दाम बढ़े हैं। गिरा है तो बस सोने का भाव। इससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार किसके हितों की रक्षा कर रही है। यह पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर रही है। यह सरकार जो दावा करती है कि वह सर्वहारा के हितों की रक्षा करती है वह दावा आज फेल हो गया है। सस्ते गल्ले की दुकानों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने कल यहां पर चर्चा की। उन्होंने यह माना कि आज पूरे प्रदेश की वितरण व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। मिट्टी का तेल, चीनी यह सब ब्लैक में मिल रहा है और लोग मजबूरी में खरीद रहे हैं। 20 रुपया प्रति किलों कड़ुवा का तेल आज से दो महीने पहले था आज वह 57 रुपया प्रति किलो हो गया है, डालडा 52 रुपये में बिक रहा है। दो महीने के अन्दर 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का है। तात्कालिकता इसलिए है कि आज उत्तर प्रदेश के बाजार में दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और आज प्राइस इन्डैक्स, मूल सूचकांक, के साथ कोई संतुलन नहीं रह गया है। हर चीज में वृद्धि हुई है। फीस में कितनी वृद्धि हो गयी है। इंजीनियरिंग की फीस में दोगुना की वृद्धि हो गयी, मेडिकल की फीस में पांच गुना की वृद्धि हो गयी। आज तक किसी भी सरकार ने पेट्रोल पर 20 प्रतिशत का सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया है। आपने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगा दिया और डीजल पर लगा दिया। अगर आप लोगों को इस तरह से टैक्स करेंगे, तो क्या होगा। दूसरी ओर, उसकी आय में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। मान्यवर, अगर आप सन्तुलन नहीं बनायेंगे, तो प्रदेश में एक बड़ी भयावह स्थिति बन जायेगी। मान्यवर, केन्द्र ने पेट्रोल के दामों में वृद्धि की है और उसके बाद आप उस पर सेल्स टैक्स लगाने जा रहे हैं और अगर ऐसा आप करेंगे तो महंगाई रुकने वाली नहीं है। इसलिये मान्यवर, यह सवाल प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। आप इसको चर्चा के लिये स्वीकार कर लें।

*श्री सुरेन्द्र नाथ —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रश्न पर मैं जोर देते हुये कहना चाहता हूँ कि जैसा पाल जी ने कहा, आज पहली जुलाई है। आज के दिन, आपके संज्ञान में है और समस्त लोगों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संज्ञान में है कि हर परिवार का बच्चा विद्यालय जायेगा। आप किताबों की बात ले लीजिये, बाजार में किताबें नहीं हैं, नकली पाठ्य पुस्तकें बिक रही हैं। अभी पाल जी ने आलू के भाव, तेल के भाव, मिट्टी के तेल के भाव के बारे में बताया और यह भी कहा कि गैस का एक सिलेन्डर किसी भी उपभोक्ता को नहीं मिल पाता है, वह ब्लैक में मिल रहा है, अगर महंगाई पर से हमारा अंकुश समाप्त हो जायेगा, तो क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में 10 रुपये से कम कीमत पर मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, आप सबसे जरूरी चीज गेहूँ को ले लीजिये, जो हर परिवार के लिये जीने के लिये जरूरी है। उसको अपने पेट की ज्वाला को बुझाने के लिये गेहूँ की जरूरत है। सरकारी दाम पर उसे खरीदने की बात की जा रही है, लेकिन किसान मर रहा है, उसका गेहूँ खरीदा नहीं जा रहा है, बिचौलिये खरीद रहे हैं। मान्यवर, साधारण नमक जो हैं वह भी चार रुपये किलो बिक रहा है। मजदूर जो दिन भर मजदूरी करता है और शाम को जब गेहूँ का आटा लेने जाता है, तो आटे और नमक में ही उसकी दिन भर की कमाई चली जाती है। ऐसे मान्यवर, महंगाई की यह स्थिति है। इसलिये मान्यवर, बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है, आप इस पर चर्चा करा दें।

*श्री कौकब हमीद—

मान्यवर, अगर मैं यह कहूँ कि आजादी के 50 सालों में इतने जरूरी मुद्दे पर आज तक बहस नहीं हुई है। आप किसी भी दफ्तर में चले जायें, वहां पर सिर्फ महंगाई की बात होती है और हर चीज इतनी महंगी हो गयी है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। यह पारदर्शी सरकार है और इसके बड़े-बड़े दावे हैं तो आज यह सरकार तय कर ले कि यह उन 16 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता में जो 50 हजार उद्योगपति हैं उनकी यह सरकार है अथवा जो 15 करोड़ प्रदेश जनता है उनकी यह सरकार है। मान्यवर, चाहे वह पैसा वाला हो या वेतन वाला हो अथवा रिक्शा वाला हो या मजदूर हो आज हर आदमी परेशान है। आज सरकार ने पीने के पानी को बिकवा दिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में आज 10 रुपये प्रति टीन पानी बिक रहा है। यह सरकार लोगों को पानी तक नहीं दे पा रही है किन्तु यह सरकार के पास मंत्रियों के भत्ते और चाय के लिये धन जरूर उपलब्ध करा रही है फिर चाहे जनता भूखी ही मर जाए।

मान्यवर, आज आलू, गेहूँ, टमाटर, दाल और यहां तक कि हर खानेवाली चीज दोगुनी और तिगुनी रेट में हो गयी है। सरकार कहती है इसमें हमारा कसूर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने अभी तक शाकाहारी चीजों के संबंध में बताया। दूसरी चीजों के संबंध में भी आप बता दें।

श्री कौकब हमीद–

ठीक है, उसमें भी बता देंगे।

मान्यवर, सरकार कहती है कि अभी हम आये हैं और अभी-अभी सत्ता सम्हाली है। मान्यवर, यहां और केन्द्र में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार है। जिस दिन से आप आये हैं उसी दिन से महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। आपने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है जिससे कि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके। आप कहते हैं कि यह सरकार पारदर्शी सरकार है और सब चीजें साफ दिखाई पड़ रही हैं किन्तु मैं बताना चाहता हूँ कि यह सरकार जनता को लूटने वाली सरकार है। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाये तो हाहाकार मच गया और फिर भारत सरकार ने

उसे वापस ले लिया। अब इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेल्सटैक्स लगा दिया है। इससे पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। आप किसानों की बात करते हैं किन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि जब चीजों के आने-जाने में ट्रान्सपोर्टेशन में दाम बढ़ जायेंगे तो किसान की चीजें अपने आप महंगी हो जायेगी इसलिए यह बहुत ही जरूरी चर्चा है, इसलिए इसे आप स्वीकार कर लें।

श्री सुबाषचन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय इस महत्वपूर्ण सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं। मैं उ०प्र० सरकार को उनकी प्रतिबद्धता याद कराते हुये अपनी बात शुरू करता हूं। इस वित्तीय वर्ष का आम बजट सम्मानित नेता सदन ने जब प्रस्तुत किया तो उसमें एक दावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने उ०प्र० की जनता के लिये किया कि सरकार का दृढ़ मत है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को आवश्यक उपभोग की वस्तुयें न केवल गुणवत्ता के आधार पर अच्छी मिलेगी बल्कि वह उचित दर पर भी मिलेंगी। यह बात उन्होंने यहां पर अपने प्रवचन में कही। उपभोग की वस्तुओं की गुणवत्ता तो दूर रही, उचित दर पर जनता को दिलाने का सरकार का दावा निष्प्राण हुआ है। केवल पिछले 15 दिनों के अन्दर जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट प्रस्तुत किया उसके बाद बाजार में रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम अबाध गति से आसमान छू रहे हैं। उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बाजार में दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। शासन का विधि के भाषण का दावा बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है प्रदेश में अब कानून का राज नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार में जहां उपभोग की वस्तुओं को उचित दाम पर उपलब्ध कराने का दावा किया था वहीं उत्तर प्रदेश के व्यवसाइयों को निर्भय बनाने की भी उद्घोषणा की गई थी। आज बाजार में बिना किसी उचित आधार के वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि प्रदेश के जखीरेबाज, शर्मायेदार निर्भय हो गये हैं। उनको निर्भय बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 को प्रदेश सरकार की संस्तुति पर केन्द्रीय सरकार ने समाप्त कर दिया है। इसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के व्यवसायी और कालाबाजारी में लिप्त लोग निर्भय होकर आम आदमी को लूटने में नहीं हिचकिचा रहे हैं।

आज उत्तर प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। इस प्रकार आम आदमी को लूटा जा रहा है। स्वयं सरकार ने कबूल किया है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 16 करोड़ हो गई है और उसमें से 43 प्रतिशत इंसान गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इसका मतलब हुआ कि 7 करोड़ लोगों को दो जून की रोटी मुहैय्या नहीं हो रही है। जिसकी सरकार को कोई चिन्ता नहीं है, ऐसे नौजवान जो दो जून की रोटी के लिए मोहताज हैं उनको रोटी कैसे देंगे, इस पर सरकार ने सोचा ही नहीं। स्वयं आप इस बात को देखें कि आज उत्तर प्रदेश की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसको सुचारु रूप से चलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। आज वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिल्कुल पंचर हो गई है और इसके प्राण निकल गये हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस कदर ध्वस्त हो गई है कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध होने वाला मिट्टी का तेल और चीनी की खुले आम काला धंधा करने वाले लोग काले बाजार में बेंच रहे हैं और भयमुक्त होकर प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं । आज आम जनता के सबसे ज्यादा काम आने वाला वनस्पति घी 55 रुपये किलो, सरसों का तेल 52 रुपये किलो, आलू जो गरीब का सबसे मुख्य आहार है वह 12 रुपये किलो हो गया है । इसी तरह से टमाटर 30 रुपये, प्याज 20 रुपये, दाल 30 रुपये प्रति किलो पर आम जनता को मिल रही है । गरीब आदमी को जो न्यूनतम कैलोरीज मिलनी चाहिये। चीजों की कीमतें बढ़ जाने से वह न्यूनतम कैलोरीज भी नहीं मिल रही हैं। प्रदेश की जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है । जो पावरटी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं

जिनकी संख्या 7 करोड़ है उनको आज 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है । जिन वस्तुओं की आम जनता की जरूरत है उनकी कीमत आसमान छू रहीं हैं । चीनी 18 रुपये किलो और मूँगफली का तेल जो खाद्य तेलों का राजा कहा जाता है उसकी कीमत इस सरकार के आने के बाद 5 हजार रुपये प्रति क्विंटल हो गयी है । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश की सरकार इतनी लाचार है और वह मूक और बधिर होकर बैठ गये है और उसने प्रदेश की जनता को सरमायेदारों के हाथों लूट जाने के लिए खुला वातावरण बना दिया है । अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और यदि हया और शर्म उत्तर प्रदेश सरकार में शेष है तो नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उन्हें तत्काल सत्ता से अलग हो जाना चाहिये । लेकिन यह सरकार अपनी जवाबदेही कबूल नहीं कर रही है । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम सभी ने यह सूचना 311 और नियम 56 में दी है । नियम 56 आपको कंठस्थ होगा । उसमें दो ही महत्वपूर्ण इनग्रेडियेंटस होते हैं । एक तो अविलम्बनीयता और दूसरे लोक महत्व का प्रश्न होना चाहिये। महंगाई का जहां तक सवाल है यह सतत् बढ़ने वाली प्रक्रिया है इससे यह प्रश्न अविलम्बनीयता की शर्त पूरा करता है। दूसरे जहां तक लोक महत्व का प्रश्न है तो 16 करोड़ लोगों में से यदि यह 94 मंत्री निकाल दिये जायं तो यह प्रश्न लोक महत्व की शर्त को पूरा करता है क्योंकि जहां तक महंगाई का प्रश्न है मंत्रियों को छोड़कर सभी पर इसका असर पड़ता है। हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो बातें रखी हैं उसमें दो ही विकल्प हैं। एक तो यह कि नियम 56 के अन्तर्गत आप चर्चा स्वीकार कर लें अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर इस नियम को नियमावली से निकाल दें क्योंकि इसको फिर रखने का कोई औचित्य नहीं रह जायगा। महंगाई के बारें में चर्चा से ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई और विषय इससे ज्यादा गंभीर हो सकता है। मान्यवर, सभी ने मूल्य बताये उनको मैं दोबारा नहीं कहना चाहता लेकिन एक नजर डालें, इन्डेक्स की तरफ देखें तो पिछले कई वर्षों में इन्डेक्स इतनी तेजी से ऊपर नहीं बढ़ा है। जितनी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बढ़ी है। लोगों ने बहुत बातें कहीं हैं किसी ने महीने दो महीने की बात कही है ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि एक सप्ताह के अन्दर की स्थिति बहुत भयावह है। सरकार महंगाई के मामले में पूरी तरह से असफल है उसे रोकने में। मैं सप्ताह का आंकड़ा दे रहा हूँ। स्थिति यह है कि चना जो 1170 रुपये में पहले दिन था सप्ताह के अन्त में वह 1300 पहुँच गया। उड़द सप्ताह के प्रथम दिन 1300 और सप्ताह के अन्तिम दिन में वह 1400 पहुँच गयी। इस तरह से मटर सप्ताह के शुरू में मटर सफेद 1350 रुपये थी वह सप्ताह के अन्तिम दिन में 1800 पहुँच गई। जहां तक दाल चना सप्ताह के शुरू में 1280 था वह सप्ताह के अन्तिम दिन 1500 पहुँच गया। लोगों ने मान्यवर तीन महीने और एक महीने की बात कही है। मैं एक सप्ताह का इन्डैक्स दे रहा हूँ। मूल्य वृद्धि के बारे में सरकार जवाब देती है कि यह देशव्यापी है, ग्लोबल है। मान्यवर, मैं आंकड़ों के हिसाब से बता देना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी प्रदेश में मूल्य सूचकांक इतना नहीं बढ़ा है। मध्य प्रदेश, हिमांचल प्रदेश इसके उदाहरण है। हमारे प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? व्यापारी वर्ग से मिलिये बात करिये तो वह कहते हैं कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसको हम 40 सालों से चन्दा देते रहे हैं। यह पता नहीं कितने दिन चले इसलिये जितना वसूल सकते हैं वसूल लें। इससे ज्यादा लिबरल सरकार नहीं आने वाली है। मान्यवर, मूल्य नियंत्रण के लिये इसेन्सियल कौमोडिटीज एक्ट है जिसके माध्यम से व्यापारियों पर अंकुश लगाया जा सकता है लेकिन इन्होंने उसके प्राविधानों को समाप्त कर दिया और एक तरह से व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ कर ली जिससे वे कितनी भी मूल्य वृद्धि कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने उसको एक

और कदम आगे बड़ा दिया है। पेट्रोल, डीजल मैं नहीं समझता कि इनको जानकारी नहीं है। जब कोई चीज किसी फैक्ट्री में बनती है, कारखाने में तैयार होती है तो उस उत्पाद को बेचने के लिये ट्रेन या मालगाड़ी या ट्रक या बस की जरूरत होती है। आज इन चीजों के दाम बढ़े हैं तो माल ढुलाई का किराया बढ़ेगा। इन चीजों के दाम बढ़ने से आने वाले हफ्ते 15 दिन में महंगाई और बढ़ने जा रही है। आज कल्याण सिंह शासन में जरूरत की हर चीज महंगी है। एक चीज है जो कि सस्ती है वह है इन्सान की जान। आज इन्होंने इन्सान की जान की कीमत घटाई है इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मान्यवर, आपसे आग्रह करता हूँ कि यह अविलम्बनीय विषय है और निरन्तर जारी है। लगभग हर आबादी का प्रतिशत इससे प्रभावित होता है। यदि यह विषय सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने लायक नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इसके आगे और कोई विषय नहीं हो सकता है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा करायें जिस पर उधर के लोग बोलें न बोलें पर वे भी इससे प्रभावित हैं।

* श्री विजय प्रकाश–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समय माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में लगभग 9 महीने से राज्य कर रही है। यहां पर मैं आपके सामने इनके शासनकाल के कुछ चीजों के दाम के बारे में बताना चाहता हूँ।

तेल तीस-पैंतीस रुपये किलो, मिट्टी का तेल 12 से 15 रुपया लीटर, गेहूँ 20 से 30 रुपया किलो, सरसों का तेल 60 रुपया किलो, डालडा 45 से 50 रुपया किलो, प्याज 20 रुपया किलो, आलू 12 रुपया किलो। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो डीजल 20–25 रुपये के हिसाब से मिलता है।

(व्यवधान)

कटहल 20 से 40 रुपया किलो, भिंडी 20 रुपये किलो, शिमला मिर्चा 25 रुपये किलो। टमाटर 40 रुपया किलो।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य रेट डिफर कर रहे हैं आपने टमाटर [illegible] रुपये किलो कहा यह 25 रुपये किलो है।

श्री विजय प्रकाश–

मान्यवर, आलम यह हो रहा है कि गरीब लोगों को मारकर भगा दिया जाता है। [illegible] 18 रुपये किलो बिक रही है यह जो कल्याण सिंह की सरकार है यह इसके नुमाइन्दों की साजिश है इस पर चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए।

श्री रामललित चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे नियम 56 में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ इस सरकार में मान्यवर, महंगाई इस कदर बढ़ गई है।

श्री अधिष्ठाता–

राम जग जी आप बैठ जाएं आपको जरूर बुलाया जाएगा आप इनके बाद बोल लें।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामललित चौधरी–

मान्यवर, इस सरकार में महंगाई इस कदर बढ़ गई है इसकी मार से कोई नहीं बचा है चाहे गांव का रहने वाला हो चाहे शहर का रहने वाला हो, चाहे मजदूर हो चाहे विद्यार्थी हो मान्यवर, महंगाई बढ़ रही है लेकिन सवाल इस बात का है कि महंगाई बढ़ क्यों रही है सरकार इस बात की गहराई में जाए यदि लोग तो देखेंगे बी० जे० पी० ने सरकार बनने के बाद दो महीने तक ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ाई लेकिन जैसे ही पार्लियामेन्ट के चुनाव हुए महंगाई चरम सीमा पर चली गई। चुनाव के लिए बी० जे० पी० द्वारा व्यापारियों से पूंजीपतियों से चन्दा लिया गया। इंडिस्ट्रियल गुड्स के दामों में 25 परसेन्ट की वृद्धि हुई। मशीन, कपड़ा है, मोटर साइकिल है इन सबके दामों में वृद्धि हुई है।

(व्यवधान)

दवा के दामों में भयंकर रूप से 30–40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कीटनाशक दवाओं में 25–30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि उपकरण में 25–30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कापी-किताबों में दुगुनी तिगुनी वृद्धि हुई है।

(व्यवधान)

बसपा के समय में जो दाम थे और बी० जे० पी० के समय में जो दाम है मैं वह बताना चाहूँगा। बसपा के समय दाल 25 रुपये किलो था बी० जे० पी० के समय में दाल 35 रुपये किलो है। बसपा के समय आटा सात रुपये किलो था भाजपा के समय में आटा 10 रुपये किलो है चावल 10 रुपये किलो था अब 15 रुपये किलो है प्याज बपसा के समय तीन रुपये किलो थी बी० जे० पी० के समय में प्याज 20 रु० किलो है। लहसुन बसपा के समय 30 रुपये किलो था बी० जे० पी० के समय में लहसुन 40 रुपये किलो है। टमाटर 16 रुपये किलो था अब 40 रुपये किलो है। आलू सात रुपये किलो था अब दस रुपये किलो है।

(व्यवधान)

बसपा की सरकार में रसोई गैस 120 रुपये से 130 रुपये में थी बी० जे० पी० की सरकार में 150 रुपये की है.....

[समय 1 बजकर 30 मिनट]

.... दूध बसपा के समय 12 रुपये में भाजपा के समय 15 रुपये, चाय बसपा के समय 150 रुपये किलो भाजपा के समय 180 रुपये किलो, ईंट प्रति हजार बसपा के समय 900 रुपये भाजपा के समय 1600 रुपये। इस तरह से बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में सरकार पूरी तरह से असफल हैं। मैं मांग करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

* श्री रामजग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज नियम 311 के अन्तर्गत बढ़ती हुई महंगाई के सम्बन्ध में हम लोगों ने सूचना दी थी। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है। आज पूरे प्रदेश में महंगाई कमर तोड़ रही है। इस कमर तोड़ महंगाई से पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जिस ढंग से आलू के दाम बढ़े प्याज के दाम बढ़े और रोजमर्रा की जरुरी चीजों के दाम बढ़े इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता है, जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग हैं महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि वस्तुतः आम आदमी की पहुँच से बाहर हो रही है। इसका कारण देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर व्यापारियों और धन्नासेठों,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया है।

सरमायदारों, उद्योगपतियों से चन्दा लिया। चन्दे के बल पर यह सरकार राजनीति कर रही है। इसीलिए इसेन्सिएल कमोडिटी ऐक्ट को समाप्त कर इन्होंने व्यापारियों को खुली छूट दी है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया विषय तक अपने को रखें।

श्री रामजग–

आज पूरे प्रदेश में खाने-पीने के दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ किसान जो अपने खेत में खाद डालता है किसान जो खेती में उपकरण प्रयोग करता है उसके दाम बढ़ गए हैं। यह दाम 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़े है। आम आदमी सामान खरीदने जाता है लेकिन दाम सुनकर वह दुकान से भाग रहा है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में निकम्मी सावित हुई है। दूसरी तरफ हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल है जहां कहीं पर भी इतनी महंगाई नहीं बढ़ रही है। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सवाल है यह व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज यह व्यापारियों के खिलाफ कोई एक्सन नहीं ले पा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश की जनता की कमर टूट गई है। इसलिए यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। इस सरकार के विधायक महंगे हैं। इस सरकार में हिम्मत नहीं कि वह महंगाई के खिलाफ कोई रोक लगाए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा कराने की अनुमति दें।

*श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज यह जो विषय आया है, वह कार्यस्थगन की सारी शर्तों को पूरा करता है। जनता की सबसे बड़ी आवश्यकता खाद्य पदार्थों की है। आज महंगाई दिन-दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही है, आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इस सरकार ने जो नारा दिया था वह नारा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। हमारे बहुत से सम्मानित सदस्यों ने विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से उसका उल्लेख किया है। आज आप देखें, टमाटर, आलू, वनस्पति आयल, सारी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक हजार-दो हजार रुपया प्रति माह पाने वाले आदमी को आज महीने भर का खाना मुहैया नहीं हो पा रहा है। आज इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा कोई और नहीं हो सकता। आज जो आर्थिक सर्किल है वह पूरी तरह से रिवर्स हो गयी है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो क्रय शक्ति निश्चित रूप से क्षीण होगी, क्रय-शक्ति क्षीण होगी तो मांग घटेगी और जब मांग घटेगी तो निश्चित रूप से उत्पादन घटेगा। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। आज सरकार की गलत नीतियों के चलते उत्पादन कम हो गया है और उत्पादन कम होने के कारण सरकार का कोई नियंत्रण शासन और प्रशासन पर नहीं रह गया है और सरकार पूरी तरह से फेल हो गयी है। मान्यवर, यह ग्राह्यता की शर्तों को पूरी तरह से पालन करता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री लालमणि प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न आया है उसके सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि हर चीजों के दाम वर्तमान समय में चाहे, वह खाद्य सामग्री की बात हो या जीवन की आवश्यक वस्तुयें हों उनमें लगातार वृद्धि हो रही हैं और यह वर्तमान सरकार बढ़ी हुई महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल है। ऐसी हालत में चाहे गांव का मजदूर तबका हो या कर्मचारी हो या प्रदेश का कोई भी नागरिक हो सारे, लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। ऐसी हालत में जो यह महत्वपूर्ण विषय है, मैं चाहूँगा कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायी जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर सुने जाने का आग्रह करने पर व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे भी एक मिनट का समय दे दें। पार्टी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, एक महत्वपूर्ण विषय है इसलिए आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं आपने सूचना दी होती तो मैं आपको अवश्य सुनता। श्री राम स्वरूप जी आ गये हैं, वह इस सूचना पर अपनी बात रखें।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

*श्री राम स्वरूप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, कई चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने अपना बहुमत जुटाने के लिये जो खरीद-फरोख्त की थी और उसके लिए व्यापारियों से पैसा लिया था, यह सब उसी का परिणाम है। आज सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा जान बूझकर लुटेरों को खुला अवसर दिया जा रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मैं सिगरेट पीता हूँ जो सिगरेट एक रुपये की मिलती थी, वह अब डेढ़ रुपये की कर दी...

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, महंगाई जैसे गम्भीर विषय पर, लेकिन इस पर भी सत्ता पक्ष गम्भीर नहीं है। कृपा कर माननीय सदस्य के विचार सुनने के लिए इन्हें शान्त करें।

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, मैंने जब दुकानदार से इसके लिए कहा तो वह कहने लगा कि जो कुछ करना हो, करें, हम तो इतने की ही देगें। आज व्यापारियों के होसले बुलन्द हो गये हैं, यह सारे लोग इस मुनाफाखोरी में हिस्सेदार हैं। इसी प्रकार कोई भी दवा का जो दाम लिखा होता है, दुकानदार उससे ज्यादा पर बेच रहे हैं, आज व्यापारी तानाशाह हो गये हैं, इन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। ऐसे गम्भीर सवाल पर आप पूरे सदन के सदस्यों को बोलने का अवसर दीजिए और इस पर गम्भीरता से विचार करके अपना निर्णय दीजिए।

(संसदीय कार्य मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर विपक्ष की ओर से कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर 12 माननीय सदस्य बोल चुके हैं, आगे भी आपको अवसर मिलेगा, बोलने का।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान होता रहा)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है। पहले उनकी बात तो सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपसे अनुभवी शायद यहां एक दो सदस्य ही होंगे कार्य-स्थगन के जो भी महत्वपूर्ण बिन्दु लिए जा रहे हैं, औचित्य के, हम लोग देख रहे हैं कि सभी उन सदस्यों को नहीं बुलाया जाता जिनके हस्ताक्षर होते हैं। मेरा सबसे बड़ा दल है मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि मात्र दो सदस्यों को दो-दो मिनट के लिए अनुमति दे दें यह महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद माननीय, संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार आ जाय।

श्री अधिष्ठाता–

जो परिपाटी है वह अधिकांश यह है कि कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर जिनके दस्तखत होते हैं सामान्यतः वहीं लोग बोलते हैं। यहां कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आती है जिनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं उनको भी मौका दिया जाता है। बारह लोग बोल चुके हैं अभी बीस लोगों को और बोलना है दूसरे महत्वपूर्ण विषय आ रहे हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि कोई ऐसी बात हो जो इन माननीय सदस्यों ने नहीं कही है, जिनकी ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो प्राइज लिस्ट है जो कीमतें हैं वह सब बातें आ चुकी हैं अब दो मिनट में माननीय अवधेश जी कह दें और आप कह दें।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जिस महंगाई के सवाल को लेकर आज प्रदेश की 16 करोड़ जनता दुखित है महंगाई की मार उसके ऊपर कहर ढा रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस आदरणीय सदन में महंगाई पर रोक लगाने की बात कही थी, मान्यवर, यह जनता से सीधे जुड़ा हुआ सवाल है अनेक बार ऐसे अवसर भी आए हैं जबकि विभिन्न पार्टी के नेताओं की राय ली जाती है उनको अवसर दिया जाता है। महंगाई का ऐसा सवाल है जो खाली समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का ही सवाल नहीं है बल्कि इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता का सवाल है। मान्यवर, आज बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग है कर्मचारी हैं वह मुझसे कहते हैं कि हम सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं इतनी महंगाई है आप इसको विधान सभा में उठाइये। 40 रु० किलो मिर्चा बिक रहा है, 12 रु० किलो आलू बिक रहा है।

आलू ऐसी सब्जी है जिसको गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है हर मौसम की सब्जी है ये सरकार के लोग और मुख्य मंत्री जी ताल ठोक रहे हैं कि गर्दन नाप दी जायगी मैं पूछता हूँ कि आज किस तरह से हो रहा है उसमें महंगाई रोकने के लिए किसकी गर्दन नापी? मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि वे ग्राह्यता का सवाल है, अविलंबनीय है, लोक महत्व का है और इसलिए लोक महत्व का है कि ये 16 करोड़ की जनता पर इसका भार पड़ रहा है। रोजाना दाम बढ़ रहे हैं। आज कल परसों लगातार दाम बढ़ रहे हैं, अगर कीमत गिर रही है तो सिर्फ इन्सान की जिंदगी और खून की कीमत गिर रही है, परचेजिंग पावर घट रही है ये चिन्ता का विषय है, आज यह सवाल सबके सामने है इसीलिए इसकी ग्राहयता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सरकार का जबाव इसमें लीपा-पोती का आएगा। मान्यवर, हम इनकी कृपा पर यहां जीतकर नहीं आए हैं आज क्षेत्र की जनता हमारी तरफ आंख उठाकर देख रही है, इसलिए जैसी महंगाई है उस पर हम समझौता नहीं करेंगे।

*श्री योगेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आलू, प्याज, टमाटर के दाम इतने बढ़ गये हैं और मिर्च के दाम भी इतने बढ़ गये हैं अब यह सरकार का दायित्व है कि उसका नियंत्रण करे। राज्य में सौ-सौ मंत्री हैं जो राज्य स्तर के मंत्री हैं उसके पास कोई पावर नहीं हैं तो इस खर्च को रोकने की आवश्यकता है मंत्रियों को घटाकर खर्च कम किया जाए और इस खर्च को जनता के दुख-दर्द में लगाया जाए।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) —

मान्यवर, कार्यस्थगन के माध्यम से लगभग 14 माननीय सदस्यों ने एक घण्टा 15 मिनट तक इस विषय पर चर्चा की। चर्चा आगे चल रही थी लगभग सभी माननीय सदस्यों ने विभिन्न जिस के दाम बताए थोड़ा-बहुत अन्तर बताया किसी में दो रुपये का तो किसी में चार रुपये का और सरकार को दोषी ठहराया। मैं एकाग्रचित से हर माननीय सदस्य की बात सुन रहा था कि शायद कोई सुझाव आ जाए कि इस बढ़तें दाम पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है।

(व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मिली-जुली सरकार में लूट मची हुई है लूट सके तो लूट।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कृपया अन्यथा न लें।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, बढ़ती महंगाई पर तुरन्त लगाम लगाई जाए। डेली महंगाई बढ़ रही है ऐसा तो इस प्रदेश में पहले कभी नहीं देखा इस विषय पर चर्चा कराई जाए और शासन के खर्चों पर लगाम लगाई जाए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो भागों में, सक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। वस्तुस्थिति क्या है, कितने दाम बढ़े हैं, सारे देश के परिपेक्ष्य में हम कहां खड़े हुए हैं और हम इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। इसे मैं बताना चाहता हूँ। इस वर्ष गेहूँ के दाम 510 रुपये प्रति कुन्तल किसानों को दिलाये गये...

(विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ज्वाइंट रिसपांसबिलिटी के तहत जवाब दे रहे हैं। बार-बार इस पीठ से निर्देश दिये गये हैं यदि संबंधित विभाग का मंत्री लखनऊ में उपस्थित है या सदन में उपस्थित है तो उस विषय का जवाब वही देंगे। इस समय माननीय खाद्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं उन्हें इस बारे में अधिक जानकारी न होने के कारण उनके उत्तर में कमी नजर आ रही है। इसलिए मान्यवर, पीठ से निर्देश दें कि संबंधित विभाग का मंत्री ही जवाब दे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ज्वाइंट रिसपांसबिलिटी को अच्छी तरह से समझते हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जी खाद्यमंत्री तथा कृषि मंत्री में फर्क नहीं कर पा रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, खाद्यमंत्री कुछ मोटे हैं और कृषि मंत्री कुछ बौने।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस वर्ष किसानों के हित को देखते हुए सभी माननीय सदस्यगण ने आवाज उठाई थी, इसमें विशेष रूप से उस क्षेत्र के सदस्य जहां गन्ना पैदा होता है, गुड़ से नियंत्रण हटाने की बात कही थी। यह नियंत्रण इसलिए हटा दिया गया ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। 80 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से किसानों को दाम दिलाये गये इसलिए थोड़ी बहुत वृद्धि होना स्वाभाविक है। अब है कितनी, गेहूँ का बाजार भाव, चावल का बाजार भाव और चीनी तथा गुड़ का बाजार भाव, हमारे पास 5 राज्यों के आंकड़े हैं ये राज्य हैं:–दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल तथा दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्य, इन सभी राज्यों की तुलना में, जिनका मैंने उल्लेख किया है, के दाम कम हैं। .....

मान्यवर, एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि यहां पर फ्री मार्केट है और दाम बढ़ाये नहीं जाते यह स्वतः कम ज्यादा होते रहते हैं। मार्केट फोर्सेस का बड़ा भारी रोल होता है। यहां पर चीन, जैसी हुकुमत नहीं है कि मजबूर कर दिया कि इतने दाम पर बेचो। मान्यवर, बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था है। वह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग है, जो बाजार भाव में चीजें क्रय नहीं कर सकते उनके लिए यह व्यवस्था की गयी है लेकिन आजादी के पिछले पचास सालों में किसी सरकार ने यह तय नहीं किया कि खुले बाजार में इतने रेट पर बेचो.....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से सदन में घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार कह रही है कि हम मूल्य नियंत्रण नहीं कर सकते । यह अक्षम सरकार है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से मूल्य नियंत्रण में अक्षम साबित हुई है। इसलिए हम लोग सदन का त्याग करते हैं।

(विपक्ष के माननीय सदस्य सदन का त्याग कर चले गये)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कुछ आंकड़े मैं पेश करना चाहूँगा। 6 फरवरी, 1998 को गेहूँ का दाम बाजार में 5.62 रुपये था आज खुले बाजार में 5.52 रुपये में बिक रहा है, आटे का दाम 7.25 था आज 6.33 पर उपलब्ध है तो मान्यवर, दो ही तरीके हो सकते हैं और उन पर सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। सरकार किसी की हो आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मान्यवर, अभी माननीय सदस्य 40 रुपये प्रति किलो० टमाटर बिक रहा है यह कह रहे थे तो वह क्यों खरीद कर खा रहे हैं? उन्हें क्या किसी हकीम ने कहा कि टमाटर खाओ। जब तक इस प्रकार की खरीद पर रोक नहीं लगायी जायेगी तब तक बाजार भाव रेग्यूलेट नहीं हो सकता। इस सरकार का यह संकल्प है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करे, उपभोक्ता के अधिकारों को तेज करे उसमें जागरण पैदा करे। हम लोग सजग हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें डेढ़ घंटे की चर्चा हो चुकी है और इसमें अब और चर्चा की आवश्यकता नहीं है इसलिए आप इसे अग्राह्य करें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को और माननीय सदस्यों को इस विषय पर सुना और मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद, श्री सीताराम निषाद, श्री राम चन्द्र यादव, श्री राम सिंह सैनी, श्री भीम प्रसाद सोनकर व श्री जगदम्बिका पाल जी की जनपद फैजाबाद के थाना-तारून की पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से धरना एवं प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों तथा क्षेत्रीय विधायक के साथ मार-पीट किये जाने तथा भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा कायम कराये जाने के संबंध में है।

श्री लाल जी वर्मा–

इसी से सम्बन्धित मेरा नियम 56 में है। इसको इसी के साथ अटैच कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

यह शलाका में नहीं आया है।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, तब से चोरी डकैती हत्या और राहजनी की घटनायें बढ़ गयी हैं। इतनी घटनायें बढ़ गयी हैं कि इन 50 सालों में भी नहीं हुई हैं। अभी प्रमोद कुमार जी ने बताया कि 90 लाख की डकैती पड़ गयी है, लखनऊ में बैंक के बहुत बड़े अधिकारी की हत्या हो गयी है, तो इस प्रकार की हत्यायें राजधानी में हो रही हैं।

मान्यवर, मेरा फैजाबाद जिला इससे अछूता नहीं है। मैं एक घटना के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। यहां पर सीताराम निषाद वहां के विधायक बैठे हैं, इनको चार-चार बार इस सदन में आने का मौका मिला है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। 6 जून को 30 वर्षीय एक निषाद की हत्या की गयी। हत्यारे कौन थे, हम नहीं जानना चाहते हैं और बहुत से अपराध हुये, इस कारण सामाजिक संगठनों ने नोटिस दिया कि 26 तारीख को थाने का घेराव किया जायेगा, थाने के समक्ष प्रदर्शन किया जायेगा। इसका पूर्व नियोजित कार्यक्रम था और उसके निषाद जी मुख्य अतिथि थे, उनको उसकी अध्यक्षता करनी थी उसकी बैठक चल रही थी, उनसे मांग-पत्र लेने के लिये कोई नहीं आया। उसी बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने धावा बोल दिया और पुलिस ने उन पर लाठी चलानी शुरू कर दी और एक जाति विशेष के लोगों को पूछ-पूछकर मारा। जिसकी हत्या हो गयी थी, उसके भाई पर जान लेवा हमला किया गया और जेल में बन्द कर दिया गया। जब इस घटना की जानकारी मुझे मिली तो मैं निषाद जी के घर गया, वहां पर जिस प्रकार से नंगा नाच हुआ, उसको देखा। सारी सड़कें सूनी पड़ी हैं, लोगों में भय व्याप्त है। एक जाति विशेष के लोगों को मारा गया है और जब उनकी ओर रिपोर्ट होती है तो 145, 148, 149 में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। निषाद जाति के लोगों को पूछ-पूछकर मारा जा रहा है, अगर कोई लाश लेकर भी जा रहा है और निषाद जाति का है, तो उनको बन्द कर दिया जा रहा है.....

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाते हुए, श्री रघुबर दयाल वर्मा, इस सरकार को चला रहे हैं और उनके रिश्तेदार को भी मारा गया है। श्री मुन्ना निषाद को इस धारा में बन्द किया गया है। इस सरकार के सामने दो-तीन बातों के संबंध में मैं जानना चाहता हूँ कि पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार धरना और प्रदर्शन का आयोजन हुआ था तो क्या डी० वाई० एस० पी०, एस० पी० और कोई मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे थे कि नहीं ? मैं दूसरी बात सरकार से यह भी जानना चाहता हूँ कि प्रदर्शनकारियों को जो चोटें आई हैं और जो धरने पर बैठे थे उनके संबंध में एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई है जिसकी तफ्शीश छोटा दरोगा कर रहा है जो ठीक नहीं है।

इन बातों को मुख्य मंत्री जी जो गृह मंत्री भी हैं यहां आकर जवाब दें। मान्यवर, यह फैजाबाद जनपद का ही प्रश्न नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के निषादों में आज भय और आक्रोश व्याप्त है क्योंकि निषाद जाति को मारने, लूटने और राहजनी करने का काम किया गया है। इसलिए यह लोक महत्व का प्रश्न है और इस पर चर्चा करायी जाए।

मान्यवर, पुलिस ने पूछ-पूछ कर निषादों को पीटा है। मैं इस संबंध में जो एफ० आई० आर० हुई है उसे आपके पास भेज रहा हूँ। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि कितने निषादों को पकड़ा गया है और कितनों को छोड़ा गया है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है सत्ता में बैठी हुई एक महिला सदस्य रो-रो कर मुझसे कह रहीं थी कि हमारी बातों को मुख्य मंत्री जी नहीं सुनते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें और आप बैठ जायें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, विधायक निवासों में आज चोरी हो रही है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं भयमुक्त समाज और कानून का राज होगा। इस संबंध में हजरतगंज में एक पोस्टर लगा है जिसमें भयमुक्त समाज और अपराध मुक्त समाज होगा, उस पोस्टर को आप हटवाने का काम करें नहीं तो हमारे कार्यकर्ता उस पर कालिख पोतने का काम करेंगे। सभी सदस्यों का सवाल है, सदन की मर्यादा का सवाल है। आज ही आदेश करें और उन पुलिस कर्मचारियों को दंडित किया जाय और सदन में बताया जाय कि यह कार्यवाही की गयी है। अभी माननीय सीताराम निषाद जी अपनी व्यथा बतायेंगे। आपका हमें संरक्षण चाहिए आप निर्देश दे कि इस पर चर्चा कराई जाय और दोषी लोगों को दंडित किया जाय। मैं तो कहता हूँ कि श्री रघुबर दयाल वर्मा जी को भेज कर जांच करा लें अगर हमारी बात झूठी निकले तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे।

श्री सीता राम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समय उ० प्र० में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, यहां पर जंगल राज कायम हो चुका है इससे हमारा क्षेत्र और हमारा फैजाबाद जनपद बुरी तरह से प्रभावित है। हमारे यहां 9 जून को स्वामी प्रसाद निषाद की हत्या हुई थी उस हत्या को लेकर फैजाबाद ही नहीं अम्बेडकर नगर और अगल बगल के जिलों में भी बड़ा रोष व्याप्त था। इस हत्या में वहां के थानेदार की साजिश थी। शासन ने एक व्यवस्था दी थी कि उ० प्र० में गांव सभा के तालाबों को वहां के निषाद समाज के लोगों के पट्टे पर दिया जायेगा। स्वामी प्रसाद निषाद की यही गल्ती थी कि वह ग्राम सभा के तालाब का पट्टा लेना चाहता था लेकिन वहां का प्रधान और वहां के सामंत लोग उसको पट्टा देने में बाधा पहुंचा रहे थे, वह शासन में आया और यहां से आदेश करा ले गया तब उसको पूरा विश्वास हो गया कि पट्टा अब उसको मिल जायेगा। यह जानकारी उन लोगों को हो गई तो उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। जब उसकी हत्या हो गई और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, थानेदार ने भी इसमें सहायता नहीं की। 9 तारीख की रात हत्या हुई और जब 10 तारीख को लाश मिली तो उसके परिवार के लोग रोते हुए थाने में रिपोर्ट लिखवाने गये। हत्यारों का नाम बताया, गांव और पता भी बताया लेकिन थानेदार ने नाम रिपोर्ट में नहीं लिखा बल्कि एक व्यक्ति से कागज मंगवाकर स्वयं बोलकर रिपोर्ट लिखवाई अभियुक्तों का नाम अज्ञात लिखकर उसके चचा से जो पढ़ा-लिखा नहीं था, उसका अंगूठा लगवाकर एफ० आई० आर० दर्ज करवा दी। मुल्जिमों को बराबर संरक्षण मिलता रहा। 10 दिन तक जब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो वहां के लोगों में अशान्ति पैदा हो गयी। यह एक पर्चा वहां के लोगों का मैंने आपकी पीठ तक पहुंचा दिया है। मासूम स्वामी प्रसाद निषाद की हत्या हो गयी उसके विरोध में सैकड़ों लोगों ने तय किया कि तारून ब्लाक के सामने जनसभा का आयोजन किया

जायेगा और उसके बाद प्रदर्शन करके थाने का घेराव किया जायेगा। 26 तारीख को 11.00 बजे तारून ब्लाक के सामने एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, करीब ढाई हजार लोग वहां जमा हो गये थे। इस बात की पहले से सूचना देने के बाद भी 4.00 बजे तक कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस का अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया जबकि एक हफ्ता पहले ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस आयोजन की सूचना मिल गयी थी और ज्ञापन देने की बात कही गयी थी किन्तु इसकी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की। पूर्व निर्धारित उसी कार्यक्रम के अनुसार थाने का घेराव और प्रदर्शन हुआ। वहां शांति व्यवस्था कायम करने के लिये उचित प्रबंध होना चाहिये। मैं उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ वहां से विधायक हूँ। मेरा यह कर्तव्य था कि मेरे क्षेत्र में घटना हुयी है तो मैं वहां जाऊँ। हाउस चल रहा था मैं सदन छोड़कर वहां गया और वहां कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। जब कोई अधिकारी और मैजिस्ट्रेट नहीं आया ज्ञापन लेने के लिये और पता लगाया गया तो पता लगा कि अधिकारी थाने में बैठे हैं। इसलिये कार्यक्रम के अनुसार वहां से करीब 250 मीटर ब्लाक से दूर ढाई हजार लोग थाने के सामने गये। वहां का नायब थानेदार रामबालक दोहरे वहां आया और जुलूस से कहा कि रुक जाओ। मैं आगे आगे था और भी नेता हमारे साथ थे मैंने जुलूस को वहां पर रोक दिया मैंने कहा कि जो अधिकारी हैं उन्हें बुलाइये वह ज्ञापन लें तो राम बालक दोहरे ने कहा ज्ञापन हमें दे दीजिये मैं अधिकारियों को दे दूँगा। हमने कहा तुम्हारे ही थाने के खिलाफ यह प्रदर्शन है तो तुम्हें कैसे दे दें? उसके बाद इंचार्ज रामनगीना आते हैं वह कहते हैं कि ज्ञापन हमको दे दे हम अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। मैंने कहा कि तुम्हारे ही ऊपर आरोप है कि तुमने हत्यारों के नाम नहीं लिखे और उसके चचा से अंगूठा लगवा लिया और रिपोर्ट में लोगों के नाम अज्ञात लिखा है और तुम्हारे ऊपर आरोप है कि मुल्जिमों को संरक्षण दे रहे हो और परिवार के लोगों को धमकी दे रहे हो कि पैरवी करना छोड़ दो नहीं तो और लाशें गिर जायेंगी तो जब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा आरोप है और तुम साजिश में षडयंत्र में शामिल हो तो कैसे तुमको ज्ञापन दे दिया जाय? अधिकारियों को बुलवाइये हम उन्हें ज्ञापन देंगे। थानेदार ने कहा कि अतिक्रमण हटवाने अधिकारी तहसील बीकापुर गये हैं। मैंने कहा कि पहले से इत्तला थी तो उन्हें सूचित करते वह क्यों नहीं आये। वायरलेस करें केवल 15 किलोमीटर दूरी पर तहसील बीकापुर है 15 मिनट में आ जायेंगे हम 15-20 मिनट इंतजार करते हैं। हम सब लोग बैठ जाते हैं जब अधिकारी आ जायेंगे तो ज्ञापन देंगे। हम लोग अपनी व्यथा कहने आये हैं और व्यथा सुनायेंगे।

शांतिपूर्ण वातावरण में हम वहां पर बैठ गये सड़क पर जगह छोड़ दी ताकि गाड़ियां आ जा सकें वहां पर कोई व्यवधान नहीं हुआ। लेकिन एक षडयंत्र था थानेदार ने जानबूझकर अधिकारियों को नहीं बुलवाया था। थाने के उत्तर सड़क है और सड़क के उत्तर सहकारी समिति का कार्यालय है। थानेदार और पुलिस ने वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों को बैठा रखा था उन्हीं असामाजिक तत्वों में से किसी ने ढेला फेंका वहां पर पी० ए० सी० और पुलिस तथा थाने के लोग आ गये। सत्याग्रही दोनों ओर से घिरे थे। सत्याग्रहियों ने ढेला नहीं फेंका था। लेकिन उन पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया गया और खदेड़ खदेड़ कर मारा गया चारों तरफ दो घंटे तक तांडव नृत्य होता रहा। मेरे ऊपर प्रहार किया गया। मुझे प्रताड़ित और अपमानित किया गया। 2 घंटे तक मार लूट पाट होती रही। बाजार में पुलिस और पी० ए० सी० के लोग नाम पूछ-पूछ कर, अगर कोई कहता कि केवट है या निषाद है तो उन्हें मारापीटा गया। लोगों की साइकिलें और सामान लूट लिया गया था और थाने में बन्द कर दिया गया था। 2 घंटे तक थाने में मुझे भी डिटेन किया गया तब तक तांडव नृत्य होता रहा और अधिकारी लोग 5 बजे के बाद आये। मुझे भी थाने में डिटेन किया गया और सभा मंडप जो कि वहां से 250 मीटर की दूरी पर था, मंडप का सारा सामान ट्राली पर लाद कर थाने ले आये। सैकड़ों सत्याग्रहियों की साइकिल रखी थी उस पर ट्राली से रौंद-रौंद कर तोड़ डाला और लाद कर थाने में जमा कर दिया गया। वहां पर दो लाउड-स्पीकर को तोड़ दिया गया और इस तरह से वहां पर नंगा नाच किया गया। जाति के नाम पर लोगों को पकड़-पकड़ कर इतना

मारा कि एक आदमी मृतक के भाई का सिर फोड़ डाला उसका सारा शरीर लहू लुहान हो गया। कुछ लोग उसको चारपाई पर लादकर अस्पताल ले गये। जो लोग उसको उठाकर अस्पताल ले गये थे उनको भी पकड़ कर बन्द कर दिया। राम भवन निषाद एम० एस-सी० टापर एक लड़का बाजार से साइकिल पर धान चक्की से लेकर आ रहा था उसको रास्ते में रोक कर उससे नाम पूछा जब उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम राम भवन निषाद है तो उसको लाठी से खूब पीटा उसकी साइकिल छीन ली, उसका चावल छीन लिया और उसके पास जो पैसे थे वह भी छीन लिये। इस तरह से लूट पाट की जाती रही है। रात भर गांव में दबिश की जा रही है जो लोग निषाद थे उनके घरों को तबाह बार्बाद कर दिया नाम पूछ-पूछ कर मारा गया है। आज लोग गांव छोड़कर भाग गये हैं। और गांव एक छावनी बन गया है। जाति पूछ-पूछ कर लोगों को मारा जा रहा है। गांव में सिर्फ औरतें ही रह गयी है मर्द गांव छोड़कर चले गये हैं। मान्यवर, ऐसा वीभत्स कांड मैंने अपने 25/30 साल का राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा था जिस तरह से इस समय घटना हुई है। मान्यवर, थानेदार राम नगीना दोषी है उस पर आरोप था और हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे। हमारी मांग थी कि यह थानेदार हत्या में लिप्त है इसको निलम्बित किया जाय और उसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाय। यह हमारी मांग थी। मान्यवर, थानेदार यह जानता था कि उस पर क्या आरोप है इसलिये जो आरोप उस पर था उस पर पर्दा डालने के लिये यह सब उसने दूसरा कांड किया। हैदरगंज का थानेदार भी बुलाया गया था वह भी इसमें शामिल है। जो एफ० आई० आर० लिखी गयी है मान्यवर मुझे दो घंटे तक डिटेन किया गया वहां पर पांच बजे सी० ओ० और एस० डी० ओ० पहुंचे और उसके बाद उन लोगों ने एक दूसरा मुकदमा हमारे ऊपर मढ़ दिया और उस मुकदमें में अपराध सं०–214/98 में 14 धारायें लगायी गयी सीता राम निषाद क्षेत्रीय विधायक और 150 लोगों पर 147, 148, 149, 323, 322, 504, 506, 307, 337, 353, 341, 332 भा० दं० वि० व 7-क्रिमिनल ला, एमेन्डमेंन्ट ऐक्ट एवं 3 राष्ट्रीय सम्पत्ति नुकसान अधिनियम धारायें लगायी गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

यह सब आपकी सूचना में वर्णित है। अब खत्म करें।

श्री सीता राम निषाद—

मान्यवर, इन गम्भीर धाराओं में मुकदमा राष्ट्रीय सरकारी सम्पत्ति के नुकसान का अरोप लगाया है कायम किया है। 15 लोगों को पहले दिन पकड़ कर जेल भेज दिया और दो लोगों को दूसरे दिन पकड़ कर जेल भेज दिया। इस तरह से आज 17 लोग जेल में है। रातभर दबिश होती रही लोगों को गिरफ्तार करने के लिये। मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा करायी जाय और इस सम्पूर्ण प्रकरण की न्यायाधिक जांच कर दी जाय। जो फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज हुआ है इसमें लिप्त पुलिस और पी० ए० सी० के लोगों ने जो वहां पर मार-पीट की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय उनको तत्काल निलम्बित किया जाय। हैदरगंज का थानेदार भी जिम्मेदार है उसको तत्काल निलम्बित करने की कार्यवाही की जाय। यह मैं आपसे निवेदन करता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी—

जितने तथ्य माननीय सदस्यों ने रखे मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि श्री रघुवर दयाल वर्मा जी कम से कम मेरी बात सुनने के लिये रहें। मैं जानता हूँ यह सुनेंगे नहीं।

श्री लाल जी वर्मा—

मान्यवर, मैंने और धर्म राज निषाद जी ने इसी से सम्बन्धित सूचना दी थी नियम–56 के अन्तर्गत। मान्यवर, जब नियम–56 में कोई विषय आ जाता है तो दूसरा जो उससे सम्बन्धित हो उससे अटैच कर दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता —

माननीय वर्मा जी, आपकी श्लाका में नहीं आयी है।

श्री लाल जी वर्मा —

मान्यवर, जब विषय एक है तो इसमें श्लाका का क्या सवाल है। उसी के साथ सुन लें।

[समय 2 बजकर 30 मिनट]

श्री अम्बिका चौधरी—

जिन तथ्यों को माननीय अवधेश प्रसाद जी और निषाद जी ने आपके सामने रखा है उसको गहराई से लें। एक माननीय सदस्य के साथ गम्भीर घटना होती है तो उसे गम्भीरता से लिया जाता है। मान्यवर, 9 तारीख को घटना हुई उस हत्या की निन्दा के लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते इस सदन के माननीय सदस्य वहां जाते हैं तो पूरे प्रशासन का जो रुख है सिलसिलेवार कहना है। पुलिस का रुख और जिले के प्रशासन का रुख पूरी तरह से उपेक्षापूर्ण रहा है। इस मामले में पूरी तरह से उपेक्षा ही नहीं की गई बल्कि प्रताड़ित भी किया गया। जाति पूछकर जुल्म ढाये जा रहे हैं जो मल्लाह बिरादरी के लोग हैं उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। लोगो के विरुद्ध 150 मुकदमें कायम किए गए हैं उनको अपमानित करने का काम किया है मैं दोहराना नहीं चाहता हूं विशेष तौर पर सीताराम निषाद जी ने और अवधेश प्रसाद ने कहा इस सरकार के मंत्री माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी के रिश्तेदार है जब हम वर्मा जी से स्पष्टीकरण पूछना चाहते थे तो वह सदन छोड़कर चले गए। जाति का नाम पूछकर उत्पीड़न किया जाता है.....

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

नाम बता दें कौन है। यहां पर परम्परा होती जा रही है कोई प्रकरण हो यह कहा जाता है मंत्री का रिश्तेदार है यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मैंने इस विषय पर बोलने का अनुरोध किया था।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं आपकी अनुमति से बात कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका चौधरी जी पहले संसदीय कार्य मंत्री की बात समाप्त होने दीजिए आपने प्रश्न उठाया वह उसका पूरा उत्तर देंगे। अम्बिका जी अभी बोल रहे हैं इनके बाद सुन लेंगे वर्मा जी।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बहुत विस्तार से माननीय निषाद जी ने माननीय अवधेश जी ने कहा।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरी बात समाप्त नहीं हुई। स्वामी नाथ निषाद जिसकी हत्या नौ तारीख को की गई मेरी मांग है उसको दो लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। फर्जी मुकदमें वापस लिऐ जाएं दोषी

कर्मचारियों को दंडित किया जाए। जो आरोप सीताराम निषाद जी और अवधेश प्रसाद जी ने लगाए हैं उसमें प्रदेश के उच्चाधिकारी से जांच कराई जाएं जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने नाम पूछा है मैं नाम उनको बता दूं। हम लोग चाहते हैं कि रघुवर दयाल वर्मा जी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई जाए। तो हम समझेंगे इन्होंने हमारी बात मान ली।

इसी के साथ इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब किसी एक ही विषय पर दो माननीय सदस्यों की सूचना हो तो दोनों को सुनना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

आप महंगाई पर पहले बोल चुके हैं।

श्री लाल ° वर्मा–

अवधेश प्रस।५ जी भी महंगाई पर बोल चुके थे लेकिन उनको आपने अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

अवधेश जी के हस्ताक्षर उस नोटिस पर नहीं थे लेकिन 56 के अन्तर्गत एक व्यक्ति एक ही नोटिस पर दस्तखत करेगा। अवधेश जी को श्री चौधरी साहब के अनुरोध पर दो निमट बोलने का अवसर दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। पहले उनको सुन लें।

अगर सरकार द्वारा किसी समय कोई स्पष्टीकरण आता है तो वह किसी समय पर अवसर दिया जा सकता है।

श्री हुकुम सिंह–

मैं चर्चा का जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब से जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने एक मंत्री का नाम लिया कि उनके रिश्तेदार शामिल थे इसलिए वह उठकर चले गए। मैंने इसीलिए कहा है कि उनका नाम बताइये। क्योंकि यह गलत परम्परा पड़ती जा रही है कि कोई खड़ा होकर किसी पर आरोप लगा देता है। आपको नाम पता नहीं है। नाम पता हो तो नाम बताइए। अम्बिका जी को कम से कम किसी बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए थी तभी कोई आरोप लगाते।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैंने यह कहा था कि उनके रिश्तेदार पर भी हमला हुआ हैं। जिन लोगों पर हमला हुआ है उनमें मुन्ना निषाद भी हैं यही हमने कहा। आपने दूसरी बात समझ ली। मैं पुनः स्पष्ट कर दूँ जिन मल्लाहों पर हमला हुआ उसमें उनका रिश्तेदार भी शामिल है। और दूसरी बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। मैंने कहा था कि माननीय अवधेश प्रसाद जी और सीताराम निषाद जी ने यह बात कही है, जिनको व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी है। मैं इस तरह से यह बात नहीं कह रहा हूं, माननीय सदस्य उपस्थित हैं, उनके हमला करने की बात नहीं कही है। आप गलत समझ रहे हैं।

(श्री सीताराम निषाद के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सीताराम जी आप बैठे, मैंने श्री बी० आर० वर्मा० जी को बुला लिया है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस सदन की एक परम्परा रही है, नियम 56 और नियम 311 की जो भी सूचनाएं दी जाती हैं अगर उसी विषय पर दो तीन नोटिसें और लगी हैं तो उन्हें एक साथ ले लिया जाता है। अभी आपने जिस विषय पर कुछ माननीय सदस्यों को सुना है उसी विषय पर श्री लालजी वर्मा एवं धर्मराज निषाद की भी नोटिस है। मेरा आपसे अनुरोध है इसमें दो-दो मिनट सुन लें, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि काफी तथ्य आ चुके हैं। यह माननीय सदस्य उसी जिले के हैं और कदाचित जिसकी हत्या हुई है वह बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन माननीय सदस्यों को दो दो मिनट में सुन लें।

(श्री धर्मराज निषाद के खड़े होने पर)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, राम चन्दर यादव को भी सुन लें, सूचना पर इनके हस्ताक्षर हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने धर्मराज निषाद को बुला लिया है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री सीताराम निषाद, श्री अवधेश प्रसाद, श्री अम्बिका चौधरी, श्री शिवपाल सिंह यादव, डा० वकार अहमद शाह, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम विशुन आजाद आदि माननीय सदस्य सदन की बेल में आ गये और विधायक की रक्षा कर न सके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है के नारे लगाने लगे।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के बेल में आकर बैठ गये और नारा लगाते रहे)

श्री गोपाल कृष्ण–

पीलीभीत में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती की जा रही है.....

अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें ताकि जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं, वह अपनी बात कह सके।

(माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर चले गये)

श्री धर्मराज निषाद–

मान्यवर, इस सरकार का नारा है कि कानून का राज होगा, भयमुक्त समाज होगा, यह एकदम खोखला साबित हो रहा है। इसी तारतम्य में बताना चाहूंगा कि 9 जून की घटना है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और निषादों के नेता श्री स्वामी प्रसाद निषाद की हत्या कर दी गई यह हत्या मत्स्य पालन पट्टा को लेकर हुई, स्वामी प्रसाद निषाद की रंजिश उस गांव के प्रधान से थी, कुछ दिन पहले उन के ऊपर हमला भी किया गया था। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने प्रशासन को 24-1-98 आवेदन-पत्र भी दिया था लेकिन प्रशासन ने उनको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई, जब उनकी हत्या हो गई, तब निषाद समुदाय के लोगों ने 26 जून को धरना, प्रदर्शन करने की घोषणा की। 15 जून को मैं एस०एस०पी० से मिला, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी हो जायेगी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और तब लोगों ने 26 जून को धरना प्रदर्शन करने का निश्चय किया। मैं उनके घर गया था, स्वामी प्रसाद अकेले थे, उनके अब 5 लड़कियां हैं। उनके कोई भाई नहीं है, माता पिता नहीं हैं। जब धरना-प्रदर्शन किया गया तो वहां के पुलिस ने निषादों के ऊपर लाठीचार्ज

किया, तमाम निषादों को चोटें आई, इस समय 17 निषाद जेल में हैं, दयाराम निषाद जी कटेहरी विधान सभा के पदाधिकारी हैं और पेशे से वकील हैं, उनको भी जेल में बंद किया गया। लगभग 150 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफ०आई०आर० दर्ज किया गया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, फैजाबाद में, अम्बेदकर नगर में अनेक जगह निषादों पर जुल्म किया जा रहा है। मेरे गांव में डकैती पड़ी और निषादों को फर्जी तरीके से 395 में फंसाया गया। राम सेवक के यहां इसी तरह चोरी हुई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से निषादों पर जुल्म करने का अभियान चलाया जा रहा है, यह सरकार चाहती है कि निषाद आगे न बढ़ सके। श्री स्वामी प्रसाद जी बसपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने कैन्डीडेट को पार्लियामेंट में पहुंचाने में सहयोग कर रहे थे, जिससे हारने के बाद विनय कटियार का बयान आया था कि निषाद समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, जिसके कारण मैं हारा।

मान्यवर, ये निषाद समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है। मैं मांग करता हूं कि जो दोषी पुलिस कर्मी हैं उनको दण्डित किया जाय, इसकी न्यायिक जांच कराई जाय और स्वामी प्रसाद निषाद के परिवार की सुरक्षा तुरंत की जाय। जो घायल निषाद लोग हैं उनको पचास-पचास हजार रुपये, स्वामी प्रसाद निषाद के परिवार के लोगों को एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाय। निर्दोषों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया जाय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न है, सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री राम चन्दर यादव–

मान्यवर, ये भाजपा की कल्याणकारी सरकार जब से प्रदेश में आई है तब से हत्या, डकैती, राहजनी, लूट रोज-रोज बढ़ती जा रही है। आज आजादी के बाद यह पहली सरकार है जिसने पूरी तरह से जंगल राज कायम कर रखा है। फर्जी आंकड़े पेश करके अच्छी तस्वीर कायम करने में लगी है। पूरे जनपद फैजाबाद में सभी थाना क्षेत्रों में कितनी इनके कार्यकाल में घटनायें घटी हैं आंकड़े मंगाये जायें तो उतनी कभी नहीं घटी। पिछली सरकारों से 25-30 फीसदी ज्यादा हत्या, डकैती, लूट की घटनायें घटी है। सोहावल क्षेत्र में सहदेव प्रसाद और उनके बेटे को मारा गया, डकैतियां हुई हैं लोग मारे गये हैं, स्वामी प्रसाद जी की हत्या हो जाती है। माननीय, सीताराम निषाद जी यहां के माननीय सदस्य हैं जनपद फैजाबाद की पुलिस जिस तरीके से कहानी बनाकर सीताराम निषाद जी के साथ 150 निषाद लोगों को मुल्जिम बनाती है वह एक गन्दी मिसाल है। मान्यवर, पुलिस ने जिस तरह से कहानी बनाई है कि 10 कदम पीछे हटकर लाठी भांजी गई एफ०आई०आर० में दिखाया है। मान्यवर, सड़क के एक किनारे सहकारिता भवन है और दूसरी तरफ थाना है। दस कदम हटने का कोई औचित्य ही नहीं है। 45 सायकिलें बरामद दिखाई गई हैं जबकि मौके पर 41 सायकिलें हैं जो फर्जी मुकदमा कायम किया गया है, जो दरोगा है जिसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि वह दरोगा है। जब मेरे ऊपर 97 हमला हुआ था मुकदमा नं० 6/97 तो यही दरोगा था यह दरोगा उन हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर सका है हमलावार फरार है उसके ऊपर 50 हजार का इनाम है, इस दरोगा ने केवल गरीबों पर कहर ढाया है, सीताराम निषाद को प्रताड़ित किया है, दो घण्टे तक थाने में रोक कर बेइज्जत किया है जिस तरह से ये घटनायें हो रही है मैं कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं पर रोक लगाई जाय।

मान्यवर, स्वामी नाथ निषाद, वे अकेले कमाने वाले इन्सान थे उनकी विधवा को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों को फर्जी फंसाया गया है सबके ऊपर से मुकदमें हटाए जाएं इसकी न्यायिक जांच कराई जाए जितने पुलिस कर्मी इसमें संलग्न रहे हैं उनको तत्काल निलम्बित किया जाय। उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हों। मान्यवर, इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, 8-9 जून की घटना है इसमें स्वामी प्रसाद निषाद को पीट-पीटकर मार दिया जाता है। मान्यवर, सरकार कह रही है कि कानून का राज होगा वही दूसरी तरफ मनुष्य की हत्या पिटाई

कर दी जाए तो कहां कानून का राज है। यह केवल इसलिए कि वह तालाब का पट्टा क्योंकि निषाद समुदाय को मिल रहा था यह तकलीफ थी तो निश्चित रूप यह साबित होता है कि यह भय युक्त समाज का नारा इनका कितना खोखला है। मान्यवर, इसमें वहां तारून का थानाध्यक्ष मिला हुआ था किसी हत्यारे की इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई जब इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ 26 जून को थाने पर धरने और प्रदर्शन का आयोजन किया गया उस धरने पर माननीय विधायक सीताराम निषाद जी भी बैठे थे आश्चर्य की बात है कि एक विधायक की मौजूदगी के बावजूद भी वहां कोई डिप्टी कलेक्टर मौजूद नहीं था इसे शासन की संवेदन शून्यता ही कहा जायेगा। यह महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न है। 26 जून की जो घटना है, निषाद समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी निषाद समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठा हुए थे पुलिस के खिलाफ चूंकि उन्होंने आवाज उठाई थी इसलिए उस पर लाठी चार्ज किया गया फर्जी उत्पीड़न अभी तक जारी है जाति पूंछ-पूंछ कर निषाद समुदय के लोगों की पिटाई की गयी तमाम लोगों को थाने में बन्द किया गया हमारे यहां के दयाराम निषाद जी हैं उनको भी जेल में डालने का काम किया। स्वामी प्रसाद निषाद गरीबों की आवाज उठा रहा था उसकी हत्या की गयी जो आन्दोलनकारी पुलिस जुल्मों के विरोध में आन्दोलन कर रहे थे उनकी पिटाई की गयी उनको जेलों में बन्द किया गया। मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी इस बात की घोषणा करें कि स्वामी प्रसाद निषाद के परिवार वालों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए जो फर्जी मुकदमें प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दर्ज है वह वापस किये जाएं।

थानाध्यक्ष तारून सस्पेंड किया जाए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमें कायम किये जाएं और इस पर कम से कम एक घण्टे की चर्चा कराई जाए जिससे की सारे तथ्य सामने आ सकें।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है एक सदस्य से जुड़ा हुआ मामला है।

यदि इस प्रकार से पुलिस कर्मी विधायकों को आतंकित करेंगे, उनका उत्पीड़न करेंगे और उन पर लाठीचार्ज करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मान्यवर, आप भी निषाद जी की आदत को जानते हैं। वह बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। उनकी आदत की वजह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही होगी। पुलिस की एक आदत होती है दादागिरी दिखाने की और वह किसी को नहीं बक्शते। माननीय विधायक के ऊपर लाठीचार्ज करके एक प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य पुलिस ने किया है। धरना देना, प्रदर्शन करना, अपनी मांग रखना तथा मांगों के समर्थन में अपनी आवाज उठाना हमारा अधिकार है परन्तु पुलिस ने हमारे इन अधिकारों पर कुठाराघात किया है। इसलिये इस प्रकारण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। आप यहां से सदन की एक कमेटी भेज दें जो तथ्य लेकर वहां से आ जाये और अपनी वह जो रिपोर्ट दें, उसके अनुसार कार्यवाही की जाय, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। फर्जी मामलों में विधायक को फंसाने का काम किया गया है, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के लोगों को फंसाया जा रहा है। इसलिये आपका निर्देश होना चाहिये कि उस दरोगा को सस्पेंड किया जाय और जिन पुलिस कर्मियों ने लाठी चार्ज किया है और लूट की है उनके खिलाफ लूट-पाट का मुकदमा दर्ज होना चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप एक वरिष्ठ सदस्य है। इस प्रकार के प्रकरण बहुत कम सदन में आते हैं जब किसी माननीय सदस्य से संबंधित कोई मामला हो। मान्यवर, जब आप संसदीय कार्य मंत्री थे तो उस समय भी दो बार इस तरह के मामले आये थे और उस समय दलगत भावना से ऊपर उठकर, इस सदन की गरिमा को देखकर आपकी पीठ से निर्देश हुए थे। श्री निषाद जी के साथ यह घटना

घटी, वह धरने पर बैठे हुए थे। धरना और प्रदर्शन उनका अधिकार है। शासन का यह कर्तव्य था कि वहां पहुंच कर उनके ज्ञापन को लेते और उस कार्यक्रम को शान्तिपूर्वक निपटने देते। अपने सहयोगी की हत्या पर रोष प्रकट करने के लिये श्री निषाद जी वहां गये थे। उनके साथ जो कुछ और लोग थे, वह कोई पिकनिक मनाने तो गये नहीं थे, वह तो इसलिये गये थे कि जो लोग इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। मान्यवर, मैं भी कानून का विद्यार्थी रहा हूं। थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। जो दफायें लगायी गई हैं, वह जानबूझकर विधायक को अपमानित करने के लिये लगाई गई हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यह केवल विधायक का अपमान नहीं है अपितु सम्पूर्ण सदन का अपमान है। यह केवल निषाद जी का प्रश्न नहीं है बल्कि सम्पूर्ण विधायिका के मान सम्मान का प्रश्न है। यदि आज इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया तो ये पुलिस कर्मी इस प्रकार का असंवैधानिक कार्य करते रहेंगे। पुरानी घटनाओं की याद दिलाते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन पुलिस कर्मियों को कठोर दण्ड दिया जाय ताकि भविष्य में वह इस प्रकार के अनाधार कृत्य करने की हिम्मत न जुटा पायें। इस प्रकार के निर्देश आप देने का कष्ट करें।

मान्यवर, मुकदमा तत्काल वापस लिया जाय और जिन सिपाहियों ने लाठी चार्ज किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। अगर मुकदमा कायम करना ही है तो उस थानेदार के खिलाफ, उन सिपाहियों के खिलाफ कायम किया जाय न कि विधायक के खिलाफ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपके संज्ञान में यह जो प्रकरण आया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और विधायकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऐसा नहीं कि आज विधायक इस पक्ष के हैं इसलिए ऐसी बात कह दी गयी हो सकता है कि सत्ता पक्ष के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार हो। मान्यवर श्री रघुवर दयाल वर्मा जी आप रिश्तेदार चोटिल हैं। मान्यवर, जब पुलिस गुस्से में होती है तो वह निरंकुश हो जाती है और अमानवीय हो जाती है और वह यह भी नहीं देखती कि वह भूतपूर्व मंत्री है मौजूदा मंत्री हैं सम्मानित सदस्य हैं। मान्यवर, सीताराम निषाद जी पूर्व मंत्री थे, इस सदन के सम्मानित और वरिष्ठ सदस्य भी हैं। जैसा कि प्रमोद कुमार जी ने अभी कहा कि इससे पूर्व जब आप संसदीय कार्य मंत्री जी थे तो दो बार यह प्रकरण आपके सामने आया था। तभी आपने विधिक व्यवस्था दिया था मान्यवर, 9 जून की यह घटना है, अगर हम प्रदर्शन नहीं करेंगे धरना नहीं देंगे तो क्या लोकतंत्र में पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी, डकैती और कत्ल करेंगे। मान्यवर जब से यह सरकार आयी है यह पुलिस निरंकुश हो गयी है। भा० ज० पा० सरकार ने पुलिस को भ्रष्ट एवं तानाशाह उ० प्र० में बना दिया है।

मान्यवर, चाहे हजरतगंज में ले लीजिये, चाहे दारूलशफा में ले लीजिये या चाहे लखनऊ में कहीं भी ले लीजिये या फिर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइये, यहां पर मंत्री बैठे हुए हैं झूठ का मुखौटा लगाकर यह कहते हैं कि हमारा सम्मान करते हैं उनके साथ संबंध अच्छे बने हुए हैं लेकिन आज आम आदमी जो है, जो व्यापारी है, कर्मचारी हैं वह भी उतना ही मायने रखता है लेकिन यह सरकार उसकी दुर्दशा कर रही है। उसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है। सभी प्रताड़ित किये जा रहे हैं। इससे पुलिस का मनोबल बढ़ रहा है? यह दुखद घटना है और हमें आपसे उम्मीद है इस भा०जा०पा० सरकार से तो प्रदेश में कोई उम्मीद नहीं है और इसलिए भी नहीं हो सकती कि उन्होंने तो यह कहा है कि अल्पसंख्यक को मारो और उनका घर जलाओ, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करो, निषाद को मारो, उनका घर जलाओ, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करो, पिछड़ी जाति के लोगों को मारो जो कमजोर है उसकी पिटाई करो ताकि वह यह कहे कि अब हमें मत मारो हम तुम्हारी शरण में हैं। लेकिन मान्यवर, समाज में जब अत्याचार होगा, कमजोर व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होगा तो वह आदमी अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता है यह मैं बताना चाहता हूं। वह संघर्ष के लिए खड़ा हो जायेगा। सीताराम निषाद जी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, वन मंत्री जी के रिश्तेदार हैं उनको मारा लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं आयी कि पुलिस के विरुद्ध पत्र ही मुख्य मंत्री को लिखकर के न्याय दिला देते।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वन मंत्री जी यहां पर नहीं हैं आप उनका नाम न लें।

श्री राम तेज यादव, एडवोकेट–

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि जो लोग मारे गये हैं उनको मुआवजा दिया जाय और इस पर चर्चा करायी जाय। जो पुलिस के कर्मचारी है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाय और सीताराम निषाद जी और 150 लोगों को जो मारा गया है उन पुलिस कर्मियों को हथकड़ी डालकर जेल भेजा जाय तब पता चलेगा कि कानून नाम की कोई चीज है। मान्यवर, यह चुस्त दुरुस्त प्रशासन की बात करते हैं वन मंत्री जी के रिश्तेदार पीटे गये और हो सकता है किसी दिन मंत्री जी का नम्बर लग जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इसकी ग्राह्यता के परिपेक्ष्य में दो तीन बिन्दुओं पर कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि स्वामी प्रसाद निषाद की हत्या की गयी है, उसे न्याय मिलना तो दूर और हत्यारों को गिरफ्तार करना तो दूर, न्याय हेतु जो प्रदर्शन किये गये, उसमें कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं गया, इस बात को सुनने के लिये तैयार नहीं हुआ कि उनका ज्ञापन ले लें। हम अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी यहां पर नहीं आया, जबकि हमारे सम्मानित सदन के सदस्य उसमें मौजूद थे। मान्यवर, उन पर लाठी चार्ज हुआ और लोगों को चोटें आयी। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को मार-मार कर घायल किया गया और इसी परिपेक्ष्य में मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं वह यह है कि हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गयी और जब उनके विरुद्ध गुहार लगायी जाती है, तो उनको मारा जाता है, उन पर लाठी चार्ज किया जाता है और फर्जी मुकदमें दायर किये जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ उत्पीड़न किया गया। आज भी उसमें सैकड़ों लोगों के ऊपर अनेकों धाराओं में फर्जी तरीके से मुकदमें दर्ज कराये गये हैं और उनको जेलों में ठूंसा गया है।

मान्यवर, हम हत्यारों की गिरफ्तारी की गुहार करने गये थे, लेकिन लाठी चार्ज किया गया। हम अपनी बात कहना चाहते थे, उसको दबाने के लिये लाठी चार्ज किया गया और फर्जी केसेज में फंसाया गया और गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह गम्भीर मामला है। अगर आप इसको गम्भीरता से नहीं लेंगे, तो अराजक तत्वों का हौसला बुलन्द हो जायेगा और उनकी निरंकुशता बढ़ती जायेगी। आज इस प्रकरण में एक हत्या हुई है और 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कल इसकी पुनरावृत्ति दिन दूनी रात चौगुनी हो जायेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गम्भीर मामले में आप व्यवस्था दें। हम सरकार से कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं, जो सरकार न दे सके। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि जिसने स्वामी नाथ निषाद की हत्या की है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिये। जो अधिकारी गुहार सुनने के लिये नहीं गये उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। थानाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो, जिनकी मौजूदगी में वहां पर लाठी चार्ज हुआ।

साथ-साथ मृतक आश्रित परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा के रूप में दिया जाना चाहिए तथा घायल परिवारों को 50 हजार रुपये अनुदान देना चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जायेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि शांतिपूर्वक जो निषाद और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोग जो धरने और प्रदर्शन कर रहे थे जिन्हें फर्जी फंसाया गया है उनके मुकदमें वापस लिए जाने चाहिए और उन्हें जेलों से रिहा करना चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि इनके पास दिल और दिमाग नहीं है। गुण्डों और माफियों के बल पर

बनी यह सरकार हमारी न्याय प्रिय मांगों को नहीं सुनेगी। मान्यवर, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि सारे कार्यों को रोककर उस पर चर्चा करायें और हमें न्याय दिलाएं।

एक सदस्य

इनकी बातें तो समझ में ही नहीं आती हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

(व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल का नाम पुकारे जाने एवं उनके खड़े होने पर)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, इस सदन में जो बोला जाता है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि यहां की ध्वनि व्यवस्था बड़ी खराब है जिससे कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी जब कहते है तो उनकी कोई बात समझ में नहीं आती है। पता नहीं उस ध्वनि व्यवस्था के बनवाने में कितना कमीशन लिया गया है जिससे यह व्यवस्था खराब हो गयी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यहां की ध्वनि व्यवस्था को ठीक कराया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

इस सदन की कुछ परम्पराएं और एडीकेट हैं उनको आप लोगों को बनाएं रखना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि एक गम्भीर विषय पर यहां चर्चा हो रही थी, एक आदमी की हत्या हुई है जिसके संबंध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ऊँची आवाज में यहां बोल रहे थे। लेकिन सत्तापक्ष के लोग इतने मदांध हो गये हैं कि हम लोगों की बातें उनकी समझ में ही नहीं आती हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने जो बाते कही हैं मैं भी उससे सहमत हूं। एक माननीय सदस्य पर हमला हुआ है उसकी इज्जत का सवाल है लिहाजा इसे हमें गंभीरता पूर्वक लेना चाहिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं उन संदर्भों का उल्लेख नहीं करुंगा जिनका जिक्र ग्राह्यता के संबंध में हो गया है। इस महत्वपूर्ण प्रकरण में जिसमें एक सम्मानित सदस्य का भी उल्लेख है कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में यहां पर रखा गया है। माननीय सदस्य स्वयं सीताराम निषाद धरना स्थल पर गये थे और न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन जो मुकदमें उन पर लगाये गये हैं उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी उनमें सच्चाई है। इस सदन में सीताराम निषाद नये सदस्य नहीं हैं उस समय भी वह मंत्री थे जब स्वयं संसदीय कार्य मंत्री, मंत्री थे। संसदीय कार्य मंत्री और सीताराम निषाद जी एक साथ मंत्री रह चुके हैं। उनका जीवन संपूर्ण सदन को विज्ञ है। वह राजनीतिक प्रतिवद्धता के धनी व्यक्ति है। यह उनके ऊपर पहला मुकदमा होगा इससे पहले शायद ही कोई धारा उन पर लगाई गयी हो। तमाम धारायें उनके ऊपर लगाई गयी हैं सेवंथ क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट जो किसी हारडंड क्रिमिनल पर लगाया जाता है, किसी सत्याग्रही या धरना

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देने वाले पर यह नहीं लगाया जाता है। प्रजातंत्र में कभी कोई इधर है तो कभी कोई उधर है। मैं समझता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं यहां का सदस्य होने के नाते और उनके साथ मंत्री के रूप में कार्य करने के नाते वह सीताराम निषाद जी को जानते हैं तो यह सेवंथ क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट लगाना या सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का आरोप लगाना किसी तरह से भी उचित नहीं लगता है। जिन्होंने कभी कोई कठोर बात नहीं कही आपने देखा होगा बिना इजाजत मिले वह बोलते तक नहीं है, वह पहली बार इस सदन के फ्लोर पर आये होंगे। मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस प्रकरण की जांच जिससे चाहे कराये या फिर इस सदन की एक सर्वदलीय समिति बना दें और स्वयं उसके वह अध्यक्ष बन जायं लेकिन आदरणीय सीताराम निषाद जी पर एक साधारण दरोगा या इंस्पेक्टर द्वारा लगाये गये सेवंथ क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट तथा दूसरी जो धारायें लगाई गयी हैं राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान आदि की धाराओं को वापस करें। किसी भी सदस्य के ऊपर इस तरह से एक दरोगा द्वारा लिखना कदापि उचित नहीं है. सरकार उस रिपोर्ट को वापस करे जो एक थाने के दरोगा ने या इंस्पेक्टर ने उन पर लगाई है। जिस प्रकार से सदन में चर्चा हुई है और माननीय निषाद जी जिस प्रकार मर्माहत हुए है और पूरे एक निषाद समुदाय की बात आ रही है यह अत्यन्त दुख की बात है। एक निषाद युवक की हत्या हो गयी जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था उसको न्याय दिलाने के प्रयास में कोई आयोजन हुआ उसमें उन लोगों के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही करना कहां तक उचित है? सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोग सदैव इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। उसमें इस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाये और पुलिस निरंकुश हो जाये तो इस पर सोचना होगा। सत्याग्रह करने वालों पर बीसियों धाराओं में फर्जी मुकदमा लगा देना एक गम्भीर विषय है। मैं मांग करता हूं कि सरकार इसे ग्राह्यता के रूप में स्वीकार करें और माननीय सीताराम निषाद पर लगा मुकदमा वापस लिया जाय और जो फर्जी धाराओं के जेलों में बन्द हैं उनको छोड़ा जाये और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की गम्भीर घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

माननीय निषाद सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं विधायक हैं अगर वह कहीं पर सत्याग्रह करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लगाकर उनकी छवि कलंकित करने का प्रयास होगा तो इससे गंभीर विषय और कोई नहीं है।

डा० कौशल किशोर–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस प्रकरण पर मैं 2-3 बातों को कहना चाहता हूं। यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठें हैं चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों वह राजनीतिक लोग हैं और जनता की रक्षा के लिये समय-समय पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। माननीय सीताराम निषाद ने अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने के लिये एक मीटिंग की कौन सा गुनाह उन्होंने किया यहां पर बर्बर लाठी चार्ज किया गया और फर्जी मुकदमें दर्ज कराये गये। इसका पूरे सदन के सदस्यों को विरोध करना चाहिये। एक मैसेज गलत चला गया है, यह उसी का परिणाम है। मुख्य मंत्री जी ने मंडलीय समीक्षा में कहा कि तालाबों के पट्टे करना बंद कर देंगे क्योंकि तालाबों के पट्टे हो जाने पर जानवरों को पानी नहीं मिलता जानवरों को तालाबों में जाने नहीं दिया जाता है और एक जाति विशेष के लिये पट्टे होते हैं। इसका प्रचार हुआ उसी का नतीजा है यह घटना हुई। मैं कहना चाहता हूं कि स्वामीनाथ निषाद के परिवार को 5 लाख रुपया दिलाया जाय और पूरे मामले की न्यायिक जांच करायी जाय और जो फर्जी मुकदमें दर्ज कराये गये हैं उनको वापस लिया जाय और जिन पुलिस कर्मियों ने सीताराम जी के ऊपर मुकदमें कायम करायें हैं उनको दंडित किया जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आभारी हूं मान्यवर, 10-6-98 को थाने में एक रिपोर्ट दर्ज होती है और रिपोर्ट दर्ज कराने वाले हैं रामअजोर निषाद उनका कहना है कि उनके भतीजे स्वामीनाथ की हत्या कर दी गयी है। किसी भी व्यक्ति का नाम रिपोर्ट में दर्ज नहीं की गयी।

श्री सीता राम निषाद–

थानेदार ने स्वयं रिपोर्ट लिखकर उसके चाचा से अंगूठा लगवा लिया है।

श्री हुकुम सिंह —

मान्यवर, इसकी विवेचना शुरू होती है, विवेचना में यह तथ्य आता है कि घनश्याम यादव का उनके परिवार वालों से झगड़ा था। विवेचना आगे चलती है तो प्रकाश में आता है कि राधेश्याम यादव, लालता प्रसाद यादव, उजागर और घनश्याम यादव के नाम प्रकाश में आते हैं। पुलिस राधेश्याम यादव और लालता प्रसाद यादव को गिरफ्तार करती है। उजागर न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हैं। घनश्याम के खिलाफ 82/83 की कार्यवाही होती है। मान्यवर, दो गिरफ्तार होते हैं, एक आत्मसमर्पण करता है और चौथे के खिलाफ 82/83 की कार्यवाही होती है। उसके बाद जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके बाद रास्ता जाम होता है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा डेढ़ सौ आदमियों ने रास्ता जाम कर दिया, माननीय सदस्य भी उसमें शामिल थे।

श्री सीता राम निषाद —

ढाई हजार आदमी थे। यह झूठी रिपोर्ट है झूठी रिपोर्ट मत पढ़िये।

(समय 3 बजकर 30 मिनट)

श्री सीता राम निषाद —

यह झूठी रिपोर्ट है। इसको मत पढ़िये। यह न्याय करेंगे मान्यवर।

* श्री सुधाकर सिंह —

मान्यवर, यह फर्जी रिपोर्ट है, इसको सदन में मत पढ़िये।

श्री अधिष्ठाता —

जब पूरी बात नहीं सुनेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुधाकर सिंह —

थानाध्यक्ष वादी है और नायब दरोगा उसकी तफ्तीश करेगा? यह रिपोर्ट नहीं सुनी जायेगी।

श्री सीता राम निषाद —

झूठी रिपोर्ट है, मान्यवर, इसको फाड़ कर फेंक दीजिये। यह गलत रिपोर्ट यहां हम नहीं सुनेंगे।

श्री अधिष्ठाता —

पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिये। माननीय निषाद जी आप भी मंत्री रहे हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पास जो आंकड़ें हैं उनको सुन लीजिये। उससे सहमत हों न हों उसके बाद जो कहना हो कहें। बात नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा?

श्री हुकुम सिंह —

मान्यवर, 10 तारीख में मुकदमा दर्ज हुआ और 26 तारीख तक इतनी कार्यवाही हो गयी। अभियुक्तों के अज्ञात होने के बावजूद भी दो अभियुक्त पकड़े गये, एक ने आत्मसमर्पण किया और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1 पर 82/83 की कार्यवाही की गयी। इस तरह से 16 दिन में इतनी कार्यवाही हुई है। अभी कहा गया था कि सामन्ती मार रहे थे। मान्यवर, मैंने नाम पढ़कर बतायें इसमें कौन सामन्ती है, बतायें?

श्री सुधाकर सिंह —

मान्यवर, सामन्ती की परिभाषा आती है तो बता दें।

(कई मा० सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता —

कृपया शान्त रहें। अपना आसन ग्रहण करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य —

सामन्ती कोई जात नहीं होती है। सामन्ती सोच होती है।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह —

मैं पूर्णतया सहमत हूँ।

श्री सीता राम निषाद —

26 तारीख को जिस विषय पर नोटिस है उस पर बात करें।

श्री हुकुम सिंह —

यह चर्चा कई घंटे से विस्तार से चली। सारी बातें आयी। मैं संक्षेप में उल्लेख कर रहा हूँ। 26 तारीख को रास्ता जाम किया गया जो लोग रास्ता जाम कर रहे थे। उनको समझाने के लिये अधिकारी आये अधिकारियों ने उनको समझाने का प्रयास किया.... (व्यवधान)

श्री सीता राम निषाद —

कोई अधिकारी नहीं आया।

श्री अम्बिका चौधरी —

कौन से अधिकारी आये आप नाम बता दें?

श्री अधिष्ठाता —

मेरा अनुरोध है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बात समाप्त कर लें फिर आप कहें।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी —

कौन से अधिकारी हैं बता दें?

श्री हुकुम सिंह —

मान्यवर, मौके पर मजिस्ट्रेट, पुलिस दोनों ने प्रयास किया समझाने का लेकिन उन पर पथराव हुआ। दस पुलिस कर्मियों को चोटें आयी हैं, पुलिस कर्मियों के चोटें आयेंगी पथराव होगा –

(व्यवधान)

श्री सीता राम निषाद —

यह कतई [×××] है यह [×××] कहानी है।

श्री सुधाकर सिंह —

इनका कार्य सत्य से परे है दरोगा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।

श्री अधिष्ठाता —

मुझे निर्णय लेने दें।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय सदस्य निषाद जी का नाम कई बार आया जो बात उन्होंने कही है उसमें प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई बात नहीं है वह सौम्य प्रकृति के व्यक्ति हैं। मंत्री भी वह रहे हैं, इधर भी रहे हैं उधर अब हैं । जब आपस में पथराव होता है चोटें आती हैं तो अपराधी को देखा जाता है अपराधी कौन है इसको देखा जाता है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अपराधी को बचाने का प्रयास नहीं किया जायेगा जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी कानून की दृष्टि में सब समान हैं।

(व्यवधान)

जांच सही कराई जायेगी, निष्पक्ष कराई जाएगी दोषियों का बख्शा नहीं जाएगा ।

श्री अधिष्ठाता—

यहि नियम 56 में अग्राह्य नहीं है । मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय सदस्य का जहां तक सवाल है इस मामले को आप स्वयं देखें। माननीय सदस्य से आप सम्पर्क स्थापित करें जो तथ्य माननीय सदस्य ने बताए हैं और जो आपके पास आंकड़े आए हैं दोनो का मुकाबला करके समस्या का समाधान करें । माननीय सदस्य के तमाम अधिकारों की सुरक्षा करें ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी—

इस मुकदमें का वादी थानाध्यक्ष और इस मुकदमें की तफ्तीश उसका नायब दरोगा कर रहा है । संसदीय कार्य मंत्री उसी की रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य संसदीय कार्य मंत्री जी से सम्पर्क स्थापित करते रहें ।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए ।)

वह रिपोर्ट फर्जी है, दरोगा लाइन हाजिर करने का नारे लगाते रहे ।

(श्री सुधाकर सिंह व दो अन्य सपा के सदस्य रिपोर्ट्स टेबल पर चढ़ गये)

श्री अधिष्ठाता—

सभी माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर जायें । मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपना स्थान ग्रहण करें ।

(माननीय सदस्यों के अपने आसन पर न जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन को 4.00 बजे तक स्थगित करता हूँ ।

(इस समय 3 बजकर 42 पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 4 बजे तक स्थगित कर दी ।)

4 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया है कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सीता राम निषाद जी वाला जो प्रकरण इस सदन के पूर्व चल रहा था, मैंने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं यह उचित समझ रहा हूँ कि इसमें सरकार किसी पुलिस अधीक्षक के पदधारक से जांच करवा ले । इसके अतिरिक्त जो दोषी पुलिस कर्मी पाये जायें उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय । मैं समझता हूँ कि विपक्ष के हमारे माननीय सदस्यगण जो इस विषय पर बोल रहे थे इससे सहमत होंगे । इसी निर्देश के साथ इस प्रकरण को समाप्त करता हूँ ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, निपक्ष जांच के लिए जरूरी है संबंधित दारोगा को वहां से हटाया जाय । माननीय सीताराम निषाद जी पर भी 307 की एफ०आई०आर० है उनकी गिरफ्तारी न हो . . . .

श्री अध्यक्ष—

हां, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं होगी ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है जो साक्ष्य माननीय निषाद जी के ऊपर हैं वही साक्ष्य अन्य लोगों के ऊपर भी हैं इसमें आपका निर्णय हो जाय कि जितने भी लोग इससे संबद्ध थे उनकी गिरफ्तारी रोकी जाय, जब तक कि जांच रिपोर्ट न आ जाय । दारोगा और सारे दोषी पुलिस कर्मियों को वहां से हटाकर निलम्बित किया जाय ।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, आपने यह व्यवस्था दे दी, मेरा निवेदन है कि एस० पी०, फैजाबाद के अलावा किसी अन्य एस०पी० से जांच करवाने और जब तक जांच रिपोर्ट न आ जाय तब तक इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी न हो ।

श्री अध्यक्ष—

आप सबने जो विचार व्यक्त किये हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनका संज्ञान ले लिया है । ये अपक्षायें हैं कि शासन उत्तरदायी ढंग से काम करेगी ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

जब पीठ से निर्देश होता है तो उसका पालन करेंगे उसके पश्चात् आश्वासन की आवश्यकता नहीं रह जाती । जो अन्य सूचनायें हैं मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसमें पर्याप्त समय हो गया है । अतः जो सूचनाएं हैं यदि कल माननीय सदस्य दुबारा दे दें तो अच्छा रहेगा हम आगे की कार्यवाही चलायें ।

(कई सदस्यों द्वारा उनकी सूचना पर सुने जाने का आग्रह करने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कुछ सूचनाएं शेष हैं । तीन सूचनाएं ग्राह्यता पर सुनने के लिये शेष है और पांच के बारे में जैसा कि आपको मालूम है शासन के संज्ञान में लाई जाती है । अगर तीन-चार मिनट में अपनी

बात कहेंगे । तो पांच बजे से कार्य सूची की दूसरी मद शुरू हो सकती है अगली सूचना श्री दद्दू प्रसाद जी की है ।

श्री दद्दू प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत मैंने जो सूचना दी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है जिला छत्रपति शाहूजी महराज नगर में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के संबंध में मेरी यह सूचना है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिला छत्रपति शाहू जी महराज नगर में जन-जीवन असुरक्षित हो गया है, कानून व्यवस्था फेल हो गई है। दिन-दहाड़े घटनायें होती हैं, हत्यायें हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं परन्तु पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती अपितु अपराधियों को संरक्षण देती है। अपराधी फरार घूम रहे हैं। यह सब पुलिस की जानकारी में हैं। वहां के जो डी०आई०जी०, चित्रकूट धाम मण्डल के हैं, वह अपराधियों को बुलाकर उनका स्वागत सत्कार करते हैं। मैंने कुछ घटनाओं का उल्लेख अपनी सूचना में किया है। दिनांक 14 जून, 1998 को ग्राम मुरवा थाना/बरगढ़ में एक व्यक्ति की लावारिश लाश मिली। 12 जून को ग्राम मऊ में एक सर कटी लाश मिली। दिन भर प्राइमरी स्कूल में उसकी लाश पड़ी रही। पुलिस शाम को जाकर पहुंची परन्तु इस मामले में अभी तक तफ्तीश नहीं हो पायी। 8 जून, 1998 को कर्वी के बीच बाजार में दिन में ही 12 बजे एक शेड्यूल्ड कास्ट के नौजवान की जो जिम्नास्टिक का खिलाड़ी था, बुन्देलखण्ड का चैम्पियन था, कुछ गुण्डों ने 12 बजे दिन में कर्वी शहर में उसे गोली मार दी। 30 अप्रैल, 1998 को इटवा गांव में दो भाइयों को दौड़ा-दौड़ाकर मार दिया गया। यह वही गांव है जहां 1994 में एक दलित महिला के बेपर्दा कर घुमाया गया था। थाना रैपुरा में हत्या की जो रिपोर्ट दर्ज हुई है वह मु०अं०सं० 33/98 में और जो 120-बी के जो मुल्जिम एफ०आई०आर० में नामदर्ज हैं। मृतक संतोष कुमार की पत्नी ने अपने एफ० आई० आर० में कहा है कि "मेरे पति का गांव प्रधान जगदीश से जमीन को लेकर विवाद था। कल रात गांव प्रधान जगदीश तथा उसके भाइयों के कहने से कल गनेश राम बाबू जो घर बैठे थे, मेरे पति को मारने की योजना बनाई और पैसे का लालच देकर मेरे पति की हत्या करवाई गई।"

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं पढ़ा जाता है।

श्री दद्दू प्रसाद–

पिछले 8 महीने से वह व्यक्ति लगातार जिलाधिकारी तथा पुलिस प्रशासन को लिखता रहा, प्रशासन को अवगत कराता रहा कि फलां व्यक्ति मेरी हत्या कर देगा। लेकिन बी० जे० पी० की यह निकम्मी सरकार उसकी हिफाजत नहीं कर सकी 120-बी के जो मुल्जम हैं, जो हत्या की शाजिस के सूत्राधार हैं वह बी०जे०पी० के कार्यकर्ता हैं खुले आम घूम रहे हैं परन्तु उन्हें पुलिस नहीं पकड़ रही है। इसलिये मेरी मांग है कि आप इसे कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार कर चर्चा करायें। 8 जून को जो घटना हुई जिसमें श्री रवि प्रकाश पुत्र श्री हीरालाल की हत्या कर दी गई, उसे डेढ़ लाख रुपए की सहायता दी जानी चाहिये थी, वह नहीं दी गई। आज वहां पर असुरक्षा का वातावरण है। मैं कहना चाहूंगा कि इस घटना का मैंने जब विरोध किया और न्याय की मांग की तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गयी। मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि गनर आपका चल चुका है। आज दो दिन बीत गये हैं वह नहीं पहुंचा है। पुलिस अधीक्षक के ऊपर डी०आई०जी० का दबाव है उन्होंने मना कर दिया। डी०आईजी० चित्रकूट धाम की अपराधियों से सांठ-गांठ है। अपराधियों ने यह कहा कि आप सुरक्षा वापस ले लीजिये ताकि हम इसकी हत्या कर सकें। मान्यवर, मैं आपका इसमें संरक्षण चाहता हूं। कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

*श्री बी०आर० वर्मा—

मान्यवर, गनर इनको उपलब्ध करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसके बारे में मेरे निर्देश हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने आदेश कर दिया था मैं इसकी जानकारी कर लूंगा कि क्योंकि नहीं पहुंचा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दद्दू प्रसाद जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री राम प्यारे जी की है।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, इस गर्मी के मौसम में उत्तर प्रदेश में तमाम गांव में आग लगने से हजारों लोग आज की तारीख में बेघर हो गये हैं। उन लोगों के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, न खाने के लिए कुछ सामग्री है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में गांगेपुर परसिया में दिनांक 8-6-98 को भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें 30 घर जलकर राख हो गये। वहां पर अधिकारी भी मौके पर गये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, वहां तीस हजार घर के हजारों लोग जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। खाने के लिए सामग्री नहीं है। मैंने एक पत्र भी दिनांक 13-6-98 को जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ को लिखा था लेकिन उस पर भी कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी। जिनका नुकसान हुआ है, उनको छः सौ रुपया, एक हजार रुपया और उनकी बकरियां जल गयी उनको दो हजार रुपया अनुदान दिया गया जो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है जिससे वहां पर कोहराम मचा हुआ है। मान्यवर, गांगेपुर में 2 घर और परिसिया में 28 घर जल गये लेकिन वहां पर कोई समुचित अनुदान नहीं दिया गया है। बच्चों की लापरवाही की वजह से माचिस से आग लग गयी। जिनकी उम्र 5-6 वर्ष थी इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा लें और वहां पर पीड़ित जो लोग हैं उनके परिवारों को रहने के लिए खाने के लिए पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, तो इसकी व्यवस्था करायें और बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। मान्यवर, मैं शासन के संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूं कि वहां पर बाढ़ से भी प्रति वर्ष लोग त्रस्त रहते हैं अगर इन परिवारों को इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत घर की व्यवस्था नहीं कर दी तो जो लोग बेघर हैं उनको घर मिल जायेगा। मुझे इस सरकार से उम्मीद नहीं है अतः आपकी पीठ से निर्देश चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको कुछ कहना है?

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री के न खड़े होने पर)

मैं समझता हूं कि यह सूचना अग्राह्य होने योग्य है, इसे मैं निरस्त करता हूं।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद हरदोई में थाना बघौली के अन्तर्गत ग्राम सिकन्दरपुर में 24 तारीख को पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों पर अत्याचार किया गया और उनको मारा पीटा गया और उन पर लाठी भांजी गयी और सराफत अली जो समाजवादी पार्टी के संख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, उनको पुलिस थाने पर ले गयी और जब लोग उनसे मिलने के लिये थाने पर गये तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनसे मिलने नहीं दिया गया और उन पर अत्याचार किया, मारा पीटा गया और उनके विरुद्ध मुकदमें कायम कर दिये गये। उनके विरुद्ध धारा 337, 353, 336, 224,427, 504 लगा दी गयी और क्रिमिनल अमेन्मेन्ट एक्ट कायम कर दिया गया। इस प्रकार से 2 सौ लोगों के खिलाफ मुकदमें कायम किये गये। पुलिस किसी से पांच सौ रुपया और किसी से एक हजार रुपया मांग रही है और कहती है अगर नहीं दोगे तो बन्द कर देंगे। मान्यवर, आप इसकी जांच सी०आई०डी० से कर दें। इसके अलावा मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सदन की एक कमेटी बना दें, जो इस मामले की जांच करे और दोषी लोगों को सजा दी जाये। पुलिस जो चाहती है, वह एक्ट लगा देती है, लोगों को पुलिस परेशान कर रही है हर जगह यही हाल है। लूट घसीट और अत्याचार हो रहे हैं। आप निर्देश दें कि जो झूठे मुकदमें कायम किये गये हैं, उनको वापस लिया जाये और जांच की जाये और उनको न्याय दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब आप समाप्त करें, आपकी बात आ गयी है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की एक सर्वदलीय समिति भेजकर इसकी जांच करा दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको अग्राह्य करता हूं और शेष जो 5 सूचनायें, सर्वश्री अम्बरीष कुमार तथा अन्य, राम विशुन आजाद, धर्मराज निषाद, अरविन्द गिरि और श्रीमती गौरीदेवी की हैं उनकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस पर आप मुझे दो मिनट सुनने का कष्ट करें।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, 1960 और 1963 में गोरखपुर में बाढ़ आई थी एवं भारी कटान हुआ था, जिससे वहां के दलित निषाद और गरीब लोगों को लखीमपुर खीरी में लाकर लगभग एक हजार किसानों को बसाया गया था और इन निषाद लोगों को एक-एक डेढ-डेढ़ एकड़ जमीन दी गई थी किन्तु वन विभाग द्वारा आज उन निषाद और गरीब व कृषक लोगों को उजाड़ा जा रहा है। मान्यवर, मौके पर मैं गया था तो वहां के लोगों से पूछा था उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकारी आदेश हुए हैं। इस संबंध में वहां के जिलाधिकारी से पूछा कि उन लोगों को न उजाड़ा जाय तो उनकी तरफ से मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। इसलिए सरकार से मैं चाहता हूं कि वन विभाग द्वारा उन गरीब निषाद लोगों को उजाड़ने से बचाया जाय। वहां के लोगों के सामने आज जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए वहां कोई अप्रिय घटना न हो जाय और यदि हो गयी तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मान्यवर आज सरकार माननीय सदस्यों के प्रति कितना संवेदनशील है उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि मेरे ऊपर एक मुकदमा दायर हुआ था किन्तु उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे बेकार में फंसाया जा रहा है और हमारे तथा हमारे परिवार के सारे लाइसेंस निरस्त कर दिये गये हैं। जब सदन के सदस्यों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो जैसा अभी अभी श्री निषाद जी के साथ जो हुआ है जिसके संबंध में बताया गया उस तरह का व्यवहार हमारे साथ न हो और जो हमारे वहां निषाद परिवार के लोग हैं जिनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है उसको रोकने की तरफ सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। मान्यवर,

लखीमपुर खीरी में 1963 में जो लोग बसे थे जिन्होंने अपनी जमीन को आज उपजाऊ बना दिया है उसे वन विभाग द्वारा उजाड़ने की कार्यवाही को तुरन्त रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में मान्यवर आप आज ही सरकार को निर्देशित करें जिससे उजाड़ने का काम वहां तुरन्त रोक दिया जाय। मान्यवर, आपने हमें जो बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

*श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, चौरी-चौरा में एक गांव टेल्हनापार है जहां होली के दिन श्री राम नक्षत्र यादव को, जो समाजवादी पार्टी के हैं और उप ब्लाक प्रमुख भी हैं, पुलिस ने शराब पीकर काफी मारा और गाली देकर बेइज्जत किया। इससे गांव वालों को आक्रोश हुआ और वहां तनाव पैदा हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से गांव वालों को सहायता देने के बजाए पी०ए०सी० और पुलिस ने पूरे गांव को घेरकर वहां की जनता को बुरी तरह से मारा और प्रताड़ित किया साथ ही वहां की औरतों को बेइज्जत किया गया।

मान्यवर, माननीय शिवपाल जी वहां गये थे। चारों तरफ लोगों में पुलिस का भय व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी।

श्रीमती गौरी देवी–

आज भी वहां गांव के लोग घर छोड़ कर भाग रहे हैं, पुलिस झूठे ही लोगों को फंसा रही है। एस०पी० गांव वालों को डरा रहा है। वहां भय का वातावरण बना हुआ है मार्च से आज तक वहां लोग डरे हुये हैं। यह अति लोक महत्व का है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी पूरी बात आ गयी है, अब कुछ बाकी नहीं है। अब आप बैठ जायं।

*श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, यह घटना बहुत गंभीर है। चौरा-चौरी थाना क्षेत्र का यह मामला है वहां के एक ब्लाक उप-प्रमुख को पीटा गया।

श्री अध्यक्ष–

इसमें न तारीख लिखी है और न महीना लिखा है।

श्रीमती गौरी देवी–

यह 3 मार्च की घटना है।

श्री अध्यक्ष–

तो अवलम्बनीय कहां से हो गई?

श्री अम्बिका चौधरी–

लोग गांव छोड़ कर चले गये हैं इसलिये अविलम्बनीय है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

आज भी पुलिस उस गांव में जाती है और बराबर महिलाओं को और बच्चों को डराती है इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, इसकी जांच कराई जाय। पुलिस वाले गांव वालों को डरा रहे हैं। पुलिस के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। अगर इस पर कार्यवाही नहीं की गयी तो राम नक्षत्र यादव जिनके जीवन को खतरा है, वहां के पुलिस अपराधियों से मिल कर उनकी हत्या करा देगी, इसलिये यह अविलम्बनीय है। इसकी जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराई जाय और वहां के पुलिस कर्मचारियों को हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीया गौरी देवी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं जिस गंभीरता से आपने बात कही उस घटना की गंभीरता को शासन संज्ञान में लेगा।

श्री अ[illegible]–

सदन को [illegible] सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री देना चाहते हैं।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों की जानकारी

*पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)

मान्यवर, आपके अनुमति से एक महत्वपूर्ण सूचना माननीय सदन को देना चाहता हूं। इसलिये कि सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है उस निर्णय की जानकारी सत्र के चलते पहले सदन में आनी चाहिये तब कहीं बाहर जानी चाहिये स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों की जानकारी सदन को देना चाहता हूं। जो इस प्रकार हैं–750 से 940 को बढ़ाकर 2550 से 3200, 775 से 1025 को बढ़ाकर कर 2610 से 3540, 800 से 1150 को बढ़ा कर 2650 से 4000, 825-1200 को 2750-4400 कर दिया गया है। 950-1500 के वेतनक्रम को 3050-4500 कर दिया गया है। 975-1660 को 3200-4900 कर दिया गया है। 1200-1800 एवं 1200-2040 वाले वेतनक्रम को 4000-6000 कर दिया गया है। 1440-2300 को 4500-7000 कर दिया गया है। 1400-2400 को 4500-7250 कर दिया गया है। इसी तरह से 1400-2600 एवं 1500-2660 वाले वेतनक्रम को 5000-8000 कर दिया गया है। 2000-3200 और 2000-3500 को 6500-10500 कर दिया गया है। 2200-4000 को 8000-13500 कर दिया गया है। 2350-4300 को 8550-14600 कर दिया गया है। 3000-4500 को 10000-15200 कर दिया गया है। 3700-5000 को 12000-16500 कर दिया गया है। 4100-5300 एवं 4500-5700 को 14300-18300 कर दिया गया है। इसी प्रकार से 5100-6150 वाले वेतनक्रम को 16400-20000 कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान सं० 50—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान सं० 51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) अनुदान सं० 52—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी मद सं० 12 (1), (2), (3) को एक साथ प्रस्तुत कर दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,16,46,14,000 रुपये से अनधिक धनरशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,13,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,66,35,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 1998-99 वर्ष का राजस्व विभाग से संबंधित जो लेखा जोखा है उसको प्रस्तुत कर रहा हूं मान्यवर, इस सरकार ने राजस्व विभाग द्वारा किसानों के लिये कुछ क्रांतिकारी कदम उठाये हैं उसका मैं विस्तृत वर्णन कर रहा हूं। मान्यवर, किसानों के लिये किसान बही को एक विधिक मान्यता दी है। भू-राजस्व अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत इसको मान्यता दी गयी है और यह पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को 30 जून, 1998 तक वितरित की गयी है। इनकी संख्या 2,41,25,282 है।

किसानों को देना था, वह 2,59,431 किसानों को दे दिया गया और दिनांक 30-6-98 तक सभी काश्तकारों को दे दिया गया है। इसी तरह से किसान बही को आसान कर दिया गया है।किसान अपनी जमीन का लेखा जोखा किसान बही के माध्यम से कर सकेंगे, बैनामा उसके माध्यम से कर सकेंगे। बैंकों से और सरकारी संस्थाओं से ऋण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह से सारी सूचनाएं उनकी जमीन से संबंधित किसान बही में उपलब्ध रहेंगी अब उसे लेखपाल के पास बैनामा कराने के लिये जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सब किसान बही में किया गया है। मान्यवर, जो वसीयत के मामले होते थे बहुत सारी दिक्कत किसान को उठानी पड़ती थी। पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर अभी तक भू-राजस्व के जो मुकदमें थे उन सबको निश्चित रूप से तय कर दिया है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ के नाम उसमें जोड़ दिया जाय। इसके अन्तर्गत दिनांक 1-10-97 से 31 मई, 98 तक 4,65,600 केस तय कर दिये गये हैं। आज मैं यह सभी को सूचित करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में अभी भी कोई मामला 35 दिनसे अधिक पेंडिग नहीं रहेगा। इसी प्रकार धारा 34 के अन्तर्गत जितने भी मुकदमें जिसमें विवाद नहीं है सभी को निश्चित रूप से तय कर दिया है। इसके लिये यह अभियान चलाया है कि इस तरह से मामले 35 दिन के अन्दर तय हो जायं अगर किसी में विवाद आता है तो उसको अलग तरह से निस्तारित किया जायेगा। यह एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। एक बड़ी दिक्कत आती थी कि दाखिल खारिज के मामले में लेखपाल की रिपोर्ट लगती थी हमने उसको समाप्त कर दिया है। इससे किसानों को जो कठिनाइयां होती थी वह नहीं होगी। आज कोई दाखिल खारिज कराता है तो उसकी एक प्रति उसी दिन मिल जायेगी और सभी को सूचना देकर 35 दिन के अन्दर दाखिल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खारिज कर दी जायेगी। किसी किसान को लेखपाल और तहसीलदार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से यह क्रान्तिकारी कदम उठाया है। इस सरकार के लिये इस बात की प्राथमिकता है कि 72 प्रतिशत लोग जो हमारे यहां गांवों में रहते हैं, किसान हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए तहसील दिवस के माध्यम से यह प्रयास किया है कि सभी जगह किसानों की, मजदूरों की जो समस्याएं हैं वह तहसील दिवस के माध्यम से निस्तारित की जायं। गरीब मजदूर किसान को जिले में या लखनऊ भागना पड़ता था। उनकी समस्याओं का समाधान तहसील स्तर पर हो जाये इसके लिये हमने प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे हैं। तहसील दिवस में दिनांक 1-10-97 से 31-5-98 तक के जो 1,61,915 मामले थे उसमें से 1,37,985 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। बाकी मामलों के लिये 10 दिन का समय और रखा था कि उसमें निस्तारित हो जायं ताकि किसानों की समस्याओं का निदान समय पर हो जाय। इससे किसानों को, गरीबों को मजदूरों को बहुत राहत मिली है। एक बहुत दिक्कत आती है सदन में बार-बार चर्चा होती है हमारे जो चेक मार्ग हैं सेक्टर रोड हैं गांवों में उनमें बहुत अतिक्रमण होता है। हमने प्रयास किया है कि 30 जून, 98 तक चक मार्ग सेक्टर रोड में एक व्यवस्था की है।

30 जून 1999 तक चकरोड के बारे में यह निर्देश जारी कर दिए हैं कि तीन पत्थर लगाए जाएं ताकि भविष्य में कोई अतिक्रमण न हो। एक और क्रान्तिकारी कदम उठाया है पहले चरण में एक विकास खण्ड में एक आदर्श ग्राम घोषित किया गया है जो आदर्श ग्राम होगा उसमें समस्याओं कासमाधान मुकदमों का समाधान और इसी तरह की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह योजना पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है इसको हम धीरे-धीरे आगे बढ़ायेंगे इससे किसान, मजदूरों को सुविधा होगी। गांव का विकास होगा। मान्यवर, कृषि भूमि आवंटन के बारे में 1997-98 में गरीब मजदूर, खेतिहर मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सर्वाधिक भूमि का आवंटन किया जाएगा। आवास का आवंटन सर्वाधिक किया गया है। गरीब और मजदूर लोग जो हैं उनको आवंटन किया गया है। गरीब लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है और गरीब, किसान, मजदूरों का ध्यान रखते हुए चाहे मत्स्य पालन हो, भूमि आवंटन हो, चाहे आवास आवंटन हो, इनको आवंटन किया गया है। मान्यवर, सीलिंग भूमि के बारे में यह निर्णय लिया है कि सीलिंग भूमि में एक हजार रुपये की सहायता हमने दी है। वर्ष 1997-98 में इसको दे रहे हैं।

इसी तरह से मान्यवर, राजस्व वादों का निस्तारण शीघ्र हो इसके लिए कार्य योजना बनाई है। एक उच्चाधिकारियों की कमेटी बनाई है वह अपनी रिपोर्ट जल्दी देने वाली है जो राजस्व विभाग के बाद पेंडिग रहते हैं उसका निस्तारण हो इसमें प्रयास किया गया है। स्वदेश इकाई के बारे में सर्वे किया गया है। नये मंडल और जनपदों के गठन के बारे में विचार किया जा रहा है। इसी के साथ मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि भूमि अध्याप्ति की जमीन जो एक्वायर की जाती है विभिन्न योजनाओं के लिए जनहित के मामलों में किसानों के मामलों में हमने विशेष ध्यान रखा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार किसानों की जमीन की धनराशि 207.91 करोड़ वितरित की गई है। वर्ष 1997-98 में चकबन्दी के बारे में कहना चाहूंगा इस प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य रहा है पूर्व में सरकारें रही 30-35 साल से चकबन्दी चल रही थी। हमने प्रयास किया है 10 साल तक का कोई गांव नहीं रहा है, फिर भी कुछ रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार बहुत समय के बाद में 1720 गांव को चकबंदी से बाहर किया गया है।

[समय 5 बजकर 30 मिनट]

सभी में हमने काफी प्रगति की है। वादों के निस्तारण के बारे में काफी प्रगति की ओर हैं। वादों का निस्तारण शीघ्र किया जा रहा है। एक मांग हमेशा होती रही है। मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में भी है किसानों के संबंध में दैवी आपदा के कारण फसल के नुकसान के कारण राहत की राशि को बढ़ाया जाए। इसको 500 रुपये से बढ़ाकर प्रति एकड़ एक हजार रुपये कर दिया गया है। फसल हानि के संबंध में अधिकतम राहत राशि को बढ़ाकर 25,00 रुपये से 5,000 रुपए कर दिए गए हैं। इस प्रकार से जो मुख्य-मुख्य बाते थीं उनको हमने यहां पर आपकी अनुमति

से प्रस्तुत किया किसानों के हित में जो गांव में रहने वाले गरीब मजदूर लोग जो 72 प्रतिशत हैं उनके हित में काफी कुछ करने का प्रयास किया है। राजस्व विभाग में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं लेकिन फिर भी हमने जो हमें समय मिल उनको हल करने का प्रयास किया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम सिंह सैनी जी कटौती के प्रस्ताव की तीनों मदों को एक साथ रखें।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग जिला प्रशासन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) से संबंधित सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से अनुदान संख्या 52—(राजस्व परिषद् तथा अन्य) के संबंध में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी मुझे आशा थी कि मा० राजस्व मंत्री कोई क्रांतिकारी परिवर्तन इस प्रदेश के राजस्व विभाग के संबंध में लाने का प्रयास करेंगे। यह वह प्रदेश है जहां राजस्व के संबंध में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। हमारे इस सदन में सदन के नेता पं० गोविन्द बल्लभ पंत हुए थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन पर बर्बर लाठीचार्ज लखनऊ में हुआ था। उन्होंने पंडित नेहरू को बचाने में सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया था। चौधरी चरण सिंह जिनके दिल में टीस थी, दर्द था कि किसानों की हालत कैसे सुधारी जाए?

राजस्व में सुधारों का एक लम्बा रास्ता है टोडर मल से लेकर मुगलों के जमाने से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक यह सफर चलता रहा और किस प्रकार से किसानों की प्रगति हो, किस तरह से उनकी आर्थिक हालत में सुधार हो, यह हमेशा चिन्ता का विषय बना रहा, किन्तु मुझे खेद है माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सरकार को किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोई चिन्ता नहीं है। कोई भी इस तरह का प्राविधान राजस्व विभाग के बजट में नहीं किया गया है जिससे यहां के किसानों की हालत में कोई सुधार हो, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। अध्यक्ष जी जिस समय इस प्रदेश के मुख्य मंत्री पं० गोविन्द बल्लभ पंत थे उन्होंने देखा कि किस तरह से हमारे किसान जमींदारी से जकड़े हुए हैं और जमींदार उनका कितना उत्पीड़न करते हैं उस समय मैं भी एक छात्र के रूप में था। मैंने देखा कि किस तरह से वह गरीब किसानों पर अत्याचार करते थे। उनके अहलमद, कारिन्दे हुआ करते थे और जो किसान लगान देने में असमर्थ होते थे उनके साथ दुर्व्यवहार व लठियों की वर्षा करते थे। उनकी हालत को देखते हुए स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने एक सपना संजोया था, कि इस हिन्दुस्तान में किसान का बेटा इस देश का प्रधान मंत्री होगा और आशा की किरण गरीबों की झोपड़ी तक जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी आपके संज्ञान में है कि जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 में पारित किया गया और वह पुरानी व्यवस्था, रुढ़िवादी व्यवस्था समाप्त की गयी। मैं बताना चाहता हूं कि यह प्रदेश हिन्दुस्तान में पहला प्रदेश था जिसने इस प्रकार का क्रांतिकारी कदम उठाया। आज चौधरी चरण सिंह हमारे बीच नहीं हैं लेकिन इस तरह से उस अधिनियम को बनाया था कि हमारे किसानों को भारी लाभ हुआ था और जमींदारी

इस तरह से समाप्त हो गयी थी। उसके बाद यहां पर चकबंदी अधिनियम 1953 में लागू किया गया। चकबन्दी में हमारे बिखरे हुए खेतों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया, जिससे किसानों की हालत सुधरी। क्योंकि यदि एक किसान का दो बीघा यहां और चार बीघा वहां होता था, तो उसके लिए बड़ी कठिनाई होती थी, चकबंदी हुई उससे किसानों को लाभ हुआ। लेकिन आज के शासन-प्रशासन में उस उद्देश्य की पूर्ति चकबन्दी विभाग नहीं कर रहा है। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के माध्यम से यह चैलेन्ज किया है, उन्होंने कहा कि अब हवाई चक नहीं लग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि चकबन्दी विभाग निरंकुश हो गया है, जहां पर चकबन्दी चल रही हो वहां बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, हमारे गरीब किसानों को लूटा जा रहा है। जिस गांव में चकबंदी होकर समाप्त हो गयी हो वहां 10 साल तक डकैती नहीं पड़ती है क्योंकि उनका सारा का सारा धन चकबन्दी विभाग के लोग ले जाते हैं, ए० सी० ओ०, चकबन्दी लेखपाल, सी० ओ०, एस० ओ० सी० गरीब किसानों का धन अपनी जेबों में भरते हैं। स्थिति इतनी भयंकर और जर्जर हो गयी है कि हाहाकार मचा हुआ है। जहां तक हवाई चक का सवाल है मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जितने माननीय सदस्य बैठे हैं सबके क्षेत्रों में यही हालत है। मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि रोहाल की गांव में पूरे के पूरे गांव में हवाई चक काट दिये गये जब चकबन्दी कमिश्नर के यहां से जांच हुई तो बात सत्य पायी गयी कि हवाई चक लगे हैं। लेकिन 4 महीने हो गये आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने निर्देश दे दिया है, अंकुश लगा दिया है अब कोई हवाई चक नहीं लगेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मंत्री जी आदेश देते हैं उनका पालन नहीं होता है या आदेश अधूरा जाता है।

(इस समय 5 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

माननीय मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि चौकोर चक की आपने व्यवस्था की है लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, चौकोर चक नहीं बन रहे हैं, बहुत से केस लम्बित पड़े हैं धारा 52 का प्रकाशन कितनी होती है, हम सभी जानते हैं मान्यवर, इसमें गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रकार से कार्रवाई पूरी तरह से नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाय। मान्यवर, दूसरा एक क्रान्तिकारी कदम है जिसमें बताना चाहता हूँ कि 1960 में सीलिंग ऐक्ट लागू किया गया था 40 एकड़ जमीन पर सीलिंग थी उस समय आंकलन किया गया था कि 14 लाख एकड़ जमीन हमको मिली थी जो जमीन निर्धनों और गरीबों को बांटी गयी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य था जिसमें सीलिंग एक्ट लागू किया गया जब कि बराबर में पंजाब और हरियाणा राज्य है लेकिन वहां पर यह सीलिंग ऐक्ट नहीं है मान्यवर, जितने क्रान्तिकारी कदम हमारे उत्तर प्रदेश में उठाये हैं वह दूसरे प्रदेश में नहीं उठाये गये हैं। मुझे खेद है कि जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं दिखाई देता है। मान्यवर, उसके बाद इसमें संशोधन किया गया 1972 में और फिर सीलिंग 40 एकड़ के बजाए 18 एकड़ पर रखी गयी उसके बाद आशा थी कि काफी भूमि उपलब्ध होगी। उससे 4 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध हुई जो गरीबों और निर्धनों को, जिनको आशा बंधी थी कि स्वतंत्रता के बाद कुछ न कुछ इस प्रकार के अधिकार मिलेंगे, दी गयी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 4 लाख एकड़ भूमि मिली और जब स्व० चौधरी चरण सिंह जी ने यह जमींदारी एबोलीशन किया था तो एक अर्थशास्त्री का मत है उसका मैं हिन्दी में रूपान्तर बाद में कर दूंगा अगर किसी किसान को आप डिजर्ट भूमि की ओनरशिप देते हैं तो वह गार्डेन में परिवर्तित कर देगा। इफ यू गिव द ओनरशिप टू ए फारमर आफ ए पीस आफ डिजर्ट, ही बिल कनवर्ट इन इट टू ए गार्डेन एण्ड इफ यू गिव आन लीडरिएन गार्डेन टू ए फारमर, ही बिल कनवर्ट इट इन टू दि डिजर्ट।

मान्यवर, स्व० चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे जिन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया था। पिलर आफ दि सोयल शुड बी दि ओनर आफ दि सोयल। लेकिन इस प्रकार का कोई भी कानून,

कोई भी ऐसा उप नियम आप नहीं बना पाये जिससे किसानों को और जो दलित लोग हैं उनके लिए बहबूदी का कार्य होता।

मान्यवर, जहां तक आपने जोत बही की बात कही है जोत बही तो यहां पहले से ही 1990 से चल रही थी आपने उसका नाम बदलकर किसान बही कर दिया है। आपने यह आकड़े यहां पर प्रस्तुत कर दिये हैं कि 1992–93 से अब तक किसान बही योजना के अन्तर्गत 2,88, 21,915 किसान बहियां वितरित हुई हैं लेकिन आपने बहले जो जोत बही दी उसमें जो प्राविधान किया है वह राजाज्ञा संख्या दिनांक 5–6–98 से किया है तो 5–6–98 का तो वितरण पहले हो चुका है 1992–93 से तो इन पहले की जोत बहिया की स्थिति क्या होगी?

किसानों को जोत बही मुफ्त मिलनी चाहिए, लेकिन एक-एक किसान से 10 रुपये की जगह 50 रुपये तक पटवारी वसूल कर रहे हैं, इस तरह की कालाबाजारी बंद हो, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। इसी तरह से आपने जो कब्जा परिवर्तन की बात कही है कि हमने बहुत सरलीकरण कर दिया है, मैं बताना चाहूंगा कि 1996 से पहले जिन हरिजनों का कृषि भूमि पर कब्जा था, उनको आप 229 बी के अनुसार अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, वह दर-दर घूम रहे हैं और दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा किये हुये हैं, इसके बार में उचित प्राविधान होना चाहिए।

मान्यवर, रिकार्ड चेकिंग अपटूडेट नहीं है। हमारे यहां हरिद्वार का सारा रिकार्ड सहारनपुर में है। मेरा सुझाव है कि इसकी माइक्रों फिल्म बननी चाहिए और सारे का नारा रिकार्ड तहसील हेडक्वार्टर पर उपलब्ध रहना चाहिए ताकि किसान अपने रिकार्ड की कापी ले सके। जहां तक बन्दोबस्त की बात है, 935 में बन्दोबस्त हुआ था, आज 60 वर्ष हो गये हैं, लेकिन दुबारा बन्दोबस्त नहीं किया गया है, मैं इसको एक क्रान्तिकारी कदम समझता यदि आप दुबारा बन्दोबस्त करा देते। दुबारा से बन्दोबस्त नहीं होने के कारण आज झगड़े बढ़ रहे हैं, यदि आप अपने बजट में दुबारा बन्दोबस्त करने की घोषणा करते, तो मैं इसका स्वागत करता।

मान्यवर, हमारे राजस्व से संबंधित जो अधिनियम हैं, उनकी संख्या लगभग 26 है, उनकी संख्या घटाकर एक की जानी चाहिए, कहने का आशय यह है कि एक साधारण वकील इसका ज्ञान नहीं रखता और हमारे किसान भाइयों का ठीक से पक्ष न रख पाने के कारण उनका नुकसान होता है। इसको 26 की जगह एक ऐक्ट के तहत परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए।

जहां तक तहसील दिवस की बात है, यह एक मजाक बनकर रह गया है, वहां लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और केवल वहां प्रार्थना-पत्र लिये जाते हैं, किसी-किसी के वह भी नहीं लिये जाते हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि आप एक महीने में एक दिन ब्लाक दिवस रख दें तो इससे वहां भीड़ कम होगी और किसानों की समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा।

मान्यवर, आपने आदर्श राजस्व ग्राम की बात कही है। आदर्श राजस्व ग्राम में जो सुविधायें प्रदान की हैं, वह अलग हैं, लेकिन सिर्फ एक ब्लाक में एक गांव को चयनित किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक ब्लाक में 70–80 गांव होते हैं, यदि सभी को आदर्श ग्राम बनायेंगे तो 70–80 साल लगेंगे, इसलिए इन ग्रामों की संख्या आप बढ़ाइये ताकि आदर्श ग्राम अधिक बने, जिससे हमारे अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें नहीं तो केवल एक ब्लाक में एक गांव ही आदर्श गांव के रूप में विकसित हो पायेगा।

चक मार्गों की जो बात है जो दबंग लोग हैं, चक के पास पेड़ भी लगाते हैं नाली भी बनाते हैं और पेड़ की छाया आ जाती हैं, पटवारी कानूनगों उनसे मिले रहते हैं। इसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

फ्रेगमेन्टेशन की जो बात है अलाभकर जोते हैं, बैनामा करना है तो पूरे चक का होना चाहिए किसी के पास चार बीघा खेत है एक बीघे का बैनामा कर देता है तो फिर छोटे-छोटे खेत डेवलप हो जायेंगे, उससे चकबंदी का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। तहसील की बिल्डिंग्स जो हैं, उनकी जर्जर स्थिति है, तहसील विल्डिंग्स बनाने पर आप ध्यान कृपया दें। जो भूमि का अधिग्रहण करते हैं आप कहते हैं कि प्रतिकर दिलवाते हैं किसानों को प्रतिकर मिलता ही नहीं है, 10–10 साल किसान जूझते रहते हैं। हमारे यहां सायल गांव है रूड़की क्षेत्र में पड़ता है, भूमि का अधिग्रहण हुए 15 साल हो गये, नगरपालिका के उपयोग के लिए, नगरपालिका के द्वारा, भूमि अधिग्रहीत की गयी, प्रतिकर नहीं मिला । हमारे यहां ग्राम कुंडी है और मंगलौर मंडी बनी हुई है, भूमि अधिग्रहण के समय बात थी कि परिवार के एक बच्चे को नौकरी देंगे । वहां रिक्त भी है, हमारे यहां का इश्क लाल घूम रहा है, उसके बच्चे की सारी औपचारिकतायें पूर्ण हैं, नहीं रखा जा रहा है । राजस्व परिषद् की बात आयी है, उसकी उपलब्धि कुछ नहीं है सफेद हाथी उसको कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । जो वहां के अध्यक्ष होते हैं, सीनयर आई०ए०एस० होते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाते उन्हें वहां अध्यक्ष बनाया जाता है, वे कुंठा से वैसे ही ग्रस्त रहते हैं, काम कैसे कर सकते हैं? उसका आप रि-आर्गनाइजेशन कीजिये । किसानों के बहुत अधिक मामलें लम्बित हैं बहुत से किसान मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और सहारनपुर से चलकर यहां आते हैं और यहां पर बने रहने से उनका कितना खर्चा आता है फिर भी मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता है। ऐसी व्यवस्था कीजिये कि मण्डल स्तर पर जाकर बोर्ड के मेम्बर मुकदमों का निस्तारण करें, मान्यवर, न्याय तो ऐसा होना चाहिए जो सुलभ हो, जल्दी में हो। क्योंकि जास्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। राजस्व बंदीगृहों में सुधार की बात आपने कही है। हमारे यहां 348 तहसीलें हैं आपने चयनित किया है केवल 10 को। इस प्रकार इन सभी को सुधारने में 34 साल लग जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, राजस्व विभाग का जो यह बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूँ और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, बजट को सीधे-सीधे यह कहा जाय कि यह सरकार की भावी योजनाओं का आइना होता है तो ज्यादा समीचीन परिभाषित होता है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने बजट में जो विषय रखे हैं, वह पर्याप्त हैं, इसलिए माननीय विपक्ष के सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर, समय सीमा को देखते हुए मैं अपने जनपद कानपुर के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। कानपुर जनपद की शुरू में आबादी 10 से 12 लाख थी और पूरे कानपुर को कानपुर उत्तरी के नाम से जाना जाता था। उस वक्त जितनी भी प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, चाहे वह कलेक्ट्रेट हो, न्यायालय हो, जिलाधिकारी, एस० एस० पी० का आवास हो, पुलिस लाइन हो, शिक्षण संस्थायें हों, आई० टी० आई० हो, मेडिकल कालेज हो चाहे अन्य राजकीय प्रतिष्ठान हों, उत्तरी कानपुर में स्थित हैं। कानपुर का जो उत्तरोत्तर जनसंख्या की वृद्धि हुई वह कानपुर दक्षिण की तरफ हुई। उत्तर और दक्षिण में व्यावहारिक दृष्टि से अधिकारियों की नियुक्ति हुई, जिसके कारण यह स्वतः दो जनपदों का स्वरूप ले चुका है। कानपुर उत्तरी और दक्षिण, रेलवे लाईन से इतना स्पष्ट रूप से विभाजित है और कानपुर दक्षिण की 4 लाख की आबादी थी। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर की आबादी 15 लाख की हो गयी है और कानपुर महानगर की आबादी 40 लाख है। 110 नगर निगम वार्ड हैं सिर्फ 6 विधान सभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 35 वार्ड गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में हैं। मान्यवर, कानपुर महानगर की 40 लाख की आबादी है। 25 लाख कानपुर दक्षिण की आबादी है लेकिन सरकारी कार्यालय नहीं है परिणामस्वरूप जो असंतुलन की स्थिति पैदा हो गयी है उससे कोई कार्य नहीं हो रहा है। पूरा क्षेत्र विकासहीन हो गया है। मान्यवर, मैंने 28-6-97

और 10-12-97 को जब तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमती मायावती जी थीं और नये जिलों की भरमार हो रही थी, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कानपुर दक्षिण को एक नये जिले की स्थापना के लिए और उनसे यह कहा था कि यह आप ही कर सकती हैं लेकिन उन्होंने गंभीरता से इसे नहीं लिया था। उसके लिए हो सकता है कोई राजनीतिक कारण रहा हो। उसके बाद श्री कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री हुए मैंने उनसे भी कहा और बार-बार आग्रह कर रहा हूँ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह गम्भीर विषय है हम लोग कोई शौकिया कारणों से मांग नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर क्षेत्री असंतुलन हो गया है तो मैं मांग करता हूँ कि गोविन्दनगर एक नया जनपद घोषित कि जाय जिसमें छावनी और सरसोल विधान सभा क्षेत्र घोषित की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। मान्यवर, माननीय राम सिंह सैनी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है इसमें राजस्व विभाग के क्रिया कलापों का विवरण दिया गया है। इसमें माननीय मंत्री जी ने किसान बही का विशेष रूप से उल्लेख किया है। 21 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी किसान बही की उपयोगिता नहीं सिद्ध हो पायी है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। आज राजस्व की जो स्थिति है जो वाद ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उसमें जो मामले आते हैं जैसे चक मार्गों का मामला आता है, खेत के नक्शे का खतौनी का मामला आता है। जब हम अन्तर को दूर करना चाहते हैं तो चाहे नक्शे का मामला हो, चाहे हदबरारी का मामला हो, उसमें समय लगता है। पूरे प्रदेश में जो विवाद हैं, वह चक मार्गों के हैं, ग्राम समाज की आबादी के हैं। मान्यवर, इसका मुख्य कारण यह है कि चकबन्दी का जो नक्शा है, उसमें अन्तर है और इस कारण गांवों में कठिनाई होती है। मैं यह चाहता हूँ कि इस दिशा में कोई सोच बननी चाहिये कि अपने आप खतौनी के आधार पर नक्शा दुरूस्त किया जाये, खतौनी और नक्शे में समरसता आनी चाहिये, तब ग्राम समाज की भूमि छूट पायेगी और अगर यह नहीं होगा, तो गांवों में विवाद होते रहेंगे, इसलिये दोनों में समरसता होनी चाहिये। नक्शा दुरुस्ती होनी चाहिये, यह सब आने अपने आप होना चाहिये। मेरा कहना है कि इसको किसी तरह से समाप्त करना चाहिये, चाहे इसके लिये कोई नियम ही बनाना पड़े।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि गांवों में जो आबादी की भूमि है, उसका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। आवासीय जमीन का बन्दोबस्त न होने से गांवों में विवाद होते हैं। इसलिये मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हो यह कार्य अपने आप शुरू किया जाये। मान्यवर, जिस प्रकार से खेती की जमीन के लिये बन्दोबस्त शुरू किया गया था और पूरे प्रदेश में क्रान्तिकारी कदम उठाने का काम किया गया था, उसी प्रकार से जो आबादी की जमीन है, उसका भी बन्दोबस्त कराने का काम करें और उस बन्दोबस्त के आधार पर नाम अंकित हो जाये, तो मैं समझता हूँ कि इससे विवाद हल हो जायेंगे।

मान्यवर, अब मैं राहत के बारे में कहना चाहता हूँ। अगर किसी घर में आग लगती है, तो उसको राहत दिये जाने का प्राविधान है। अगर उसका समस्त घर जला है तो 5 हजार रुपया मिलता है। अनुदान मिलने की जो प्रक्रिया है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। किसानों की फसल जल जाती है, मवेशी जल जाते हैं, जो अनुदान दिया जाता है, उसकी राशि बहुत कम होती है, मैं तो यह कहूँगा कि आज की महंगाई के जमाने में वह जीरो है। इसलिये इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अम्बेदकर नगर में एक भीटी गांव है, उसमें एक घर में आग लगी और 5 लोग जल गये, एक नाबालिग बच्चा, जो घर के बाहर था बच गया और उसमें अनुदान 25-25 हजार रुपया स्वीकृत हुआ, लेकिन बाद में राजस्व क्लर्क ने उसमें

लिख दिया है कि लालटेन से आग लगी, इसलिये दैवी आपदा में यह मामला नहीं आता है और उसको दैवी आपदा में नहीं माना जा रहा है। अगर आग लगती है, तो उसको दैवी आपदा में लाने की प्रक्रिया बनानी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य —

माननीय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बैनामे का जिक्र किया और कहा कि जिस दिन बैनामा निष्पादित होगा, उसकी नकल क्रय करने वाले व्यक्ति को उसी दिन मिल जायेगी और एक नकल तहसील में चली जायेगी। इस तरह बहुत जल्द दाखिल खारिज हो जायेगी। यह परिवर्तन किया गया है। लेकिन मुझे इसमें शंक है। इसलिये शक है कि पहले जो कानून था उसमें प्रार्थना-पत्र धारा 34 लैन्ड रेवेन्यू के अन्तर्गत तहसीलदार के यहां दाखिल खारिज के लिये देते तो 35 दिनों में प्रोक्लेमेशन के तहत डुग्गी पीटकर बताया जाता था कि फलां आदमी ने बयनामा किया है। यदि किसी को एतराज है तो वह एतराज कर सकता है। लेकिन इसमें सीधे बयनामा तहसीलदार के पास चला जाए[illegible] तो 35 दिनों का प्रोक्लेमेशन का जो प्राविधान है क्या उसको समाप्त कर दिया है या समाप्त नहीं किया है? तो क्या वह प्राविधान दाखिल खारिज में लागू हो गया? यदि नहीं तो 35 दिन की बाध्यता क्यों है? इन दोनों में विरोधाभास क्यों है? इसलिए मंत्री जी इसे स्पष्ट कर दें। मान्यवर, गरीब आदमी जो है, जो बयनामा करेगा, यदि उसके नाम का दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जायेगा और सीधे बयनामा तहसीलदार के पास चला जायेगा तो इसमें दाखिल खारिज दूसरे के नाम हो जायेगा।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि यह गलत कानून है। बयनामा को, दाखिल खारिज को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वह भाग जो कन्टेस्टेड होते हैं अर्थात् जिसमें विवाद होता है और दूसरा भाग अनकटेस्टेड अर्थात् जिसमें विवाद नहीं होता है और इसमें दाखिल खारिज हो जाये तो अच्छी बात है। लेकिन विवाद में जो हैं उनमें तीन एक्टस की धारायें लागू होंगी। इसलिये सिविल प्रक्रिया लागू होगी। मान्यवर, इसलिये बजट भाषण में जो कहा है, प्राविधान कर दिया है, वह निष्प्रभावी हो जायेगा।

मान्यवर, दूसरी बात इंक्रोचमेंट के संबंध में कहा है। चाहे वह चारागाह की भूमि हो, तालाब, चक रोड, नाली आदि की भूमि हो बंजर या ऊसर भूमि हो गांव सभा की संपत्ति होती है। उसका असेसमेंट करेंगे तो दिन प्रति दिन गांव सभाओं की संपत्ति पर इंक्रोचमेंट होता जा रहा है। वर्तमान लैण्ड एक्ट प्रभावी नहीं है जिससे कि इंक्रोचमेंट की प्रक्रिया को रोका जा सके। इसलिए इसमें आपको संशोधन करना चाहिए।

आपके पास तो केवल 122वीं जमींदारी एब्यूलेशन अधिनियम है, जिसके आधार पर आप इन्क्रोचमेन्ट करने वाले के खिलाफ इजेक्शन नोटिस दे सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई धारा नहीं है, जिससे आप ग्राम समाज की जमीन को बचा लें। आज गांव सभा की लाखों करोड़ों रूपये की जमीन भू-माफियों के हाथ में आ गयी है इसलिये आपको 122वीं जमींदारी एब्यूलेशन एक्ट में सुधार करना पड़ेगा उसमें और अधिक दण्ड देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि बड़े-बड़े भू-माफिया आतंकवादी करोड़ों रुपये की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं मैं उदाहरण देना चाहता हूँ हमारे माननीय बाबू राम जी राजस्व मंत्री रह चुके हैं वह बैठे हैं और यह विधायक जी बैठे हैं इनके क्षेत्र में करोड़ों रुपये की भूमि जिसका चक नम्बर 1301 है राजस्व विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं इनको मालूम होगा।

श्री अधिष्ठाता —

अधिकारियों की उपस्थित का हम संज्ञान नहीं लेते।

श्री राम औतार शाक्य —

माननीय संसदीय कार्यमंत्री बैठे हुये हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। मैनपुरी में करोड़ों रुपये की जमीन है, उसमें एक भू-माफिया रामबाबू कुशवाहा 25 जून की रात को बन्दूकों के बल पर कब्जा कर लिया आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये मैं कह रहा हूँ इस कानून में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और ऐसे कार्यों के लिए उसे कागजिनेवलएफेन्स बनाया जाय ताकि तुरन्त एफ० आई० आर० हो सके और वह व्यक्ति जेल जा सके तथा उसे दण्डित किया जा सके।

श्री अधिष्ठाता —

कृपया आप समाप्त करें हमारे साथ सहयोग करें।

श्री राम औतार शाक्य —

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रह जायेंगे और यह सदन उससे वंचित हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता —

आपने दूसरों से अधिक समय लिया है दूसरों के भी महत्वपूर्ण सुझाव हो सकते हैं आप हमारा सहयोग करें।

श्री राम औतार शाक्य —

मैं विषय से हटकर नहीं बोल रहा हूँ फर्जी इंदराज के बारे में भी आपको सोचना होगा चकबन्दी में जब धारा 4 का प्रकाशन होता है तो चकबन्दी की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन धारा 4 से लेकर जब तक चकबन्दी चलती रहती है तब तक 52 का प्रकाशन नहीं होता।

श्री अधिष्ठाता —

अब आप हमारा सहयोग करें दूसरों के भी महत्वपूर्ण सुझाव है।

श्री राम औतार शाक्य —

धारा 52 की प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है 15-20 साल तक का समय लग जाता तब कहीं धारा 52 का प्रकाशन होता है।

श्री अधिष्ठाता —

बड़ी मुश्किल है आप हमारी कठिनाई नहीं समझ रहे हैं माननीय अम्बिका चौधरी या तो आप कह दें इनके बाद और कोई नहीं बोलेगा (आप के सुझाव पर ही मैंने शाक्य जी को बुलाया)।

श्री अम्बिका चौधरी —

वह महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य —

धारा 52 का प्रकाशन नहीं होता है 15-20 साल उसमें लग जाते हैं इससे खतरनाक स्थित हो जाती है जैसे ही डी० डी० सी० की स्टैज समाप्त हो जाय उसके तुरन्त बाद 52 का प्रकाशन कर दिया जाय और आ० प० 45 की प्रति तहसीलदार के यहां चली जाये ताकि किसान को खतौनी की नकल आसानी से मिल सके।

मान्यवर, मैं फर्जी इंदराज की बात कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता—

5 मिनट की जगह 15 मिनट हो गये हैं। दूसरे दल से माननीय सदस्य जब खड़ें होंगे तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के राम औतार शाक्य 15 मिनट बोले हैं, तो हमारी क्या स्थिति होगी? हमारे ऊपर थोड़ा तरस खायें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। फर्जी इंदराज चाहे 45 में हो चाहे 23 में हो और चाहे चकबंदी रिकार्ड में है फर्जी रिकार्ड को समाप्त करने के लिये कोई कार्य योजना बनायें ताकि किसानों का शोषण न हो पाये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री छोटे लाल गंगवार—

माननीय अधिष्ठाता जी, राजस्व विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर मैं बल देता हूँ। माननीय मंत्री जी से कहा कि सरकार ने किसान बहियों को उपलब्ध करा दिया है। मेरे संज्ञान में है कि 10 प्रतिशत काश्तकारों को भी किसान बहियां नहीं मिली हैं। इन किसान बहियों से जब किसान ऋण लेने जाता है या जमानत कराने की जरूरत होती है, तो यह काम में नहीं आती है और खतौनी देनी पड़ती है। इस किसान बही पर सरकार ने इतना धन व्यय किया है उसको कोई उपयोग नहीं हुआ है। किसान बहियों का अभी वितरण भी नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ने अभी आवंटन की बात कही। जहां तक मेरे संज्ञान में है। मेरे यहां तहसील नवाबगंज जो ग्राम समाज की भूमि का आवंटन हुआ है वहां तहसील के कर्मचारी उप जिलाधिकारी से मिलकर भूमि का नीलाम कर रहे हैं, जो ज्यादा पैसा देता है उसको पट्टा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने 35 दिन में दाखिल खारिज की बात कही है। नवाबगंज तहसील में 4-4 साल हो गये हैं दाखिल खारिज के मुकदमें लंबित हैं। तहसील दिवस की बात मंत्री जी ने कही है। 18 नवंबर, 97 को नवाबगंज तहसील पर पहला तहसील दिवस हुआ था जिसमें जिलाधिकारी बरेली पहुंचे थे। तमाम काश्तकारों ने उनसे दाखिल खारिज की शिकायतें की लेकिन जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद आजतक राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन नही किया गया है। माननीय मंत्री जी ने पुराने तहसील भवनों को बनवाने की बात नहीं कही है। आज बहुत से तहसीलों के भवन जर्जर हालत में हैं। बरसात में उनमें पानी भर जाता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसको संज्ञान में ले और तहसील नवाबगंज के भवन का निर्माण कराये। जहां तक राजस्व परिषद् की बात है राजस्व परिषद् में जो मुकदमें चलते हैं वहां पर वादी या प्रतिवादी तो निपट जाता है लेकिन मुकदमों का निपटारा नहीं हो पाता है। हमारे यहां नवाबगंज तहसील में 2 वर्ष पूर्व लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर स्वीकृत हुआ था लेकिन अभी तक उसका निर्माण नहीं कराया गया है। मैं निवेदन करुंगा कि इस लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण शीघ्र कराया जाय।

* श्री राजधारी—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे राजस्व मंत्री द्वारा रखे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में जो संकल्प और इच्छा शक्ति शासन की व्यक्त की हैं, वह निश्चित रूप से जन कल्याणकारी है, किसान के हित में है, देश की गरीब आम जनता के हित में है। हम लोग देखा करते थे कि इन्तखाब के सवाल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर गाँव के किसानों को कितनी कठिनाई होती थी। इस सरकार ने संकल्प लिया है कि हम किसान बही पर परिवार में जो खेती करता है पहुंचायें इससे 2 करोड़ 41 लाख जोत परिवारों को किसान बही देने का संकल्प लिया है। हमें प्रसन्नता है कि इतने अल्प समय में इतने किसानों को किसान बही उपलब्ध कराई है। किसान बही में इन्तखाब से संबंधित, जाति प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र और अन्य चीजों का विवरण उस किसान बही में सुलभ होता है जो बैंक से ऋण लेने और परिचय देने के काम आता है।

यह मान्यवर, निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है। मैं इसलिये भी इस बजट का समर्थन कर रहा हूं कि पहले किसान को गांव में जो परेशानियां होती थीं उसको इस बजट के माध्यम से बहुत राहत मिली है। जब गांव में कोई किसान मर जाता था तो उसकी जगह पर मृतक के आश्रित का नाम दाखिल खारिज होने के लिये बहुत ही कठिनाई होती थी, उसमें बहुत समय और पैसा अपव्यय होता था। मैं राजस्व मंत्री जी को और शासन को बधाई देना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर मृतक आश्रितों के भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33(सी) के अन्तर्गत वसीयत के मामलों का निस्तारण करने का संकल्प लिया है। आज इससे किसानों को गांवों में लाभ पहुँच रहा है। इसके लिये निश्चित रूप से यह सरकार बधाई की पात्र है, जिसने यह प्रशंसनीय कदम उठाया है। इस सरकार ने यह निर्णय लिया है "सरकार जनता के द्वार" यह पहली बार हुआ है जब किसान को अपनी समस्याओं के लिये जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, लखनऊ नहीं दौड़ना पड़ेगा, तहसील दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह पहला अवसर है जब इस सरकार ने तहसील दिवस का आयोजन करके गाँव के किसानों को, गरीबों को इन समस्याओं से कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया है। तहसील दिवस का आयोजन करके विभाग से संबंधित अधिकारियों को बुलाकर किसानों, गरीबों, आम जनता की शिकायत सुनने व उसके निस्तारण का कार्य किया है। अभी मंत्री जी ने अपना बजट रखा। हमारे यहां चक मार्गों और नालों की बात होती रहती है और प्रयास भी हुए लेकिन चक मार्गों का निर्धारण, नालियों का निर्धारण पिछली सरकारों ने नहीं किया। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लेकर इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से गांवों का विवाद 80 प्रतिशत कम होगा इससे अनपढ़ भाई आपस में लेड़गें नहीं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को चकबन्दी के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। अभी प्रथम चक्र चकबन्दी, द्वितीय चक्र चकबन्दी की बात कही गई थी।

मैं राजस्व मंत्री जी के अपने अनुभव के आधार पर एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक प्रथम चक्र चकबन्दी का काम पूरा न हो जाय तब तक द्वितीय चक्र चकबन्दी का कार्य न लिया जाय। मैं बलिया जनपद से आता हूं। बड़े गांव आज 15 साल से चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है वह पूरी नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति अन्य जनपदों में भी हो सकती है। धारा 52 के प्रकाशन में विलम्ब हो जाता है जिससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है। धारा 52 की कार्यवाही की एक समयबद्ध सीमा निर्धारित कर दें और अपने अधिकारियों को इसके लिये स्पष्ट निर्देश दें। मैं विशेष करके बलिया जनपद के बारे में कहना चाहता हूं कि 2 साल तक कोई जी०डी०सी, सी०आर०ओ० नहीं है। ए०सी०ओ० और सी०ओ० नहीं है उनके पद रिक्त हैं जिससे चकबन्दी का कार्य प्रभावित हो रहा है। बलिया जैसे क्षेत्र में विशेष ध्यान देकर अधिकारियों की नियुक्ति करायेगें। मान्यवर, दैवी आपदा का जिक्र हुआ है, उसके बारे में सरकार प्रयत्नशील है। दैवी आपदा का मतलब है, हम जल्दी राहत दे सकें।

(समय 7 बजकर 30 मिनट)

लेकिन कहीं-कहीं ऐसी घटनायें होती हैं आग लग गयी, बाढ़ आ गयी समय के अन्दर तत्काल सहयोग नहीं मिल पाता है, तो मुख्य मंत्री जी से सम्पर्क करके दैवी आपदा के लिये ज्यादा धन की व्यवस्था रखें ताकि तत्काल लाभ पहुँचाया जा सके। मान्यवर, हमारे बलिया में सिकन्दरपुर तहसील बनाने का काफी दिन से प्रस्ताव है वहां पर तहसील भवन न बनने से कठिनाई होती है। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करूँगा कि आप योजनाओं के अन्तर्गत पैसे की व्यवस्था करायें ताकि धन की व्यवस्था होने पर वहां पर तहसील भवन बन सके। मान्यवर, हमारे यहां सर्वे विभाग बलिया जनपद में था यह बिहार का बार्डर है। पिछले 6 महीने से सर्वे कार्यालय को गोरखपुर जनपद में कर दिया गया है। इसे बलिया में किया जाये। मैं तमाम बातें सुझाव के रूप म रखते हुए बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री जगदीश नारायण "मुन्ना" —

मान्यवर आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैंने कटौती का प्रस्ताव जो रखा गया है। उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर राजस्व मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से शब्दों के जाल के साथ बजट भाषण प्रस्तुत किया है। मैं उनका भाषण, जो वह पिछले राजस्व मंत्री के रूप में दे चुके हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर हस्तान्तरण के मामले में दाखिल खारिज की प्रक्रिया में कहा गया कि जोत बही में दर्ज करके भेजी जायेगी। मान्यवर पिछले प्रस्ताव पर ध्यान देने की कृपा करें। हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वही का इन्ट्री दर्ज हो जायेगी फिर तहसील में जायेगी। जो इन्ट्रियां दर्ज होंगी उसमें जो बीच-बिचौलियों की आवश्यकता पड़ती है वह खत्म हो जायेगी। अब कुछ और कहा गया है। इसी तरह से मान्यवर, चकबन्दी के लिए विशेष प्राविधान नहीं किया गया है। सिर्फ उपलब्धियां बतायी गयी है। चकबन्दी 1953 में शुरू की गयी है। प्रथम चक्र में क्षेत्र में पूरा हो गया। दूसरा चक्र दो-तीन साल से पड़ा है यह क्यों नहीं हो रहा है ? जल्दी दूसरा चक्र पूरा नहीं होता है तो चकबन्दी का क्या लाभ है ?

मान्यवर, इसी तरह से मैं अभिलेखों के बारे में कहना चाहूँगा। अभिलेखों के रख-रखाव पर जिलों में अभिलेखों में घपला हो रहा है बिचौलिये रैकेट बनाकर घपला करा रहे हैं। मान्यवर मेरे जनपद जौनपुर में इजरी में अभिलेख गायब हुये हैं तो उस गांव का विकास अवरुद्ध हो गया है। राजस्व वाद के बारे में कहना चाहूँगा, राजस्व वाद इतने ज्यादा है, उसका निस्तारण नहीं हो रहा है । अदालतें खाली पड़ी हैं । अदालतों में नियुक्ति करायें और वादों का त्वरित निस्तारण करायें। पट्टों के बारे में कहना चाहूँगा बजट में पट्टे देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जो पुराने पट्टेधारी हैं, उनको किस प्रकार कब्जा दिलाया जायेगा। मान्यवर, दैवी आपदा के लिये जो धन होता है। उस धन को विशेष काम के लिये खर्चा कर दिया जाता है और दैवी आपदा आने पर धन मिलने में विलम्ब होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि धन दैवी आपदा के मद में मिलता है उसको दैवी आपदा में ही खर्च किया जाये।

* श्री नरेन्द्र सिंह भाटी —

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मुझे कुछ खास बिन्दुओं पर कहना है। वैसे इसमें कोई खास बात नहीं मिली फिर भी कुछ खास बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तहसील दिवस की बात हमारे कुछ साथियों ने भी कही है। योजना अच्छी है लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जो लोग गरीब हैं जिनको तहसील दिवस म मिलना चाहिए उनको वहां

---

* वक्ता ने भाष का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि तहसील दिवस पर वहां पर जो एस० डी० एम० और तहसीलदार मौजूद रहते हैं, वह अपने स्तर के मामलों का निपटारा नहीं करते। उदारहण के तौर पर धारा 107,116, 133, 151 जो सी० आर० पी० सी० की सबसे छोटी धारायें हैं उनका भी फैसला नहीं करते। अगर इन छोटी धाराओं का निपटारा वहां नहीं हो सकता तो इसका कोई मतलब नहीं। वहां पर एस० डी० एम० कहते हैं कि वकील के माध्यम से तारीख के दिन कोर्ट में आना वहां पर वकीलों को फीस देनी पड़ती है वहां पर समय भी अधिक लग जाता है। इसलिये तहसील दिवस का कोई फायदा नहीं। मेरा सुझाव है कि इस बात के तुरन्त निर्देश दिये जायं कि एस० डी० एम० स्तर के जो मामले हैं जिनका एस० डी० एम० निस्तारण कर सकते हैं उनका वहीं निस्तारण कर दें। अभी पेज 8 पर नये मण्डल, नये जिलों, तहसीलों के गठन की बात है। मेरा इसमें कहना है बहुत आनन-फानन में लम्बे चौड़े स्तर पर मण्डलों, जिलों, तहसीलों की घोषणा कर दी गयी। 5 मण्डलों, 15 जिलों, 40 तहसीलों और एक उप तहसील बनायी गयी। इन सभी का परिसीमन उचित तरीके से नहीं हुआ। परिसीमन में बहुत हेराफेरी हुयी इसमें चुने हुये जन-प्रतिनिधियों की राय को नजरअन्दाज किया गया। जो गौतमबुद्ध नगर नामक नया जिला बनाया गया है वह गाजियाबाद और बुलन्दशहर को काटकर बनाया गया जब कि न तो गाजियाबाद के लोगों ने इसकी मांग की और न ही बुलन्दशहर के लोगों ने इस तरह की मांग की। लेकिन इसके बावजूद जिले की घोषणा कर दी गयी। कमिश्नर के घर में बैठकर इसका परिसीमन किया गया। हमारा सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र दो जिलों में बंट गया। सिकन्दराबाद तहसील भी है, सी० ओ० कार्यालय भी वहां है अगर सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र पूरा ले लिया जाता तो गौतमबुद्ध नगर को उस जनपद की एक तहसील नई मिल जाती। हमारे विधान सभा क्षेत्र में तीन गांव ऐसे हैं जो बुलन्दशहर और गौतमबुद्ध नगर के बीच में आये हैं कहीं से उनका रास्ता नहीं है निकलने के लिये पिसवाना, खैरपुर, हसनपुर, फरीदपुर, नगला, चीती, जिन गांवों में रास्ता होकर जाता है वह गौतमबुद्ध नगर में हैं। तो उन तीनों गांवों का टायटिल ही तय नहीं हो पायेगा। इतना अव्यवहारिक परिसीमन हुआ है कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर खेत पर कोई झगड़ा होता है तो उसके लिये दूसरे जिले में जाना पड़ेगा, घर झगड़ा होगा तो दूसरे जिले में जाना होगा। मान्यवर, गौतमबुद्ध जिला 85 किलोमीटर लम्बा फ्लड एरिया काटकर दे दिया गया है। अगर जेवर में कोई घटना होती है तो वहां के डी० एम० और एस० एस०पी० उस दिन उसका मुआयना नहीं कर सकते, बदमाशों की कोई-रोक-टोक नहीं कर सकते। गौतमबुद्ध नगर जंगल में बसाया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर नाम की चिड़िया को इलाके में कोई नहीं जानता था। यहां का वाटर लेविल बहुत ऊँचा है और वाटर लेविल को चेक नहीं कराया है। अगर बहुमंजिली इमारतें बनायी गयी और वह धंस गयी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरे जन-प्रतिनिधियों को शामिल करके जिले का परिसीमन माननीय मंत्री जी कराने का कष्ट करें। यह मेरा सुझाव है।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी —

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि गौतम बुद्ध नाम की कोई चिड़िया नहीं थी, गौतम बुद्ध को पूरा विश्व जानता है, यह उनका अपमान है, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अम्बिका चौधरी —

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि गौतमबुद्ध नगर नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उनके मन में जो शंकायें पलती रहती हैं वह कब जवान हो जायेंगी इसका कोई अता-पता नहीं है।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमर मणि त्रिपाठी) —

मान्यवर, भगवान बुद्ध को सभी जानते हैं। माननीय सदस्य ने इस तरह से कहकर भगवान बुद्ध का अपमान किया है।

श्री अधिष्ठाता —

अमरमणि जी, आप मंत्री के अनुरूप अपना आचरण करें। डा० बाजपेयी जी, इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो शब्द माननीय भाटी जी ने कहा वह ठीक से आप तक नहीं पहुंच पायी, उन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध नगर नाम की कोई चिड़िया नहीं थी।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी —

मान्यवर, यदि कार्यवाही में गौतम बुद्ध नगर हो तो चलने दीजिए लेकिन यदि गौतम बुद्ध नाम की चिड़िया शब्द हो तो उसे आप कार्यवाही से हटा दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी —

मान्यवर, मेरी मंशा गौतम बुद्ध के बारे में नहीं बल्कि उस स्थान के बारे में है। जहां गौतम बुद्ध नगर बसाया गया है वहां कोई आबादी नहीं है। मान्यवर, वहां दो एजेन्सियां नोयडा और ग्रेटर नोयडा हैं जो किसानों की जमीन को जहां मर्जी होती है वहां अधिग्रहीत कर लेती हैं लेकिन उनके मुआवजे के सम्बन्ध में कोई परवाह नहीं है। हल्दौना, कासना, चूहड़पुर, नदौली गांवों के बारे में 12 अगस्त, 1997 को नियम-52 के अन्तर्गत यह मामला उठाया था जिसमें राजस्व मंत्री जी ने अविलम्ब मुआवजा देने का आश्वासन दिया था और 160 रुपया प्रति वर्ग गज से मुआवजा देने की बात थी। ग्रेटर नोयडा वाले इसे आवासीय योजना में 2400 रु० मीटर की दर से बेच रहे हैं और सारे देश से पैसा इकठ्ठा कर लिया है और किसानों को जो मिनिमम मुआवजा दे रहे थे, वह भी नहीं दिया गया है जबकि उनकी जमीनों पर 1995 में कब्जा हो चुका है, वहां किसान का शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है, वहां आई० ए० एस० स्तर के अधिकारी बैठे हैं, यदि प्रापर्टी डीलरी ही करनी थी तो पटवारी भी कर सकते थे, इतने बड़े खर्चे की क्या जरूरत थी। आज बिना कमीशन लिये मुआवजा निर्गत नहीं किया जा रहा है, यह मेरी आपत्ति है। माननीय राजस्व मंत्री का पत्र दिनांक 27 मई, 1997 वहां जा चुका है जिसमें कहा गया है कि 99.17 प्रति वर्ग गज की दर से तय किया जाय। इसी प्रकार 10 जून, 1997 का एक पत्र अनुसचिव स्तर से जा चुका है, उन्होंने भी इसको माना है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिये मई, 98 से डी० एम० के खाते में पैसा जमा कर दिया गया है, लेकिन कहते हैं अभी बोर्ड की मीटिंग में पेंडिग है, अब जमीन किसान के पास नहीं रही, यदि उसे पैसा उस समय मिल जाता तो वह कहीं और जमीन खरीद लेता, अब रेट 3 गुना हो गये हैं। जो जमीन वह एक तिहाई रेट में खरीद सकता था, अब उसे उसका तीन गुना रेट देना पड़ेगा। अतः उक्त गांवों का मुआवजा अविलम्ब दिलाने का कष्ट करें।

अब मान्यवर, बात चकबन्दी की आती है। चकबन्दी का गजट होने के 5 वर्ष के अन्दर धारा 52 करने का प्राविधान है, लेकिन दादरी तहसील, जो अब गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा है, वहां 30 अगस्त, 1980 को गजट हुआ था, लेकिन आज तक धारा-52 नहीं हो पाया और सारा मामला जनपद गाजियाबाद में पेन्डिंग हैं।

मान्यवर, बागपत से लेकर हेकड़ा, गौतम बुद्ध नगर होते हुये अलीगढ़ तक, बीच में यमुना नदी पड़ती है, यह उत्तर प्रदेश को हरियाणा से जोड़ता है, यहां कटान कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। वहां का एक बन्दोबस्त तैयार हुआ था, लेकिन उसका आज कहीं कोई ब्यौरा नहीं है, तहसील में कहीं कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसान जब फसल बोता है तो हरियाणा वाले जबरन पुलिस के बल पर उसकी फसल काट ले जाते हैं, इस चक्कर में

कई बार हत्यायें, गोलीबारी भी हो चुकी है। अब किसान एक महीने पहले से ही बन्दूक लेकर पहरा देता है, तब जाकर वह अपनी फसल काट पाता है, इसके संबंध में अविलम्ब व्यवस्था की जाय ताकि इस प्रकार होने वाली हत्याओं को रोका जा सके और किसान को वहां बन्दूक लेकर न खड़ा रहना पड़े।

एक और बात कहना चाहता हूँ। सारे प्रदेश की जितनी भी एथारिटीज हैं, चाहे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, चाहे मेरठ विकास प्राधिकरण हो, आवास विकास परिषद् हो या कोई दूसरी जगह हो, वहां पर आवासीय प्लाटों, मकानों आदि में माननीय विधायकों, सांसदों के लिये आरक्षण रखा जाता था, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने एम० पी० और एम० एल० एज० के लिये भूखण्ड, मकान या इन्डस्ट्रियल प्लाट का कोई आरक्षण नहीं रखा है, जिससे हम लोग वहां जमीन प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। दिल्ली के नजदीक कोई फैक्टरी के लिये यदि कोई 100 गज का शेड भी ले लें तो एथारिटी उसको प्लाट दे देती है, इसलिये एम० पी० और एम० एल० एज० के लिये कम से कम 2 प्रतिशत का आरक्षण आवासीय भूखण्डों में अवश्य किया जाय।

इसी के साथ, आपने मुझे बजट का विरोध करने के लिये मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

*श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, राजस्व मंत्री जी ने बहुत ही संतुलित बजट रखा है। बजट किसी भी सरकार का आयना होता है आपने बजट के माध्यम से 75 फीसदी किसान के हितों का ध्यान रखा है इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, यह प्रदेश गांवों का प्रदेश है यहां के किसानों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उनके लिये माननीय मंत्री जी ने कुछ योजनाओं को इस बजट के माध्यम से दिया है जैसे कि तहसील दिवस पर सारे अधिकारी वहां बैठते हैं। गांव का किसान लेखपाल को कई-कई दिन तक खोजता था और वह नहीं मिल पाता था, किसान परेशान होता था लेकिन अब तहसील दिवस पर सारे अधिकारी वहां बैठते हैं और हर किसान की सारी समस्या का निदान वहीं पर हो जाता है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने किसान बही के माध्यम से किसान को सुविधा देने की व्यवस्था की है जहां किसान को इन्तखाब लेने के लिये कई दिन तक चक्कर लगाना पड़ता था और पैसे भी खर्च करने पड़ते थे, 50 रुपये ले लिये जाते थे। अब किसान बही के माध्यम से सारी भूमि का हिसाब उनके पास रहता है। इस किसान बही में उनकी जाति निवास स्थान का भी उल्लेख रहता है और यह जाति, निवास और हैसियत का प्रमाण भी होता है, ऋण लेने में भी किसान को इससे लाभ होता है। मान्यवर, दाखिल खारिज की आये दिन समस्या होती थी अब इसकी प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। पहले लोग तहसील के चक्कर लगाते थे परन्तु दाखिल खारिज नहीं हो पाता था। निर्विवादित मामलों के निस्तारण के लिये जो 35 दिनों का निर्देश दिया है वह लाभ सीधे-सीधे किसान को मिल रहा है। आपके माध्यम से इस बजट के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि जहां पर अतिक्रमण हो रहा था चक नालियों पर, चक रोडों पर अतिक्रमण हो रहा था अब सरकार ने निर्देशित किया है कि नाप जोख कर चक नाली, चक रोड, जी० एस० लेन का इनक्रोचमेन्ट हटाया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं अपने जनपद भदोही सन्त रविदास की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह जनपद 4 वर्षों से बनारस जिले से अलग हुआ है आज वहां का मुख्यालय ज्ञानपुर है, सारी व्यवस्था मुख्यालय पर होनी चाहिये लेकिन आज भी चकबन्दी विभाग के तमाम अधिकारी बनारस में रहते हैं। डी० डी० सी० भी वहीं रहते हैं। सी० ओ० को छोड़कर सभी अधिकारी बनारस में रहते हैं। ऐसे अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने के लिये निर्देशित करें हमारे यहां एक क्षेत्र कोनिया कहा जाता है यह चारो तरफ से गंगा से घिरा हुआ है वहां पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है और वहां अभी चकबन्दी चल रही है। कई वर्षों से बारीपुर, बम्हौरी गांव हैं जहां चकबन्दी चल रही है वह चकबन्दी तुरन्त पूर्ण करायी जाय। मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आज तक सारा मुख्यालय एक तहसील के रूप में है। डी० एम० तहसील वाले आफिस में बैठते हैं। मान्यवर, एक जनपद को जो व्यवस्था मिलती है, वह व्यवस्था उसको मिलनी चाहिए। मान्यवर, यह एक संतुलित बजट है और हर तरह से किसानों के लिये उपयुक्त है इसलिये इस बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री श्रीराम पाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने राजस्व विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, जब से भाजपा की सरकार बनी है, इसने अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है। मान्यवर, यू० पी० जेड० एल० आर० ऐक्ट के अन्तर्गत जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग ग्राम समाज की परती बंजर भूमि पर 3 जून, 1995 के पहले काविज थे उनकी आज किसी प्रकार से, जमीन पर कब्जा होते हुए भी, बात नहीं सुनी जा रही है। प्रदेश की हर तहसील से आज शून्य में रिपोर्ट आ रही है। आज किसानों का जो सबसे ज्यादा शोषण है, यू० पी० जेड० एल० आर० ऐक्ट की धारा 168 ए जहां कि कंगालीडेटेड एरिया है चकबंदी हो चुकी है वहां कोई काश्तकार 4 एकड़ के रकबे में एक एकड़ रकबा बेचता है, खरीदार का वहां कोई खेत नहीं है, तो वह एकड़ का रकवा गांव समाज में वेस्ट हो जाता है, 167 ए में राज्य सम्पत्ति में चला जाता है। हो कहीं नहीं रहा है, जहां प्रेगमेन्टेशन वैनामे के मामले आते हैं वह सब पेंडिंग में आते हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार का जब ट्रांसफर होने लगता है, 5 हजार, 10 हजार लेकर के म्यूटेशन किया जाता है। मान्यवर, इसलिये 168 धारा में संशोधन की आवश्यकता है। अगर काश्तकार के चार लड़के हैं अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह लड़के सह-खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज होते हैं, प्रेगमेन्टेशन नहीं होता है, अगर किसी व्यक्ति ने एक एकड़ का खेत लिया तो ग्राम समाज में भूमि वेस्ट हो जायेगी। एल० आर० ऐक्ट की धारा 41 है जिसमें हदबंदी के सरसरी के मुकदमें दायर होते हैं रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के अनुसार केवल हदबंदी के फीस दाखिल करनी पड़ती है वह एक-एक साल तक सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल उनके खेतों की पैमाइश हदवंदी करने नहीं जाते हैं, एक हजार पांच सौ रु० दे दिया पैमाइश हो जाती है। इसमें कारगर कदम उठाने की जरूरत है। 34-एल० आर० ऐक्ट इसमें कुछ संशोधन आवश्यक है। जमीन की खरीद फरोख्त, किसी की मृत्यु होने पर, सक्सेसशन, गिफ्ट–यह सब मामले हैं, एक शब्द और जुड़ा हुआ है पारिवारिक समझौता। इसके नाम पर प्रदेश में हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन बिना बैनामे के हस्तांतरित हो गयी। झांसी मण्डल में एक परम्परा बनी है 10 वर्ष से एक आदमी सीलिंग से प्रभावित हो रहा है उसके पास बहुत जमीन है उसके चार लड़के हैं 5 रु० के स्टाम्प पर पारिवारिक समझौता लिख लिया और एक हजार रु० एकड़ के हिसाब से तहसीलदार को देकर म्यूटेशन करा लिया। न बैनामा है न कोर्ट फीस, 1982 की एक रुलिंग है उस रूलिंग के आधार पर पारिवारिक समझौता के नाम पर सीलिंग से प्रभावित हो रहा व्यक्ति हर लड़के के नाम 5 रु० के स्टाम्प पर तहसीलदार के यहां बैनामा दाखिल खारिज करा रहे हैं इससे लाखों करोड़ों रु० की स्टाम्प की चोरी भी हो रही है। इसमें संशोधन आवश्यक है। सीलिंग के मुकदमें प्रदेश में तमाम चल रहे हैं 20-20

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साल हो गये फाइलें हाईकोर्ट से रिमांड होकर जिले में कमिश्नरी में आ जाती हैं सीलिंग से प्रभावित किसान की जमीन नहीं जा रही है। सीलिंग से जमीन तभी जायेगी जब इन विशेष वादों की सुनवाई के लिये विशेष न्यायालय आप गठित करायें। तभी उस पर तुरन्त निर्णय हो सकता है और गरीबों को जमीन मिल सकती है। तमाम जो नये जनपद व मण्डल बनाये गये हैं, उनके मुख्यालय भवनों के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है, पता नहीं जिलाधिकारी किसी डी० डी० ओ० के दफ्तर में बैठते हैं या चकबन्दी दफ्तर में बैठते हैं। इनके लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाय। आज प्रदेश में किसानों की जमीन के पास फारेस्ट की लैण्ड का होना सबसे बड़ा विवाद का कारण है। फारेस्ट की लैण्ड का होना सबसे बड़ा विवाद का कारण है। फारेस्ट के अधिकारी/कर्मचारी किसानों की जमीन पर वृक्षारोपण कर देते हैं और गड्ढा खोद देते हैं, इसलिये इसके लिए एक निश्चित बाउन्ड्री बना दी जानी चाहिये ताकि इस प्रकार की गड़बड़ी न होने पाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

* श्री मोती लाल पैलवी —

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने की अनुमति दी, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। राजस्व विभाग प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का एक महत्वपूर्ण विभाग है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषकों का देश है, उनकी आर्थिक व शैक्षिक स्थिति इसी पर निर्भर करती है परन्तु दुर्भाग्य है कि राजस्व विभाग का प्रशासन तंत्र किसानों का शोषण करता है। शोषण करने के लिये उनके पास बहुत से नियम/उप-नियम हैं। उनके पास ब्रिटिश जमाने से लिखित जो हस्त-पुस्तिकायें हैं, जो पचास साल से वही चली आ रही हैं, उनमें बिल्कुल भी आप परिवर्तन नहीं कर पाये हैं, आज इसी कारण गांव का लेखपाल वहां का राज्यपाल बना हुआ है। वह मुन्नू की जगह अगर भुन्नू खतौनी में दर्ज कर देता है तो उसको ठीक करने के लिए फिर लौंग प्रोसिजर है और वह खतौनी शुद्ध-शुद्ध नहीं होती है। उस लेखपाल को दण्डित करने के लिये आपने कोई निश्चित कार्यवाही नहीं की जिसकी वजह से इतनी असुविधा हुई। ऐसे लेखपाल की सर्विस को टर्मिनेट करने का आपने कोई प्राविधान नहीं किया। वह जान-बूझकर लेन-देन के लिये यह सब गैरत काम करता है। गांवों में जो खलिहान हैं, मरघट हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, मेला बाजार हैं, लेखपाल पट्टा, पैसे लेकर करता है। लेखपाल गांवों में करीब 10 हजार की जनसंख्या पर इसकी एक सर्किल होता है, किसानों को पट्टा आवंटन के बहाने बहुत बड़ी रकम वसूल करता है। हर बड़े और छोटे काश्तकार से पट्टा आबंटन के लिये उगाही कर लेता है और गरीब किसान बेचारा जो भूमि की लालच में होता है, हमारे यहां लखीमपुर खीरी में केन ग्रोवर किसान हैं, वहां पर गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है, तो भूमि की चोरी से पट्टा, यह राजस्व विभाग वाले करते हैं और जमीन बेच देते हैं और वह जमीन ऐसे बेचता है कि जैसे जमींदारी प्रथा में है कि नजराना दो तो मैं खूंटा गाड़ दूँ। इसी तरह से यह राजस्व वाले करते हैं। लेखपाल यह कहता है कि मुझे नीचे से ऊपर तक सबको देना पड़ता है। मैं क्या करूँ, इसलिये दाखिल खारिज में, प्रेगमेन्टेशन में, हर प्रकार के घपले किया करते हैं। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि चकबन्दी के समय अधिकारी, कर्मचारी को पैमाइश करने का प्राविधान नहीं है। इसमें जो अच्छी भूमि गरीब किसान की है उसको बदलकर जो कम वेल्यू की भूमि होती है वह उन्हें आवंटित कर दी जाती है और जो दबाव वाले लोग हैं उनको अच्छी भूमि दे दी जाती है। गरीब किसान को ऊसर बंजर भूमि नाम दी जाती है। ऐसा धारा 23, 27 और 52 में यह करते हैं और चकबन्दी किसान ऊपर तक डी० डी० सी० लड़ते-लड़ते परेशान हो जाता है। इसी प्रकार से मेरे जनपद में खीरी में, हमारे यहां दरियापुर में शारदा नहर के किनारे की जो जमीन है उसमें भी राजस्व विभाग के अधिकारियों की बन आती है। वह खुले आम नीलाम करते हैं और उसकी पैमाइश यह अधिकारी सही ढंग से नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं और वह किसान भूमिहीन हो जाता है। इसी तरह से हमारे यहां जंगल हैं, वन भूमि हैं, जंगल के किनारे की भूमि है उसको भूमि माफिया अपने कब्जे में किये हुए हैं और जो गरीब लोग वहां पर बसे हैं, एक ज्वलंत उदारहण देना चाहता हूँ जंगल की भूमि खाली की जाय यह शासन का आदेश हुआ है उसके अन्तर्गत 25 वर्ष पहले जो नैपाल से लोग आये थे उनको बसाने के लिये शासन ने तय किया कि जहां फालतू भूमि पड़ी हो इन्हें आवंटित कर दी जाय। हमारे इन्दिरा नगर में पांच-छः बस्तियां ऐसी वसायी गयी, वहां पर जमीन ऐसी थी जिसका मृदा परीक्षण कराया गया था और उसमें रिपोर्ट मिली थी.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री मोतीलाल पैलवी—

लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा आदेश शासन से हुआ है। मान्यवर, मकान जल जाते हैं, गरीब लोगों के मकान जल जाते हैं, उनके मकान घास-फूस के होते हैं, उनके मकान अगर जल जाते हैं, तो उनको मुआवजा बहुत कम दिया जाता है, इस बजट में बहुत कम व्यवस्था की गयी है, इसलिये उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज बहुत महंगाई है और छप्पर-छानी बहुत महंगी हो गयी है। भूमि अध्याप्ति में गरीबों को मुआवजा नहीं मिल पाता है, जिससे उनको बड़ी कठिनाई होती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री राम विशुन आजाद—

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण बजट है और सभी सदस्य इसमें रुचि रखते हैं, इसलिये आप सभी को दो-दो मिनट का समय दे दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय सदस्य पूर्णमासी जी को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री पूर्णमासी पंकज—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जिस प्रकार से साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी प्रकार से बजट सरकार का दर्पण होता है।

जनता को नहीं भाषण, उसे राशन चाहिये।
सुख चैन से जीने का आश्वासन चाहिये।
जनता की सरकार जनता द्वार तक जाये।
सबकी है दिली इच्छा चुस्त शासन चाहिये।

मान्यवर, इस बजट के जरिये यह प्रस्तुत किया गया है कि गरीबों और किसानों की बातें सुनने के लिये गांव तक और ब्लाक स्तर तक अधिकारी कैम्प लगा रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुनने के बाद उनका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं।

कोई कहता नई बोतल में पुरानी शराब है।
कोई झूठ का पुलिंदा कोई कहता खराब है।
बिन समझे कोई किसान विरोधी है कह रहा।
जनता सराहती है, बजट लाजवाब है।

मान्यवर, कुछ बातों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस तरह से मंत्री जी ने निजी व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए पट्टे के रूप में तालाब की जमीन दिया है, मछुआरों को निजी व्यवसाय बढ़ाने के लिए तालाबों के पट्टे दिये हैं, कुम्हारी का व्यवसाय बढ़ाने के लिए जमीनों के पट्टे दिये गये हैं। उसी तरह से इस समाज में दबे कुचले लोगों जैसे धोबी समाज के लोगों को जिन्हें तालाबों में कपड़े धोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं और तालाबों में जबरदस्त लोग कब्जा किये हैं इसलिए आग्रह है कि धोबी समाज के लोगों के लिए तालाबों में पट्टे देने की व्यवस्था की जाए।

मान्यवर, पहले निजी स्तर पर गांवों में विद्यालय ग्राम समाज की भूमि पर चलाये जाते थे लेकिन आज सरकार की तरफ से निजी प्रबंध तंत्र द्वारा विद्यालय चलाने के लिए ग्राम समाज की जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, इसलिए निवेदन करूंगा कि अपने अधिकारियों को आप निर्देश दें कि गांवों में जूनियर हाई स्कूल, इण्टर कालेज जो भी अपना चलाना चाहते हैं उनको सरकार भूमि की व्यवस्था करे जिससे निजी क्षेत्र में भी विद्यालय को बढ़ावा मिले। अंत में मैं निजी पेशा के संबंध में कहना चाहता हूँ–निजी पेशा को बढ़ावा मिला जो भी प्रवीन थे,

पैरों पर खड़े हो रहे जो दीन हीन थे,
तोहफे के रूप में दिया पट्टा गरीब को,
भूमिधर बना दिया जो सभी भूमिहीन थे।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

धन्यवाद

*श्री कौकब हमीद–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मान्यवर, बड़ा जिक्र है मुख्य मंत्री जी के बजट के अन्दर और मंत्री जी के बजट के अन्दर भी बड़ा जिक्र है तहसील दिवसों के संबंध में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसके आंकड़ों के संबंध में आप पता कर लें कि तहसील दिवसों में कितनी ठीक हुई हैं, कितने लोग उन बैठकों में आए और जो लोग आए कितनी शिकायतों को आपने पूरा किया है।

कितनी शिकायतें अभी तक दूर हुई उन तहसील दिवसों पर इसका आप आंकलन कर लें। एक जानकारी और देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के संबंध में एक दीक्षित अवार्ड हुआ था उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है चूंकि जमुना की सीमा को निर्धारित नहीं कर सकते उसके लिए दोनों सरकारों के बीच बात होनी चाहिए। हर साल गेहूँ या धान की फसल या गन्ना की फसल हरियाणा वाले काट ले जाते है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस में झगड़ा होता है और यह झगड़ा बढ़ते-बढ़ते गाजियाबाद तक चला जाता है केवल सहारनपुर उत्तर तक ही सीमित नहीं रहता। पिछले साल आपको मालूम होगा बागपत के एस० डी० ओ० को हरियाणा के लोग उठाकर ले गये और उन्हें बन्दी बनाकर रखा गया और सरकार ने उस एस० डी० ओ० उल्टे संसपेन्ड कर दिया तो मेरी मांग है कि यह जो सीमा का झगड़ा है यह मजिस्ट्रेट लेबिल पर हल होने वाला नहीं है। सोनीपत या बागपत का डी० एम० बैठ जायं और फैसला कर लें यह संभव नहीं उसे आप अपने केवल पर बात कर उसमें केन्द्र सरकार इंवाल्वमेन्ट कराकर बात करें तब मामला तय होगा।

हमारे यहां नदी के किनारे जो तरबूज होता है उसको गरीब आदमी लगाता है इस वर्ष तीन बार यमुना के पानी से वह तरबूज की फसल जमुना के पानी में वह गई क्योंकि ताजीवाला डैम से

जब पानी छोड़ते हैं तो बाढ़ आ जाती है तो वह गरीब आदमी आज भुखमरी के कगार में हैं उनको कम से कम उस फसल का मुआवजा दिलवा दें।

आपने बागपत को जिला बना दिया उसका परिसीमन सही हो जाये वहां कुछ गांव ऐसे हैं जो बागपत से निकल गये हैं उनको अब तहसील पर आने में 50–60 कि० मी० जाना पड़ता है जबकि पहले नजदीक पड़ता था। मेरी एक और गुजारिश है बड़ौत के अन्दर 22 गांव ऐसे हैं जो गाजियाबाद जिलें में हैं अगर वह बागपत को दे दिए जायं तो बागपत दिल्ली से जुड़ जायेगा नहीं तो इतने नजदीक होने पर भी हम दिल्ली से दूर होंगे और एक ग्रामीण जिला ही बनकर रह जायेंगे। इन शब्दों के साथ कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह कितनों की तबाही का बजट है इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। समाज में बड़े तबके के लोग गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। चकबन्दी अधिकारियों से सांठ-गांठ करके उनको ऊसर जमीन देकर उनकी उपजाऊ जमीन लेने का काम हो रहा है। यही काम आपके बक्शी तालाब में हुआ दो-तीन दिन से मैं मांग कर रहा हूँ। इस तरह से ग्रामीण गरीब जनता को, कमजोर तबके के लोगों को परेशान किया जा रहा है मेरी मांग है कि उनके हितों की रक्षा की जाय।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन खाल की पड़ी हुयी है वहां पर जल जमाव हो रहा है जिससे फसल नहीं पैदा हो पा रही है और फसल सूख जाती है इसके लिए प्राविधान नहीं है। मेरी मांग है जो खाल की जमीनें हैं उनको ठीक कराया जाय। इसी तरह से सीलिंग की जमीनें लोग हड़पे हैं राजस्व मंत्री जी को भू-माफिया लोग अटैची वाले नोट दे देते हैं इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मान्यवर, जो राजस्व प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं तहसीलदार उनका आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। इस समय 556 तहसीलदार होने चाहिए, अनुसूचित जाति के लोग केवल 13 मौलिक रूप से नियुक्त हैं और 8 स्थानापन्न रूप से नियुक्त हैं और इनका आरक्षण पूरा नहीं है। मेरी मांग है कि तहसीलदार के पद आरक्षण के मुताबिक भरे जायं। इसी प्रकार से परगनाधिकारी के 100 पदों पर आरक्षण होना चाहिए। इस समय 84 पद रिक्त हैं। मेरी मांग है कि परगनाधिकारी के पदों पर शासनादेश के अनुसार पूरा कराया जाय। मेरी मांग है कि तहसीलदार और एस० डी० एम० के पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण पूरा कराया जाय।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, अभी हमारे साथी भाई राम नक्षत्र जी ने जो कहा मैं उससे अपने को जोड़ता हूँ। आज हजारों बीघे जमीन कुत्ते बिल्ली के नाम पर है। उधर राजस्व मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार है जिनके पास पैसा है वह अच्छी जमीन पाते हैं और कमजोर, पिछड़े वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति के लोगों को अच्छी जमीन नहीं मिलती है। जो तहसील दिवस की बात कही गयी है तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वहा अधिकारी 12–1 बजे पहुंचते हैं जब तक वादों का निपटारा होता है तब तक शाम हो जाती है। कहीं एस० डी० एम० को जाना है कहीं किसी अधिकारी को जाना है इससे कैसों का निपटारा नहीं होता है निपटारा कहां होता है थाने पर। किसान से कह दिया जाता है कि फलां तारीख को लेखपाल के साथ थाने पर पहुंचो आबादी की जमीन पट्टे की जमीन का कब्जा दिया जायेगा। किसान लेखपाल को लेकर थाने पहुंचता है तो थानेदार नहीं मिलता है। थानेदार अगर मिलता है तो वह कहता है कि हमारे पास पुलिस बल नहीं है।

[समय 7 बजकर 30 मिनट]

पूरे जिले में पुलिस कम है, जब पुलिस होगी तब करेंगे। इस तरह से जब पुलिस होती है तो लेखपाल नहीं। कभी लेखपाल होता है तो तहसीलदार नहीं होता है। इस तरह से इसमें महीनों लग जाते हैं। यह काम तब होता है जब किसान को नोट निकालना पड़ता है। कुम्हारों की बात है, उनके पास एक इंच भूमि आंवा लगाने के लिए नहीं है। आपने बजट में दिया है कि 2000 का लक्ष्य रखा है, मई 98 तक, यह कब पूरा होगा? 10 साल में भी पूरा नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम ललित चौधरी–

इसी तरह से सीलिंग से जिनकी भूमि मिली है उनको सहायता की बात कही गई है। 1997 में तो दी नहीं गई। 1998–99 में भी एक पैसे सहायता देने की बात नहीं है। बस्ती जिले में 1989–90 में सोनहा-मानपुर तहसील की घोषणा हुई थी लेकिन अभी तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है। जो भी नये जनपद या मण्डल बनाये गये हैं उनके लिये भवन निर्माण कब होगा। राजकीय देयों की बात कही जाती है जिस पर 2–4 हजार रुपया आता है उसको पकड़कर बन्द देते हैं और जिस पर 1–2 लाख रुपया है उसका कुछ नहीं किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, एक मिनट और लेना चाहता हूँ दैवी आपदा के बारे में कहा जाता है। आग लगती है तो 500–1000 रुपया दे दिया जाता है यह नहीं देखा जाता है कि क्षति कितने की हुई चाहे 15–20 हजार की सम्पत्ति जल गई हो। सबको मात्र 500 रुपया दिया जाता हैं। इसके लिए सही आंकलन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए इस बजट का विरोध करता हूँ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम बिशुन आजाद–

मान्यवर, इसके बजट पर चर्चा एक दिन पूरी होनी चाहिए। एक दो घंटे में क्या चर्चा होगी।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर विराजें। सबसे अधीर गोपाल कृष्ण जी लगते हैं। कृपया एक मिनट में संक्षेप में अपनी बात कहें। एक-एक मिनट सभी सदस्य को मिलेगा।

श्री गोपाल कृष्ण–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट के विरोध पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है। मैं उसकी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आज राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कहा है कि यह किसानों के हित में है मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि यह किसान के हित में नहीं है। इसमें

किसान बही की बात कही गई है। आज किसान बही के नाम पर किसानों को खुला लूटा जा रहा है। लेखपाल उन किसानों से पैसा लेता है तब उनको किसान बही देता है। आज किसानों से 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक लिये जा रहे हैं। मेरा क्षेत्र सरदारों का इलाका है। किसानों से किसान बही के लिए एक हजार रुपया लिया जा रहा है। इस शासन में किसानों को चौराहे पर लूटा जा रहा है। यह किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मान्यवर, जब मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे मैं अपने क्षेत्र पूरनपुर की बात बता रहा हूँ उस समय वहां पर भूमि सेना का गठन हुआ था वहां ग्राम बेरहा में दलित व पिछड़े वर्ग भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ने मेहनत कर 20 वर्ष से राजस्व विभाग की जमीन जोत तो रहे हैं, राजस्व व वन विभाग के लोग उन गरीबों की झोपड़ियां तोड़ देते हैं और खेती उजाड़ देते हैं। राजस्व के और वन विभाग के यह उन लोगों की झोपड़ियां तोड़ देते हैं और जमीन पर कब्जा कर देते हैं। अभी वहां जमीन का सीमांकन नहीं हुआ है। कन्हई लालू भूमि सेना के अध्यक्ष हैं। इसी तरह से चकबन्दी का काम चल रहा है तो चकबन्दी अधिकारी कुछ लोगों से मिलकर गलत लोगों के नाम बैनामा दर्ज कर रहे हैं। भूमि सेना के लोग भूमिहीन होते चले जा रहे हैं। प्रजापति व्यक्तियों को कहीं पर भूमि नहीं दी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री गोपाल कृष्ण–

उपनिवेश मानक सागर के लोग हैं उनको मौलिक अधिकार नहीं दिये हैं। बिनोवा भावे ....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री गोपाल कृष्ण–

परन्तु मान्यवर, आज तक उन लोगों को भूमिगत अधिकार नहीं दिये गए हैं मान्यवर, हमारे यहां गरीबों को जमीनों के अधिकार दिलाए जाएं। किसानों को बैंकों से कर्जा नहीं मिल पा रहा है। किसान परेशान है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री गोपाल कृष्ण–

किसानों को कर्जा दिलाया जाए। मान्यवर कलोनगर में एक तहसील खोलने का मामला आया था यह पीलीभीत के ग्राम जो 30 किलोमीटर दूर है तथा भगवन्तपुर न्याय पंचायत के ग्राम गलत जोड़े जा रहे हैं। जन प्रतिनिधि से कोई सलाह नहीं ली जा रही हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री गोपाल कृष्ण–

वहां तहसील को बनवाया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाएं यही तो दिक्कत होती है।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, जब यह सरकार सत्ता में नहीं थी तो गरीबों, किसानों की बात करती थी, मजदूरों की बात करती थी यह कौरवों की सरकार मान्यवर, लाल बत्ती की चकाचौंध में गरीबों की बात को भूल चुकी है किसान बही के बारे में कहना चाहूँगा। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपाल 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक किसान वही बांटते हैं जो किसान पैसा नहीं दे पाते हैं उन किसानों से पैसा लेते हैं। यह किसान दिवस तहसील दिवस की बात करते हैं तहसील दिवस में मेरी जानकारी है इनका कोई अधिकारी वहां नहीं जाता है जिससे किसानों की समस्या का निराकरण नहीं हो पाता हैं।

(व्यवधान)

अनुसूचित जातियों और गरीबों को पट्टे नहीं दिए जाते हैं। किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। गरीबों को अनुसूचित जातियों को किसी तरीके से पट्टे दिए गए हैं आज तक मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है इनके फर्जी आंकड़े हैं इनको कब्जे नहीं दिए गए हैं। पट्टे की बात करते हैं अम्बरपुर में 156 एकड़ सीलिंग जमीन के पट्टे हुए मैंने कई बार विधान सभा में इसको उठाया लेकिन इसमें कोई जांच नहीं हुई। वहां जिस तरह से जांच की गई उसमें आज तक पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की गयी हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे नहीं मिले। बड़े-बड़े काश्तकारों को पट्टे मिले हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ यह दलितों की बात करते हैं, निर्बलों को पट्टे देने की बात करते हैं, मछुआ समुदाय को पट्टे देने की बात करते हैं यह सब बातें गलत साबित हो रही हैं। पट्टे नहीं दिए गए हैं फर्जी आंकड़े आए हैं। एक कहावत हैं मान्यवर,–या तो लेखपाल, या राज्यपाल।

हर शनिवार को थानों पर रेवेन्यू के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी वहां पर रहते हैं और वादों का निस्तारण किया जाता है। किसानों की समस्याओं को सुना जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

यह सरकार के द्वारा कहा जा रहा है लेकिन कोई अधिकारी वहां पर नहीं जाता है। वरासत में कानूनगों और नायब तहसीलदार पैसा ले लेते हैं लेकिन दाखिल खारिज नहीं करते हैं। मेरे क्षेत्र के मनीपरिमिट बन्दरघ ग्रामों में तत्काल चकबन्दी कराया जाय, चकबन्दी नहीं हुई है। इन्ही शब्दों के साथ जो राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूँ।

मेजर जगतपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है यह बड़ा ही संतुलित और किसान के हित का बजट है। यह बजट राजस्व विभाग में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का काम करेगा। इससे राजस्व प्रशासन की कार्य प्रणाली में सुधार होगा। राजस्व विभाग द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम किसान बही पहली बार किया गया है। इसमें किसान बही में किसान का नाम पता जमीन आदि का विवरण होगा जिससे किसान लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त जो यह बात कही जा रही है कि तहसील दिवस में कोई अधिकारी नहीं जाता है यह बात गलत है। हम विधायक स्वयं वहां पर जाते हैं और देखते हैं पहले और तीसरे मंगलवार को सारे अधिकारी होते हैं। आज तहसील दिवस में किसानों की सभी समस्याओं का समाधान होता है। जो लोग दलाली करते थे वह अधिकारियों के बीच में जाने के

कारण अलग कर दिए गए हैं इसलिए कोई भी बिचौलिया नहीं है। इसके अतिरिक्त चकमार्गों पर बहुत से भू-माफिया कब्जा किए रहते थे, हमारी सरकार ने उनको हटाने का काम किया है जिससे बीच में रास्ते बन गए हैं व इससे किसानों को लाभ हुआ है। इसके अलावा सरकार ने जिन आदर्श राजस्व गांव का चुनाव किया है उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्राम सभाओं में जो जमीन थी उनको निर्धन भूमिहीनों को आवंटित करने का काम किया जा रहा है। वृक्षारोपण के लिए भी जमीन दी जा रही है। कुम्हारी कला को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारे यहां अमरोहा तहसील ज्योतिबा फूले नगर में वहां पर 41 बीघा जमीन को भू-माफियाओं के नाम शमसान घाट और राम लीला मैदान की जमीन के पट्टे करा दिए गए हैं। लेकिन अनुसूचित जातियों के लोगों को नहीं दिया जिसकी सूचना अधिकारियों को निरस्तीकरण हेतु दे दी गयी है।

....इन पट्टों को तुरन्त निरस्त करिये क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला बन चुका है, आपस में झगड़ा भी हो सकता है इसके अतिरिक्त ज्योतिबा फूले नगर से जिला बना दिया गया। कांठ क्षेत्र के लोग यह डिमाण्ड करते ह कि कुछ न्याय पंचायत की अदला-बदली कर दी जाय। आपसे प्रार्थना है कि आप इसको दिखवाले। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक क्रान्तिकारी बजट है, इसका स्वागत व समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद

(कई सदस्यों के खड़े होने तथा सुने जाने का आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

पर्यावरण विभाग का बजट इसके बाद है। आप लोग उस पर अपने विचार रख लीजिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री छोटे लाल गंगवार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, आजमगढ़ जिले से मैं आता हूँ। यहां के 26 गांव आवापुर तहसील से जुड़े हुये हैं, तहसील का काम तो चल रहा है लेकिन जो सुविधायें हैं वह नहीं मिल रही हैं, न मिट्टी का तेल मिल रहा है, न चीनी मिल रही है। इन ग्राम सभाओं को जवाहर रोजगार योजना स्कीम की किश्त भी नहीं मिल रही है जिससे इन ग्राम सभाओं का विकास रुका हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह इस ओर ध्यान दें। और इन ग्राम सभाओं को सुविधा मुहैया करायी जाये। मेरे क्षेत्र इलईपुर गांव में 8 दुकानें जलकर राख हो गयी हैं जिनकी दुकानें जली हैं उनके नाम हैं–सीताराम, लालता प्रसाद, कन्छेद नाई, धर्मेन्द्र, लक्ष्मन, दयाल गुप्ता, दिनेश कुमार, कमला प्रसाद एवं रामचन्द्र। सरकार ने उन्हें कोई सहायता उपलब्ध नहीं करायी है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कटान हुआ करती है।..

श्री अधिष्ठाता–

छोटे लाल जी, आपकी बात आ गयी, अब आप समाप्त करें।

श्री छोटे लाल गंगवार–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कटान हुआ करती है और 4 महीने बरसात में चारागाह के लिए कोई स्थान नहीं बचता है जिससे जानवरों को बड़ी असुविधा होती है। मैं चाहता हूँ कि समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार जानवरों के चारागाह के लिए जमीन उपलब्ध कराये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राजस्व विभाग का यह बजट गरीब विरोधी बजट है। हमारी पूर्व मुख्य मंत्री बहन मायावती जी ने पूरे प्रदेश में भूमिहीनों को पट्टे का कब्जा दिलाया था, लेकिन इस सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से साजिश करके शरमायेदारों को कब्जा देना शुरू कर दिया है और उन गरीबों को बेदखल किया जा रहा है, यह हमारे छत्रपति साहू जी महराज नगर की हालत है।

मान्यवर, चकबन्दी विभाग भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। हमारी मऊ तहसील में चकबन्दी जोरों पर चल रही है, परन्तु चकबन्दी विभाग घूस लेने में जरा भी शर्म नहीं करता है और जो कमजोर काश्तकार हैं, उनका शोषण किया जाता है। जो थैली दे देते हैं, उनको अच्छी जमीन और जो गरीब हैं, उनको ऊसर जमीन पर कर दिया जाता है, इस तरह की शिकायत ग्राम पहाड़ी और बैरिया में की गई है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी की जांच आ चुकी है, जिलाधिकारी की सूचना भी आ चुकी है, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री अधिष्ठाता–

दद्दू प्रसाद जी, अब समाप्त करें।

श्री दद्दू प्रसाद–

अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह जो दैवी आपदा प्रक्रिया है, पिछले साल हमारे यहां एक गांव रैपुरा में बाढ़ आ गई, बहुत लोगों के घर गिर गये। उनको 5–5 हजार देने का तय किया गया था...

श्री अधिष्ठाता–

दद्दू प्रसाद जी, अब समाप्त करें, अन्यथा मैं आपको सहयोग नहीं कर पाऊंगा। मैंने श्री नन्द राम जी का नाम पुकार लिया है।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, अब समाप्त करें, मैंने दूसरे सदस्य को पुकार लिया है वह खड़े भी हो गये हैं।

*श्री नन्द राम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र है, यहां पर 8 हजार की आबादी का एक गांव है, नगरियाकलां, जिसमें 6 हजार बीघा ग्राम समाज की जमीन है। वहां भू-माफिया उसे 20 साल से जोत रहे हैं। वहां सन् 1962 में चकबन्दी हुई थी, आज वहां पर कोई रिकार्ड मिल नहीं रहा है, कहते हैं वह रिकार्ड आपरेशन में गया हुआ है, इस संबंध में कई बार शासन को और विधान सभा के पिछले सत्र में भी मैंने इस मामले को उठाया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां के किसान जो गरीब हैं, वह झोपड़ियों में सड़ रहे हैं, जबकि बड़े-बड़े लोग वहां लाभ उठा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वह उस जमीन को उन भू-माफियाओं के चुंगुल से निकालकर गरीबों को पट्टा दिलवायें, जिससे गरीबों को भला हो सके, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बिन्दु लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। मान्यवर, मैं कुछ अपनी ओर से सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ।

मान्यवर, गांवों में जमीन विवादों में लाखों रुपये लोगों के मुकदमें में खर्च हो जाते हैं तथा इसके कारण हत्याएं और बलवा होता हैं इसलिए राजस्व अधिनियम में इसके लिए कुछ व्यवस्था बनानी होगी ताकि इस समस्या से किसान बच सके।

मान्यवर, दूसरा जो अनरजिस्टर्ड बैनामा है। मान्यवर, जिसका जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, उस जाति का नहीं है, मरने के बाद वह अंगूठा लगाकर मुकदमा लड़ता है और जिसका अधिकार है वह उस जमीन से वंचित रह जाता है। इस समस्या का निराकरण करने की आवश्यकता है। मान्यवर, विरासतनामा में भी गड़बड़ी है। अगर कोई घरासत करता है भाई है और भतीजा है तो भाई के नाम चला जाता है तो उसमें भतीजे का भी हक होना चाहिए अगर उसका बाप मर गया है। मैं चाहता हूँ कि बरासत भाई और भतीजे सबके नाम आना चाहिए।

(इस समय 8 बजे श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

मान्यवर, जो तालाब ग्राम सभा पट्टा करता है उसको जिला पंचायत नीलाम कर देता है जिससे विवाद पैदा होता है। जिला पंचायत को बहती हुई नदियों को नीलाम करने का अधिकार है तालाब का नहीं। लेकिन जिला गोण्डा में ऐसा हो रहा है जिस कारण विवाद बढ़ रहा है इसके समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, जब किसी के घर में आग लगती है और उसका चौका जलता है तभी उसको पैसा मिलता है। अब इसमें लेखपाल किसान को ब्लैकमेल करता है। लेखपाल पैसा पा जाता है तो घर जला हुआ दिखा देता है और नहीं पाता है तो कितनी ही आग क्यों न लगी हो वह उसे घर की जगह धारी दिखा देता है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, अगर किसी के पास एक एकड़ जमीन है तो पार्ट चेक के अन्तर्गत वह उसको बेच नहीं सकता है अगर उसके घर में शादी है या उसके यहां कोई बीमार है और वह उसका इलाज करना चाहता है तो अगर उसमें से वह एक बीघा बेचना चाहता है तो वह ग्राम समाज की भूमि हो जायेगी। तो इसमें ढिलाई की जरूरत है।

मान्यवर, मेरे यहां एक खजुरिया गांव है बलरामपुर में वहां पर सन् 62 से चकबन्दी चल रही है जबकि नियमानुसार 10 साल में चकबन्दी हो जानी चाहिये। जब मैं विधायक था सन् 77 में तब मैंने प्रश्न किया था धारा 52 के लिये और आज तक चक नहीं कटा है तो इसमें शीघ्र कार्रवाई की जरूरत है। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राम सिंह सैनी—

दैवी आपदाओं से प्रभावित लोग चारों तरफ से परेशान होते हैं उनके घर बरबाद हो जाते हैं। 1997-98 में इस मद पर आप के पास 134 करोड़ रु० केवल आप 124.73 करोड़ रु० खर्च कर पाये। 1998-99 में 138.76 करोड़ रु० खर्च करने हैं और 9.27 करोड़ रु० पिछले साल का शेष है, कुल 148.03 करोड़ रु० हैं, तीन माह में आप 3.05 करोड़ खर्च कर पाये। आने वाले 9 महीने में इस तरह से खर्च करेंगे तो केवल 12 करोड़ रु० ही खर्च कर पायेंगे। आप सहायता दे रहे हैं 500, 1000, 2500 की, मध्य प्रदेश में यह 5,000, 10,000 और 15,000 है पश्चिम बंगाल में शत-प्रतिशत शासन द्वारा छतिपूर्ति दी जाती है। जो राजस्व मैनुअल है, बहुत पुराना बना हुआ अंग्रेजों के जमाने का है उसमें परिवर्तन कीजिये संशोधन कीजिये। जो दैवीय आपदा

का कोष है, उसमें आपको केवल 25 परसेंट देना होता है शेष केन्द्र देता है। आप अपने धन के आबंटन को इसमें बढ़ाइये। आपने 5 मंडल, 15 जिले, 40 नयी तहसीलें बनायी है, लेकिन उनके संबंध में बजट में कोई प्राविधान नहीं है, उनके संसाधान के लिए, उनकी बिल्डिंग्स के लिए, वहां की गाड़ियों के लिए कोई प्राविधान नहीं है। डी० एम० और दूसरे लोगों का क्या हाल है यह आप को पता है। आज एस० डी० एम० तहसील के रेवन्यू वर्क नहीं कर पा रहे हैं। आप इसमें दूसरा कैडर बना दीजिये। प्रशासनिक कैडर दूसरा हो और रेवन्यू कैडर दूसरा हो। जो चकबन्दी की बात है 11,538 गांव में यह चल रही है, धारा 52 की कार्यवाही केवल 1300 गांव में हुई है इसमें और कितने साल लगेंगे। हमारे यहां स्टाफ की क्या स्थिति है, मैनपुरी का हाल माननीय सदस्य बता रहे थे, एस० ओ० सी० एक नहीं है, सी० ओ० 4 की वेकेन्सी है, एक हैं, ए० एसी० ओ० 8 चाहिये हैं, एक एस० ओ० हैं। बलिया में भी चौधरी जी बता रहे हैं यही हाल है। प्रदेश में एस० ओ० सी०, सी० ओ०, एस० ओ० की कमी है, आप कैसे प्रभावी रूप से चकबन्दी का कार्य करवा रहे हैं? मैं अनुरोध करता हूँ कि बजट में आप इन सब चीजों का आवश्यक प्राविधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

वीरेन्द्र सिंह सिरोही —

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। आज हमारे विपक्ष में बहुत से अधिवक्ता हैं परन्तु कोर्ट का एक नियम होता है कि जब बहस अच्छी होती है तो उसका उत्तर भी उतना ही अच्छा होता है परन्तु यहां पर बहस तो उतनी अच्छी नहीं हुई जितना अच्छा उत्तर यहां पर दिया गया है। 22 माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर रखें। श्री राय सिंह जी ने एक बात कही कि अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी? मैं बताना चाहता हूँ कि 180 चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गयी कुछ को निलम्बित किया गया, कुछ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी। .....

(सदन में किसी के सेलुलर फोन की ट्रिक-ट्रिक की आवाज आने पर)

श्री अध्यक्ष —

डिप्टी मार्शल इस बात का पता लगायें कि यह आवाज कहां से आयी? पहले भी मैं कह चुका हूँ कि सेलुलर फोन यहां पर न लाया जाये यदि कोई ले आया है तो कम से कम उसे आफ रखें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही —

तहसील दिवस की बात यहां पर कही गयी और कहा गया कि वहां पर कोई अधिकारी/कर्मचारी नहीं पहुँचता है चाहे हम इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों। परन्तु किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि वह तहसील दिवस पर गये और फलां अधिकारी/कर्मचारी नहीं आया। इसलिए मैं आप सभी लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप लोग तहसील दिवस पर जायें और हमारा सहयोग करें। यदि कोई माननीय सदस्य यह लिखकर देता है कि वह फलां दिन तहसील दिवस पर गये और फलां अधिकारी/कर्मचारी नहीं आया या उसने मजदूरों और किसानों की नहीं सुनी और समस्याओं का निस्तारण नहीं किया तो हम उसे अवश्य दण्डित करेंगे। मान्यवर, आलोचना करना आसान होता है परन्तु समस्या का समाधान करने में थोड़ा कष्ट होता है।

(श्री बाबू राम यादव जी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले आप माननीय मंत्री जी को पूरा सुन लें। फिर यदि आपको कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तहसील दिवस की बात कर रहे हैं। केवल इतना बतला दें कि 1 अक्टूबर से लेकर आज तक तहसील दिवस पर कितने वादों का निस्तारण किया गया है हम मान लेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, 1–10–1997 से 31–5–1998 तक 1,61,915 शिकायतें प्राप्त हुईं और उसमें से 1,37,985 शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया, शेष 23,930 मामलों में 10 दिन का समय दिया गया और उन्हें भी निस्तारित कर दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पूछा गया कि उपरोक्त तिथियों में कितने वादों का निस्तारण किया गया और माननीय मंत्री जी बता रहें कि इतनी शिकायतें प्राप्त हुईं।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्नकाल नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य कृपया पहले मेरी पूरी बात सुन लें। जो माननीय सदस्यों के सुझाव हैं मैंने उन सभी सुझावों को नोट कर लिया है और हम उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और जो किसानों के हित में हैं उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक बात श्री राम नक्षत्र जी ने बड़े हल्के ढंग से कही कि मंत्रियों को अटैची दी जाती है और जमीनों पर भू-माफियाओं के कब्जे हैं। हमारा यह मानना है कि अटैची वाली बात और भू–माफियाओं द्वारा कब्जे की बात यह पिछली सरकारों में हुआ करती थी आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। आज किसी भी भूमि पर भू-माफिया कब्जा ने इसे खत्म कर दिया है। आज किसी भी भूमि पर भू-माफिया कब्जा नहीं कर पायेगा और यदि वह कर लेता है तो उसे सजा दी जायेगी।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, पार्क एक बेचा जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

चकबन्दी के बारे में बात कही गयी। यह सही है कि चकबन्दी में इस प्रदेश में किसानों की स्थिति पहले बहुत खराब थी लेकिन जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है, जो लोग आज बहस कर रहे थे, जब उनकी सरकार थी, 1962 से चकबन्दी चल रही थी, तो ज्यादती हुई है। अब हमने निर्देश जारी कर दिये हैं कि पांच साल में निश्चित रूप से कर दिया जायेगा पहले यह 10 साल तक लेते रहे। इसका प्राविधान धारा–4 और धारा–52 में है। हम पुरानी व्यवस्था को सुधार रहे हैं। मान्यवर, अभी लखीमपुर खीरी के बारे में बात कही गयी। सार्वजनिक भूमि के पट्टे के बात कहीं गयीं और चकबन्दी की बात कही गयी। मैं चैलेन्ज के साथ यह कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे वह नेता हो, माफिया हो या अन्य

कोई हो, ग्राम सभा की रिजर्व लैंड का पट्टा नहीं कर पायेगा। यदि वह करवा लेता है तो वह दण्डित किया जायेगा। चक रोड सेक्टर रोड के बारे में भी कहा गया। ग्राम सभा की भूमि पर भू-माफियाओं के कब्जे की बात कही गयी उसमें प्राविधान है और जिन्होंने भूमि पर कब्जा कर रखी है, हमने मण्डलायुक्तों को निर्देश दे दिये हैं कि वह इस तरह के अवैध कब्जों को हटायें और हमने यह टाइम बाउन्ड करा रखा है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम यह कब्जे पांच-छः महीनों में हटा देंगे। चक रोड के बारे में मैं आपको बता दूँ कि 30 जून, 1999 तक उत्तर प्रदेश में चक रोड और सेक्टर रोड में अवैध कब्जा नहीं रहेगा। ....

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

.... और पत्थर लगवा देंगे। इसको हम सुनिश्चित रूप से करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मेरा विचार है कि सभी बिन्दु आ गये हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सभी को जल्दी है, मैं जल्दी समाप्त करता हूँ। किसान बही के बारे में बहुत बात हुई थी।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, हिल्स की अलग राजस्व व्यवस्था है, अगर अनुमति हो तो एक स्पष्टीकरण कर लें।

श्री अध्यक्ष–

इस पर 21–22 लोग बोल चुके हैं। अब बीच में संभव नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय सदस्य ने एक शंका जाहिर की है, पुरानी बहियों का क्या होगा? जो पुरानी बहियां हैं, उसमें जो संशोधन होगा, वह कर दिया जायेगा और उनका सत्यापन किया जायेगा और जो काम रह गया है, उसको पूरा कर दिया जायेगा। मान्यवर, भूमि के हस्तांतरण के बारे में बताना चाहता हूँ, भूमि के हस्तांतरण के समय ही दाखिल खारिज होगा, और वह किसान बही में दर्ज कर दिया जायेगा अभी कोई माननीय सदस्य रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल की बात कह रहे थे। आपको शंका नहीं होनी चाहिए, मैने पहले ही कहा था कि जो तहसील में जायेगा जिस रोज बैनामा होगा, उसी दिन खरीदने वाले को बैनामें की असल कापी मिल जायेगी और उसकी फोटो कापी तहसील चली जायेगी और 35 दिन में दाखिल खारिज हो जायेगा, तो जो आपने शंका की थी, वह निराधार है, 35 दिन में दाखिल खारिज हो जायेगा। इन शब्दों के साथ, जिन माननीय सदस्यों ने इस बजट पर अपने विचार रखे हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ और माननीय सदस्य से अपेक्षा करता हूँ कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

सैनी जी, क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, जो सुझाव मैंने दिये थे, उनका समावेश माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है, इसलिए मैं कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान सं० 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं० 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,16,46,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान सं०-51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत समर्पण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 2,13,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूप कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,66,35,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 45 पर्यावरण विभाग

पर्यावरण मंत्री श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनरााशि के अतिरिक्त 1,02,16,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आज पर्यावरण की समस्या गांव से लेकर जनपद प्रदेश देश, और विश्व तक है और पूरे मानव जाति इसके संबंध में बहुत चिन्तित है कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? इसके लिए कुछ मानव जाति के ही जो हमारी प्राकृतिक संपदा थी उसका दोहन किया है बुहत से ऐसे पेड़ जिन्हें धर्म के नाम पर गांव में लगाया गया लेकिन उनकी कटाई होती गई जिससे आज पर्यावरण की समस्या बन गई है। मान्यवर, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत जो भी हमारी औद्योगिक इकाइयां है चाहे वह स्थानीय निकाय के हों अथवा बड़े-बड़े

नगरों के हों अपने उत्प्रवाहों के निस्तारण हेतु अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति के बाद औद्योगिक इकाइयां अपने यहां उत्प्रवाहों को निस्तारित करती हैं। ऐसे स्तर पर इन लोगों से जो निकाय की औद्योगिक इकाइयां होती हैं। ऐसे स्तर पर इन लोगों से जो निकाय की औद्योगिक इकाइयां होती हैं उनसे शुल्क भी लिया जाता है। मान्यवर, 1-4-1997 से 31-3-1998 तक 117.92 लाख रुपये सहमति शुल्क प्राप्त किया गया है। इस तरह से 652 उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से सहमति प्रदान की गयी है तथा 1055 उद्योगों में असहमति व्यक्त की गयी है।

मान्यवर, जिस तरह से जल प्रदूषण में किया गया है उसी तरह से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए चिमनियों के माध्यम से जो वायु मंडल को दूषित करते हैं उससे बचाव के लिए सहमति पत्र प्राप्त करने पड़ते हैं।

सहमति शुल्क के रूप में वित्तीय वर्ष 1997-98 में 1-4-97 से 31-3-98 तक कुल 84.83 लाख रुपया प्राप्त हुआ तथा 551 उद्योगों को वायु प्रदूषण नियंत्रण को दृष्टि से सहमति प्रदान की गयी तथा 745 उद्योगों को सहमति अस्वीकृत की गयी।

इसके साथ ही साथ राज्य बोर्ड ने अपने कर्तव्यों का सुचारु रूप से निर्वहन करने हेतु जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम में धारा 33 (ए) एवं 31 (ए) के अन्तर्गत प्रदूषण की रोकथाम हेतु किसी भी उद्योग के संक्रिया या प्रक्रिया को बंद, करने, निषेधित करने तथा विनियमित करने की शक्तियां भी प्रदान की गयी। जो इकाइयां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं उनके विरुद्ध कई तरह की कार्यवाहियां की जाती हैं तथा उनकी बिजली भी काटी जाती है।

उद्योगों को लगाने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र बोर्ड से लेना होता है ताकि जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित हों उनसे वायु या जल प्रदूषण जैसी चीज न हो। इस कार्य के लिये उनसे शुल्क भी लिया जाता है जो बोर्ड को लाभ के रूप में होता है। इस कार्य के लिये हमारे पूरे प्रदेश में 15 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं एवं एक उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। इसके अलावा 8 मंडलीय कार्यालय खोले जा रहे हैं। जो क्षेत्र बच गये हैं वहां भी कार्यालय स्थापित किये जायेंगे।

यह राष्ट्रीय कार्य है इसमें सभी लोगों का सहयोग जरुरी है। जब तक संब का सहयोग नहीं मिलेगा यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जैसा मैंने कहा पर्यावरण मानव के लिये बहुत आवश्यक है चाहे वह वायु प्रदूषण हो या चाहे वह वाहनों से निकलने वाला हो या अस्पतालों से निकला हुआ कूड़ा कचड़ा हो उन सबसे प्रदूषण होता है। सभी लोग चाहे वह किसी संस्था से जुड़े हों उनका सहयोग अपेक्षित है। स्वच्छ पर्यावरण आज बुहत जरुरी है जिस तरह से पठन-पाठन के लिये प्राइमरी पाठशालाओं की आवश्यकता होती है उसी तरह से पर्यावरण की शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा ताकि प्रदूषण किसी को प्रभावित न करे। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता है और उसके लिये लोगों को शिक्षित करना है।

[समय 8 बजकर 30 मिनट]

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी कराने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी मंत्री जी पर्यावरण विभाग के ऊपर अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे मैंने उसे गंभीरता पूर्वक सुनकर समझने की कोशिश की लेकिन कदाचित मैं यह नहीं समझ पाया

कि मंत्री जी आज बजट पर्यावरण विभाग पर प्रस्तुत कर रहे हैं या पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर, क्योंकि जो बाते मंत्री जी ने कही वह कार्य-कलाप पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, पर्यावरण विभाग के नहीं। मेरे जैसे अकिंचन को भी थोड़ा समय पर्यावरण विभाग के काम देखने का मौका मिला था। जब मैंने काम को शुरु किया तो 1996-97 में अभी विभाग का बजट था वह 3 करोड़ 77 लाख 78 हजार रुपये था। धनीराम वर्मा जी आज भी नेता प्रतिपक्ष हैं और उस समय भी थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण विभाग कौन सा विभाग है। यह बात मुझे लगी थी और मैंने तहैया किया था। आज जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है उसके निराकरण के लिये जो विभाग है उसको इस तरह देखा जा रहा है तो मैंने प्रयास किया था और 1997-98 में इस विभाग का जो बजट बना था वह 153 करोड़ 94 लाख 94 हजार का बना था। यह प्लान साइड में बना था। आज जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। आज जो दुनिया के वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि जो पृथ्वी के ऊपर ओजोन लेयर की चादर है उसमें छिद्र हो रहे हैं और जिस दिन यह छिद्र बहुत हो गये उस दिन पृथ्वी का टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेट हो जायगा और पृथ्वी लाइफलेस हो जायेगी। इतनी बड़ी गंभीर चुनौती का सामना करने वाला जो विभाग है उसके बारे में चिन्ता होना स्वाभाविक है। आज उत्तर प्रदेश के सभी शहर हो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण से ग्रस्त हैं। हमारे यहां यह कहा जाता था शामे अवध सुबहे बनारस। बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम मशहूर है। लेकिन आज आप यदि हजरतगंज में है। इस गंभीर चिन्ता को मैंने स्वीकार किया था और भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके अधिकारियों के साथ, मंत्री के साथ, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ बैठकर कोशिश की थी कि पर्यावरण संतुलित हो इसलिये हमने 1997-98 में 153 करोड़ 94 लाख 94 हजार का बजट प्राविधान किया था। लेकिन आज मुझे दुख इस पुस्तिका को देखकर हुआ है जो बजट रिलीज हुआ है वह मात्र 2 करोड़ 19 लाख 94 हजार रुपये का है।

वह 1539494 रुपये का इतना बड़ा बजट प्राविजन करने की, इतना परिश्रम करके करने की उत्तर प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है, जो हालत है उसमें मेरा यह प्रयास निरर्थक गया। यह कहां-कहां से कटौतियां हुई हैं? मान्यवर, उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में यदि कोई पर्यटक आता है तो दुनिया का जो सातवां आश्चर्य है, 'ताज' उसको देखने की तमन्ना दिल में जरुर होती है। उस ताज को देखने के लिये वह आगरा आता है। आज उत्तर प्रदेश में उस ताज को संरक्षित करने के लिये ताज ट्रेपेजियम जिसमें आगरा से लगे मथुरा फिरोजाबाद जो इलाके हैं उनकी इन्डस्ट्रीज को वहां से दूर किया गया है और उस ताज को संरिक्षत करने के लिये, ताज के ऊपर प्रदूषण का कोई प्रभाव न पड़े इसके लिये ताज ट्रिपेजियम निधि की स्थापना की गई है। यह 600 करोड़ रुपये की निधि बताई गई है। चीफ सेकेट्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और कारवाई विभाग जो प्रदूषण विभाग के पास है जो पूरे प्रदूषण विभाग का डायरेक्ट्रेट है कदाचित उसमें 25-30 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं। जिसको कि जिला स्तर तक जाना चाहिए था। इस दिशा में मैंने शुरुआत की थी लेकिन कामयाबी नही हो पाई। ताज ट्रेपेजियम निधि बनाई गई है उसमें बिजली विभाग के लोग काम करेंगे ताकि वहां 24 घंटे बिजली मिल सके। वहां लोक निर्माण विभाग काम करेगा। नगर विकास विभाग द्वारा काम किया जायेगा। ताज को संरक्षित करने के लिये यह 600 करोड़ रुपये की स्कीम लांच की गयी है जिसमें 100 करोड़ पिछले साल का उसमें भी 50 करोड़ भारत सरकार का और 50 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसी तरह से इस साल भी 100 करोड़ रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 100 करोड़ रखा गया था उसका उपयोग हो पाया कि नहीं खाली रखने से क्या फायदा हुआ? जिस परपज के लिये रखा गया था जिसमें कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार का आधा-आधा है और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है। 10-15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है तो उस पैसे से सदुपयोग हो पायेगा कि नहीं। दूसरी जो इन्डस्ट्रियां बन्द की हैं उनके लोगों को रोजगार मिल सके इसके लिये व्यवस्था करेंगे। आगरा एक अच्छी सिटी के रूप में अपना स्थान रखता है, एक खूबसूरत शहर के रूप में

स्थान है तो इसके लिये एशियन डेवलेपमेंट बैंक की सहायता से 8 हजार करोड़ रुपये की स्कीम स्वीकृत कराई गई जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिये पिछले साल बजट में 44 करोड़ 30 लाख रुपये रखा गया है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिये कोई टाटा इनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट (टेरी के नाम से) है को दिया गया है परन्तु मान्यवर, यह जो पैसा था 44 करोड़ 30 लाख रुपये यह मात्र इसलिये खर्च नहीं हो पाया कि वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं बन पाई। यह बड़ा दुख का विषय है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट न कर पाने के कारण यह जो 8 हजार करोड़ रुपये की सहायता मिलती थी उससे प्रदेश वंचित रह गया। पहले 44 करोड़ 30 लाख था उसी को इस बार दोहराने की कोशिश की गई है। जो पहले था वह सीज हो गया। इस साल अगर कर पाने में कामयाब होंगे तो बड़ी खुशी की बात होगी। मान्यवर, विश्व बैंक द्वारा जो हमारी सेन्ट्रल स्पोंन्सर स्कीम है पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की उसको सुदृढ़ करने के लिये अपग्रेडेड करने के लिये उसे आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए एक विश्व बैंक की योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में थी। मेरी चाहत थी कि विश्व बैंक की सहायता मिले। विश्व बैंक की सहायता मिले या न मिले हम और केन्द्र सरकार बैठकर जो स्कीम चल रही है यह चले हमारी प्रयोगशालायें विश्व स्तर की प्रयोगशालाओं के अनुरूप बन सके ताकि जो जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण है इसके बारे में कुछ किया जा सके। मान्यवर, 5 करोड़ 40 लाख रुपये बजट में हमने प्रावीजन किया था यह सीज हो गया। इसी तरह से मान्यवर, जो जागरुकता पैदा करने के लिए भारत के संविधान में 1976 में संशोधन करके आर्टिकल 48 (क) जोड़ा गया राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने का और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करने की व्यवस्था इसमें की थी। इसी तरह से 51 (क) और (छ) में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स की गई कि इस तरह की नीति बनाई जाए कि जीवों की रक्षा करें। प्राणी मात्र पर दया मात्र रखने के मौलिक कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया। इसमें यह था कि शासन सहयोग देगा लेकिन जनता के सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो सकता है और न ही अकेली जनता कुछ कर सकती है, अगर शासन से धन नहीं मिलता है। इसके लिए एक व्यवस्था की गई थी पिछली बार जो बजट आया था उसमें 2 करोड़ 21 लाख का प्राविधान जन जागरण और पर्यावरण कार्यक्रम के लिए रखा गया। मान्यवर इस 2 करोड़ 21 लाख के अगेन्स्ट एक करोड़ 35 लाख खर्चा किया गया। पर्यावरण शोध क्रियान्वयन कार्यक्रम के लिए जिसमें 35 करोड़ 60 लाख रुपया रखा गया था उसके अगेंस्ट 13 लाख 60 हजार रुपया खर्चा हो पाया इसमें मैंने बहुत अच्छी योजना तैयार कराई थी। डाक्टर अम्बेदकर पर्यावरण पुरस्कार योजना यह 18 लाख की योजना थी। एक-एक क्षेत्र में दो-दो लाख रुपया पुरस्कार की हमने नीति बनाई थी। जो हमारे कार्यक्रम थे वह पूरे प्रदेश भर में पर्यावरण संतुलित रखते। दो लाख का पुरस्कार उनके लिए था जो प्रदेश में पर्यावरण संतुलित रखते। गांव पंचायत क्षेत्रीय पंचायत जिला पंचायत इसी तरह से नगरीय क्षेत्र में रखा था नगर पंचायत नगर पालिका परिषद् नगर निगम और शिक्षण संस्थायें या और कोई व्यक्ति पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करेगा उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा, लखनऊ से शुरुआत की थी। नौ क्षेत्रों में 18 लाख रुपया देना था दो लाख रुपया देकर सम्मानित किया जाता। इससे लोगों में पर्यावरण के क्षेत्र में जागरुकता बढ़ती। जिला स्तर पर यह योजना ले जाने का विचार था। 9 क्षेत्रों में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाता।

मुझे कोई गिला न होता अगर यह पुरस्कार डा० अम्बेदकर के बजाय किसी पर्यावरण विद के नाम दे दिया जाता या किसी दूसरे के नाम पर दिया जाता लेकिन इसे दिया जरूर जाता। यह पुरस्कार जारी रखने का काम करते तो ठीक था ऐसा नहीं हुआ यह दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह से एक काफी अच्छी स्कीम मैंने अन्तर्राष्ट्रीय संस्था जो पर्यावरण की दिशा में काफी फंडिंग करती है, काफी धन देती है ओ०ई०सी०यफ० एक स्कीम इसके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक प्रोजेक्ट उनके सामने प्रस्तुत हो और उसकी प्री फीजिविलटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 लाख रुपए

रखा गया। 15 लाख रुपए हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज है उसको 15 लाख रुपए दिया गया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। यह प्रोजक्ट दो दिशाओं के लिए है। एक विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण है उसकी किस तरह से मानीटरिंग हो किस तरह से उसका निदान किया जा सके इसके बारे में प्री फीजिबिलटी रिपोर्ट तैयार करना था। दूसरे सेंट्रल फार इनवायरनमेंट स्टडी के लिए लखनऊ में स्टडी सेंटर बने इसके लिए रिपोर्ट बननी थी इस रिपोर्ट के लिए 15 लाख रुपए दिए गए लेकिन आज तक मुझे पता नहीं इसके बारे में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। यह रिपोर्ट तैयार होकर जो ओ०ई०सी०एफ० संस्था है वहां तक पहुंच गई कि नहीं। यह काफी अच्छी स्कीम है। इससे प्रदेश के पर्यावरण को सुधारने में काफी मदद मिलेगी। एक और निवेदन करना चाहता हूं दुनिया का सबसे अच्छा इकोलाजी पार्क न्यूयार्क में है मेरी चाहत थी कि हिन्दुस्तान में लखनऊ के अन्दर इकोलाजी पार्क बने। इस इकोलाजी पार्क में जनसाधारण से लेकर छात्रों को उस इकोलाजी पार्क में तरह तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलें वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण को एब्जार्ब करते हैं। वह प्लांट कैसे प्रदूषण को दूर करते हैं यह पार्क के अन्दर देखने को मिले। इस तरह की एक कल्पना थी इसके लिए 52 लाख 24 हजार रुपए रखा था और इसकी मैंने कोशिश की वैज्ञानिकों के साथ बैठकर उस रिपोर्ट को तैयार करने की कोशिश की क्योंकि एक बार 1984 में भारत सरकार से इस तरह का प्रपोजल आया था जिसमें प्रदेश सरकार चूक गई।

श्री नरेन्द्र–

इकोलाजी का मतलब क्या है?

श्री बी० आर० वर्मा–

इकोलाजी मेरा विषय रहा है। अगर आप बैठकर सुनेंगे तो पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। 1984 में प्रोजक्ट का पूरा पैसा भारत सरकार देने को तैयार थी लेकिन हमारे प्रदेश के जमीन न देने के कारण वह प्रोजक्ट रीजनल सेन्टर नेचुरल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री जमीन न देने के कारण हमारा प्रदेश इससे वंचित रह गया। जिसे हमारे छात्र देखते हिन्दुस्तान की जनता देखती व जिससे काफी नसीहत मिलती। इसलिए वह मैसूर में चला गया, भोपाल में, इसके बाद भुवनेश्वर में बना। परन्तु लखनऊ में पूरे उत्तरी जोन में बनने से वंचित रह गया। हमने जमीन की व्यवस्था की जमीन जो वहां पर उपलब्ध है कोशिश की कि इकोलाजिकल पार्क बने। परन्तु जो रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट बनाना था उसके बनने में देर लगी परन्तु खुशी की बात है कि वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन करके माननीय मंत्री जी के विभाग को प्राप्त हो गयी है। यह प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं 4 करोड़ 30 लाख रुपये की है परन्तु अबकी बार माननीय मंत्री महोदय ने जो बजट परिव्यय है वह मात्र एक हजार रुपये की है। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट माह मार्च में मिलने के उपरान्त भी टोकन मनी के रूप में एक हजार रुपये का बजट रखा है इसलिये मुझे इससे तकलीफ हुई है। मान्यवर, कुछ बिन्दुओं पर मैं कहना चाहता था लेकिन समय कम है। कटौती की सिफारिश मैंने इसलिए की है कि जब 153 करोड़ 94 लाख रुपये का बजट में परिव्यय होने के उपरान्त विभाग मात्र 2 करोड़, 19 लाख खर्च करता है तो ऐसे विभाग को ज्यादा पैसे देने की जरुरत ही क्या है? मान्यवर, आज गोमती नदी का पानी गर्मियों में पीने योग्य नहीं रह गया है, उसमें मीथेन गैस पैदा होती है, आर्गेनिक कम्पाउण्ड पैदा होती है उसकी वजह से मीथेन गैस पैदा होती है। मान्यवर, मैं एक डाटा कोड करुंगा जो हमारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का है। उन्होंने मानीटरिंग करके दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि गोमती नदी में मीथेन गैस ग्रीष्म, शीतकाल एवं वर्षा काल में प्रति मिलीग्राम, प्रतिवर्ग मीटर प्रति घण्टा कितनी निकल रही है। वर्ष 1996 में शीत काल में 14.9, ग्रीष्म काल में 80.9 वर्षा काल में 23.4 मिलीग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति घण्टा निकली है वहीं पर जहां कचरा डैम्प किया जाता है वहां पर शीतकाल में 8.16 ग्रीष्म काल में 49.3 तथा वर्षा काल में 13.0 मिलीग्राम प्रतिवर्ग मीटर प्रति घण्टा निकली है। हुसैनाबाद में शीतकाल में 5.0, ग्रीष्मकाल में 18.0 एवं वर्षा

काल में 2.0 मिलीमीटर प्रति वर्ग मीटर, प्रति घण्टा निकली है। बटलर पैलेस में 4.5 शीतकाल में 13.0 ग्रीष्म काल में और वर्षा काल में 3.5 मिली ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति घण्टा निकली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिन प्रतिदिन मीथेन गैस निकलने की स्थिति बढ़ती गयी है। इसलिए मान्यवर, लखनऊ का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसके लिए आवश्यकता है कि गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाया जाये। जो इण्डस्ट्री इन्फ्लूएन्ट है वह नदी में आयेगा और इतना बड़ा लखनऊ शहर है इसका जो सीवेज है, अनट्रीटेड इसका कचरा नदी में गिरता है एक स्कीम बनाकर मैंने कोशिश की थी कि जो लखनऊ का कचरा है उससे बिजली बनायी जाये। इसके लिए नेडा ने एक प्रोजेक्ट बनाकर भारत सरकार को सम्मिट कर रखा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसमें परस्यू करके कामयाबी हासिल कर ले तो भारत सरकार की सहायता से कचरे से बिजली बनाने में कामयाबी मिल सकती है जो एक बड़ी उपलब्धि लखनऊ वासियों को होगी, इससे बिजली भी मिलेगी और जो कचरा बरसात व गर्मी के दिनों में नदी जल को प्रदूषित करता है उससे मुक्ति मिलेगी। इसी तरह से बहुत सारी समस्यायें हैं। यहां पानी के प्रदूषण की समस्या है। लखनऊ का जो वाटर है उसमें डिजाल्व आक्सीजन की कमी होती जा रही है।

पीने योग्य पानी नहीं रह गया है। आये दिन समाचार-पत्रों में हम लोग इस तरह की खबर पढ़ रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा दिक्कत आगरावासियों को उठानी पड़ रही है, उससे मैंने मुक्ति दिलाने की कोशिश की थी, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे तो उस दिशा में, जो मैंने स्कीम शुरु की थी, कितना बढ़ पाये हैं, यह जरुर बता देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और सभी पक्ष और विपक्ष में बैठे हुये जो माननीय सदस्य हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विभाग के ऊपर; जो हमारे जीवन को बचाने के लिये प्रयत्नशील हैं, इसके बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरवंश कपूर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने पर्यावरण विभाग के ऊपर अपना भाषण दिया है, उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात रखूंगा। निश्चित रूप से पर्यावरण की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने हैं। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिये और सुरक्षित रखने के लिये माननीय मंत्री जी ने सुझाव रखे हैं, जो प्रस्ताव रखे हैं, वास्तव में वह स्वागत योग्य हैं। जहां वनों का अंधाधुंध कटान जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के रूप में चुनौती बनकर उत्पन्न हुआ है, इन चुनौतियों का हम किस तरह से सामना करें, यह हमारे सामने बहुत गम्भीर विषय है। माननीय वर्मा जी ने भी जो सुझाव दिये हैं और जो पिछली सरकार में उन्होंने कार्य किया है, वह भी स्वागत योग्य है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान प्लास्टिक और पोलीथीन का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, की तरफ दिलाना चाहता हूं, इसकी वजह से पर्यावरण की चुनौती हमारे सामने उत्पन्न हुई है। आज पहाड़ों में जहां भी हम जाते हैं, घाटियों में प्लास्टिक और पोलीथीन के ढेर स्पष्ट दिखाई देते हैं, इससे वहां की वन सम्पदा नष्ट हो रही है, वहां के वन्य जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है, इस ओर हम सभी को विचार करना पड़ेगा।

प्लास्टिक और पोलीथीन के प्रयोग से जनजीवन पर स्पष्ट दुष्प्रभाव नजर आ रहा है, जहां पहाड़ों पर प्लास्टिक एवं पोलिथिन के ढेर चुनौती के रूप में समस्या खड़ी है, वही प्रदेश के अन्य भागों में भी यह कहीं पर कम नहीं है। मान्यवर, पर्यावरण एक ऐसी प्रक्रिया थी, जिसका प्राकृतिक रूप से अपने आप संतुलन होता था, परन्तु वर्तमान में जहां शहरों में विशेषकर महानगरों जहां कहीं भी हम नजर डालते हैं, पोलीथीन और प्लास्टिक के ढेर दिखाई देते हैं, निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान करने के लिये माननीय मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

[इस समय 9 बजे अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा पीठासीन हुए]

मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मात्र इस बिन्दु पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इसके लिए जो आपने समय प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री राम नक्षत्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर्यावरण बजट की कटौती पर संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ क्योंकि समूचे प्रदेश में पर्यावरण एक भयंकर समस्या बनकर खड़ी है । इससे जीव जन्तु और मनुष्य सभी प्रभावित हो रहे हैं और धीरे-धीरे मौत के कगार पर पहुँचने लगे हैं खासकर ग्रामीण अंचलों में प्रदूषण की समस्या है । गन्ना मिलें जहाँ-जहाँ है उनका गन्दा पानी नदियों में खोल दिया जाता है जो बहुत दूरी तक बहकर जाता है उसमें जो पशु स्नान करते हैं उनको गलाघोटू से लेकर और तमाम बीमारियां हो जाती हैं । उससे खेती भी प्रभावित होती है। 10 कि० मी० की एरिया तक में पीने का पानी खराब हो जाता है । गेहूँ से लेकर सब्जी तक धान गन्ना आदि पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है एशियन फर्टिलाइजर, गोरखपुर में मैंने आंखो से देखा है कि 10 कि० मी० की एरिया में सब्जी तक नहीं हो रही है । उसके खिलाफ हम लोगों ने आन्दोलन किया था लेकिन मिलीभगत से पर्यावरण के अधिकारियों, शासन और प्रशासन के दबाव में हम लोगों के आन्दोलन को कुचलने का काम किया जाता है इसलिए इसके माध्यम से मैं माँग करता हूँ कि पूरे प्रदेश में जितने उद्योग स्थापित हैं ग्रामीण अंचलों में उसके पानी के बहने का एक ऐसा इंतजाम होना चहिए ताकि उसका पानी नदियों में न जाने पाये । उनको प्रदूषण यंत्र लगाने चाहिये । मान्यवर, लगभग 90 प्रतिशत मिलों में प्रदूषण यन्त्र नहीं हैं और जहां हैं भी वह काम नहीं कर रहें हैं, प्रदूषण से सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है उनके लिए पह एक ऐसा कार्यक्रम हो गया है जो थैला भरने का एक साधन बन गया है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी कटौती कर दी जाय क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है । इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इसकी कटौती कर दी जाय ।

श्री मुन्ना चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय बी० आर० वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ । श्रीमन्, पर्यावरण मानव जीवन का एक इन्टीगरल पार्ट है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है । आज की तारीख में जो एक मानव समाज, जो दुनिया, जिसे हम परिवेश कहते हैं, यदि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को सोंचे तो तीन बातें उभर कर आती हैं । एक पहलू मानव समाज जिसे कहते हैं, जो सोशियू कलचर और इकनामिक आस्पेक्ट्स को मिलकर बनता है, दूसरा पहलू पर्यावरण है जिसको हम जो जैवीय विविधता बायो डाइवर्सिटी और इकोलोजी इसको मिलकर बनता है । हमारे चारों तरफ फिजिकल, रसायनिक और जैविक क्रियायें हैं उन तमाम सारी चीजों को मिलाकर एक वातावरण बनता है उसको पर्यावरण कहते हैं । तीसरा पहलू साइंस और टेक्नोलाजी । अब यह तीन चीजें एक जमाना था जब हम इनकी अलग-अलग बात किया करते थे, और समझते थे कि एक बात का दूसरी बात से संबंध नहीं है । एक समय आ गया प्रकृति के साथ छेड-छाड़ एक सीमा से ज्यादा खिलवाड़ हुआ और वह आगे बढ़ता चला गया हम एक स्तर पर आकर पहुंचे जहां मानव सभ्यता के लिये सोचना जरूरी हो गया कि जो यह तीन सिस्टम हैं यह क्या एक दूसरे के पूरक हैं या कोई अलाहिदा-अलाहिदा इसका मूल्यांकन कर सकते हैं । आज माना जा रहा है कि यह तीन सिस्टम एक हैं एक दूसरे का जो उतार-चढ़ाव परिवर्तन है उसके प्रति संवेदनशील है। यदि इसमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ता है तो हमारे लिए पर्यावरण के लिए सृष्टि का जो एक्जीसटेंस है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। वैसे पर्यावरण में वन के बिना बात करना बेईमानी जैसा है। वन और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हैं । वन के बिना पर्यावरण और पर्यावरण के बिना वन इसके ऊपर चर्चा तब तक

पूरी नहीं होती जब तक दोनों आस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा न करें। यह विवशता है कि पर्यावरण एक अलग विषय के रूप में हमारे सामने है। जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण कौन से हैं? पर्यावरण के तीन पहलू हैं –वायु प्रदूषण–मानव का जो शरीर है यह पाँच तत्वों से मिलकर बना है जल, वायु, अग्नि, आकाश, ऊर्जा जो प्रदूषण है–जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है।

वायु प्रदूषण की जो बात है–जितने कल कारखाने हैं थर्मल पावर स्टेशन हैं फैक्ट्रीज हैं, जिसमें खतरनाक विषैली गैस है उसका इमीशन होता है, धुआं निकलता है हवा को पल्यूट करता है। थर्मल पावर स्टेशन में जो सल्फर डाईआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साईज-दन का इमीशन होता है जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए इस प्रकृति के लिए खतरनाक है। जल प्रदूषण की जो बात है, दुनिया के अंदर जितने विकाससील देश हैं सर्वेक्षण है वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन का उनकी रिपोर्ट है डेवलपिंग कण्ट्रीज के लिए 25 हजार मौतें केवल वाटर बाउंड डिसीज की वजह से हो जाती हैं फ्रेश वाटर के जितने बड़े भंडार हैं, उनका बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है रिपोर्ट यह कहती है कि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क के अन्दर भी 2025 के अंदर पीने के पानी की क्राइसेस हो जायेगी। सेफ डिंकिंग वाटर नहीं रह जायेगा। दुनिया में स्वीट वाटर की दो बड़ी झीलें जो यू०एस०एस०आर० और यू०एस०ए० के अन्दर है उसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा चुका है वह मीठे वाटर का भंडार भी सूखने की कगार पर आ गया है।

मैं कहना चाहता हूँ कि जल प्रदूषण को रोकना एक बहुत गम्भीर चुनौती है मान्यवर, अब मैं वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं ध्वनि प्रदूषण की बात करता हूँ मानव की जो श्रवण क्षमता है वह 55 से 60 डेसिबल है, यदि इससे ज्यादा आवाज बढ़ती है तो इससे कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इससे टैन्सन बढ़ता है डिप्रेसन हो सकता है रक्त चाप बढ़ता है हृदय पर इसका प्रभाव पड़ता है यहां तक कि हमारे जो अन्य स्नायुतंत्र हैं, हमारी जो अन्य क्रियायें हैं, वह बाधित हो जाती हैं। इसलिए मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि यदि ध्वनि प्रदूषण को समाप्त करने की दिशा में यदि आप केवल इतना ही कर लें कि हमारे मिनस्टर्स के आगे पीछे जो साइरन बजता है, उसे बंद करवा दें।

श्री बालेश्वर त्यागी—

डा० धर्मज्ञ मिश्र जी के बारे में बता दें ?

श्री अम्बिका चौधरी—

डा० धर्मज्ञ मिश्र जी का सुरीला स्वर जो है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी को पता ही नहीं है, क्योंकि उनके पीछे ऐसा कुछ है नहीं।

श्री मुन्ना चौहान—

मैं एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज आपके यहाँ गंगोत्री एक्शन प्लान योजना चल रही है, गंगोत्री क्षेत्र जो गढ़वाल हिमालय का अंग है वहां पर प्रतिवर्ष ढाई लाख सैलानी आता है, जिसके कारण वहां पर लगभग 80 टन कचड़ा जमा हो जाता है। उसमें अधिकांशतः प्लास्टिक व पोलीथीन होता है। मान्यवर, जब यह पोलीथीन जमीन पर पड़ता है तो यह जमीन की परत पर इस तरह चिपक जाता है, जिसके कारण पानी जज्ब नहीं हो पाता है और पानी रनिंग-अप कंडीशन में वैसे ही वह जाता है। इसके कारण अन्डर ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है और जल के श्रोत सूख जाते हैं और सूख भी रहे हैं। जहां पर यह पोलीथीन पड़ता है जमीन के अन्दर स्वतः एक लेयर बन जाती है, इसके कारण उस जमीन पर घास, पेड़-पौधे नहीं उग पाते हैं। इसके खतरनाक परिणाम निकल रहे हैं। हिमालय, जिसकी चोटियाँ बरफ से बारहों महीने आच्छादित रहतीं थीं। आज वहां पर टैम्प्रेचर बढ़ता चला जा रहा

है, जिसके कारण हमारा जो रिवर सिस्टम था, वह खतरे में पड़ गया है। हमारे जोपेरीनियल सोर्स आफ वाटर थे, वह रिसीट होते चले जा रहें हैं।

मान्यवर, मानव सभ्यता के लिए एक प्रकृति की छतरी होती है जो सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती हैं और हमारे जीवन की रक्षा करती हैं, जिसे हम ओजोन लेयर करते हैं, इधर वह डिप्लीट होती चली जा रही है। उसमें कई किलोमीटर का छेद हो गया है। इसका कारण यह माना गया है कि जो क्लोरो फ्लोरो इण्डस्ट्री हैं उसमें ऐसे तत्वों का उपयोग होता है जिनको सी०एफ०सी० कहा जाता है। रेफ्रीजिरेटर, एअरकन्डीशनर्स में हम जिस गैस का उपयोग करते हैं, वह बहुत खतरनाक है। जब हम इसे फेकते हैं तो इन गैसों का इनसे रिसाव होता है। आज यह पूरी दुनिया के लिये चुनौती बना हुआ है। ये गैस कभी भी समाप्त नहीं होती और हमेशा-हमेशा के लिए वातावरण में बनी रहती है और धीरे-धीरे आगे के लेयर का क्षरण करती है और यही ओजोन लेयर अगर कम हो जाय तो दुनिया के क्षरण को आप रोक नहीं सकते हैं। श्रीमन् इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारा फसल चक्र है जो हरित क्रान्ति की बात हम करते हैं, हमने हरित क्रान्ति के नाम जो कृषि से और फसल चक्र से अनावश्यक रूप से छेड़-छाड़ की है। मान्यवर हमने अधिक उत्पादन की ओर ध्यान दिया। हमने एक साल में अधिक फसल लेने का काम किया। यदि कई तरह की फसलें दर साल भर में बोते तो जो इकोलोजी बैलेन्स है वह सही रहता और फसलों पर कीड़े भी नहीं लगते पैदावार थोड़ी भले ही कम होती। आज जो कीट नाशक दवाएं छिड़कने का काम किया जा रहा है मैं यह कहना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ आरगेनाइजेशन की रिपार्ट आयी है उसमें यह लिखा है कि कीट नाशक दवाओं के छिड़काव जो कृषि की रक्षा के लिए किये जाते हैं वह दवा बाद में धोने से भी पूरी तरह खाद्य पदार्थों से नहीं साफ हो पाती और वह दवा हमारे ब्लड ग्रुप में चली जाती-है और ब्लड से लेम्किंग मदर्स के दूध में भी चली जाती है जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वह दूध के रास्ते उन छोटे-छोटे बच्चों के खून में जा रहा है इसलिए परम्परागत रूप से पैदावार को बढ़ाया जाय। मान्यवर, आज हिन्दुस्तान में दो शहर ऐसे हैं एक तो कानपुर और दूसरा कलकत्ता। यह ऐसे शहर हैं जहां पर कार्बन मोनो आक्साइड और अन्य पाल्यूटिंग तत्वों की छतरी बन गयी है। उत्तर प्रदेश में कानपुर गंभीर रूप से ग्रीन हाउस ऐफेक्ट से ग्रस्त है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने इसका समाधान ढूढ़ने के लिए क्या किया है? मान्यवर, इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वह धार्मिक मुद्दा हो सकता है। मान्यवर, जो हमारी धार्मिक नगरी हैं जैसे हरिद्वार, बनारस और इलाहाबाद वहां पर शवों का दहन करते हैं। यहां पर आप हरिद्वार में चले जाइये तो आप पैर नहीं रख पायेगें इतने शवों का दहन किया जा रहा है इससे यहां पर कीड़े-मकोड़े हो गये हैं और जो आपका गंगा एक्शन प्लान की योजना है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जब तक गंगा में अनटिटेड सीवेज को आप डालना बन्द नहीं करेंगे तब तक इस योजना का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मान्यवर, मैं एक ऐसे क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं कि जो हिमांचल से लगा हुआ है। मान्यवर, हिमांचल प्रदेश में कानून बनाकर प्लास्टिक और पोलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी है लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या आपने बजट भाषण के अन्दर इस बात का जिक्र किया है कि सरकार यहां भी इनके प्रयोग पर रोक लगा रही है। मान्यवर, प्लास्टिक जो है वह कभी समाप्त नहीं होती है यह गंभीर खतरा बनकर पैदा हो गयी है क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। उन प्लास्टिक के बैग्स के उपयोग को कानून बनाकर समाप्त करने का काम करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कानून बनाकर पर्यावरण में सहायक सिद्ध होगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि डा० एम० यू० बेग, जो सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्सटीट्यूट के प्रोफेसर हैं, उनका एक लेख छपा है, उन्होंने रिसर्च पेपर में जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में पीपल, अमरूद, जामुन, नीम के पेड़ जो कि उत्तर प्रदेश में भी पाये जाते हैं, जो विशाल प्रदूषण

को कम रखने की क्षमता रखते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण विकास के लिये और उसके संवर्धन के लिये जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनके चारों ओर इन पेड़ों को लगाया जाये, इन विशेष प्रजातियों के पेड़ों का रोपण किया जाये। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो वनीकरण के नाम पर काम हुआ है, उसमें जिन प्रजातियों का चयन किया गया है, उनका पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। इसी कारण मैं कहना चाहता हूं कि इनके संरक्षण का कोई इन्तजाम किया जाये। वन और पर्यावरण एक विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि 60 करोड़ टन मिट्टी नदियों से नीचे चली जाती है। देहरादून में देखें, मिट्टी नदियों के माध्यम से कटकर नीचे जा रही है और इस कारण उस क्षेत्र में डेजर्ट एफेक्ट का तेजी से विस्तार होता जा रहा है, तो मेरा कहना है कि रिक्लेमेशन के लिये कुछ किया जाना चाहिये। मान्यवर, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम नरेश रावत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर्यावरण को देखते हुये एक पार्क बनना चहिये, गोमती के पल्ली तरफ कुछ जमीन है, उसी में पार्क बनना चाहिये। माननीय सदस्य ने कहा है कि जो बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है, वह पिछले साल से कम है। अगर पिछले साल से कम है और उसमें कटौती करें तो अच्छा नहीं है।

श्री राम ललित चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो रहा है, पूरे प्रदेश में जितना प्रदूषण है, उसका 80 प्रतिशत प्रदूषण खराब करने वाली मिलें हैं। चाहे वह चीनी मिलें हो या और कोई मिलें हों और चाहे ईट भट्ठे हों, यह वाहन पर्यावरण को खराब करते हैं तो इसकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि वह इन मिलों से गठरी लेती है, इस कारण इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती है। 15 दिन पहले यहीं लखनऊ में चेकिंग शुरू हुई, तो थोड़ा प्रदूषण रुका था लेकिन आज फिर हाल है कोई मुंह में रुमाल लगाये हुये आता जाता है तो कोई नाक बन्द करके, प्रदूषण बढ़ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि गठरी लेने वाली सरकार प्रदूषण को रोक नहीं सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारी ऐसी गौरवमयी संस्कृति है, जिसमें पर्यावरण को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और जितने भी मंत्र या पाठ होते हैं उनमें पर्यावरण का जिक्र रहता है, हमने प्रकृति को बहुत सम्मान दिया है।

मान्यवर, हमारे पूर्वज लोग और आज भी बहुत से लोग वनस्पति की पूजा करते हैं। मान्यवर, प्रकृति एक ऐसी धरोहर है जिसमें यदि प्रदूषण हुआ तो हमारा अस्तित्व भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मान्यवर, पर्यावरण के संबंध में बताना चाहता हूं कि छांदोग्य उपनिषद में हरिददुमत मुनि ने जाबालि सत्यकाम को शिक्षा देने से पूर्व क्षेत्र सेवा का कार्य सौंपा था। वनरक्षण शिक्षा के अंग बनाये गये। उपनयन के पश्चात् मुनि ने अत्यंत दुर्बल चार सौ गाएं छांटकर उससे कहा सौम्य इनकी सेवा करो और जब तक ये बढ़कर एक हजार न हो जाये, पुस्तकीय शिक्षा अधूरी समझो। जब एक हजार गायें हो जांए तब पुस्तकीय शिक्षा पूरी होगी। उन्होंने उत्तर दिया मैं निश्चित रूप से जो कहा है उसको पूरा करुंगा। मान्यवर, यह गाय बढ़ाने की बात नहीं थी बल्कि इसके पीछे उद्देश्य यह था कि जाबालि सत्यकाम प्रकृति के सम्पर्क में आंए। इसलिए 400 गायों से एक हजार गायें बनायी और जब वह बन गयीं तो ऋषि ने कहा कि तुम प्रकृति से सीख गये हो। तो यह हमारा आदर्श रहा है। इसलिए संस्कृति ने पर्यावरण को बहुत अधिक महत्व दिया है।

मान्यवर, पुराणों में दत्तात्रेय के जिन चौबीस गुरुओं की शिक्षा का उल्लेख है उनमें जल, अग्नि, वायु, भूमि, नभ, पतंग, मधुमक्खी, समुद्र आदि अधिकांश प्राकृतिक चीजें ही हैं। इस प्रकार आचार्य ने सत्यकाम से कहा प्रकृति के संपर्क में रहकर जो कुछ तूने सीख लिया है वह मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वनों का संरक्षण न होगा तो मिट्टी, जल, वायु, आकाश सभी प्रदूषित हो जायेंगे।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस गंगा नदी के प्रदूषण को मुक्त करने की बात आप करते हैं, उस गंगा को हमने अपनी संस्कृति के अनुसार उसे माता माना है। मान्यवर, एक कार्यक्रम सरकार ने गंगा प्रदूषण मुक्ति के नाम से चलाया था लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी में एक अधिवेशन हुआ था उसमें बताया गया था कि गंगा का पानी विषाक्त है और वैज्ञानिक दृष्टि से उसका पानी पीने के लायक नहीं है। लेकिन साथ ही नीरि की उस रिपोर्ट में बताया गया था कि गंगा के पानी से नहाने से संक्रामक रोग हो सकते हैं। लेकिन सरकार की ओर से उत्तर आया था और उसका खंडन किया गया था। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुम्भ के दौरान संक्रामक रोगों के [illegible] स्नान के पश्चात् अस्पतालों में सैकड़ों की संख्या में आये और सिद्ध किया था तो उसे ठीक बताया था।

मान्यवर, अब मैं ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कहना चाहता हूं कि यदि इसके रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो मानवता के जिंदा रहने के संबंध में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मान्यवर, जैस-जैसे जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, उद्योगों की आवश्यकता बढ़ रही है, आवासों की आवश्यकता बढ़ रही है और इनके फलस्वरूप हम लोगों के सामने अनेक विषम परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं।

मान्यवर, लखनऊ के प्रदूषण की यहां चर्चा हुई। यहां टेम्पो पहले बहुत चलते थे लेकिन काफी टेम्पों आज बंद कर दिये गये हैं।

[समय 9 बजकर 30 मिनट]

लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि तमाम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। अभी भाई मुन्ना चौहान बात कर रहे थे हजारों लोगों को जो वनों से लकड़ी मिलती थी जिससे उनका गुजारा होता था वह बंद हो गया उनका क्या होगा?

जहां हम प्रदूषण नियंत्रण की बात करते हैं पर्यावरण की बात करते हैं उसी के साथ जो हमारे सामने विकास की समस्या है, मकानों की समस्या है और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उनको सुविधा देने की बात है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। इन सब में संतुलन बनाना पड़ेगा। केवल पर्यावरण में ही हम उलझे नहीं रह सकते हैं। आज एक विषम परिस्थिति हमारे सामने हैं। हमें इसके लिये कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसा माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने अपने भाषण में जो हमें साहित्य के रूप में दिया कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिये हमें जनता में जागृति पैदा करनी होगी। केवल ओजोन दिवस मनाने या पर्यावरण दिवस मनाने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप इसके लिये जागृति पैदा करना चाहते हैं तो सरकार को एक प्रस्ताव रखना चाहिये कि हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक दूसरे विषय हैं उसी तरह से कोर्स में पर्यावरण भी एक कम्पलसरी कोर्स के रूप में अतिरिक्त विषय के रूप में रखा जाय, भलेही उसमें प्राप्त अंकों को डिविजन में न जोड़े लेकिन पास होना अनिवार्य हो ताकि आने वाली पीड़ी इस पर्यावरण के खतरे से सजग रहे।

एक बात मैं गंगा प्रदूषण के बारे में कहना चाहता हूं। गंगा या यमुना के किनारे जो गांव हैं उनमें इस बात का प्रचार करें जो उसमें मल त्याग करते हैं उसे रोकें, उस पर रोक लगाने का काम करें जिस तरह से कुंभ के समय में पालिथिन पर रोक लगाने का कार्य किया गया था उस

तरह की रोक लगा दें तो प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा होगी और आने वाली पीढ़ी के लिये बहुत बड़ा काम होगा।

श्री केशो मेहरा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्यावरण के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसकी अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो बिन्दु माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं उनसे भिन्न हट कर एक विषय माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा षड़यंत्र विशेष रूप से ताज क्षेत्र में उद्योगों को बद करने का चल रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। 30 दिसम्बर, 1996 को एम०सी० मेहता बनाम भारत सरकार के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया उसके अनुसार इस क्षेत्र में चलने वाले उद्योगों को कोयले से चलने पर रोक लग गयी। उ०प्र० सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान दिया लघु उद्योग मंत्री बाबूराम एम० काम० तथा पर्यावरण मंत्री बच्चा पाठक जी ने प्रयत्न किया और उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय पर पुनर्विचार हेतु प्रार्थना की और उसमें भारत के महान्यायवादी, श्री सौली सोराबजी स्वयं उपस्थित हुये थे विचार याचिका स्वीकृत हो गई वह मुकदमा सं० 13381/84 है ठीक 10 वर्ष बाद 11 फरवरी 94 को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। उस समय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो मानक तय किये थे उसको मुकदमा शुरू होने के 60 दिन में बदल दिया।

यह बहुत बड़ा षड़यंत्र था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 11 अप्रैल, 1994 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मनमाने ढंग से मानक परिवर्तित कर दिया। यह योजना षड़यंत्र के तहत की गयी। वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन, आई०एस०आई० के इशारे के मानक माइकोग्राम प्रति क्यूबिक से०मी० है जो सल्फरडाई आक्साइड का मानक था उसको 30 कर दिया गया। इसी तरह से सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटीरियल्स, धूल में तैरते हुये होते हैं उनका मानक कम कर दिया गया लेकिन उसके कम करने के पश्चात् भी उद्योगों द्वारा प्रदूषण हो रहा था वह निर्धारित मानकों के अंतर्गत था लेकिन रोक लगायी गयी। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयत्न किया और सर्वोच्च न्यायालय में मामला स्वीकार हो गया है। मान्यवर, नेशनल इंजीनियरिंग एण्ड इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट दी थी कि ईंट के भट्ठे से प्रदूषण एक किलोमीटर की परिधि में होता है। लेकिन ताजमहल में 5 किलोमीटर की परिधि में एक भी भट्ठा नहीं है लेकिन 15 अगस्त, 96 से समस्त ईट भट्ठों को बन्द कर दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में इस विषय को गंभीरता से लिया। नीतिगत रूप से पर्यावरण मंत्रालय शासन ने भी सर्वोच्च न्यायालय में पुनः रिट याचिका प्रस्तुत करने के लिये सहमति दे दी है। 15 अगस्त, 1996 को ईट भट्ठे बंद कर दिये गये लेकिन जो प्रदूषणकारी तत्व थे उनकी मात्रा कम नहीं हुयी इससे सिद्ध होता है जो भट्ठे बंद किये गये थे उनके कारण प्रदूषण में कोई अंतर नहीं पड़ा है। मान्यवर, मेरा कहना है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे, मनुष्य और प्रकृति का संबंध ठीक रहे लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि विदेशी षड़यंत्र के नाम पर क्षेत्रीय उद्योग धंधों को बंद कर दिया जाय। मैं विशेष रूप से राजस्थान से जो लगे हुये इलाके हैं यहां पर रेगिस्तान बढ़ रहा है इसके लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इसी तरह से यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली से होते, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में आती है। दिल्ली का सारा प्रदूषण यमुना में आ रहा है। जल में जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिये दोषी कौन है? दिल्ली द्वारा जो प्रदूषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये यमुना का बैराज बनना चाहिए इसी के साथ में जो बजट मांग रखी गयी है उसका समर्थन करता हूं और विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। धन्यवाद।

* श्री छोटे लाल गंगवार—

मान्यवर, जनपद बरेली में पर्यावरण की जो गंभीर स्थिति है उसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे महानगर बरेली में एक फैक्ट्री थी जो पहले शहर से बाहर थी लेकिन शहर का विस्तार होने कारण वह शहर के अंदर आ गयी है। उससे इतना धुआं निकलता है कि यदि साफ कपड़ा पहन कर निकलें तो एक मिलीमीटर धुआं कपड़े पर जम जाता है। 1990 में मुलायम सिंह मुख्य मंत्री थे, उस फैक्ट्री को शहर से बाहर ले जाने का प्रस्ताव किया गया था सैकड़ों एकड़ जमीन फैक्ट्री को ट्रांसफर की गयी थी लेकिन अभी तक वह फैक्ट्री शहर से नहीं हटायी गयी है। मैं अनुरोध करता हूं कि वह फैक्ट्री शहर से हटायी जाय। ओसवाल चीनी मिल है जिसका धुआं प्रदूषण कर रहा है उनको बन्द किया जाय। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन फैक्ट्रियों द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसको रोकने का उपाय करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विभाग के ऊपर कई माननीय सदस्य चाहे वह विपक्ष के रहे हों या सत्ता पक्ष के बड़े ही सारवान सुझाव दिये हैं जिनसे पर्यावरण सम्वर्धन की दिशा में चलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मान्यवर, माननीय मेहरा जी ने जो सुझाव दिये हैं सचमुच उस नीति पर आज प्रदेश को चलाने की आवश्यकता है चूंकि आज आवश्यक है कि हमारा औद्योगिक विकास हो। जब औद्योगिक विकास होगा तब ही हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है और तब ही हम रोजगार दे सकते हैं। इसी के साथ-साथ पौल्यूशन कन्ट्रोल की भी आवश्यकता है। इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट और पौल्यूशन कन्ट्रोल के बीच सामन्जस्य बनाकर नहीं चल पाये तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मिश्रा जी आप बैठ जायं।

डा० धर्मज्ञ मिश्र—

हम यहां खाली बैठने के लिये नहीं आये हैं। हमारी बात सुनी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी को मैंने बुला लिया है और उन्होंने अपना काफी भाषण दे भी दिया। आपको कल अवसर मिल जायेगा। कल ऊर्जा विभाग का महत्वपूर्ण बजट है। माननीक मिश्र जी मेरी बात सुन लें एक मिनट बैठ जायं अगर जरूरत पड़े तो खड़े हो जाइयेगा। कल ऊर्जा विभाग का बजट है। बिजली की पूरे प्रदेश को आवश्यकता है। कल आपको पूरा समय मिलेगा।

डा० धर्मज्ञ मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब मैं राजस्व विभाग पर बोलने के लिए खड़ा हुआ तो कह दिया गया कि पर्यावरण पर बोलियेगा अब आप कहतें हैं कि विद्युत विभाग पर कल बोलिएगा। मान्यवर, यह अन्याय है।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है एक मिनट में अपनी बात कहें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)—

मान्यवर आप 12.00 बजे तक चलाइये कोई ऐतराज नहीं है । इनको समय दिया है सत्ता पक्ष के भी कुछ सदस्यों को मौका दें ।

श्री अधिष्ठाता—

इनको मौका दे दिया है । एक मिनट बोलने दें ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर्यावरण के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । कटौती के प्रस्ताव पर मैं बल देता हूँ । मान्यवर, पर्यावरण को प्रदूषित करने की बात कही गई है । मान्यवर, पर्यावरण को कौन प्रदूषित कर रहा है ? कौन प्रदूषण पैदा कर रहा है ? आज वातावरण दूषित है । इस मौजूदा सरकार ने आम के पेड़ों को काटने की छूट दी है और कहा है कि इसको काटने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिससे हमारे पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ रहा है । गंगा जी की तराई के किनारे लोग रहते हैं गंगा की कटान से जो किनारों पर पेड़ लगे हैं वह कट जाते हैं उनके रख-रखाव की व्यवस्था नहीं की गयी है आज उत्तर प्रदेश की सरकार वन विभाग के ऊपर लाखों रुपया खर्चा कर रही है । पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के कर्मचारी जो वन लगाते हैं वह पेड़ काट लिये जाते हैं । मान्यवर वन्य जीवों को सुविधा देने के वजाए वन्य जीवों का शिकार किया जाता है जो लोग वन्य जीवों का शिकार करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में बीमारी बढ़ रही है, बीमारी क्यों बढ़ रही हैं। आए दिन आदमी बीमार रहता है। आजकल खानपान की व्यवस्था दुरूस्त न होने के कारण ऐसा हो रहा है, एक दूसरे का लोग जूठा खा रहे हैं । पानी स्तर से निरन्तर घट रहा है । इस कारण प्रदूषण बढ़ गया है जिसकी वजह से आदमी बीमार रहता है । आजकल जूठे बरतनों में खाना खाया जाता है जो पत्तल, कुल्लड़ की जो व्यवस्था थी वह खत्म हो गई है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, सफाई न रहने के कारण बहुत प्रदूषण फैलता है । सफाई की आजकल उचित व्यवस्था नहीं हो रही है । दारूलशफा में सफाई नहीं हो रही है । पूरे लखनऊ में सुअर घूमते रहते हैं। हर वार्ड में सूअर घूमते रहते हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं इसमें कोई व्यवस्था नहीं हो रही है । पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं । पर्यावरण का मतलब है कि वातावरण शुद्ध हो । मेरा आपसे अनुरोध है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शहरों में कूड़ा-करकट सड़कों में जमा रहता है उसको हटवाना चाहिए । इससे प्रदूषण पैदा होता है इससे पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ता है । वातावरण शुद्ध होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र—

शुद्ध पानी आजकल पीने को नहीं मिल रहा है । लोग दूषित जल पी रहे हैं इसके लिए इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प हर ग्राम में दस-दस लगाये जाए और प्रदूषण को समाप्त किया जाए । इसके लिए सरकार को उपाय करने चाहिए ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

हाउस में ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है इस ध्वनि प्रदूषण को रोका जाए।

श्री बी० आर० वर्मा—

माननीय सदस्य जानते हैं ध्वनि प्रदूषण से काफी बुरा असर मानव के मन-मस्तिष्क पर पड़ता है जिससे रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियां होती हैं। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक मानक तय किया है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितने डेसीविल प्रदूषण होना चाहिये दिन में और रात में कितने डेसीविल प्रदूषण हो इसी तरह से आवासीय क्षेत्र में दिन में कितने डेसिविल प्रदूषण हो और रात में कितने डेसीविल प्रदूषण हो, शान्त क्षेत्र में कितने डेसीविल, दिन में प्रदूषण हो और रात में कितने डेसीविल प्रदूषण हो। लगातार ध्वनि प्रदूषण के बीच अगर कोई आदमी रहता है तो उसकी त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी त्वचा में जलन होती है और इसकी मृत्यु तक हो सकती है। गर्भवती स्त्री अगर ध्वनि प्रदूषण के बीच रहती है तो उसका गर्भपात होने की सम्भावना हो सकती है। इस तरह के खतरे हैं इससे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। औद्योगिक विकास और पोल्यूशन कंट्रोल के बीच सामंजस्य होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जोनल एटलस बनाकर किस तरह के क्षेत्र किस तरह के उद्योगों से सेचुरेट हो चुके हैं वहां की नदियों की कितनी वियरिंग कैपीसिटी रह गई है यह बनाकर सराहनीय काम किया है। इससे उद्योगों को स्थान निर्धारित करने में आसानी रहेगी। एक बीच का रास्ता होना चाहिए प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक विकास के बीच मैं चाहूँगा कि प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की जो एक्टिविटी है वह पोलिस की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए बल्कि सलाहकार का एक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत से कारण हैं जिनके कारण उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जो उद्योग लगे हैं वह सरवाइव कर सकें इसके लिए बीच का रास्ता निकालें। ऐसी इण्डस्ट्रियां जो प्रदूषण पैदा कर रही हैं उनके ऊपर बैंक गारन्टी लेकर उनको चलने तो दिया जाए लेकिन उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाई जाए कि कितने समय में वह ट्रीटमेन्ट प्लांट लगा रहे हैं कितने दिनों में प्रदूषण फ्री यूनिट लगा रहे हैं। बैंक गारन्टी ले ली जाए ताकि उनके ऊपर बोझ रहे अगर वह इतने दिनों में प्रदूषण कंट्रोल न कर पाये तो उनका पैसा जब्त कर लिया जाए। इस तरह का प्रयास शुरू होता है तो निश्चित रूप से प्रदूषण कंट्रोल होगा और इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं रुकेगी व बेरोजगारी भी नहीं बढ़ेगी। आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास सेस की बहुत सारी अपीलें पेंडिंग हैं। 500 के करीब अपीलें पेंडिंग हैं इनका त्वरित गति से निस्तारण किया जाए। तमाम सारे मुकदमें ऐसे हैं जो टाइम वार्ड हैं जिनकी सुनवाई करके निस्तारित किया जा सकता है। यही पूछकर कि यह टाइमवार्ड हैं इसमें आपको क्या कहना है? मैंने इसकी कोशिश की थी मंत्री जी को इस तरफ कोशिश करनी चाहिये। आज इस कटौती के प्रस्ताव के ऊपर इसलिए मुझे मजबूर होकर बोलना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि इसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। यह विभाग तरक्की करे परन्तु कटौती प्रस्ताव पर वल देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि जब पिछली बार 153 करोड़, 94 लाख, 94 हजार रुपया रखा गया था, पैसों की व्यवस्था की गयी थी, नीतियां बनायी गयी थी लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया और विभाग मात्र 2 करोड़, 19 लाख, 94 हजार रुपया ही खर्च कर पाया। जब यह विभाग पैसा खर्च ही नहीं कर सकता है तो इसे पैसा देने का औचित्य ही क्या है। इस वर्ष इसका वजट बढ़ाना चाहिये था लेकिन वह भी नहीं हो पाया है, इसलिए मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि पर्यावरण विभाग की अनुदान राशि काटकर एक रुपया कर दिया जाये, यह कोई योजना नहीं बना सकते, पैसा खर्च नहीं कर सकते तो इनको पैसा देने से क्या फायदा है।

श्री बच्चा पाठक—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर्यावरण विभाग के वाद-विवाद के अन्दर हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं विशेषकर माननीय मेहरा जी एवं मुन्ना चौहान जी ने, उनके सुझाव बहुमूल्य हैं। अव मैं माननीय मिश्रा जी के सुझाव की तरफ जाना चाहता हूँ। अभी-अभी

हमारे वर्मा जी ने पर्यावरण की बातें कहीं हैं उनके भाषण से यह बात लगी और मिश्रा जी के भाषण से जब हम उनको जोड़ते हैं तो यह पाते हैं कि उनके जमाने में पर्यावरण समाप्त नहीं किया गया, बल्कि बढ़ाया गया ? मैं समझता हूँ कि मिश्रा जी के विचार ठीक हैं, पर्यावरण सामाप्त करने का काम नहीं किया गया, बल्कि पर्यावरण बढ़ाने का काम किया गया । पूर्वांचल आम के पेड़ों से भरा हुआ है, पीपल के पेड़ों का कटान जो हो रहा है उससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात मैं माननीय वर्मा जी से सहमत हूँ कि अम्बेडकर जी से मेरा कोई दुराव नहीं है । जिस सरकार के अध्यक्ष माननीय वर्मा जी थे, उसमें सारे कार्य अम्बेडकर जी के नाम पर किये गये, चाहे सड़क का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, विद्यालय हो सारे कार्य उनके नाम पर किये गये । तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वर्मा जी ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये, उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया जायेगा । माननीय वर्मा जी ने अपनी औद्योगिक इकाइयों जिसको माननीय सदस्यों ने इंगित किया है जो जल प्रदूषण करते हैं उससे लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, शहरों में रहना मुश्किल हो गया है और यह नहीं बताया कि अपने जमाने में कितनी औद्योगिक इकाइयों को बन्द किया है, उसका कोई विवरण नहीं दिया है । वर्तमान समय में यह सरकार इस बात को निश्चित रूप से कहती है कि जिन औद्योगिक इकाइयों में संयंत्र नहीं लगाया गया है उसमें लगाया जायेगा । जो संयंत्र नहीं चलाते हैं उसे ठीक से चलायें अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम किसी कारखाने को चलने नहीं देंगे । उसका परिणाम यह हुआ है कि जल प्रदूषण की 94 इकाइयों को और ध्वनि व वायु प्रदूषण की 67 इकाइयां बन्द कर दी गयी हैं । जो जोन की बात कही है, हमारा बोर्ड उसे करने जा रहा है । दूसरी तरफ वर्मा जी ने जो बात कही है कि रुपया खर्च किया गया या नहीं, हम समझते हैं . . .

श्री राम औतार शाक्य—

यह कोई चुनावी जनसभा नहीं हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शन्ति बनायें रखें ।

श्री बच्चा पाठक—

जो ताज ट्रेपेजियम जोन के बारे में वर्मा जी ने सवाल उठाया है, उसकी रिसर्च को तैयार कर लिया गया है और भारत सरकार को भेज दिया गया है । इस समय प्रदेश में 121 चीनें मिलें हैं, उसमें से 119 मिलों ने प्रदूषण रोधक संयंत्र लगा लिये हैं । प्रदूषण जो सारे विश्व में फैला हुआ है, इसके लिए कुछ उपाय जरूर करने हैं । बहुत से माननीय सदस्यों ने पोलीथीन के बारे में कहा है, यह बहुत ही हानिकारक है । इससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, मैं सरकार से चाहूँगा और अपने विभाग के लोगों से चाहूंगा कि वह इसको बन्द करने के उपाय करें । साथ ही साथ कई अन्य बातें सुझाव के रूप में कही गयी हैं । यातायात के साधन जैसे बस, ट्रक आदि हैं, उनमें ऐसा संयंत्र लगाया जाय जो उनके प्रदूषण को रोके या पेट्रोल पम्प पर इस तरह की मशीन लगाई जाय, जो उनके प्रदूषण को चेक करे और उन ऐसे वाहनों को निरस्त किया जाय । हमारी सरकार जो है, वह पर्यावरण के विषय में पूरा ध्यान दे रही है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कार्य हो रहें हैं, वह पर्यावरण सुधार के लिए हैं । मैं वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि हमारी सरकार पर्यावरण सुधार के लिये कटिबद्ध है ।

श्री मुन्ना चौहान—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय गौरी शंकर जी बैठे हैं ये लखनऊ के हैं । लखनऊ के आसपास जैसे मलिहाबाद में जब गत वर्षों में आम की फसल नष्ट हुई थी तो उस समय प्रदेश सरकार ने तो आई०टी०आर०सी० से एक सर्वे कराया गया था और अब उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है और शासन को प्राप्त हो गयी है तो उस पर शासन क्या कार्रवाई कर रहा है ?

(माननीय मंत्री जी द्वारा कोई उत्तर न देने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बी०आर० वर्मा—

मान्यवर, निश्चित तौर पर मेरी दिली चाहत थी कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूं लेकिन जितने भी सुझाव दिये गये उसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया । मैंने कहा कि इकोलोजिकल पार्क किसी के नाम पर नहीं बनाना था तो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर ही बनाने की घोषणा कर दें । चूंकि वह पैसा ही नहीं खर्च कर पा रहें हैं तो पैसा देने का मतलब क्या है इसलिए मैं मजबूर होकर कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45— पार्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,16,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश 1998 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश 1998 का अनुमोदन करता है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अध्यादेश के औचित्य और आवश्यकता पर कुछ बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस अध्यादेश को प्रख्यापित कराकर शिक्षा आयोग को विघटित कर दिया है और इस आयोग की जगह इस अध्यादेश के जरिये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्थापित किया है । श्रीमन, मैं आपकी अनुमति से यह बात कहना चाहता हूँ कि जो इस अध्यादेश में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्राविधान किया है इससे उत्तर प्रदेश की सरकार की असली नीयत स्पष्ट होती है । शिक्षा आयोग की जगह चयन बोर्ड का गठन केवल एक मकसद से किया गया है कि आज आयोग में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वन्दी और विरोधी लोग हैं इसलिए राजनीतिक मकसद के चलते और प्रतिशोध की भावना से आयोग को विघटित कर चयन बोर्ड का गठन इस अध्यादेश के जरिये किया गया है जो मूल अधिनियम है जिसमें आयोग के अध्यक्ष पद पर यह व्यवस्था की गयी थी कि उस आयोग के अध्यक्ष पद पर वही आदमी मनोनीत होगा जो कम से कम जिला न्यायाधीश हो जो कम से कम जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट या शिक्षा निदेशक हों, शिक्षा के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध व्यक्ति जिसका भारी योगदान शिक्षा जगत में हो, ऐसे लोग अध्यक्ष पद पर नामित हो सकते हैं । यह मूल अधिनियम में था इस व्यवस्था को परिवर्तित करके वर्तमान अध्यादेश के जरिये जो भारतीय जनता पार्टी के चहेतें हैं चयन बोर्ड में नामित हो जायेंगे । इसमें आयोग को विघटित करके चयन बोर्ड की स्थापना की गयी है । अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों को पदच्युत करने की नीयत से इस अध्यादेश के जरिये व्यवस्था बनायी गयी है । जो इस अध्यादेश के द्वारा यह प्राविधानित किया

गया है कि उ० प्र० में जो मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थायें हैं उनमें तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण और पदोन्नति के संबंध में संभागीय चयन समितियों के गठन का प्राविधान किया गया है । अध्यादेश में सबसे चिन्ताजनक बात यह है कि जो चयन समितियां गठित करने का प्राविधान इन्होंने किया है वह निरंकुश होकर काम करेंगी क्योंकि वह चयन समितियां किसी भी अपील से प्रतिबंधित नहीं होंगी । इसके जरिये शिक्षकों की प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया गया है । आज अध्यापकगण कहते हैं कि हम आयोग द्वारा चयनित हैं, उनकी महिमा को प्रतिष्ठा को गिराने का काम इस अध्यादेश के द्वारा इस सरकार ने किया है । अब वे आयोग द्वारा चयनित नहीं होगें, चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक होंगे । 1993 तक जो तदर्थ शिक्षक काम कर रहे हैं उनके विनियमितीकरण का प्राविधान सरकार ने किया है । पदोन्नति के सम्बंध में भी सम्भागीय चयन समितियां गठित करने का प्राविधान किया गया । मूल अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि जो वरिष्ठता सूची थी उसके आधार पर बिना सिफारिश पैरवी के पदोन्नति हो जाती थी अब चयन समिति के अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सम्बन्धित संभाग के अधिकारी रहेंगे, संयुक्त निदेशक होंगे ।

मान्यवर, वर्तमान अध्यादेश में यह कहा गया है कि नियुक्ति के समय वह अर्ह थे कि नहीं, इस बात की छान-बीन अब की जायेगी यदि नियुक्ति के समय अध्यादेश के प्राविधान के अनुसार अर्हता नहीं थी तो यह सरकार समीक्षा के नाम पर ऐसे अध्यापकों को सेवा से बाहर निकालने की साजिस करेगी । इसलिए मान्यवर, इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने का कोई औचित्य नहीं था आयोग की जगह पर चयन बोर्ड यह सरकार इस लिये बना रही है ताकि उसमें अपने चहते समर्थकों को उसमें नामित कर सके । इसलिए इनकी नियत को देखते हुए मैं अपने अनुमोदन के संकल्प पर बल देता हूँ ।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस संशोधन में संशोधन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि यह आयोग चर्चा का विषय बन गया था । यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। इसमें भ्रष्टाचार का सुराख इतना बड़ा हो गया था कि इस पर अंकुश लगाना आवश्यक हो गया था । इसके जो सदस्य थे, वह उपयोगी नहीं थे, उन पर जंग लग गया था । इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि इस आयोग को भंग कर दिया जाय । इसमें दो चीजों का मुख्य ध्यान रखा गया । पहला संगठन और दूसरा चयन की विधि । संगठन, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, इसके जो सदस्य होगें, वह पूर्व के सदस्यों से ज्यादा क्वालिफाइड होंगे । एक उपकुलपति रैंक का होगा, विषय विशेषज्ञ होगा, उपाध्यक्ष भी इसी कैटेगरी के होगें, दो सदस्य शिक्षाविद् होंगे, दो एडीशनल डाइरेक्टर रैंक के होंगे, एक विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल होगा या रीडर होगा, दो इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य होगें । इस प्रकार सदस्यों को कैटेगराइज किया गया है। इसका कार्यकाल चार वर्ष होगा। यह अध्यापकों, प्रिंसिपल, प्राध्यापकों का चयन करेगा। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी । हमने अंकों का विभाजन भी 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत तथा 10 नम्बर इंटरव्यू के तथा 20 नम्बर उसके अनुभव व पी०एच०डी० के होगें । पहले यह क्वालीफिकेशन नहीं थी। इण्टरव्यू को भी हमने विभाजित किया है ताकि सही व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आ सकें और जंग लगे छात्र नीचे चले जायें । इंटरव्यू में भी हमने 10 में से 4 अंक उसके विषय ज्ञान के, तीन परसेन्ट उसके प्रजेन्टेशन के और तीन परसेन्ट उसके एक्शप्रेशन के रखे हैं । इस तरह से चयन की प्रक्रिया बनाई गई है । पदोन्नति की बात यहां पर कही गई कि आयोग से निकालकर इसे मण्डल स्तर पर रख दिया गया है । मान्यवर, आयोग से पहले वर्षों लग जाते थे इसलिए शिक्षकों को पदोन्नति जल्दी मिल सके, मंडल स्तर पर ऐसे प्रकरणों

को निपटाया जायेगा । दूसरा जो रेग्यूलराइजेशन का प्रकरण है वह काफी दिनों से लम्बित पड़ा था आपकी सरकार ने नहीं किया। हमने प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य का किया, जिसकी डेट 6 अगस्त, 93 तक की है। इसमें हमने बड़ा सुधार किया है और मुझे विश्वास है कि जो वर्गीकरण किया गया है इससे भ्रष्टाचार का जो सुराख बढ़ गया था वह भर जायेगा। इसी के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि जो प्रस्ताव उन्होंने प्रवर समिति को सुपुर्द करने का किया है उसे वह वापस ले लें।

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। यह सत्र 9-5-1998 को आहूत किया गया था और 18-6-98 से यह सत्र चल रहा है। 3 जून, 98 को आप एक अध्यादेश संख्या–6/1998 ले आये। तो मान्यवर, यह परम्परा रही है कि सत्र आहूत करने के बाद कोई भी अध्यादेश लाना उचित नहीं है। तो ऐसी कौन सी परेशानी थी जिससे यह अध्यादेश बीच में लाना पड़ा यह बात आप छुपा गये। मान्यवर, इसमें आपने दो उद्देश्य बताये हैं। एक तो विनिमितीकरण का और दूसरा नियुक्ति का मामला है। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश शब्द हटा दिया है और इसलिए हटा दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई काबिल व्यक्ति नहीं रहा जो इस चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाय। जो पहले कंडीशन थी कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला वी०सी० हो, जज हो वही इसका अध्यक्ष होगा लेकिन अब इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शब्द को जानबूझकर हटा दिया गया है और मालूम पड़ता है कि किसी व्यक्ति विशेष में यह इन्टरेस्टेड हैं और दिल्ली से हरियाणा से, कर्नाटक से या कहीं से इनको अपना व्यक्ति बैठाना है और यह साजिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कानून वह होता है और जब तक यह बना रहता है जनकल्याणकारी और हितकारी रहता है और वह तभी बदला जाता है जब वह आउट आफ डेट हो जाय। इस अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं की गयी है केवल दलगत भावनाओं के आधार पर इसे बदला गया है तो यह जनकल्याणकारी नहीं है तो, मैं एक लम्बी बात न कहकर केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यह किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ के लिए लाया गया है और इसमें बहुत ही त्रुटियां हैं, इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसको प्रवर समिति में भेजने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी भावना से भिवज्ञ हूँ। मैं केवल एक समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और संशोधन प्रस्ताव जो लाया गया है, उस पर बल देता हूँ। मान्यवर, आयोग ने जिन लोगों का चयन कर दिया है, उसमें से सभी लोग अपनी ज्वाइनिंग नहीं कर पाये हैं, ऐसे कम से कम 20 प्रतिशत लोग होंगे और जब वह जाते हैं, तो वहां पर कहा जाता है कि आपकी नियुक्ति ही खतरे में पड़ गयी है। आयोग भंग कर दिया गया है, आपकी नियुक्ति नहीं होगी। उनका भविष्य अंधकार में फंसा हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों का चयन हो गया है, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके बारे में अलग से निर्देश देने का कष्ट करें और उनकी व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे उम्मीद थी कि माननीय मंत्री जी हमारे सुझाव को सही दिशा में लेने का काम करेंगे, लेकिन प्रतिवाद में उन्होंने जो वर्क दिया है कि जो लोग आयोग में थे वह योग्यता के दृष्टि में ठीक नहीं थे, आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था और जो चयन प्रक्रिया थी वह दोषपूर्ण थी, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, उसको पारदर्शी इस अर्ध्यादेश के जरिये

बनाने का प्रयास किया गया है। इसलिए महामहिम राज्यपाल ने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है। मैं अपनी बात पर जोर देते हुए कहना चाहता हूँ कि अगर यह अधिनियम बन गया तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा। जो इसमें प्राविधान किये गये हैं, उनसे भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। बल्कि और बढ़ेगा।

[समय 10 बजकर 30 मिनट]

इसलिए मैं पुनः अपने अननुमोदन संकल्प पर बल देता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने अभी अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे क्षमा मांगते हुए इतना कहूंगा कि इसका अभी विश्लेषण समयाभाव के कारण नहीं हो सका। मान्यवर, जुलाई से सत्र प्रारम्भ होने वाला है शिक्षकों की आवश्यकता थी और इस अध्यादेश में यह कहा गया है कि शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी। सेलेक्शन के बाद जो अभ्यर्थी हैं वे विभिन्न विद्यालयों में भेज दिये जायेंगे।

दूसरी बात उत्तर प्रदेश के बारे में कहा गया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि ज्ञान को एक क्षेत्र में सीमित करना उचित नहीं है, इसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। मान्यवर, जो अध्यक्ष बनाये गये हैं वह उत्तर प्रदेश के हैं और वाराणसी इंजीनियरिंग कालेज के हेड को अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए माननीय सदस्य का जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है उसे वह माननीय सदस्य वापस ले लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जिनका सेलेक्शन हो गया है उनमें 80 प्रतिशत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और 20 प्रतिशत घूम रहे हैं।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, इसमें जांच करने के बाद व्यवस्था करेंगे।

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं अपने अननुमोदन संकल्प पर बल देता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 का अननुमोदन करता है?

[प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ]

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें?

[प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ]

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय?

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ]

खण्ड 2 से 11, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1—(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 20 अप्रैल, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 के, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में, शब्द "सेवा आयोग" के स्थान पर शब्द "सेवा चयन बोर्ड" रख दिए जायेंगे।

धारा 1 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 1 में उपधारा (1 में, शब्द "सेवा आयोग" के स्थान पर शब्द "सेवा चयन बोर्ड" रख दिए जायेंगे।

सामान्य संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 और 34 में शब्द "आयोग" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जायगा।

धारा 2 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 2 में, –

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

(क) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से है;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है;

(ख) खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) 'सदस्य' का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है;"

(घ) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा अर्थात् :—

"(ट-1) 'उपाध्यक्ष' का तात्पर्य बोर्ड के उपाध्यक्ष से है;"

अध्याय दो और धारा 3 से 11 का बदलाया जाना

6—मूल अधिनियम का अध्याय दो जिसमें धारा 3 से 11 दी गई है, के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय, जिसमें धारा 3 से 11 दी गई है, रख दिया जायगा, अर्थात् :—

अध्याय–दो

बोर्ड की स्थापना और कृत्य

बोर्ड की स्थापना

3—(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक बोर्ड स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहलायेगा।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा। यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में शक्ति का प्रयोग करेगा और इसका मुख्यालय इलाहाबाद में होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा 3 के, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम 1998 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के स्थापित हो जाने पर विघटित हो जायगा, और ऐसे विघटन पर,—

(क) उस आयोग की सभी सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां बोर्ड को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी;

(ख) उस आयोग के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यता, चाहे किसी संविदा के अधीन हो या अन्यथा हो, बोर्ड को अन्तरित हो जायेंगे;

(ग) उस आयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवायें बोर्ड को अन्तरित हो जायेंगी;

(घ) इस अधिनियम के, जैसा कि वह उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के स्थापित होने के ठीक पूर्व था, अधीन आयोग के समक्ष लम्बित कोई विषय बोर्ड को अन्तरित हो जायगा।

बोर्ड की संरचना

4—(1) बोर्ड में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और नौ सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह,—

(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो; या

(ख) राज्य सरकार की राय में प्रशासनिक सेवा का ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी जो राज्य सरकार के सचिव या शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से निम्न पंक्ति का न हो, या न रहा हो।

(3) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह, राज्य सरकार की राय में ऐसा विख्यात शिक्षाविद् न हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो।

(4) सदस्यों में से,—

(क) दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऐसे शिक्षाविद् हों जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो;

(ख) दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो राज्य सरकार की राय में राज्य शिक्षा सेवा के ऐसे उत्कृष्ट अधिकारी हों या रहे हों जो अपर निदेशक से निम्न पंक्ति के न हों;

(ग) अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो,—

(एक) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में या ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय में उपाचार्य के रूप में दस वर्ष से अनिम्न की अवधि के लिए कार्य किया हो;

(दो) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी संस्था के प्राचार्य के रूप में, दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिए कार्य किया हो;

(तीन) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात शिक्षाविद् हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

सदस्यों का पदावधि और सेवा की शर्तें

5—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) कोई व्यक्ति निरन्तर दो पदावधि से अधिक के लिए सदस्य नहीं होगा।

(3) कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेशित करे।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, न तो सदस्य नियुक्त किया जाएगा और न इस रूप में बना रहेगा।

सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6—(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह,–

(क) दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक सेवायोजन में कार्य करे; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या

(घ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो जाय।

स्पष्टीकरण–जहां कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, किसी प्रकार से संबद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके लाभ में या उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में किसी प्रकार से सदस्य से भिन्न रूप में सम्मिलित हो, वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

सहयुक्त करने की शक्ति

7—बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये जो धारा 34 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहें।

बोर्ड का कर्मचारिवर्ग

8—(1) बोर्ड का सचिव राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायगा और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करें।

(2) ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे, बोर्ड ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक समझे, और सेवा के ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें बोर्ड उचित समझे, नियुक्त कर सकता है।

9—बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य

(क) अध्यापकों की सीधी भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्ग दर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये जहां आवश्यक हो, परीक्षायें संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) चयन किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ङ) अध्यापकों की पदच्युति, हटाए जाने या पंक्तिच्युति से सम्बन्धित विषयों में प्रबन्धतंत्र को सलाह देना;

(च) अध्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति, पदच्युति, पद से हटाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति के सम्बन्ध में नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनाएं संस्थाओं से प्राप्त करना;

(छ) विशेषज्ञों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना;

(ज) बोर्ड में विहित निधि का प्रबन्ध करना;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जायें, या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हों।

सीधी भर्ती द्वारा चयन की प्रक्रिया

10—(1) सीधी भर्ती द्वारा किसी अध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए प्रबन्धतंत्र विद्यमान या भर्ती के वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की संख्या और संस्था के प्रधान के पद से भिन्न पद की स्थिति में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से, जैसा विहित किया जाय, बोर्ड को अधिसूचित करेगा;

(2) अध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय:

परन्तु बोर्ड प्रतिभाशाली व्यक्तियों की आमंत्रित करने की दृष्टि से उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों का राज्य में व्यापक प्रचार करेगा।

अभ्यर्थियों का पैनल

11—(1) बोर्ड, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र जहां आवश्यक हो परीक्षा लेगा और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और जो नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाये जायं, उनका पैनल तैयार करेगा।

(2) बोर्ड उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल की धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, अग्रसारित करेगा;

(3) उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने के पश्चात् संबद्ध अधिकारी या प्राधिकारी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के सम्बन्ध में संस्था के प्रबन्धतन्त्र को चयन किये गये अभ्यर्थियों के नाम विहित रीति से सूचित करेगा।

(4) प्रबन्धतंत्र, ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा।

(5) जहां ऐसा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा प्रबन्धतंत्र इस निमित्त स्वीकार करे, ऐसी संस्था में पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं है, वहां संबद्ध अधिकारी या प्राधिकारी प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर बोर्ड द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल से नया नाम या नए नाम, विहित रीति से सूचित करेगा।

नया अध्याय तीन और धारा 12 का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय जिसमें धारा 12 दी गई है, बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:–

"अध्याय–तीन"

पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रिया

पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रिया

12—(1) प्रत्येक सम्भाग के लिए, अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए एक चयन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(एक) सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	अध्यक्ष
(दो) सम्भाग में राजकीय इण्टर कालेज का ज्येष्ठतम् प्राचार्य	सदस्य
(तीन) संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य/ सदस्य/सचिव।

(2) अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

धारा 16 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 18, 21–ख, 21-ग, 21-घ, 33, 33-क और 33–ख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा आयोग की सिफारिश पर ही की जायगी" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21–ख, 21-ग, 21-घ, 33, 33–क, 33–ख, 33–ग और 33–घ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायेगी" रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 18 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "आयोग" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जायगा;

(ख) उपधारा 8 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(क) प्रत्येक सम्भाग के लिए सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति के अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(एक) सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक;

(दो) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक);

(तीन) सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक);

सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अध्यक्ष होंगे; "

(ग) उपधारा (9) में, शब्द "आयोग" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जायगा।

नयी धारा 33-ग और 33-घ का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 33-ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"33–ग (1) ऐसे किसी अध्यापक को प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जायगी, जो,–

कतिपय और नियुक्तियों का विनियमितीकरण

(क) (एक) प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में किसी मौलिक रिक्ति के प्रति धारा 18 के अनुसार तदर्थ आधार पर 14 मई, 1991 को या उसके पश्चात् किन्तु 6 अगस्त, 1993 के पश्चात् नहीं, पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था;

(दो) धारा 18 के अनुसार प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के पद में किसी मौलिक रिक्ति के प्रति तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा 31 जुलाई, 1988 को या उसके पश्चात् किन्तु 6 अगस्त, 1993 के पश्चात् नहीं, नियुक्त किया गया था।

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अनुसार विहित अर्हतायें रखता हो या ऐसी अर्हताओं से छूट प्राप्त हो;

(ग) ऐसी नियुक्ति के दिनांक से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य कर रहा हो;

(घ) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा मौलिक रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

(2) (क) प्रत्येक सम्भाग के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्न-लिखित सदस्य होंगे:–

(एक) उस सम्भाग का सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, जो अध्यक्ष होगा;

(दो) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) जो सदस्य होगा;

(तीन) सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) जो सदस्य होगा;

उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त, उस जिले के विनियमितीकरण के मामलों पर विचार करते समय संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा।

(ख) उपधारा (1) के अधीन मौलिक नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(3) (क) मौलिक नियुक्ति के लिये अध्यापकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति के दिनांक से यथा-अवधारित ज्येष्ठता-क्रम में की जायेगी।

(ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों तो आयु में अपेक्षाकृत बड़े अध्यापक की सिफारिश पहले की जायगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा।

(5) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिये पात्र न हो, ऐसे दिनांक को जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति पर नहीं रह जायेगा।

(6) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिए हकदार हो जायगा, यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक को ऐसी रिक्ति पहले से ही भरी हुई थी या ऐसी रिक्ति के लिये इस अधिनियम के अनुसार पहले से ही चयन कर लिया गया है।

33—घ–सर्टीफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड का प्रत्येक अध्यापक, जो प्रशिक्षित स्नातक हो, और–

सर्टिफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड के अध्यापकों के लिए विशेष उपबन्ध

(क) जिसने पहली जनवरी, 1986 को या उसके पूर्व उक्त ग्रेड में दस वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, पहली जनवरी, 1986 से, या

(ख) जो पहली जनवरी, 1986 के पश्चात् दस वर्ष की उक्त सेवा पूरी करता हो, उक्त दस वर्ष की सेवा पूरी करने के दिनांक से, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में नियुक्त समझा जायगा।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 3 सन् 1998

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 6 सन् 1998

निरसन और अपवाद

11—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 11 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मद संख्या–15

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 1 जुलाई, 1998 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश के बेरोजगार आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्टों द्वारा कतिपय मांगों को लेकर किये जा रहे आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री मानिक चन्द्र यादव की जनपद मैनपुरी की तहसील व परगना मैनपुरी की ग्राम सभा मैनपुरी देहात की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री नन्दराम की जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम मोहलिया पट्टी में नायब तहसीलदार द्वारा बकाये की वसूली को लेकर एक परिवार की सरेआम पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों में किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवी सूचना श्री रामविशुन आजाद की जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र अन्तर्गत मनकापुर नवाबगंज मार्ग पर ऊंटघाट व मसकनवा गौरा चौकी मार्ग पर श्रृंगारघाट तथा झिलाई-चतीरगंज मार्ग पर चौकाघाट के लकड़ी के पुलों के टूटने से जन सामान्य को हो रही असुविधाओं तथा पुलों के पुनर्निर्माण के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठीं सूचना श्री विनोद मणि त्रिपाठी व श्रीराम कृपाल की पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में जंगलों के बीच रहने वाले वनटांगिया किसानों की दयनीय दशा को सुधारने हेतु उनके विरुद्ध झूठे मुकदमों को समाप्त किये जाने तथा उन्हें स्थायी रूप से बसाकर सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की उत्तरांचल विकास मंत्री के लखनऊ स्थित आवास पर हजारों रुपये के जेवरात व सोने के मुकुट की चोरी कर अपराधियों द्वारा सरकार को शान्ति व्यवस्था के संबंध में दी गयी चुनौतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

शेष सूचनायें डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम औतार शाक्य, डा० ज्ञानवती सिंह, श्री राजेश अग्रवाल व श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री रामजग, श्री राम कृपाल, श्री राम नक्षत्र, श्री कमलेश कुमार सिंह, डा० कौशल किशोर, श्री कृपाशंकर सिंह, श्री अकबर हुसैन, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री पूर्णमासी पंकज, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना एवं श्री उदयराज यादव की अस्वीकृत हुई।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी का तेल एवं चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 51 की सूचना पर खाद्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री ऐजाज रिजवी–(खाद्य एवं रसद मंत्री)

[प्रदेश को वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर भारत सरकार से 59, 122 मी० टन लेवी चीनी का प्रतिमाह आवंटन प्राप्त हो रहा है। प्रदेश को मार्च, 1998 तक 1,26,236 किलोलीटर मिट्टी तेल का प्रतिमाह आवंटन प्राप्त हो रहा था। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से भारत सरकार द्वारा प्रदेश के मिट्टी तेल के कोटे में 18% की वृद्धि की गई है और माह अप्रैल, 1998 से प्रदेश को 1,46,966 किलोलीटर मिट्टी तेल प्रतिमाह प्राप्त हो रहा है।

प्रदेश में चीनी एवं मिट्टी तेल की वितरण दर निम्न प्रकार है:–

चीनी		मिट्टी तेल	
मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
1 कि० ग्रा० प्रति यूनिट प्रतिमाह (शहरी क्षेत्र)	1 कि० ग्रा० प्रति यूनिट प्रतिमाह	5 ली० प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह (जिनके पास एल० पी० जी० गैस कनेक्शन है)	10 ली० प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह (शहरी क्षेत्र)
330 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह (ग्रामीण क्षेत्र)		10 ली० प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह (सामान्य श्रेणी के लिए) 5 ली० प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह (ग्रामीण क्षेत्र)	5 से 10 ली० तक प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

2—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा कड़े निर्देश जिलाधिकारियों को निर्गत किये जाते रहे है। कालाबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने के लिए शासन द्वारा 18–12–97 को विस्तृत दिशा-निर्देश जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये हैं। इसमें आवश्यक वस्तुओं की उठान/वितरण को ठीक प्रकार से सुनिश्चित करने के लिए थ्री-स्टेज चेकिंग की व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत पहली स्टेज पर थोक विक्रेता/गोदामों पर सामग्री पहुंचने का शत-प्रतिशत सत्यापन राजपत्रित अधिकारी से कराया जा रहा है। दूसरी स्टेज में गोदाम/थोक विक्रेता के यहां से राशन के दुकानदार द्वारा उठान का शत-प्रतिशत सत्यापन आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों से कराया जा रहा है। तीसरे स्टेज में राशन की दुकान पर सामग्री पहुंचने के पश्चात् उसका सत्यापन कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासन के उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में समस्त जिलों में व्यापक स्तर पर निरीक्षण/छापों की कार्यवाही की जा रही है। प्रवर्तन की कार्यवाही भी युद्ध स्तर पर की जा रही है।]

विद्युत परिषद् के अभियन्ताओं द्वारा सिस्टम कन्ट्रोल के आदेशों का पालन न किये जाने से जनपद गाजियाबाद के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 51 की सूचना पर खाद्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री ऐजाज रिजवी (खाद्य एवं रसद मंत्री)–

[मुरादनगर विद्युत गृह की लागशीट के आधार पर एकत्रित सूचना के हिसाब से जलालाबाद पोषक को 10 घंटे की शेड्यूल सप्लाई के विद्युत पोषक अतिभारित होने के कारण दिनांक 16-6-98 से 20-6-98 तक लगभग 7 घंटे औसतन विद्युत आपूर्ति की गई है। दिनांक 5-6-98 को कुछ उपभोक्ताओं द्वारा संबंधित अवर अभियंता एवं कर्मचारियों के साथ विद्युत आपूर्ति के संबंध में मारपीट की गयी जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों ने पुलिस में एफ०आई०आर० लिखाई गयी। कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति ने उपरोक्त मारपीट की घटना के विरोध में दिनांक 17-6-98 को टूलडाउन आन्दोलन प्रारम्भ किया गया एवं पोषक पर ब्रेक डाउन होने पर कर्मचारियों ने ब्रेक डाउन अटेण्ड नहीं किया क्योंकि कर्मचारी एफ०आई०आर० पर पुलिस कार्यवाही न होने पर आन्दोलित थे। इसी कारण जलालाबाद पोषक पर दिनांक 17-6-98 को केवल विद्युत आपूर्ति का पूर्ण व्यवधान रहा। विभागीय अधिकारियों/प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आशवासित किये जाने पर अपना नियमित कार्य प्रारम्भ कर दिया। दिनांक 17-6-98 को पूर्ण आपूर्ति बाधित रहने के कारण दिनांक 19-6-98 तथा 20-6-98 को लगभग 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की गयी। इस घटना के संबंध में अधीक्षण अभियंता गाजियाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।]

नगरपालिका कासगंज, जनपद एटा में नालों की सफाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 51 की सूचना पर खाद्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री ऐजाज रिजवी (खाद्य एवं रसद मंत्री)

[नगरपालिका परिषद् कासगंज एटा के सभी नाले सिल्ट से भरे होने, तीन साल से इनकी सफाई न होने के कारण थोड़ी सी बरसात होने से पूरी नगर पालिका परिषद् की सड़कों पर, गलियों

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में पानी भराव हो जाने तथा कुछ नालों में सिल्ट साफ न होने के कारण बिना बरसात में भी सड़कों पर पानी भरा रहने तथा सफाई के लिए उपलब्ध धन का पालिकाध्यक्ष श्रीमती शशिलता चौहान द्वारा दुरुपयोग किए जाने, नालों की सफाई न होने से नगर के गंदगी का भंडार बन जाने एवं जनता में नाना प्रकार की बीमारियां जन्म लेने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि (1) बस स्टैण्ड से नेशनल टाकीज तक (2) सब्जी मण्डी से रेलवे लाइन तक (3) सब्जी मण्डी से रेलवे रोड व नदरई गेट तक (4) बिलग्राम गेट शिशु मन्दिर से गंगेश्वर कालोनी तक (5) पशुपालन विभाग से बस स्टैण्ड तक (6) माल गोदाम चौराहे से नदी तक (7) स्टेट बैंक से बाई पास मेनरोड तक के उक्त सभी नाली एवं नालियों की सफाई कराई गयी है। नाली व नालों से निकाली गयी सिल्ट सड़क के किनारे पड़ी है, जिसे निरन्तर उठाया जा रहा है।

2—जिलाधिकारी, एटा से प्राप्त सूचनानुसार अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, कासगंज के द्वारा इस संबंध में धन का कोई दुरुपयोग अथवा भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। विगत तीन वर्षों से नालों की सफाई हेतु शासन द्वारा पालिका को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी। पालिका द्वारा अपने संसाधनों से इन तीन वर्षों में अमानी पर नाला सफाई का कार्य कराया गया, जिसमें व्यय की गयी धनराशि का विवरण वर्षवार निम्नवत् है :—

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि
(1) 1995-96	रुपये 3,18,465/-
(2) 1996-97	रुपये 51,000/-
(3) 1997-98	रुपये 67,235/-

3—नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था संतोषजनक है तथा कासगंज, एटा की सीमा के अन्तर्गत किसी संक्रामक रोग के फैलने की सूचना नहीं है। पालिका द्वारा जो भी सफाई अभियान संचालित किया जा रहा है। वह अपने वित्तीय संसाधनों से किया जा रहा है। वर्ष 1998-99 में भी इस हेतु शासन से पालिका को कोई अनुदान आवंटित नहीं हुआ है।]

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 37 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ
1 जुलाई, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-01 के उत्तर का संलग्नक

क्र०-सं०	विकास खण्ड का नाम	कार्य का नाम	लाभार्थी का नाम	ग्राम का नाम धनराशि	अवमुक्त
1	2	3	4	5	6
1996-97					
1	ज्ञानपुर	कूप निर्माण	श्री खेतल	मऊरामशाला	48,000
2	,,	,,	श्रीमती बुधनी देवी	वेदपुर	48,000
3	,,	,,	श्री छत्रधारी	मदनपुर	48,000
4	,,	,,	श्री कमलू	जोरई	48,000
5	,,	,,	श्री राजनरायन उर्फ फूलचन्दगिरि	मकनपुर रोही	48,000
6	,,	,,	श्रीमंती जयनाथी देवी	नजरपुर	48,000
7	,,	,,	श्री राम अकबाल	नैवापुर	48,000
8	,,	,,	श्री रामनारायण	असईपुर	48,000
9	,,	,,	श्री बारीलाल	मऊरामशाला	48,000
10	,,	,,	श्री सूर्यमणि दुबे	मकनपुर रोही	48,000
11	,,	,,	श्री जोखन	कानपुर पश्चिम	48,000
12	,,	,,	श्री मलारागिरि	बासूपुर	48,000
13	,,	तालाब निर्माण	—	ग्राम सभा बड़वापुर में तालाब निर्माण (सामूहिक लाभ हेतु)	2,00,000
14	,,	नाला निर्माण	ग्राम सभा मकनपुर रोही में नाला एवं पुलिया निर्माण		97,920
15	,,	,,	ग्राम पंचायत जखाव में नाला निर्माण		2,45,000
16	डीघ	कूप निर्माण	श्री बैजनाथ	सेमराध	48,000
17	,,	,,	श्री रामदुलार	डीघ	48,000
18	,,	,,	श्री हंसराज	कौलापुर	48,000
19	,,	,,	श्री मुन्नी लाल	तुलसी पट्टी	48,000
20	,,	,,	श्री विल्लर	बहपुरा	48,000
21	,,	,,	श्री लालजी	बोलखरा	48,000
22	,,	,,	श्री परानू	कलातुलसी	48,000
23	,,	,,	श्रीमती मेवलीदेवी	कलनुआ	56,000
24	,,	,,	श्री जवाहर	नारेपार	26,000

1	2	3	4	5	6
25	,,	,,	श्री आशाराम	बेरवापहाड़पुर	26,000
26	,,	,,	श्री शिवलखन	डटहरा	26,000
27	,,	,,	श्री मुन्नीलाल	नौधन	56,000
28	,,	,,	श्री पांचू	भगवानपुर चौथर	56,000
29	,,	सा० नलकूप	टिकराबस्ती में सामुदायिक नलकूप निर्माण बदरी ग्राम सभा में टूटे हुए बंधे का पुनः निर्माण		9,54,000
30	,,	बंधा निर्माण			1,50,000
1997-98					
31	ज्ञानपुर	कूप निर्माण	श्री रामविलाशमिश्र	काँवल	48,000
32	,,	,,	श्री रामखेलावन	वीरभद्रपट्टी	48,000
33	,,	,,	श्री विश्वनाथ यादव	दुल्हीपुर	48,000
34	,,	,,	श्री भारत भूषण	छत्रशाहपुर	48,000
35	,,	,,	श्री शंकर	ख्योखर	48,000
36	,,	,,	श्री कल्लूराम विन्दु	मदनपुर	48,000
37	,,	,,	श्री जय लाल	छत्रशाहपुर	48,000
38	सुरियावां	,,	श्री भोलानाथ	नागमनपुर	48,000
39	ज्ञानपुर	सामुदायिक नलकूप	ग्राम सभा बयांव में सामुदायिक नलकूप निर्माण		10,64,000
40	डीघ	कूप निर्माण	श्री अमृत लाल	अमीलौर	48,000
41	,,	,,	श्री जगतप्रसाद	भटगवां	48,000
42	,,	,,	श्री मिठाई लाल	जगदीशपुर उपरवार	48,000
43	,,	,,	श्री रामधनी	उपरवार इब्राहीमपुर	48,000
44	,,	सा० नलकूप	ग्राम सभा घनश्यामपुर में सामुदायिक नलकूप निर्माण		10,64,000

उत्तर प्रदेश राजपत्र

नत्थी "ख"

(देखिये अता० प्र० सं० 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

(1)	कर्मचारी का नाम	श्री मो० अनीस
(2)	पदनाम	वरिष्ठ लिपिक
(3)	तैनाती का स्थान	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, गाजियाबाद
(4)	विदेश प्रशिक्षण अवधि	दिनांक 4 दिसम्बर, 1996 से 17 दिसम्बर, 1996 तक
(5)	प्रशिक्षण उद्देश्य	"नेशनल फैमिली कोआर्डिनैटिंग बोर्ड इन्डोनेशिया प्लानिंग एण्ड मैनेजिंग ए कम्युनिटी बेस्ट नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ/फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम प्रशिक्षण में भाग लिये जाने हेतु।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता० प्र० सं० 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–28 के उत्तर का संलग्नक

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	दी गई धनराशि (रु० में)
1	2	3
1	अवर अभियन्ता, ल० सिं०, जसपुरा	2,100.00
2	प्रभारी राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, बांदा	80,775.00
3	प्रेम फोटो स्टूडियो, जसपुरा	2,700.00
4	यू० पी० स्टेट एग्रो, बांदा	73,213.00
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा	2,470.00
6	प्रताप सेवा संस्थान, बांदा	11,336.00
7	यू० पी० स्टेट एग्रो, बांदा	19,777.00
8	एकडमी आफ कम्प्यूटर सोसा०, बांदा	26,039.00
9	कस्तूरबा कुटीर उद्योग, बांदा	19,800.00
10	राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, बांदा	1,83,600.00
11	सेवा अभियन्ता यू० पी० स्टेट, बांदा	8,100.00
12	प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा	1,800.00
13	यू० पी० स्टेट एग्रो, बांदा	575.00
14	प्रधानाचार्य, आई०टी०आई०, बांदा	994.00
15	एस० के० रेडियो, टी०वी० सेन्टर, कमासिन	28,150.00
16	विनोबा गो सेवा सदन, जेल रोड, बांदा	6,750.00
17	प्रभारी राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, बांदा	76,200.00
18	यू० पी० स्टेट एग्रो, बांदा	551.00
19	सुरेन्द्र नारायण चतुर्वेदी, महेश्वरी देवी चौक, बांदा	1,200.00
20	अधिशासी अभि०, 16वीं शाखा, जल निगम, बांदा	7,200.00
21	मानवोदय ग्रामीण प्रबंध क्रिया संस्थान, बलखण्डी नाका, बांदा	5,600.00
22	राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, बांदा	1,71,851.00
23	यू० पी० एग्रो, बांदा	7,989.00
24	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा	3,674.00

नत्थी "घ'

(देखिये अता० प्र० स० 60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

योजना	वर्ष 96-97 में प्राप्त धनराशि			व्यय विवरण		टिप्पणी
	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग			
आईब्लाइन्डनेस	3,07,130.00	—	3,07,130.00	—डी० पी० एम० का मानदेय	रु० 55,000.00	अवशेष धनराशि में दिनांक 14-8-95
				—औषधियां	रु० 1,05,135.10	को प्राप्त धनराशि रु० 3,00,000 की
				—शार्प इन्ट्रेमेन्ट	रु० 3,935.00	धनराशि सम्मिलित है। अतिरिक्त माह
				—पी० ओ० एल०	रु० 40,836.69	अप्रैल, 97 में तीस लाख का चेक प्राप्त
				—चश्मा	रु० 27,279.50	हुआ है।
				—आई० ई० सी० (प्रचार)	रु० 13, 659.02	
				—कन्टीजेन्सी	रु० 26,982.50	
				—अंश/कालिक सहायक का मानदेय	रु० 3,500.00	
				—नान कान्जुमेबिल	रु० 40.00	
				—अन्य व्यय	रु० 7,024.30	
				योग,	रु० 2,83,392.11	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

योजना	वर्ष 96-97 में प्राप्त धनराशि			व्यय विवरण		टिप्पणी
	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तिं	योग			
सिप्सा योजना	3,94,926.00	6,70,500.00	10,65,426.00	—तीन सौ एक उपकेन्द्रों पर व्यय की गई इम्प्रेस्टमनी	रु० 1,13,960.00	
				—52 प्रा० स्वा० केन्द्रों पर व्यय की गई इम्प्रेस्टमनी	रु० 3,80,007.00	
				—वाहन के पी० ओ० एल० पर व्यय	रु० 1,38,200.00	
				—जनरेटर के पी० ओ० एल० पर व्यय	रु० 39,000.00	
				—पब्लीसिटी पर व्यय	रु० 40,657.00	
				—अंश कालिक महिला चिकित्सा अधिकारों के मानदेय पर व्यय	रु० 31,200.00	
				—सिप्सा वर्कशाप पर व्यय	रु० 16,000.00	
				योग, कुल व्यय	रु० 7,59,024.00	

नत्थी "ङ"

देखिये अता० प्र० स० 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ- 50-पर

क्र० सं०	विकास खण्ड/नगर पंचायत नगर पालिका परिषद्	स्थल का नाप	वर्षवार	अवमुक्त की गयी धनराशि (लाख रुपये में)	कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति
			96–97		97-98
1	2	3	4	5	6
	जनपद–गोण्डा				
	(अ)–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र				
1	बभनजोत	हथियागढ़	15.96	—	कार्य प्रारम्भ
2	मुजेहना	मौरहा	26.14	—	कार्य प्रारम्भ
3	तरबगंज	रागी	—	12.72	कार्य प्रारम्भ
4	परसपुर	त्यौरासी	—	12.72	प्रारम्भ नहीं
5	पण्डरी कृपाल	मुण्डेरवा माफी	—	12.72	कार्य प्रारम्भ
6	मनकापुर	झिलाही	—	12.73	कार्य प्रारम्भ
7	नवाबगंज	टिकरी	—	12.73	भूमि विवाद के कारण कार्य रुका।
8	वजीरगंज	डुमरिया डीह	—	12.73	कार्य प्रारम्भ।
	(ब) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र				
1	नवाबगंज	नवाबगंज	—	15.00	कार्य प्रारम्भ
2	बेलसर	बेलसर	—	15.00	कार्य प्रारम्भ नहीं।
	जनपद–बलरामपुर				
	(अ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र				
1	तुलसीपुर	महराजगंज तराई	—	12.73	कार्य प्रारम्भ
2	बलरामपुर	गिरधरिया	—	12.73	कार्य प्रारम्भ
3	रेहरा बाजार	सराय खास	—	12.73	कार्य प्रारम्भ
4	गैसड़ी	बचौरा	—	12.73	कार्य प्रारम्भ
5	उतरौला	मानापार बहेरिया	—	12.73	कार्य प्रारम्भ
	(ब) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र				
1	हर्रैया सतगरवा	शिवपुरा	—	10.00	कार्य प्रारम्भ

नत्थी "च"

देखिये अता०प्र०स०—130 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर

अतारांकित प्रश्न संख्या–130 के उत्तर का संलग्नक

दस लाख कूप योजनान्तर्गत विकास खण्डवार व्यय धनराशि का विवरण

क्र०सं०	विकास खण्ड	व्यय धनराशि (लाख रु० में)	
		96-97	97-98
जनपद—मेरठ			
1	मेरठ	0.55	...
2	रजपुरा	9.738	8.642
3	रोहटा	5.704	...
4	जानी	3.404	18.681
5	मवाना	...	1.800
6	हस्तिनापुर	7.821	10.313
7	खरखोदा	1.593	...
8	माछरा	0.816	8.042
9	परीक्षतगढ़	14.944	13.532
10	सरधना	8.980	8.934
11	सरूरपुर	4.786	3.943
12	दौराला	10.753	5.293
(जनपद मेरठ)	योग :–	69.089	79.180
जनपद—बागपत			
1	छपरौली	7.332	8.105
2	बिनौली	20.109	12.365
3	पिलाना	2.139	4.319
4	बागपत	0.300	9.387
5	खेकड़ा	0.674	0.896
6	बंडौत	...	...
	योग :–जनपद बागपत–	30.554	35.072
	महायोग :––	99.643	114.252

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायतों द्वारा व्यय की गई धनराशि का विकास खण्डवार विवरण

क्र०सं०	विकास खण्ड	व्यय विवरण (लाख रु० में)	
		96-97	97-98
जनपद—मेरठ			
1	मेरठ	...	1.481
2	रजपुरा	...	3.028
3	रोहटा	1.250	2.030
4	जानी	...	2.817
5	खरखोदा	1.194	2.512
6	मवाना	1.432	1.998
7	हस्तिनापुर	1.203	2.820
8	परीक्षतगढ़	0.883	2.718
9	माछरा	...	2.711
10	सरधना	...	2.614
11	सरूरपुर	1.017	2.331
12	दौराला	...	3.199
	योग :–	6.979	30.259
जनपद—बागपत			
1	बिनौली	0.742	1.460
2	बागपत	...	3.460
3	बंडौत	...	2.261
4	छपरौली	0.887	1.167
5	खेकड़ा	...	2.434
6	पिलाना	1.177	2.193
	योग :–	2.806	13.975
	महायोग :—	9.785	44.234

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण

क्र०सं०	विकास खण्ड	व्यय विवरण (लाख रु० में)	
		96-97	97-98
जनपद—मेरठ			
1	मेरठ	10.362	9.429
2	रजपुरा	26.651	23.000
3	रोहटा	18.605	17.090
4	जानी	17.691	14.180
5	खरखोदा	17.922	13.661
6	मवाना	19.997	26.334
7	हस्तिनापुर	18.392	16.678
8	परीक्षितगढ़	23.559	20.062
9	माछरा	19.613	17.167
10	सरधना	17.026	15.837
11	सरूरपुर	15.158	14.700
12	दौराला	25.861	22.100
	योग :–	230.837	210.238
जनपद—बागपत			
1	बिनौली	20.839	19.800
2	बागपत	16.430	15.057
3	बंडौत	21.743	15.839
4	छपरौली	13.649	12.228
5	खेकड़ा	15.536	17.306
6	पिलाना	17.396	11.343
	योग :–	105.593	91.572
	महायोग :––	336.430	301.810

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत अभिकरण अंश का विकास खण्डवार विवरण

क्र०सं०	विकास खण्ड	व्यय विवरण (लाख रु० में)	
		96-97	97-98
जनपद—मेरठ			
1	मेरठ	4.857	0.540
2	रजपुरा	3.915	2.580
3	रोहटा	...	5.684
4	जानी	15.142	4.172
5	खरखोदा	3.358	8.344
6	मवाना	4.288	1.080
7	हस्तिनापुर	15.073	7.576
8	परीक्षतगढ़	1.062	0.810
9	माछरा	15.680	5.429
10	सरधना	5.405	1.559
11	सरूरपुर	1.739	1.976
12	दौराला	...	1.286
	योग :–	70.517	41.036
जनपद—बागपत			
1	बिनौली	3.886	5.580
2	बागपत	1.186	0.710
3	बंडौत	2.175	2.037
4	छपरौली	8.138	...
5	खेकड़ा	...	...
6	पिलाना	3.843	1.632
	योग :–	19.228	9.959
	महायोग :––	89.745	50.995

नत्थी "ज"

देखिये अता० प्र० स०—132 का उत्तर पीछे पृष्ठ–76 पर

ट्राइसेम प्रशिक्षण मद अन्तर्गत वर्ष 1995-96 से वर्ष 1995-98 तक स्वयं सेवी संस्थावार आवंटित/व्यय हुई धनराशि

क्र०सं०	स्वयं सेवी संस्था का नाम व पूर्ण पता	वर्षवार आवंटित/व्यय हुई धनराशि (रु० में)		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1	ग्रामोद्योगिक विकास प्रशिक्षण संस्थान, महराजगंज गोण्डा।	11,47,070=00	17,75,115=00	13,24,221=00
2	दीन दयाल शोध संस्थान, गोण्डा।	11,00,486=00	11,04,287=00	5,57,600=00
3	शहीद भगत सिंह प्रशिक्षण संस्थान टिकवार कर्नलगंज, गोण्डा।	67,233=00	89,900=00	1,45,225=00
4	साकेत ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान, मसकनवा, गोण्डा।	1,16,775=00	90,205-00	1,09,125=00
5	प्रबन्धक, मार्डन इलेक्ट्रानिक इन्स्टीट्यूट, बलरामपुर।	76,500=00	—	—
6	प्रबन्धक, विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, गोण्डा।	15,300=00	23,625=00	13,500=00
7	नव भारत महिला जनकल्याण संस्थान, गोण्डा।	16,175=00	58,050=00	25,650=00
8	टैगोर शिक्षा निकेतन, गोण्डा।	3,750=00	18,900=00	77,400=00
9	इण्डियन इलेक्ट्रानिक इन्स्टीट्यूट, बड़गांव, गोण्डा।	7,200=00	—	26,100=00
10	बसेरा महिला जन कल्याण संस्थान, गोण्डा।	24,300=00	20,475=00	20,925=00

नत्थी "छ"

देखिये अता० प्र० स०—131 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर

ट्राइसेम प्रशिक्षण मद अन्तर्गत वर्ष 1995-96 से वर्ष 1997-98 तक स्वयं सेवी संस्थावार आवंटित/व्यय हुई धनराशि

क्र०सं०	स्वयं सेवी संस्था का नाम व पूर्ण पता	वर्षवार आवंटित/व्यय हुई धनराशि (रु० में)		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1	ग्रामोद्योगिक विकास प्रशिक्षण संस्थान, महराजगंज गोण्डा।	11,47,070=00	17,75,115=00	13,24,221=00
2	दीन दयाल शोध संस्थान, गोण्डा।	11,00,486=00	11,04,287=00	5,57,600=00
3	शहीद भगत सिंह प्रशिक्षण संस्थान टिकवार कर्नलगंज, गोण्डा।	67,233=00	89,900=00	1,45,225=00
4	साकेत ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान, मसकनवा, गोण्डा।	1,16,775=00	90,205-00	1,09,125=00
5	प्रबन्धक, मार्डन इलेक्ट्रानिक इन्स्टीट्यूट, बलरामपुर।	76,500=00	—	—
6	प्रबन्धक, विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, गोण्डा।	15,300=00	23,625=00	13,500=00
7	नव भारत महिला जनकल्याण संस्थान, गोण्डा।	16,175=00	58,050=00	25,650=00
8	टैगोर शिक्षा निकेतन, गोण्डा।	3,750=00	18,900=00	77,400=00
9	इण्डियन इलेक्ट्रानिक इन्स्टीट्यूट, बड़गांव, गोण्डा।	7,200=00	—	26,100=00
10	बसेरा महिला जन कल्याण संस्थान, गोण्डा।	24,300=00	20,475=00	20,925=00